CHAHAL ACADEMY

मासिक पत्रिका

अगस्त 2025

समसामयिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार की एकीकृत तैयारी के लिए

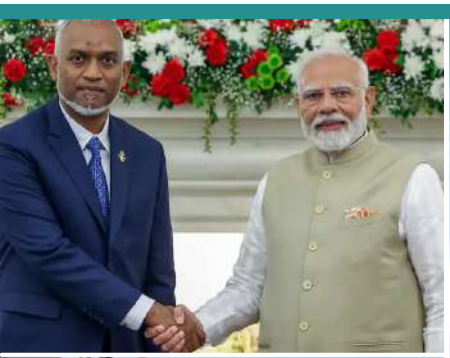

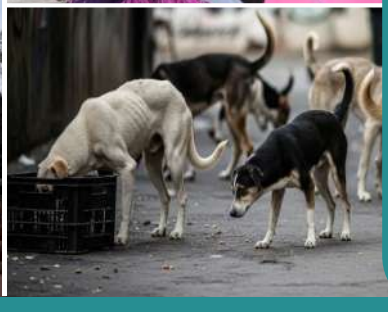

विशेष आकर्षण

अगस्त

मासिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

इसमें शामिल है:

- समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन
- समाचार में प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन
- अगस्त माह में महत्वपूर्ण दिवस
- समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली
- समाचारों में चर्चित पुरस्कार

महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के आलेख

- योजना 94
- कुरुक्षेत्र 98
- डाउन टू अर्थ 103
- इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली 107
- फ्रंटलाइन 66

**प्रारंभिक परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित बहुवैकल्पिक अभ्यास प्रश्न*

- महाबोधि मंदिर
- लीप-1 उपग्रह मिशन
- उपराष्ट्रपति का इस्तीफा
- भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध
- किशोरों की निजता का अधिकार
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
- आरएस-28 सरमत (RS-28 SARMAT)
- राइसोटोप परियोजना (RHISOTOPE PROJECT)
- गली के कुत्तों का खतरा
- नवाचार की स्वतंत्रता
- प्लास्टिक स्वास्थ्य संकट
- चंद्रशेखर आज़ाद
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
- भारत में उच्च शिक्षा का संकट
- कृषि 4.0-कृषि-तकनीक क्रांति की ओर

अनुक्रमणिका

राजव्यवस्था एवं शासन 1

उपराष्ट्रपति का इस्तीफा 1
अनुच्छेद 370 के छह साल बाद 2
विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ 3
कपटपूर्ण मुकदमा (Collusive Legislation) 4
विधिक विक्षिप्ति सिद्धांत (Legal Insanity Doctrine) 5
मास्टर ऑफ़ द रोस्टर 6
मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया 7
असम के आक्रामक बेदखली अभियान 9
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 9
भारत बंदरगाह विधेयक, 2025 10
स्वप्रेरणा संज्ञान 12
प्रतिपूर्ति क्षति (Restitutionary damages) 12
इंडिया सिने हब पोर्टल 13

अंतरराष्ट्रीय संबंध 14

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता (EFTA) 14
भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध 15
भारत-मोरक्को पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (एमएलएटी) 15
भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 16
भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी 18
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम 19
प्रथम बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह 19
पर्पल नोटिस 20
UNHCR (यूएनएचसीआर) 21

अर्थव्यवस्था एवं कृषि 22

राष्ट्रीय सहकारी नीति 23
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) 24
हरित ईंधन नीति 25
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) 26
मार्केट कपलिंग इन डे अहेड मार्केट 26
आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा 27
गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था 29

पर्यावरण एवं भूगोल 31

दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम, 2025 31
क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी (KRASHENINNIKOV VOLCANO) 32
कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप 32
राइसोटोप परियोजना (RHISOTOPE PROJECT) 34
मरम्मत का अधिकार (RIGHT TO REPAIR) 35
इलेक्ट्रिक ब्लू बर्ड "ग्रैंडाला" 36
न्यू वुल्फ स्पाइडर 36
सनफ्लावर सी स्टार (SUNFLOWER SEA STAR) 36
ऊदबिलाव और तारा कछुए (OTTERS AND STAR TORTOISES) 37
इंद्री लेमूर गट बैक्टीरिया 38
सीबकथॉर्न और हिमालयन बकव्हीट 39
पवन फार्मों में पक्षियों की मृत्यु दर 39

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 41

व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून 41
लीप-1 उपग्रह मिशन 42
एआई-आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएँ 43
इलेक्ट्रिक वाहन अवसर (ELECTRIC VEHICLE OPPORTUNITY) 44
जैव उत्तेजक (BIO STIMULANT) 45
निसार 46
मनोभ्रंश (DEMENTIA) 47
क्लोव्स सिंड्रोम (CLOVES SYNDROME) 48
जैव उर्वरित आलू 49
एक्टोपिक गर्भावस्था (ECTOPIC PREGNANCY) 49
ट्रेसर- ट्विन उपग्रह (TRACER- TWIN SATELLITES) 50

रक्षा एवं सुरक्षा 52

भारत में रक्षा उत्पादन 52
प्रलय मिसाइल 52
आरएस-28 सरमत (RS-28 SARMAT) 53
ओर्शेनिक मिसाइल 54
ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह 54

सामाजिक मुद्दे 55

किशोरों की निजता का अधिकार 55
लैंगिक न्याय के लिए कोई जगह नहीं 56
स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना 58
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) परामर्श 59
भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट 61
गली के कुत्तों का खतरा (STREET DOG MENACE) 62
सहमति की आयु (AGE OF CONSENT) 63

इतिहास एवं संस्कृति 64

जोड़ीदार परंपरा 64
पाइका विद्रोह 64
देवदासी प्रथा 66
चोलों की कुदावोली प्रणाली 66

महाबोधि मंदिर 67
ललित कला अकादमी 69
द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा वैश्विक व्यवस्था को नया रूप 69
राजा राजेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति 72

सरकारी योजनाएँ 74

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 74
एसएएससीआई योजना (SASCI SCHEME) 75
अमृत भारत स्टेशन योजना 76
आयुर्ज्ञान योजना 77
संचार मित्र योजना 78
एलआईसी बीमा सखी योजना 79
न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रम 80
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना 80
ज्ञान भारतम मिशन 81
मातृ वन पहल 81

महत्वपूर्ण रिपोर्ट 83

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 83
NARI-2025 रिपोर्ट 84
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) 85
मसौदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (एनटीपी-25) 86
दूषित दवाओं पर डब्ल्यूएचओ-यूएनओडीसी रिपोर्ट 88
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति 89

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व 90

श्री अरबिंदो 90
चंद्र शेखर आज़ाद 90
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 91
अटल बिहारी वाजपेयी 92

'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025) 94

नवाचार की स्वतंत्रता 94
लोगों का पद्म (People's PADMA) 97

'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025) 98

विषय 1: कृषि 4.0 - कृषि-तकनीक क्रांति की ओर 98
विषय 2: संरक्षण कृषि पद्धतियाँ और परिप्रेक्ष्य 100

'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025) 103

प्लास्टिक स्वास्थ्य संकट 103
अमेरिकी सहायता कटौती के मद्देनजर वैश्विक स्वास्थ्य की पुनर्कल्पना 105

'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' के महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025) 107

लिंग आधारित मीडिया और भारत की विधायी प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता 107
भारत में उच्च शिक्षा का संकट 107

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन) 109

अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस 109
समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 110
समाचारों में चर्चित पुरस्कार 110
समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली 111
समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन 111

अगस्त 2025-'द हिन्दू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न 113

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 113
उत्तर कुंजी 127
दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न 128

इकाई 1

राजव्यवस्था एवं शासन

उपराष्ट्रपति का इस्तीफा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दिया।

महत्वपूर्ण विवरण

उनका इस्तीफ़ा 21 जुलाई, 2025 को, संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हुआ।

इसके साथ ही वे कार्यकाल के बीच में इस्तीफ़ा देने वाले केवल तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए, इससे पहले:

- वी.वी. गिरि (1969) - जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया।
- आर. वेंकटरमन (1987) - जिन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया।

उपराष्ट्रपति कैसे इस्तीफा देता है?

- उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक लिखित त्यागपत्र भेजना होगा।
- राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने पर (या पत्र में उल्लिखित तिथि से) त्यागपत्र तत्काल प्रभावी हो जाता है।

रिक्ति और चुनाव

जब उपराष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है:

- चुनाव छह महीने के भीतर होना चाहिए (अनुच्छेद-68)।
- भारत का चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करता है।
- चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अनुसार होते हैं।
- संसद के किसी भी सदन के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी (चक्रानुक्रम के आधार पर) नियुक्त किया जाता है।

इस बीच कौन कर्तव्य निभाता है?

- संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है।
- जब तक नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है (क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है)।
- यदि सभापति और उपसभापति दोनों त्यागपत्र दे देते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों में से निर्वाचित उपसभापतियों का एक पैनल सदन की अध्यक्षता करता है।

भारत के उपराष्ट्रपति

- संविधान के **अनुच्छेद 63 से 71** उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं।
- **अनुच्छेद 63:** "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।"
- **चुनाव:**
  - संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा, मनोनीत सदस्यों सहित) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।
  - एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
  - राज्य विधानमंडल इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- **शपथ:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
- **कार्यकाल:**
  - 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।
  - कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।
- **पात्रता:**
  - भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए।
  - राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए।
  - केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- **प्रमुख भूमिका:**
  - राज्यसभा के पदेन सभापति।
  - किसी रिक्त पद की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं।

यह क्यों मायने रखता है?

उपराष्ट्रपति का इस्तीफा राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर आया है। दिसंबर 2024 में, विपक्ष राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका था। अब, जब यह पद रिक्त है, तो संसद के सुचारू संचालन के लिए नए उपराष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक प्रभावी अंतरिम व्यवस्था की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं।
2. उपराष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए।
3. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
4. उपराष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (द)

अनुच्छेद 370 के छह साल बाद

चर्चा में क्यों: 5 अगस्त, 2025 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने के छह वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2019 के इस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू-कश्मीर (J&K) का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (J&K और लद्दाख) में पुनर्गठित किया, और इस क्षेत्र को शेष भारत के करीब लाने का लक्ष्य रखा। इस कदम को पूर्ण एकीकरण, समान अधिकार, व्यापक विकास और बेहतर सुरक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया।

छह वर्ष बाद, परिणाम स्पष्ट तो हैं, लेकिन मिश्रित हैं - कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, जबकि अन्य में चुनौतियां बरकरार हैं।

2019 से प्रमुख घटनाक्रम

1. राजनीतिक परिवर्तन

- **राजनीति का पुनरुत्थान:** नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसे राजनीतिक दल, जो कभी संशय में थे, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फिर से शामिल हो गए हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (2023):** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखा, लेकिन निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाएँ।
- **जमीनी स्तर पर लोकतंत्र:** पंचायत और नगरपालिका चुनावों ने स्थानीय शासन को मज़बूत किया है।
- **राज्य के दर्जे की माँग:** अब राजनीतिक समूहों (लद्दाख को छोड़कर) के बीच पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए व्यापक सहमति है।

2. सुरक्षा परिदृश्य

- **बेहतर कानून-व्यवस्था:** बड़े पैमाने पर आतंकवादी नेटवर्क कमज़ोर हो गए हैं और शहरी इलाके अपेक्षाकृत ज़्यादा शांतिपूर्ण हैं।
- **नए सुरक्षा ख़तरे:** हालाँकि, "हाइब्रिड उग्रवाद" (जिन लोगों का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, वे अचानक हिंसा पर उतर आते हैं) और लोन-वुल्फ हमले जारी हैं, जैसा कि हाल ही में हुए पहलगाम हमले जैसी घटनाओं में देखा गया है।
- **मज़बूत निगरानी:** ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क और ख़ुफ़िया पुलिसिंग का इस्तेमाल बढ़ा है।

3. आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास

- **निवेश:** सरकार का दावा है कि ₹65,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हैं, जिनमें आईटी, हस्तशिल्प, बागवानी और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **कनेक्टिविटी:**
  - उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के नए खंड पूरे हो गए हैं।
  - राजमार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है, ज़ोजिला जैसी सुरंगों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
  - सीधी उड़ानें अब श्रीनगर और जम्मू को भारत भर के टियर-1 शहरों से जोड़ती हैं।
- **कृषि एवं हस्तशिल्प:** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेब की खेती का आधुनिकीकरण, केसर योजनाएं और कश्मीरी शिल्प को जीआई टैगिंग।

4. पर्यटन पुनरुद्धार

- **रिकॉर्ड आगमन:** हाल की सुरक्षा घटनाओं से पहले, जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई थी।
- **शीतकालीन एवं सांस्कृतिक पर्यटन:** गुलमर्ग की स्की ढाल, फिल्म शूटिंग और सांस्कृतिक उत्सवों ने पर्यटन को विविधतापूर्ण बढ़ावा दिया है।

5. प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण

- **केंद्रीय कानून:** अब 800 से ज़्यादा केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू होते हैं, जो राज्य-विशिष्ट कानूनों की जगह लेते हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:** पीएम-किसान, आयुष्मान भारत जैसी अन्य योजनाएँ सीधे नागरिकों तक पहुँच रही हैं।

चुनौतियाँ जो बनी हुई हैं

- **राज्य का दर्जा मिलने में देरी:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2024 की समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं।
- **सुरक्षा संबंधी कमज़ोरी:** आतंकवादी हमले, भले ही छिटपुट हों, सामान्य स्थिति की धारणा को बिगाड़ते हैं और निवेशकों व पर्यटकों को डराते हैं।
- **जनता के विश्वास में कमी:** कई लोगों को अब भी लगता है कि 2019 के फैसले ने जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को कमज़ोर कर दिया, जिससे राजनीतिक अलगाव बढ़ा।
- **बेरोज़गारी:** रोज़गार सृजन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है, खासकर युवाओं के बीच।
- **पर्यटन की कमज़ोरी:** सुरक्षा संबंधी घटनाएँ पर्यटन पर निर्भर आजीविका को सीधे प्रभावित करती हैं।

आगे की राह

1. **राज्य का दर्जा समय पर बहाल करना:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से लोकतंत्र और विश्वास मज़बूत होगा।
2. **हाइब्रिड उग्रवाद से निपटना:** नागरिकों को परेशानी पहुँचाए बिना सुरक्षा रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए।
3. **समावेशी संवाद:** सरकार को मुख्यधारा के राजनीतिक दलों, स्थानीय नेताओं और नागरिक समाज को शामिल करना चाहिए।
4. **अर्थव्यवस्था में विविधता लाना:** पर्यटन और बागवानी से आगे बढ़कर आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण की ओर बढ़ना।
5. **युवा रोज़गार:** कौशल विकास कार्यक्रमों को नए उद्योगों के साथ जोड़ना होगा।
6. **कथानक को आकार देना:** स्थिरता और अवसर को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय पहुँच का उपयोग करना।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के छह साल बाद, जम्मू और कश्मीर एक दोराहे पर खड़ा है। सड़कें, रेलवे और उड़ानें बेहतर हुई हैं; केंद्रीय कानून और कल्याणकारी योजनाएँ लोगों तक पहुँची हैं; और राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। फिर भी, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, राज्य के दर्जे में देरी और जनता के विश्वास की कमी अभी भी बाधाएँ बनी हुई हैं। इस क्षेत्र का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए शासन, सुरक्षा और समावेशन में कितना संतुलन बनाया जाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए घटनाक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखा और विधानसभा चुनावों के साथ राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया।
2. 800 से अधिक केंद्रीय कानूनों को जम्मू-कश्मीर तक बढ़ा दिया गया है।
3. उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और लद्दाख में लेह तक चालू है।
4. पर्यटन में रिकॉर्ड आवक देखी गई है, हालाँकि पहलगाम हमले जैसी घटनाओं ने गति को बाधित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ

चर्चा में क्यों: विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के राष्ट्रीय सम्मेलन में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग तेज हो गई।

मुख्य विवरण

- 2014 में स्थापित इदाते आयोग का गठन विमुक्त जनजातियों (डीएनटी), घुमंतू जनजातियों (एनटी) और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (एसएनटी) के सामने आने वाली स्थायी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था।
- हालाँकि अभी तक आधिकारिक तौर पर एक स्थायी आयोग का गठन नहीं किया गया है, लेकिन विमुक्त जनजातियों के कल्याण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 2019 में विमुक्त जनजातियों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) की स्थापना की गई थी।
- सरकार ने विमुक्त जनजातियों को आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास में सहायता प्रदान करने के लिए विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एसईईडी) शुरू की है।

विमुक्त जनजातियाँ (डीएनटी)	घुमंतू जनजातियाँ (एनटी)	अर्ध- घुमंतू जनजातियाँ (एसएनटी)
➢ इन समुदायों की पहचान पहले ब्रिटिश काल के आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के तहत की जाती थी। ➢ इस अधिनियम ने विशिष्ट समुदायों को उनकी वंशावली के आधार पर स्वाभाविक रूप से अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कलंकित और हाशिए पर ला दिया गया। ➢ 1952 में, भारत सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया और इन समुदायों को 'विमुक्त' कर दिया। ➢ फिर भी, इस अधिनियम के दुष्परिणाम अभी भी जारी हैं, क्योंकि इन समुदायों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ➢ हालाँकि अधिकांश विमुक्त जनजातियाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में आती हैं, फिर भी कुछ डीएनटी ऐसी हैं जो इनमें से किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं हैं।	➢ ये समुदाय आमतौर पर स्थायी निवास स्थापित करने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। ➢ ये लोग अक्सर पशुपालन, वाणिज्य या हस्तशिल्प जैसी पारंपरिक आजीविका पर निर्भर रहते हैं। ➢ भारत में खानाबदोश जनजातियों के उदाहरणों में वन गुज्जर, लंबाड़ी और गुज्जर-बकरवाल शामिल हैं।	➢ ये समुदाय आंशिक खानाबदोशता प्रदर्शित करते हैं, जो दर्शाता है कि उनके पास कुछ निश्चित स्थान हो सकते हैं या वे मौसमी प्रवास करते हैं, जबकि कुछ खानाबदोश परंपराएँ भी कायम रखते हैं। ➢ अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के उदाहरणों में रायका और बंजारा शामिल हैं।

भारत में डीएनटी

- भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) की एक महत्वपूर्ण आबादी है, जो लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें 1,400 से अधिक समुदाय शामिल हैं।
- यह आँकड़ा 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर आधारित है और इसका अनुमान रेनके आयोग ने 2008 में लगाया था।
- डीएनटी समुदायों के उदाहरणों में बंजारा, गाड़िया लोहार, रबारी, मदारी, कालबेलिया और नट आदि शामिल हैं।

डीएनटी के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **मान्यता और दस्तावेज़ीकरण का अभाव:** कई विमुक्ति प्राप्त समुदायों के पास उचित दस्तावेज़ीकरण का अभाव है, जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच बाधित होती है।
- **भेदभाव:** ऐति हासिक अपराधीकरण और नकारात्मक रूढ़िवादिता विमुक्ति प्राप्त समुदायों को प्रभावित करती रहती है।
- **आर्थिक हाशिए पर:** विमुक्ति प्राप्त समुदायों को अक्सर रोज़गार के अवसरों, संसाधनों और बाज़ारों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वे गरीबी और पारंपरिक व्यवसायों पर आर्थिक निर्भरता का शिकार होते हैं।
- **शिक्षा का अभाव:** स्कूल छोड़ने की उच्च दर, साक्षरता का निम्न स्तर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच।
- **कोई आँकड़े नहीं:** भारत में खानाबदोश जनजातियों की सही संख्या अभी भी अज्ञात है क्योंकि कोई औपचारिक जनगणना नहीं की गई है।

आगे की राह

फोकस क्षेत्र	प्रमुख कार्यवाहियाँ
कानूनी स्थिति	अलग श्रेणी, Idate रिपोर्ट लागू करना
शिक्षा	आवासीय विद्यालय, ब्रिज कोर्स
आजीविका	पारंपरिक कौशल, मनरेगा, भूमि अधिकार
आवास और सेवाएँ	PMAY, मोबाइल सेवाएँ, आईडी
प्रतिनिधित्व	राष्ट्रीय आयोग, स्थानीय आरक्षण
कलंक-मुक्ति	जागरूकता अभियान, पुलिस प्रशिक्षण
डेटा और अनुसंधान	DNT-विशिष्ट सर्वेक्षण और डेटा
नागरिक समाज की भागीदारी	सीबीओ समर्थन, नेतृत्व प्रशिक्षण

निष्कर्ष

विमुक्त जनजातियाँ न केवल हाशिए पर हैं; बल्कि अक्सर व्यवस्था की नज़रों से ओझल भी हैं। अब समय आ गया है कि भारत विमुक्त जनजातियों को औपनिवेशिक लेबल के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान, क्षमता और समान अधिकारों वाले नागरिकों के रूप में मान्यता दे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सात दशक से भी अधिक समय पहले विमुक्त होने के बावजूद, भारत में विमुक्त जनजातियाँ आज भी व्यवस्थागत बहिष्कार और अदृश्यता का सामना कर रही हैं। विमुक्त जनजातियों के सामने आने वाली सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से हाल ही में शुरू की गई सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

कपटपूर्ण मुकदमा (Collusive Legislation)

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अधिकारियों से जुड़े कपटपूर्ण वाले मुकदमों का स्वतः संज्ञान लिया है। यह मामला बेंगलुरु उत्तर तालुका में 3 एकड़ और 33 गुंटा ज़मीन से जुड़ा है और इसने इस बात को उजागर किया है कि कैसे वैधानिक निकाय स्वयं कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं। न्यायालय ने रजिस्ट्री को न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।

कपटपूर्ण मुकदमेबाजी क्या है?

कपटपूर्ण वाला मुकदमा एक प्रकार का अदालती मामला होता है जिसमें शामिल पक्ष वास्तव में एक-दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते। इसके बजाय, वे मनचाहे नतीजे के लिए कानूनी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए पहले से ही गुप्त रूप से सहमत हो जाते हैं।

उदाहरण: कल्पना कीजिए कि दो लोग अदालत में संपत्ति का विवाद दायर करते हैं। एक व्यक्ति स्वामित्व का दावा करने का "ढोंग" करता है, लेकिन दोनों पहले ही तय कर चुके होते हैं कि दूसरा "जीतेगा"। जब अदालत "विजेता" के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो उस व्यक्ति को कानूनी स्वामित्व मिल जाता है—भले ही पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी वाली रही हो।

इस तरह, अदालत के अधिकार का इस्तेमाल अवैध लाभ को वैध बनाने के एक साधन के रूप में किया जाता है।

कपटपूर्ण मुकदमेबाजी पर कानूनी स्थिति

भारतीय अदालतें ऐसे मामलों को सख़्ती से अस्वीकार करती हैं क्योंकि ये न्याय की बुनियाद को ही कमज़ोर करते हैं। अगर कोई मामला सांठगांठ वाला पाया जाता है, तो:

- अदालत इसे पूरी तरह से खारिज कर सकती है।
- पक्षों को दंडित किया जा सकता है।
- इससे पहले पारित किसी भी फैसले को अमान्य घोषित किया जा सकता है।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों पर पर्यवेक्षी शक्तियां प्राप्त हैं और वे किसी भी कपटपूर्ण या धोखाधड़ीपूर्ण फैसले को रद्द कर सकते हैं।

प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ

1. **एस.पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ (1994)**
   - सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध रूप से कहा था: "धोखाधड़ी हर चीज़ को दूषित कर देती है।"
   - अगर कोई मामला कागज़ पर उचित भी लगे, तो भी धोखाधड़ी और कपटपूर्ण उस आदेश को अमान्य बना देती है।
2. **के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी (1998)**
   - न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग में कपटपूर्ण आचरण, कपटपूर्ण और अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास शामिल हैं।
   - ऐसे मामलों को अनुकरणीय लागत (भविष्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त दंड) के साथ खारिज किया जाना चाहिए।
3. **ए.वी. पपैय्या शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2007)**
   - इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि धोखाधड़ी या कपटपूर्ण से प्राप्त कोई भी आदेश अमान्य है—इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है।
   - न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों को, स्वप्रेरणा से भी, रद्द कर दें।
4. **रमेश कुमार बनाम फुरू राम (2011)**
   - स्पष्ट किया गया कि कपटपूर्ण मुकदमों में रेस जुडिकाटा (Res Judicata) (सीपीसी की धारा 11) के तहत संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले तो कोई वास्तविक विवाद ही नहीं था।
5. **न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण**

सिद्धांत	न्यायिक दृष्टिकोण
धोखाधड़ी और कपटपूर्ण	डिक्री अमान्य है और इसे संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।
प्रक्रिया का दुरुपयोग	न्यायालय मुकदमा खारिज कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या अवमानना कार्यवाही शुरू कर सकता है।
न्यायालय का कर्तव्य	न्यायालयों का दायित्व है कि वे कपटपूर्ण की सक्रिय रूप से पहचान करके न्याय की विफलता को रोकें।
तीसरे पक्ष की भूमिका	यहां तक कि तीसरे पक्ष (जैसे हस्तक्षेपकर्ता) भी प्रभावित होने पर कपटपूर्ण का मुद्दा उठा सकते हैं।

यह एक बड़ी समस्या क्यों है?

कपटपूर्ण से मुकदमेबाज़ी सिर्फ़ दो पक्षों द्वारा व्यवस्था को धोखा देने तक सीमित नहीं है—यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुँचाती है। जब अदालतों

को हेरफेर का अड्डा समझा जाता है, तो आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है।

आगे की राह

इस खतरे से निपटने के लिए न्यायपालिका और विधायिका दोनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है:

- **न्यायपालिका की भूमिका:**
  - ➢ कपटपूर्ण के मुकदमों का सक्रिय रूप से पता लगाना और उन्हें खारिज करना।
  - ➢ दुरुपयोग को रोकने के लिए भारी दंड लगाना।
  - ➢ जहाँ भी धोखाधड़ी का संदेह हो, स्वप्रेरणा से शक्तियों का प्रयोग करना।
- **विधायिका की भूमिका:**
  - ➢ जानबूझकर की गई कपटपूर्ण वाली मुक़दमों को आपराधिक बनाने के लिए क़ानूनों को मज़बूत बनाना।
  - ➢ सार्वजनिक संस्थाओं (जैसे बीडीए मामला) के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ सुरक्षा उपाय प्रदान करना।

निष्कर्ष

कपटपूर्ण से मुकदमेबाजी एक दीमक की तरह है जो न्याय के स्तंभों को कमज़ोर कर देती है। इससे यह धारणा बनती है कि अदालतों को निजी लाभ के लिए "प्रबंधित" किया जा सकता है। ऐसी प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके, न्यायपालिका न केवल कानून के शासन की रक्षा करती है, बल्कि व्यवस्था में जनता का विश्वास भी बहाल करती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के लोकतंत्र में ऐसी चालाकी भरी चालबाजियों के लिए कोई जगह न हो, मज़बूत कानूनी सुधारों की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कपटपूर्ण से किए जाने वाले मुकदमे न्याय की बुनियाद को ही कमजोर करते हैं और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं। इस कथन के आलोक में, भारत में कपटपूर्ण से किए जाने वाले मुकदमे के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। इस बुराई को रोकने के लिए न्यायपालिका और विधायिका मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? [150 शब्द | 10 अंक]

विधिक विक्षिप्ति सिद्धांत (Legal Insanity Doctrine)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने "विधिक विक्षिप्ति" के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे पहले आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। सिर में चोट लगने के कारण मानसिक अस्पताल में इलाज करा रहे इस व्यक्ति को अपराध के समय अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ पाया गया था।

नोट: न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 22 पर भरोसा किया, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 84 का स्थान ले लिया है।

विधिक विक्षिप्ति क्या है?

जब हम विक्षिप्ति शब्द सुनते हैं, तो आमतौर पर हमारे मन में डॉक्टरों द्वारा निदान की गई एक चिकित्सीय स्थिति का विचार आता है। लेकिन कानून सभी मानसिक बीमारियों के लिए एक जैसा व्यवहार नहीं करता।

- चिकित्सीय विक्षिप्ति डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक विकारों के निदान और उपचार से संबंधित है।
- दूसरी ओर, विधिक विक्षिप्ति एक संकीर्ण अवधारणा है। यह तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति, मानसिक विकृति के कारण, यह समझने में असमर्थ हो कि वह क्या कर रहा है या अपराध करते समय उसका कार्य गलत या गैरकानूनी है।

ऐसे मामलों में, कानून कहता है कि व्यक्ति को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

बीएनएस की धारा 22 (पूर्व में आईपीसी की धारा 84)

- प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है: कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो मानसिक विकृति के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या यह नहीं जानता कि वह गलत है या कानून के विपरीत है।
- यह मूलतः भारत में विक्षिप्ति के बचाव की कानूनी परिभाषा है।

ऐतिहासिक जड़ें (मैकनॉटन नियम)

- विधिक विक्षिप्ति का विचार नया नहीं है। यह मैकनॉटन नियम से आया है, जिसे 1843 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रतिपादित किया था। यह नियम आज भी भारत और कई अन्य देशों की अदालतों के लिए मार्गदर्शक है।
- यह एक प्रश्न पूछता है: क्या अपराध के समय अभियुक्त इतना मानसिक रूप से अस्वस्थ था कि उसे पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है, या उसे लगा कि वह गलत है?
- यदि उत्तर हाँ है, तो उस व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है।

भारत में न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने इस सिद्धांत के इर्द-गिर्द कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय विकसित किए हैं:

- **दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य (1964):** यदि विक्षिप्ति का कोई सबूत है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।
- **रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1971):** विक्षिप्ति का फैसला करने का निर्णायक क्षण अपराध का सही समय है।
- **सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य (2011):** केवल मानसिक रूप से बीमार होना ही पर्याप्त नहीं है। यह साबित करना होगा कि अपराध करते समय अभियुक्त अपने कृत्य को समझने में असमर्थ था।

न्यायालय सतर्क क्यों हैं?

विधिक विक्षिप्ति एक संकीर्ण बचाव है। अदालतें इसका दुरुपयोग न करने के प्रति सावधान रहती हैं, क्योंकि:

- एक ओर, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।
- दूसरी ओर, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जो वास्तव में अपने कृत्य को नहीं समझता, उसके साथ एक सामान्य अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

यह संतुलनकारी कार्य ही इस सिद्धांत को संवेदनशील और विवादास्पद बनाता है।

निष्कर्ष

विधिक विक्षिप्ति का सिद्धांत आपराधिक कानून के मानवीय पक्ष को दर्शाता है। यह मानता है कि हर गलत काम आपराधिक इरादे से नहीं किया जाता। साथ ही, अदालतें यह सुनिश्चित करती हैं कि सज़ा से बचने की कोशिश करने वाले लोग इस बचाव का दुरुपयोग न करना।

सरल शब्दों में, विधिक विक्षिप्ति सभी मानसिक बीमारियों के बारे में नहीं है, बल्कि केवल उन दुर्लभ मामलों के बारे में है जहाँ कृत्य के समय मन इतना व्याकुल था कि व्यक्ति को यह भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. विधिक विक्षिप्ति से तात्पर्य है:

(a) डॉक्टर द्वारा निदान की गई कोई भी मानसिक बीमारी

(b) गिरफ्तारी के दौरान बेहोश होना

(c) अपराध के समय कृत्य की समझ को प्रभावित करने वाली मानसिक अस्वस्थता

(d) जेल में अनुभव किए गए मतिभ्रम

उत्तर: (c)

मास्टर ऑफ़ द रोस्टर

चर्चा में क्यों: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ़ द रोस्टर होता है, लेकिन जब मामले में कानून के शासन को प्रभावित करने वाली संस्थागत चिंताएं उत्पन्न होती हैं, तो उसे हस्तक्षेप करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

मुख्य विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने निर्देश दिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया जाए और एक 'गलत' आदेश के कारण, उनकी सेवानिवृत्ति तक उन्हें आपराधिक रोस्टर आवंटित न किया जाए।
- उच्च न्यायालय के वकीलों और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार में हस्तक्षेप के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के पत्राचार के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अपने आदेश में संशोधन किया और स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य 'मास्टर ऑफ रोस्टर' के अधिकार पर विवाद करना नहीं था।

त्रुटिपूर्ण आदेश

- "त्रुटिपूर्ण" का मूल अर्थ "त्रुटि युक्त" या "गलत" होना है। इसलिए, एक त्रुटिपूर्ण आदेश सटीक या सत्य नहीं होता।
- इसका तात्पर्य है कि आदेश सही, सत्य या वैधानिकता से भटक गया है। इसमें आदेश जारी करने की प्रक्रिया, प्रयुक्त जानकारी, या अंतिम निर्णय में त्रुटियाँ शामिल हो सकती हैं।

"मास्टर ऑफ द रोस्टर" क्या है?

भारत की न्यायपालिका में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को सर्वोच्च न्यायालय में "मास्टर ऑफ द रोस्टर" माना जाता है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अपने न्यायालय में यही भूमिका निभाते हैं।

इस प्राधिकार का अर्थ है कि वे निर्णय लेते हैं:

- कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करता है।
- पीठें (एकल न्यायाधीश, दो न्यायाधीशों वाली या बड़ी पीठें) कैसे गठित की जाती हैं।
- किस प्रकार के मामले (आपराधिक, दीवानी, संवैधानिक, आदि) किन न्यायाधीशों के समक्ष जाते हैं।

न्यायालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है।

कानूनी आधार और मिसालें

- यह सिद्धांत संविधान में नहीं मिलता, लेकिन न्यायिक व्यवहार और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के माध्यम से यह सुस्थापित है।
- 2018 के 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ' मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के "मास्टर ऑफ द रोस्टर" और प्रशासनिक प्रमुख हैं।
- यह न्यायपालिका में आंतरिक तनाव के बाद आया, विशेष रूप से 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उन्होंने संवेदनशील मामलों के आवंटन पर सवाल उठाया था।

आलोचना और विवाद

- "मास्टर ऑफ द रोस्टर" की शक्ति की पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना की गई है।
- जब राजनीतिक रूप से संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामले किसी खास पीठ को सौंपे जाते हैं, तो अक्सर चिंताएँ जताई जाती हैं।
- मामलों के आवंटन के लिए एक अधिक पारदर्शी और नियम-आधारित प्रणाली की माँग की गई है।

सुधार की आवश्यकता

- **कानूनी विशेषज्ञों और पूर्व न्यायाधीशों ने सिफारिश की है:**
  - रोस्टर नियम प्रकाशित करना।
  - बेंच असाइनमेंट को घुमाना।
  - प्रक्रिया को अधिक संस्थागत और कम विवेकाधीन बनाना।

ऐतिहासिक निर्णय

- **राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1998):** केवल मुख्य न्यायाधीश ही यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा।
- **राजस्थान राज्य बनाम देवी दयाल (1959):** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एकल/खंड पीठ की संरचना का निर्णय करते हैं।
- **मायावरम वित्तीय निगम (मद्रास उच्च न्यायालय, 1991):** मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक कार्य आवंटन हेतु अंतर्निहित शक्तियाँ हैं।

आगे की राह

- **रोस्टर प्रणाली को संहिताबद्ध करना:** औपचारिक नियमों और दिशानिर्देशों को प्रकाशित और संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।
- **पारदर्शी मामला आवंटन:** संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामलों को स्पष्ट, पूर्व-विद्यमान मानदंडों के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।
- **रोस्टर समिति:** मुख्य न्यायाधीश के पूर्ण विवेकाधिकार के बजाय, पीठ की संरचना की निगरानी, संवेदनशील मामलों के आवंटन पर चर्चा और सहमति बनाने, तथा निष्पक्षता और संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक कॉलेजियम निकाय (मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) का गठन किया जा सकता है।

- **न्यायिक जवाबदेही तंत्र:** प्रशासनिक निर्णयों, जिसमें मामला आवंटन भी शामिल है, की निगरानी के लिए न्यायिक परिषद (जैसा कि न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक में अनुशंसित है) जैसा एक निकाय बनाया जा सकता है।
- **हितधारक परामर्श:** न्यायपालिका को बार (अधिवक्ता संघों), कानूनी विद्वानों, नागरिक समाज और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ जुड़ना चाहिए।
- **आवधिक समीक्षा:** न्यायाधीशों के बीच एकरूपता, संभावित पूर्वाग्रहों और समान कार्यभार की जाँच के लिए रोस्टर प्रथाओं और मामला आवंटन पैटर्न का आवधिक ऑडिट किया जाना चाहिए।
- **अहस्तक्षेप सुनिश्चित करना**: कार्यपालिका या विधायिका को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता को आंतरिक जवाबदेही और प्रक्रियात्मक अखंडता के साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायिक प्रशासन के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर सिद्धांत आवश्यक है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने और जनता का विश्वास बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। न्यायिक स्वतंत्रता को आंतरिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ-साथ चलना चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने से न्याय के सर्वोच्च संरक्षक के रूप में न्यायपालिका में विश्वास मज़बूत होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' प्रणाली से जुड़ी एक प्रमुख चिंता क्या है?

(a) न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी

(b) संसद का अत्यधिक हस्तक्षेप

(c) मामलों के आवंटन में पारदर्शिता का अभाव

(d) दीवानी मुकदमों की बढ़ती लंबित संख्या

उत्तर: (c)

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया

चर्चा में क्यों: भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, जिसमें उन्हें हटाने की मांग की जाएगी। यह कदम भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर चल रही व्यापक बहस के बीच उठाया गया है, खासकर बिहार में मतदाता सूची के विवादास्पद पुनरीक्षण के बाद, जिसमें लगभग 65 लाख नाम सूची से बाहर कर दिए गए थे।

बिहार मतदाता सूची विवाद

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, लाखों मतदाताओं के नाम मृत्यु, प्रवास, दोहराव या अधूरे फॉर्म जैसे कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सामूहिक विलोपन मनमाना और लक्षित था।

सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि:

- बूथ-वार छूटे हुए नामों की कारण सहित खोज योग्य सूची प्रकाशित करना।
- दावों और आपत्तियों के दौरान आधार को वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करना।

हालाँकि, चुनाव आयोग ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि ये हटाए गए दस्तावेज़ केवल "अस्थायी" थे और राजनीतिक दलों के साथ पहले ही साझा किए जा चुके थे।

इस विवाद ने पारदर्शिता, मतदाता अधिकारों और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी।

निष्कासन प्रक्रिया

- मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है।
- यह प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11 में भी निर्धारित है।

अनुच्छेद 324 (5) – चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा

इस प्रक्रिया में संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष महाभियोग प्रक्रिया के विपरीत, इसमें कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती है; यह उसी तरीके और आधार पर आधारित होती है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जो आमतौर पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाता है।

हटाने के आधार

- **कदाचार:** इसमें भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, या कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता शामिल है।
- **अक्षमता:** संवैधानिक कार्यों को करने में असमर्थता।

हटाने की प्रक्रिया

- **संसदीय प्रक्रिया:** निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए।
- **विशेष बहुमत:** प्रस्ताव को दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा।
- **राष्ट्रपति का आदेश:** यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन का आदेश जारी किया जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11

- **त्यागपत्र:** मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) या कोई भी चुनाव आयुक्त (ईसी) भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त का निष्कासन:** मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है - अर्थात, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए संसद की महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से।

न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 की धारा 3

- न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968, धारा 3, जो "समिति द्वारा न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच" से संबंधित है, यह प्रावधान करती है कि "यदि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया जाता है।
  - ➢ लोक सभा में दी गई सूचना के मामले में, उस सदन के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा;
  - ➢ राज्य सभा में दी गई सूचना के मामले में, उस परिषद के कम से कम पचास सदस्यों द्वारा।

सीईसी से प्रतिरक्षा

- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 16, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों के संबंध में कानूनी कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करती है।
- कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त है या रहा है, अपने आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों का निर्वहन करते समय किए गए किसी भी कार्य, कथन या शब्दों के लिए कोई भी दीवानी या आपराधिक मामला स्वीकार या आगे नहीं बढ़ाएगा।

मतदाता अधिकार

- **बड़े पैमाने पर बहिष्करण खतरे की सूचना:** बिहार की मसौदा मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं के बहिष्करण ने लोकतंत्र की बुनियाद पर ही प्रहार किया—अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इससे यह चिंता पैदा हुई कि संवैधानिक रूप से योग्य नागरिकों को भी उचित प्रक्रिया के बिना प्रभावी रूप से "गैर-नागरिक" बना दिया गया।
- **हाशिए पर पड़े समूहों पर दस्तावेज़ीकरण का बोझ:** नए, वैध प्रमाणों की माँग—जिसमें अक्सर आधार या मतदाता पहचान पत्र जैसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ शामिल नहीं होते—ने प्रवासियों, गरीबों और महिलाओं सहित कमज़ोर आबादी पर नौकरशाही का बोझ डाल दिया।
- **सर्वोच्च न्यायालय से देर से मिली राहत:** आधार को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने और बहिष्कृत नामों की सूची को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम था—लेकिन यह तब आया जब कई नाम मतदाता सूची से पहले ही हटा दिए गए थे।

चुनावी निष्पक्षता

- **संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता:** डुप्लिकेट ईपीआईसी, अधूरे दस्तावेज़ और अस्वीकृत नोटिसों के प्रभावित मतदाताओं तक न पहुँचने की रिपोर्टों ने चुनावी हेरफेर और मताधिकार से वंचित होने की आशंकाएँ पैदा कीं।
- **सीमित समय-सीमा के बीच जटिलता:** एसआईआर की सीमित समय-सीमा, अस्पष्ट नियमों और सीमित पहुँच के साथ मिलकर, असमानताओं को और बढ़ा देती है—खासकर उन लोगों के लिए जो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं या तुरंत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं।
- **न्यायपालिका के माध्यम से संस्थागत जाँच:** सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने एक आवश्यक संवैधानिक निगरानी के रूप में कार्य किया, जिसने प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया और निष्पक्षता बहाल करने का प्रयास किया।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता

- **विश्वास की कमी गहराती जा रही है:** विलोपन सूचियों के बारे में कथित अस्पष्टता, कारणों का खुलासा करने में प्रतिरोध, और दस्तावेज़ीकरण मानदंडों में बदलाव के कारण राजनीतिक प्रतिक्रिया, विरोध प्रदर्शन और जवाबदेही की माँगें हुईं—यहाँ तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी हुई।
- **तटस्थ मध्यस्थ या पक्षपाती कर्ता:** विपक्ष और नागरिक समाज की आवाज़ों ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रशासनिक सफ़ाई थी या मतदाता संरचना को प्रभावित करने का एक छिपा हुआ उपकरण।
- **चुनावी अखंडता का पुनर्निर्माण:** विश्वास बहाल करने के लिए, चुनाव आयोग को स्पष्टता, सक्रिय नागरिक पहुँच और प्रक्रियात्मक कमियों के प्रति जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्वास-निर्माण के उपाय अब यह निर्धारित करते हैं कि भविष्य के हस्तक्षेपों को निष्पक्ष माना जाएगा या पक्षपातपूर्ण थोपा गया।

प्रमुख सुधारों की आवश्यकता

- **पारदर्शी मतदाता सूची प्रबंधन:**
  - हटाए गए मतदाताओं के नाम और उनके कारणों का अनिवार्य प्रकाशन।
  - वास्तविक समय में, बूथ स्तर पर, नाम जोड़ने और हटाने का सार्वजनिक प्रकटीकरण।
  - बड़े पैमाने पर बहिष्करण के बिना डुप्लिकेट/मृत प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग।
- **स्वतंत्र नियुक्ति तंत्र:**
  - मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली लागू करना, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने सुझाव दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
- **शक्तियों का कानूनी संहिताकरण:**
  - अनुच्छेद 324 के व्यापक अधिदेश से आगे बढ़कर, चुनाव आयोगों की शक्तियों, भूमिकाओं और पदच्युति प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए एक व्यापक चुनाव आयोग अधिनियम लागू किया जाएगा।
- **सार्वजनिक परामर्श एवं आउटरीच:**
  - मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान नागरिक समाज, स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों को शामिल करना।
  - नाम हटाने से पहले ग्रामीण और प्रवासी बहुल क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना।
- **मजबूत आंतरिक निगरानी:**
  - शिकायत निवारण और चुनावी प्रक्रियाओं के लेखा-परीक्षण के लिए ईसीआई के भीतर एक स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड की स्थापना करना।
- **न्यायिक समीक्षा एवं समय पर निवारण:**
  - यह सुनिश्चित किया जाए कि बहिष्कार से संबंधित सभी मतदाता शिकायतों का निपटारा निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि निर्वाचन न्यायाधिकरणों द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।

निष्कर्ष

बिहार एसआईआर अभ्यास से जुड़ा विवाद मतदाता अधिकारों की रक्षा, चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा एक निष्पक्ष एवं जवाबदेह संवैधानिक निकाय के रूप में चुनाव आयोग में जनता का विश्वास बहाल करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बिहार में हाल ही में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया ने मतदाता अधिकारों, चुनावी निष्पक्षता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इस विवाद के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

असम के आक्रामक निष्कासन अभियान

चर्चा में क्यों: असम में हाल ही में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाए गए हैं, जिनमें हज़ारों घर ध्वस्त कर दिए गए हैं और लोगों को वनभूमि और सरकारी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। इन अभियानों की राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जिससे पारिस्थितिकी, प्रवास, राजनीति और मानवाधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं।

वनभूमि से बेदखली का आक्रामक अभियान क्यों?

असम सरकार ने बेदखली अभियानों को निम्नलिखित आधारों पर उचित ठहराया है:

- **वन भूमि का संरक्षण:** अतिक्रमणों को 'पैकन' और 'बुरहाचापोरी' जैसे आरक्षित वनों के पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक सीधा खतरा माना जाता है।
- **जनसांख्यिकीय दबाव:** बेदखल किए गए कई परिवार बंगाली भाषी मुसलमान हैं, जिन पर सरकार का आरोप है कि वे "अवैध रूप से बसने वाले" हैं और वन और सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। यह इस मुद्दे को असम की प्रवासन राजनीति के लंबे इतिहास से जोड़ता है।
- **राजनीतिक दावा:** आलोचकों का तर्क है कि बेदखली का समय और पैमाना—एक ही कार्रवाई में हज़ारों घरों को ध्वस्त करना—राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य 2026 के राज्य चुनावों से पहले स्वदेशी समुदायों के बीच समर्थन को मजबूत करना है।

पड़ोसी राज्यों में प्रतिक्रिया

- नागालैंड, मेघालय और मणिपुर ने असम से विस्थापित लोगों की आमद को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है।
- टास्क फोर्स और सीमा जाँच चौकियाँ स्थापित की गई हैं, और ऐसी खबरें हैं कि अगर किसी वाहन में बेदखल परिवारों के होने का संदेह होता है, तो उसे वापस लौटा दिया जाता है।
- इन राज्यों के नागरिक समाज समूहों को डर है कि अगर बेदखल आबादी असम के बाहर पुनर्वास का प्रयास करती है, तो जनसांख्यिकीय बदलाव और सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैं।

असम का अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद क्यों है?

असम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, और प्रत्येक के साथ विवाद औपनिवेशिक युग के सीमांकन से उत्पन्न होते हैं:

- **अरुणाचल प्रदेश:** 1951 की अधिसूचना के तहत वन क्षेत्रों के स्थानांतरण से उत्पन्न, जिसके कारण कई आरक्षित वनों के स्वामित्व पर विवाद उत्पन्न हुआ।
- **मेघालय:** असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 से विरासत में मिला विवाद, जहाँ भूमि के 12 खंड विवादित हैं।
- **मिज़ोरम:** 1875 और 1933 की औपनिवेशिक सीमा अधिसूचनाओं से जुड़ा; मिज़ोरम असम पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित "आंतरिक रेखा" से आगे अतिक्रमण करने का आरोप लगाता है।
- **नागालैंड:** 1963 में नागालैंड के निर्माण के बाद से एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद, विशेष रूप से शिवसागर और जोरहाट बेल्ट के वन क्षेत्रों को लेकर।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्देश

बढ़ते तनाव के बीच, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं:

- सभी पूर्वोत्तर राज्यों को आरक्षित वनों पर अतिक्रमण रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- राज्यों को विवादित सीमाओं पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असम के साथ समन्वय में काम करने का निर्देश दिया गया है।
- न्यायालय ने पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और वनभूमि को अनधिकृत कब्जे से बचाने की सरकारों की कानूनी ज़िम्मेदारी को बरकरार रखा।

निष्कर्ष

- असम के आक्रामक बेदखली अभियान पर्यावरण संरक्षण, प्रवासन राजनीति और अंतर्राज्यीय तनावों के अंतर्संबंध को उजागर करते हैं। हालाँकि राज्य सरकार इन्हें वनभूमि पुनः प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके मानवीय परिणामों और क्षेत्रीय अस्थिरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
- पड़ोसी राज्यों की रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ और अनसुलझे सीमा विवाद इस मुद्दे को अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। आगे बढ़ते हुए, संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप, समन्वित अंतर्राज्यीय संवाद और मानवीय पुनर्वास उपाय पूर्वोत्तर में आगे की अशांति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: असम के सीमा विवादों और उनके ऐतिहासिक मूल के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना:

संबंधित राज्य	विवाद की उत्पत्ति
1. मिजोरम	1875 और 1933 की औपनिवेशिक अधिसूचनाओं से जुड़ा हुआ
2. मेघालय	असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 से विरासत में मिले विवाद
3. नागालैंड	विवाद 1963 में नागालैंड के गठन के समय से ही चल रहा है
4. अरुणाचल प्रदेश	1951 में वन भूमि के हस्तांतरण से जुड़ा

उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4

(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c)

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, संसद द्वारा पारित किया गया।

विधेयक के प्रावधान

- यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़ी खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगाता है और सुरक्षित डिजिटल आनंद को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक ढाँचा स्थापित करता है।
- **ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन:** भारत में, ई-स्पोर्ट्स को अब एक वास्तविक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्वीकार किया जाता है। टूर्नामेंट के नियम और विनियम युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा बनाए जाएँगे।
- **शैक्षिक और सामाजिक खेलों को प्रोत्साहन:** केंद्र सरकार को आयु-उपयुक्त

और सुरक्षित सामाजिक खेलों की पहचान और पंजीकरण का अधिकार है। ये खेल कौशल, संस्कृति या शिक्षा पर ज़ोर दे सकते हैं।

- **खतरनाक ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध:** विधेयक द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे खेलों का विज्ञापन या प्रचार करना पूरी तरह से वर्जित है। बैंकों और भुगतान प्रणालियों को इन प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित वित्तीय लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियामक प्राधिकरण:** पर्यवेक्षण के लिए एक मौजूदा नियामक निकाय को नियुक्त किया जा सकता है, या राष्ट्रीय स्तर पर एक नया निकाय बनाया जाएगा। इसके कर्तव्यों में ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण और पंजीकरण, यह निर्धारित करना कि कोई गेम मनी गेम है या नहीं, और आम जनता की शिकायतों का निपटारा करना शामिल होगा।
- **दंड और अपराध:** ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। इन खेलों से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर भी इसी तरह के दंड लागू होते हैं। ऐसे खेलों को बढ़ावा देने पर अधिकतम पचास लाख रुपये की सजा और अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर पाँच साल तक की जेल और दो करोड़ रुपये तक के जुर्माने जैसी कठोर सजाएँ भी हो सकती हैं।
- **जाँच और प्रवर्तन शक्तियाँ:** केंद्र सरकार अधिकारियों को उल्लंघनों से जुड़ी भौतिक और डिजिटल संपत्ति की जाँच, तलाशी और ज़ब्ती करने के लिए अधिकृत कर सकती है। अधिकारी कभी-कभी बिना वारंट के किसी इमारत में प्रवेश कर गिरफ्तारी भी कर सकते हैं।
- **नियम बनाने का अधिकार:** सामाजिक खेलों और ई-स्पोर्ट्स के प्रचार, ऑनलाइन खेलों की पहचान और पंजीकरण, और ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी।
- **3 विभिन्न श्रेणियों के खेल:**
  - **ई-स्पोर्ट्स:** यह संगठित टूर्नामेंटों को संदर्भित करता है जिनमें टीमें या व्यक्ति प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
  - **ऑनलाइन सोशल गेम्स:** रोज़मर्रा के मनोरंजन का हिस्सा बनने वाले कैज़ुअल गेम्स को ऑनलाइन सोशल गेम्स कहा जाता है। ये ज़्यादातर कौशल-आधारित होते हैं और सामाजिक संपर्क, शिक्षा या मनोरंजन के लिए होते हैं।
  - **ऑनलाइन मनी गेम्स:** इस श्रेणी में मौद्रिक दांव वाले गेम शामिल हैं, चाहे वे कौशल, भाग्य या दोनों के मिश्रण से निर्धारित हों।

विधेयक की आवश्यकता

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण के अनुसार, गेमिंग विकार खेल का एक ऐसा पैटर्न है जिसकी विशेषता नियंत्रण की कमी, अन्य दैनिक गतिविधियों की उपेक्षा और नकारात्मक परिणामों के बावजूद दृढ़ता है।
- **मौद्रिक नुकसान:** अनुमान है कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने के परिणामस्वरूप 45 करोड़ लोगों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस कमी को पूरा करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने कदम उठाए हैं।
- **वित्तीय बर्बादी और लत:** कई गेमर्स तेज़ी से रिटर्न के झूठे वादे के पीछे भागते हैं और अंततः अपनी सारी बचत गँवा देते हैं। परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज में डूब गए हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याएँ:** आत्महत्या और निराशा को बड़े वित्तीय नुकसान के तनाव से जोड़ा गया है। इन शिकारी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाकर, इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार की त्रासदियों को रोकना है।
- **धन शोधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** कई प्लेटफार्मों का अवैध उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया है, वैध चैनलों के माध्यम से अवैध मुनाफे को स्थानांतरित करके अपने स्रोत को छुपाया गया है, साथ ही ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग अवैध संदेश और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

विधेयक के सकारात्मक प्रभाव

- **रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** यह विधेयक डिजिटल रचनात्मकता के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है। ई-स्पोर्ट्स और सुरक्षित ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहित करके, यह निर्यात के अवसरों का विस्तार करेगा, नए रोज़गार सृजित करेगा और गेमिंग क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा।
- **युवाओं का सशक्तिकरण:** ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित डिजिटल गेम्स उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम वर्क विकसित करने में मदद करेगा। ये अवसर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए करियर के नए रास्ते भी खोलेंगे।
- **सुरक्षित डिजिटल वातावरण:** परिवारों को धन-आधारित जुआ खेलने की हिंसक प्रथाओं से बचाया जाएगा। ऐसे खतरों को दूर करके, यह विधेयक एक स्वस्थ और सुरक्षित डिजिटल स्थान का निर्माण करता है।
- **वैश्विक नेतृत्व को मज़बूत करना:** यह विधेयक दर्शाता है कि कैसे एक राष्ट्र नवाचार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बना सकता है। यह भारत को उन अन्य देशों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित करता है जो ऑनलाइन धन-आधारित खेलों से समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

निष्कर्ष

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025, भारत की डिजिटल यात्रा में एक निर्णायक कदम है। यह अनियमित मनी गेमिंग के खतरों को पहचानता है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपाय करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि तकनीक समाज को नुकसान पहुँचाने के बजाय उसकी सेवा करे।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करता है। भारत की डिजिटल शासन चुनौतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों: हाल ही में, संसद ने बंदरगाहों से संबंधित कानून को मजबूत करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक (India Ports Bill), 2025 पारित किया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- इस विधेयक का उद्देश्य 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।
- **राज्य समुद्री बोर्ड:**
  - तटीय राज्यों द्वारा स्थापित सभी राज्य समुद्री बोर्डों को विधेयक के अंतर्गत वैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

- अपने राज्यों में लघु बंदरगाहों का प्रबंधन और नियंत्रण राज्य समुद्री बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
- **उनके कर्तव्यों में शामिल हैं:**
  (i) बंदरगाह अवसंरचना डिजाइन और विकास,
  (ii) लाइसेंस जारी करना,
  (iii) टैरिफ निर्धारण और
  (iv) पर्यावरण, सुरक्षा और संरक्षा नियमों के पालन की निगरानी।

- **समुद्री राज्य विकास परिषद:**
  - विधेयक द्वारा समुद्री राज्य विकास परिषद को वैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई है।
  - केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे।
  - परिषद निम्नलिखित के संबंध में दिशानिर्देश स्थापित करेगी:
    (i) बंदरगाहों को एकत्रित किए जाने वाले डेटा या सूचना, साथ ही उन्हें कैसे एकत्रित, अद्यतन, संग्रहीत और परिषद को प्रस्तुत करना होगा;
    (ii) बंदरगाह से संबंधित डेटा या सूचना का वितरण और
    (iii) बंदरगाह शुल्क पारदर्शिता की गारंटी।
  - इसके अतिरिक्त, यह केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के निर्माण पर सलाह देगा तथा विधायी पर्याप्तता, बंदरगाह दक्षता और बंदरगाह कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर सुझाव देगा।
- **विवाद समाधान समिति:**
  - किसी राज्य के भीतर रियायतग्राहियों, उपयोगकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए, विधेयक राज्य सरकारों को एक विवाद समाधान समिति (डीआरसी) स्थापित करने का आदेश देता है।
  - उच्च न्यायालय डीआरसी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।
  - डीआरसी को सौंपे गए मामलों की सुनवाई सिविल अदालतों द्वारा नहीं की जा सकती।
  - डीआरसी के बाहर मध्यस्थता या अन्य विवाद समाधान प्रक्रियाएँ राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा दिए गए समझौतों या प्राधिकरणों द्वारा कवर की जा सकती हैं।
- **टैरिफ:**
  - किसी प्रमुख बंदरगाह के लिए टैरिफ निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाएगा:
    (i) या तो किसी बंदरगाह का निदेशक मंडल जो एक फर्म है या
    (ii) प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का बोर्ड।
  - राज्य समुद्री बोर्ड या उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त रियायतग्राही, गैर-प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा।
- **बंदरगाहों पर अधिकारी:**
  - अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक बंदरगाह या बंदरगाहों के समूह के लिए संरक्षक को बंदरगाह अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।
  - विधेयक में अधिनियम के तहत संरक्षक को किसी भी जहाज को बर्थिंग, लंगर डालने, बंदरगाह की सीमाओं के भीतर आवागमन, अवरोधों को हटाने और शुल्क एवं प्रभार वसूलने के संबंध में निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
- **सुरक्षा और संरक्षण:**
  - सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियाँ, जैसे कि प्लव(Buoy) को नुकसान पहुँचाना, बंदूकें चलाना और जहाज़ पर ज्वलनशील वस्तुओं जलाना, अधिनियम के तहत दंडनीय हैं।
  - पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अधिनियम बंदरगाहों पर कंकड़/पत्थर या कचरा डालने पर रोक लगाता है।
  - विधेयक में कंकड़/पत्थर जल प्रबंधन कन्वेंशन और MARPOL (जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन) का पालन करने की आवश्यकता है।
- **दंड और अपराध:**
  - 1908 के अधिनियम में निम्नलिखित अपराधों की सूची दी गई है:
    (i) संरक्षक या बंदरगाह के कानूनी निर्देशों का पालन न करना,
    (ii) संरक्षक या अधिकृत व्यक्तियों को जहाज पर चढ़ने से मना करना,
    (iii) यातायात में बाधा डालना या बंदरगाह की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना,
    (iv) बिना अनुमति के जहाज चलाना और
    (v) बंदरगाह शुल्क से बचना।
  - अधिनियम के तहत, उल्लंघन के परिणामस्वरूप जेल की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - यह कुछ अपराधों को गैर-अपराधी बनाता है और उनके स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है।

महत्वपूर्ण मुद्दे

- विधेयक में संरक्षक द्वारा लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध कोई अपील प्रक्रिया नहीं है।
- विधेयक संघीय सरकार को किसी बंदरगाह को "मेगा पोर्ट" घोषित करने का अधिकार देता है। लेकिन विधेयक में मेगा पोर्ट से संबंधित कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि किसी बंदरगाह को प्रमुख या गैर-प्रमुख बंदरगाह होने के अलावा "मेगा पोर्ट" क्यों घोषित किया जाता है।
- **शक्ति का केंद्रीकरण:** केंद्र के पास समुद्री राज्य विकास परिषद के माध्यम से राज्य की समुद्री नीतियों को निर्देशित करने का अधिकार है। आलोचकों का तर्क है कि संघीय अधीनता, राज्यों को केवल केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए बाध्य करके सहकारी संघवाद को कमजोर करती है।
  - धारा 17 विवाद: असमान आंतरिक समितियों का उपयोग करता है और बंदरगाह से संबंधित समस्याओं से सिविल अदालतों को बाहर रखता है।

भारतीय बंदरगाह

- भारत में बंदरगाहों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाह।
- संघीय सरकार संघ सूची में शामिल प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है।
- गैर-प्रमुख बंदरगाह समवर्ती सूची में हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों उन पर कानून बना सकते हैं। हालाँकि, इनका प्रशासन मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- 2024 तक भारत में 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह और 13 प्रमुख बंदरगाह थे।
- इन 217 छोटे बंदरगाहों में से 66 माल ढुलाई करते हैं, जबकि शेष मुख्य रूप से मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये नौ राज्यों और तीन तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं।
- 2023-2024 में देश के 53 प्रतिशत समुद्री माल यातायात का संचालन प्रमुख बंदरगाहों द्वारा किया जाएगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में, सुधार परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता संघवाद के साथ दक्षता और समावेशिता के साथ आधुनिकीकरण के संतुलन पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सरकार ने बंदरगाहों के लिए प्रशासनिक ढाँचे को आधुनिक बनाने हेतु भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के स्थान पर भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 लाने का प्रस्ताव रखा है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि यह विधेयक भारत में सहकारी संघवाद, बंदरगाह दक्षता और व्यापार सुगमता से संबंधित चुनौतियों का किस प्रकार समाधान करता है। [250 शब्द] [15 अंक]

स्वप्रेरणा संज्ञान

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के हमलों से उत्पन्न बढ़ते खतरे की प्रतिक्रिया में स्वप्रेरणा (Suo Motu) से कार्यवाही शुरू की है।

मुख्य विवरण

- न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया।
- कुत्तों के काटने की सैकड़ों घटनाओं की खबरें हैं जिनसे रेबीज संक्रमण हुआ है।

स्वतः संज्ञान

- स्वतः संज्ञान से तात्पर्य किसी न्यायालय द्वारा औपचारिक याचिका प्रस्तुत किए बिना, स्वयं पहल करके कार्रवाई करने से है।
- यह न्यायालयों को मीडिया रिपोर्टों, पत्रों या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित या चिंता के मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाता है, भले ही कोई औपचारिक मामला प्रस्तुत न किया गया हो।
- संविधान के भाग V के अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

आवारा पशुओं को भोजन देने के नियम

- पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के नियम 20 के अनुसार, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), अपार्टमेंट मालिक संघों (एओए) या स्थानीय प्राधिकारियों को सामुदायिक पशुओं (जिन्हें पहले आवारा पशु कहा जाता था) के भोजन की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- विशेष रूप से, यदि कोई निवासी सामुदायिक पशुओं को भोजन उपलब्ध करा रहा है, तो इन संघों या प्राधिकारियों को ऐसे विशिष्ट भोजन स्थानों की पहचान करना अनिवार्य है जो सीढ़ियों या खेल के मैदानों जैसे साझा स्थानों से दूर हों।
- इसके अतिरिक्त, ये नियम विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी, कानून प्रवर्तन, स्थानीय पशु कल्याण संगठन और आरडब्ल्यूए शामिल होते हैं ताकि भोजन संबंधी किसी भी असहमति का प्रबंधन किया जा सके।

आगे की राह

समयावधि	मुख्य कार्रवाई
तुरंत	आवारा पशुओं को पकड़ना और उनका पुनर्वास करना, आश्रय प्रदान करना, हेल्पलाइन स्थापित करना, अनुपालन लागू करना
मध्यावधि	आश्रय अवसंरचना का विस्तार करना, हितधारकों से परामर्श करना, फीडर दायित्व को स्पष्ट करना
दीर्घकालिक	एबीसी नियमों को पूर्णतः लागू करना, भोजन क्षेत्र निर्धारित करना, मानव जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना
नागरिक भूमिका	कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करना, साक्ष्य-आधारित नीति तैयार करना, जन जागरूकता को बढ़ावा देना

निष्कर्ष

मानवीय व्यवहार, सार्वजनिक सुरक्षा अनिवार्यताएं और दीर्घकालिक योजना को मिलाकर भारत में आवारा कुत्तों की जटिल समस्या के प्रति संतुलित, दयालु और व्यावहारिक प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद मिल सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं ने सर्वोच्च न्यायालय को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए बाध्य किया है। न्यायपालिका की स्वतः संज्ञान शक्तियों के संवैधानिक आधार पर चर्चा कीजिए और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के संदर्भ में जन सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

प्रतिपूर्ति क्षति (Restitutionary damages)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिक अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें प्रदूषित वायु और जल निकायों को पारिस्थितिकी तंत्र में उनके मूल, प्राचीन स्वरूप में पूरी तरह से बहाल करने के लिए क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने की शक्ति प्रदान की है।

मुख्य विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिपूरक हर्जाना लगाने के लिए अधिकृत हैं।
- यह फैसला इन शक्तियों को लागू करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने हेतु आवश्यक नियमों और विनियमों के विकास पर ज़ोर देता है।
- इन क़ानूनों के प्रावधानों ने बोर्डों को निम्नलिखित प्रदान किए:
  - बंद करने का निर्देश देने की शक्ति;
  - किसी भी उद्योग का निषेध या विनियमन;
  - संचालन या प्रक्रिया;
  - बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना।
- कानून, बोर्ड को निर्देशों के प्रकार निर्धारित करने में काफ़ी स्वतंत्रता देते हैं।
- प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति, अनुबंध कानून में प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का मुआवज़ा है जिसका उद्देश्य अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष को प्राप्त लाभों पर ध्यान केंद्रित करके, पीड़ित पक्ष को अनुबंध समाप्त होने से पहले की स्थिति में बहाल करना है।
- इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का उद्देश्य अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष को

अनुचित रूप से लाभ कमाने से रोकना है, न कि खोए हुए लाभ या अपेक्षित हितों की भरपाई करना।

- यह एक ऐसा उपाय है जो अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष को अनुबंध से प्राप्त किसी भी लाभ या मूल्य को वापस करने की आवश्यकता बताकर निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
- दंडात्मक क्षतिपूर्ति के विपरीत, जैसे कि प्रदूषक भुगतान करता है सिद्धांत, प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति, अपराधी को दंडित करने के बजाय पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत पर केंद्रित होती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, 'प्रतिपूर्ति क्षति' शब्द चर्चा में रहा। यह निम्न से संबंधित है:

(a) चूककर्ता पक्ष को दंडित करने और भविष्य में उल्लंघनों को रोकने के लिए दिया गया हर्जाना।

(b) उल्लंघन से चूककर्ता पक्ष द्वारा अनुचित रूप से प्राप्त लाभ को दावेदार को वापस दिलाने के लिए दिया गया हर्जाना।

(c) बिना किसी वास्तविक हानि के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने पर दिया गया नाममात्र का हर्जाना।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

इंडिया सिने हब पोर्टल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, केंद्र ने राज्यों से स्थानीय स्तर पर वैश्विक फिल्म निर्माण की सुविधा के लिए इंडिया सिने हब पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया।

मुख्य विवरण

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ इस सम्मेलन की मेजबानी की:
  - ➢ इंडिया सिने हब का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन और संचालन सुनिश्चित करना;
  - ➢ जनसंचार में केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करना;
  - ➢ फिल्म अवसंरचना निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम के अवसरों की खोज करना;
  - ➢ विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना।

इंडिया सिने हब पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

- इसे 28 जून, 2024 को लॉन्च किया गया था।
- भारत सिने हब (ICH) की स्थापना भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्मांकन के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- भारतीय फिल्म निर्माता भी इंडिया सिने हब (ICH) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- भारत सिने हब पोर्टल संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर फिल्मांकन परमिट, प्रोत्साहन और संसाधन मानचित्रण तक एकीकृत पहुँच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में फिल्म-संबंधी सुविधाओं के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।
- इक्कीस राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश पहले ही एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से इसमें शामिल हो चुके हैं, और सात राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश पहले ही पूर्ण एकीकरण पूरा कर चुके हैं।
- भारत सिने हब पोर्टल उद्योग के पेशेवरों से क्राउडसोर्स्ड सामग्री, जीआईएस पर आधारित स्थान मानचित्रण, और प्रोत्साहन, गैर-फिल्मांकन और फिल्मांकन के लिए अलग-अलग वर्कफ़्लो की सुविधा प्रदान करता है।
- इंडिया सिने हब पोर्टल कम स्क्रीन घनत्व वाले क्षेत्रों की पहचान करने, मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को पुनः उपयोग में लाने, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से लाइसेंसिंग को सरल बनाने, तथा उचित मूल्य पर मूवी थियेटर बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर और भूमि नीति प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जीआईएस मैपिंग के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में, 'इंडिया सिने हब पोर्टल' किसके द्वारा लॉन्च किया गया:

(a) संचार मंत्रालय (b) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(c) संस्कृति मंत्रालय (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

इकाई 2

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता (EFTA)

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत और चार देशों के यूरोपीय ब्लॉक (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के बीच FTA हुआ।

समझौते की मुख्य बातें

- दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के तहत, भारत को समूह से 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है।
- स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट और कटे-पॉलिश किए हुए हीरे जैसे कई उत्पाद कम या शून्य शुल्क पर।
- इस समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार स्विट्जरलैंड है।
- इस निवेश से भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।
- EFTA अपनी 92.2% टैरिफ लाइनें प्रदान कर रहा है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करती हैं। EFTA की बाज़ार पहुँच पेशकश में 100% गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (PAP) पर टैरिफ रियायत शामिल है।
- इस समझौते में, भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनें या उत्पाद श्रेणियों की पेशकश कर रहा है, जो EFTA निर्यात का 95.3% कवर करती हैं, जिनमें से 80% से अधिक आयात सोना है।
- घरेलू ग्राहकों को कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होंगे क्योंकि भारत व्यापार समझौते के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा।
- सेवा क्षेत्र में, भारत ने EFTA को 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जैसे लेखांकन, व्यावसायिक सेवाएँ, कंप्यूटर सेवाएँ, आईटी सेवाएँ, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक सेवाएँ, अन्य शैक्षिक सेवाएँ, दृश्य-श्रव्य सेवाएँ, वितरण और स्वास्थ्य।
- यह समझौता घरेलू निर्यातकों को यूरोपीय संघ (ईयू) के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करेगा।
- 2024-25 में भारत-EFTA का द्विपक्षीय व्यापार 24.4 बिलियन डॉलर था।
- TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान हैं।
- TEPA में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ ट्रिप्स स्तर पर हैं।
- भारत सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है।
- व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और निरंतरता को बढ़ावा देता है।
- TEPA बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और रसद, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेकइनइंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को गति देगा।

भारत के लिए EFTA का महत्व

व्यापार और निवेश को आसान बनाकर, भारत-EFTA TEPA वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में विविधता लाने में मदद करेगा, मुख्यतः औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में, साथ ही भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को भी प्रोत्साहन देगा।

- **बाज़ार पहुँच में वृद्धि:** FTA से भारतीय वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ समाप्त होने की संभावना है, जिससे उन्हें यूरोपीय संघ के बाज़ार में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।
- **निर्यात को बढ़ावा:** व्यापार बाधाओं को कम करके, FTA से यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात में वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और रोज़गार सृजन की संभावना है।
- **विदेशी निवेश आकर्षित करना:** FTA यूरोपीय संघ से भारत में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना:** FTA से भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने की संभावना है।

संभावित चुनौतियाँ

- **असमान साझेदारी पर बातचीत:** कुछ चिंताएँ हैं कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA) यूरोपीय संघ की अधिक आर्थिक शक्ति के कारण उसके पक्ष में जा सकता है, जिससे भारतीय उद्योगों और श्रमिकों को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव:** भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके संवेदनशील क्षेत्र, जैसे डेयरी, कृषि और कुछ विनिर्माण उद्योग, बातचीत के दौरान पर्याप्त रूप से संरक्षित रहें।
- **गैर-शुल्क बाधाएँ:** भारत को जटिल नियमों और मानकों जैसी गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके निर्यातक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से पूरी तरह लाभान्वित हो सकें।

आगे की राह

भारत-EFTA समझौता एक उच्च-मूल्य वाली आर्थिक साझेदारी के लिए मंच तैयार करता है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य इन पर निर्भर करता है:

- प्रभावी नीतिगत अनुपालन,
- निरंतर हितधारक जुड़ाव,
- सक्रिय कूटनीति, और
- भारत की विकास प्राथमिकताओं के साथ रणनीतिक संरेखण।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के व्यापार विविधीकरण और रणनीतिक कूटनीति के संदर्भ में भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध

चर्चा में क्यों: भारत मालदीव के राष्ट्रपति का राजकीय दौरे पर स्वागत करता है। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर द्विपक्षीय वार्ता की घोषणा की संभावना।

मुख्य विवरण

- भारत ने द्वीपीय राष्ट्र मालदीव को 565 मिलियन डॉलर (4,850 करोड़ रुपये) की ऋण सहायता देने की घोषणा की।
- मालदीव भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' और वैश्विक दक्षिण के लिए 'महासागर विजन' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दोनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि साझा लक्ष्य हैं।
- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से, हम मिलकर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करेंगे।

आठ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए

- भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ऋणों पर मालदीव की वार्षिक ऋण चुकौती में लगभग 40% की कमी।
- मालदीव को ऋण सहायता (एलओसी)।
- मालदीव में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को सक्षम बनाना।
- प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तें (टीओआर)।
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, न्यायिक प्रशिक्षण, कानून प्रवर्तन, खेल, युवा मामले और क्षमता निर्माण में सहयोग।
- भारतीय औषधकोश को अपनाना।
- हुलहुमाले में सामाजिक आवास इकाइयाँ (3300), मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल और आव्रजन अधिकारियों के लिए 72 वाहन, और अड्डू शहर में सड़क एवं जल निकासी प्रणाली परियोजना।
- दो आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूब (BHISHM) सेट।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग

यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत में निर्मित, विक्रय और उपभोग की जाने वाली सभी औषधियों के लिए मानक निर्धारित करता है।

अन्य प्रमुख हालिया विकास

- ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना (थिलामाले ब्रिज) 6.74 किलोमीटर लंबी है और वर्तमान में लगभग 52% पूरी हो चुकी है, जिसके सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- अड्डू शहर में मरधू और गौकेंडी को जोड़ने वाला हनकेडे ब्रिज 1 फरवरी 2025 को बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन किया गया।
- 2024 में, भारत ने 28 द्वीपों में जल और स्वच्छता परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिससे 100 मिलियन डॉलर की जलवायु अनुकूलन पहल से 28,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा।

दोनों देशों के लिए लाभ

भारत के लिए	मालदीव के लिए
• **सामरिक प्रभाव:** क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में पुनः नेतृत्व स्थापित किया। • **क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता:** उन्नत समुद्री एवं सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। • **सुदृढ़ कूटनीति:** पुनः स्थापित विश्वास, गहन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव को संभव बनाता है।	• **वित्तीय राहत:** रियायती ऋण तक पहुँच और कम ऋण भार से आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। • **बुनियादी ढाँचा और सामाजिक उन्नयन:** आवास, स्वास्थ्य, रक्षा और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में निवेश से विकास को बढ़ावा मिलता है। • **वैश्विक एकीकरण:** मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और डिजिटल सुधार पर्यटन से परे अर्थव्यवस्था में विविधता लाते हैं।

निष्कर्ष

तनावों के बावजूद, दोनों देशों ने आपसी सम्मान, क्षेत्रीय स्थिरता और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उच्च-स्तरीय यात्राओं, आर्थिक सहायता और विकास सहयोग द्वारा चिह्नित यह नया जुड़ाव दोनों देशों के बीच स्थायी रणनीतिक और सभ्यतागत बंधन को रेखांकित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से समझौते भारत-मालदीव 2025 द्विपक्षीय समझौतों का हिस्सा थे?

1. मालदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों में कमी।
2. सामाजिक आवास इकाइयों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का हस्तांतरण।
3. एक संयुक्त उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (द)

भारत-मोरक्को पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (एमएलएटी)

चर्चा में क्यों: न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मोरक्को के बीच एमएलएटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुख्य विवरण

- यह समझौता राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करता है।

- इस समझौते के तहत सहायता विशेष रूप से निम्नलिखित पर लागू होती है:
  - समन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं की तामील;
  - अनुरोध पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना;
  - न्यायिक निर्णयों (मोरक्को साम्राज्य के मामले में), आदेशों (भारत गणराज्य के मामले में), समझौतों और मध्यस्थता पुरस्कारों का निष्पादन।
- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है:
  - संस्थागत संबंधों को मजबूत करना,
  - कानूनी ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना,
  - दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण जैसी सहयोगात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **विशेषज्ञता का आदान-प्रदान:** संबंधित मंत्रालयों और न्यायिक प्रणालियों के कामकाज से संबंधित अनुभवों और ज्ञान का आदान-प्रदान।
- **विधायी आदान-प्रदान:** कानूनी समझ, सहयोग और सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से कानूनी प्रकाशनों, बुलेटिनों और विधायी सामग्रियों का पारस्परिक आदान-प्रदान।
- **क्षमता निर्माण:** विभिन्न कानूनी मामलों और अनुप्रयोगों पर विचार-विमर्श हेतु संगोष्ठियों, सम्मेलनों और संयुक्त पाठ्यक्रमों का आयोजन।
- **कानूनी प्रशिक्षण और प्रतिनिधिमंडल आदान-प्रदान:** वकीलों और कानूनी पेशेवरों के लिए यात्राओं और प्रशिक्षण के अवसरों की सुविधा, जिसमें एक-दूसरे की प्रशिक्षण पहलों में भागीदारी भी शामिल है।
- **न्यायिक सूचना प्रणाली:** राष्ट्रीय कानूनी सूचना प्रणालियों और संबंधित तकनीकी प्रगति के विकास में सहयोगात्मक प्रयास।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना, जिसका कार्य दोनों पक्षों के लिए व्यावहारिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य वार्षिक सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाना है।

समझौते का महत्व

- **कानूनी संबंधों को मज़बूत करना:** इस समझौते का उद्देश्य भारत और मोरक्को के बीच कानूनी और संस्थागत संबंधों को मज़बूत करना है।
- **सीमा-पार सहयोग को बढ़ावा:** यह सीमा-पार विवाद समाधान और कानूनी सहायता को सुगम बनाएगा।
- **क्षमता निर्माण को बढ़ावा:** यह समझौता दोनों देशों में न्यायपालिका और कानूनी प्रणालियों के विकास में योगदान देगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार:** यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के विस्तार के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

निष्कर्ष

भारत और मोरक्को के बीच एमएलएटी और समझौता ज्ञापन न्यायिक और कानूनी मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, कानून के शासन को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आपराधिक मामलों में भारत-मोरक्को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?

(a) रक्षा उपकरणों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना

(b) राजनीतिक कैदियों का प्रत्यर्पण

(c) आपराधिक जाँच और अभियोजन के लिए कानूनी साक्ष्य और सूचना का आदान-प्रदान

(d) एक संयुक्त सैन्य कार्यबल की स्थापना

उत्तर: (c)

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)

चर्चा में क्यों: भारत और ब्रिटेन ने सीईटीए, एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।

मुख्य विवरण

- द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है।
  - भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार ~ 56 अरब अमेरिकी डॉलर
  - कुल वस्तु-व्यापार ~ 23 अरब अमेरिकी डॉलर
  - कुल सेवा व्यापार ~ 33 अरब अमेरिकी डॉलर

प्रमुख विशेषताएँ

- **व्यापक टैरिफ उन्मूलन:** सीईटीए, ब्रिटेन को भारत के लगभग 100% निर्यात तक शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।
- **सेवाओं को बढ़ावा:** इसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, खिलौने, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, कारीगरों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा।
- **व्यावसायिक गतिशीलता:** इस समझौते में आईटी-सक्षम सेवाएँ, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएँ, व्यावसायिक परामर्श, शिक्षा, दूरसंचार, वास्तुकला और इंजीनियरिंग शामिल हैं जो रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देंगे।
- **दोहरा अंशदान समझौता:** दोहरा अंशदान समझौता एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिससे दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान की आवश्यकता को समाप्त करके भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने की उम्मीद है।
- **सरलीकृत मूल नियम:** यह समझौता निर्यातकों को उत्पादों के मूल स्थान का स्व-प्रमाणन करने की अनुमति देकर अनुपालन को सरल बनाता है, जिससे समय और कागजी कार्रवाई कम होती है। उत्पाद-विशिष्ट मूल नियम (पीएसआर) कपड़ा, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए भारत की वर्तमान आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप हैं।
- **कृषि और संबद्ध वस्तुएँ:** कृषि क्षेत्र में 1,437 टैरिफ लाइनें हैं, जो सभी उत्पाद टैरिफ लाइनों का 14.8% है। ब्रिटेन विशिष्ट भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चाय, आम, अंगूर, मसाले, समुद्री उत्पाद आदि के लिए एक उच्च-मूल्य वाला बाज़ार है।
- **वृक्षारोपण क्षेत्र:** ब्रिटेन पहले से ही भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार है, जहाँ कॉफ़ी का 1.7%, चाय का 5.6% और मसाला निर्यात का 2.9% हिस्सा है - अब इन उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुँच के साथ यह तेज़ी से विकास के लिए तैयार है।
- **भारतीय तिलहन:** कम शुल्क और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ, भारतीय

तिलहन निर्यातक ब्रिटेन के बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, जिससे संभावित रूप से निर्यात में वृद्धि हो सकती है।

- **समुद्री उत्पाद:** भारत ने मछली, झींगा और कटलफ़िश जैसे समुद्री उत्पादों का निर्यात शीर्ष श्रेणियों में किया। सीईटीए ब्रिटेन के शुल्कों को समाप्त करता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार होता है, जिसका लाभ उच्च खरीद दरों के माध्यम से तटीय मछुआरों तक पहुँचता है।
- **वस्त्र और परिधान:** वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए शून्य शुल्क बाज़ार पहुँच, पहले के 12% शुल्क से कम है।
- **चमड़ा एवं फुटवियर उत्पाद:** भारत-यूके सीईटीए ने भारतीय निर्यातकों के लिए 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का चमड़ा एवं फुटवियर निर्यात बाजार खोला है।
- **इंजीनियरिंग सामान:** यूके भारत का छठा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग निर्यात बाजार है। टैरिफ उन्मूलन विस्तार की प्रबल संभावना का संकेत दे रहा है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर:** शून्य-शुल्क पहुँच से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है, स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और इन्वर्टर यूके के बाजार में भारत की पकड़ मजबूत करेंगे।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार निर्यात:** पहले दिन से ही यूके की शुल्क-मुक्त पहुँच भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से टीवी, मॉनिटर, दूरसंचार उपकरण, इन्वर्टर के लिए पर्याप्त निर्यात अवसर खोलती है। हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन और अमेरिका हैं।
- **फार्मास्यूटिकल्स:** शून्य-शुल्क प्रावधानों से यूके के बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक और चिकित्सा उपकरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो यूरोप में भारत का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल निर्यात गंतव्य बना हुआ है।
- **रसायन:** शुल्क-मुक्त पहुँच भारतीय निर्यातकों के लिए यूके के 28.35 अरब अमेरिकी डॉलर के रसायन बाजार के द्वार खोलती है।
- **प्लास्टिक:** ब्रिटेन में 13वें सबसे बड़े प्लास्टिक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, शुल्क मुक्त पहुँच, प्लास्टिक - फिल्म, शीट, पाइप, पैकेजिंग, टेबलवेयर और किचनवेयर - के लिए ब्रिटेन की मज़बूत माँग का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ भारत ने विनिर्माण क्षमता सिद्ध कर ली है।
- **खेल के सामान और खिलौने:** ब्रिटेन के आयात शुल्क समाप्त होने से भारतीय खेल के सामान और खिलौनों को लाभ होगा, जिससे वे चीन या वियतनाम जैसे देशों की तुलना में अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी हो जाएँगे, जिनके ब्रिटेन के साथ समान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) नहीं हैं।
- **इस्पात और लौह एवं इस्पात उत्पाद:** तत्काल और पूर्ण शुल्क उन्मूलन (शून्य शुल्क) से भारत के लौह क्षेत्र, विशेष रूप से इसके एमएसएमई के बड़े आधार को महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है।
- **रत्न और आभूषण:** FTA के तहत शुल्क में छूट से अगले 2-3 वर्षों में ब्रिटेन को भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में दोगुनी वृद्धि होने का अनुमान है।
- **पारस्परिक मान्यता और व्यावसायिक गतिशीलता:** दोनों देशों ने समझौते के लागू होने के 12 महीनों के भीतर व्यावसायिक योग्यताओं के लिए पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें नर्सिंग, लेखा और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों को लक्षित किया जाएगा।

लाभ

- **वैश्विक क्षमता केंद्र:** यह समझौता भारत के उच्च-मूल्य सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** 150,000 से अधिक कंपनियों वाले भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को यूके के आसान बाजार पहुँच का लाभ मिलेगा।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ:** यह समझौता स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग के नए अवसर खोलता है। भारतीय अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और उन्नत चिकित्सा तकनीकों को अपनाने के लिए यूके के समकक्षों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
- **वित्तीय सेवाएँ:** यह समझौता भारत के तेज़ी से बढ़ते वित्तीय बाज़ार में यूके के निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा:** यह समझौता व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, अनावश्यक बाधाओं को दूर करता है और अनुपालन लागत को कम करता है।
- **हरित विकास और स्थिरता:** यह स्थायी उत्पादन प्रथाओं, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देता है।
- **कौशल विकास और कार्यबल विकास:** यह समझौता पेशेवरों और श्रमिकों के लिए पूर्वानुमानित गतिशीलता मार्ग सुनिश्चित करता है। यह ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण का समर्थन करता है।
- **सामाजिक और आर्थिक समावेशन:** इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुँच बढ़ाकर और व्यापार में भागीदारी को सुगम बनाकर महिलाओं, युवाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाना है।
- **किसान - स्थानीय बुवाई, वैश्विक बिक्री:** टैरिफ उन्मूलन के कारण भारतीय कृषक समुदायों को यूके के बाज़ार तक आसान पहुँच और अपनी उपज बेचने के अधिक अवसरों का लाभ मिलेगा।
- **युवा - युवा सोच, वैश्विक खोजें:** सीईटीए सेवा बाज़ार तक पहुँच को आसान बनाकर, व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित करके, और आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और रचनात्मक क्षेत्रों में प्रतिभाओं के लिए अल्पकालिक गतिशीलता को सुगम बनाकर भारतीय युवाओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसरों का विस्तार करने के लिए तैयार है।

निष्कर्ष

सीईटीए एक क्रांतिकारी व्यापार समझौता है जो महत्वपूर्ण बाज़ार पहुँच, व्यापार विस्तार, सेवाओं में वृद्धि और रोज़गार सृजन प्रदान करता है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, संतुलित सुरक्षा उपायों और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति देने के लिए समझौते के लाभ उठाने पर निर्भर करेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) भारत और यूके के बीच एक सैन्य गठबंधन स्थापित करना।

(b) अंतरिक्ष अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना।

(c) टैरिफ कम करके और बाजार पहुँच बढ़ाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना।

(d) तीसरे देशों से वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करना।

उत्तर: (c)

भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों: भारत और फिलीपींस ने औपचारिक रूप से अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है, जो 1949 से राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह उन्नयन केवल प्रतीकात्मक नहीं है - यह दोनों देशों के बीच, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती गतिशीलता में, गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संरेखण को दर्शाता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत और फिलीपींस के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और समुद्री भूगोल से आकार लेते हैं। इस यात्रा के कुछ मील के पत्थर इस प्रकार हैं:

- मैत्री संधि (1952) - द्विपक्षीय संबंधों की पहली औपचारिक मान्यता।
- नीति परामर्श वार्ता पर समझौता ज्ञापन (2000) - नियमित संवाद का मार्ग प्रशस्त करना।
- द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग (2007) - सहयोग को संस्थागत बनाना।
- द्विपक्षीय सहयोग पर रूपरेखा घोषणा (2007) - सहभागिता के दायरे का विस्तार।

नई रणनीतिक साझेदारी की मुख्य विशेषताएँ

यह साझेदारी एक कार्य योजना (2025-2029) द्वारा निर्देशित है, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यापक रोडमैप तैयार करती है:

1. रक्षा और समुद्री सहयोग

- रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, प्रशिक्षण और रसद में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रक्षा समितियों का गठन।
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए), जहाज निर्माण सहयोग और तटीय निगरानी को बढ़ाना।
- प्रदूषण नियंत्रण, खोज और बचाव (एसएआर), और मानवीय सहायता/आपदा राहत (एचएडीआर) पर संयुक्त कार्य।
- आसियान-भारत समुद्री अभ्यास और मिलान जैसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासों में भागीदारी।

2. सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी

- खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।
- आतंकवाद-रोधी पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना।
- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों (पीकेओ) और सैन्य चिकित्सा में सहयोग।

3. आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- एक अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) पर बातचीत।
- एक संयुक्त सीमा शुल्क सहयोग समिति के माध्यम से सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- महत्वपूर्ण खनिजों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, जहाज निर्माण, कृषि और पर्यटन में व्यापार को बढ़ावा देना।
- अधिक अवसरों के द्वार खोलने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा में तेजी लाना।

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

- डिजिटल प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, आईसीटी और स्टार्टअप्स में संयुक्त परियोजनाएँ।
- भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और उसके फिलीपींस समकक्ष (2025-28) के बीच सहयोग।
- बाह्य अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग।

5. स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान

- स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग।
- पर्यटन प्रवाह में वृद्धि:
  - फिलीपींस में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश।
  - भारत आने वाले फिलीपींसवासियों के लिए निःशुल्क ई-पर्यटक वीज़ा।
- छात्र और शैक्षणिक आदान-प्रदान, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना।

संबंधों में चुनौतियाँ

प्रगति के बावजूद, बाधाएँ बनी हुई हैं:

- भारत के अन्य आसियान भागीदारों की तुलना में सीमित व्यापार माला।
- हाल ही तक विदेश नीति में एक-दूसरे को कम प्राथमिकता दी गई।
- समझौतों के कार्यान्वयन में नौकरशाही की देरी।

दक्षिण चीन सागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय तनाव सहयोग को जटिल बना सकते हैं। इनसे निपटने के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रतिबद्धता, आर्थिक प्रोत्साहन और रणनीतिक विश्वास का निर्माण आवश्यक है।

भारत और क्षेत्र के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- **रणनीतिक महत्व:** दक्षिण चीन सागर में अग्रणी राष्ट्र फिलीपींस के साथ संबंधों को मज़बूत करने से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति को बल मिलेगा।
- **रक्षा सहयोग:** संयुक्त समुद्री और रक्षा परियोजनाएँ क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार लाएँगी और बाहरी दबावों को संतुलित करेंगी।
- **आर्थिक संभावना:** व्यापार का विस्तार, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, दोनों पक्षों के लिए जीत के अवसर पैदा कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक निहितार्थ:** यह साझेदारी भारत और फिलीपींस को एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चाह रखने वाले समान विचारधारा वाले देशों के साथ और भी नज़दीक लाती है।

निष्कर्ष

भारत-फिलीपींस संबंधों में रणनीतिक साझेदारी का यह उन्नयन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव, तकनीकी नवाचार और लोगों के बीच आदान-प्रदान को मिलाकर, दोनों देश एक अधिक स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आकार दे सकते हैं। अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह महत्वाकांक्षी रोडमैप नियमित संवाद, प्रभावी कार्यान्वयन और आपसी विश्वास के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित हो।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-फिलीपींस संबंधों का रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचना, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विकसित होते हिंद-प्रशांत ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विकास के रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम

चर्चा में क्यों: भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक प्रयास शुरू किया है।

मुख्य विवरण

- यह पहल भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल का हिस्सा है।
- नेपाल में यह परियोजना नेपाल की निम्नलिखित कमियों को दूर करेगी:
  - फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति श्रृंखला
  - खरीद प्रक्रियाएँ और डेटा संग्रह
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली
  - ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण
- यह परियोजना 12 महीनों की अवधि में तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी।
- पिछले वित्तीय वर्ष में, नेपाल ने भारत से 5 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का आयात किया था।

चावल का पोषणीकरण (Rice Fortification)

- चावल के पोषणीकरण में चावल के पोषण संबंधी गुणों को बढ़ाने के लिए उसमें लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है, खासकर उन समुदायों में जहाँ चावल प्राथमिक खाद्य स्रोत है।
- भारत में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पहल व्यापक एनीमिया और विभिन्न अन्य पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए पोषणयुक्त चावल प्रदान करती है।

महत्व

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा:** इस परियोजना के कार्यान्वयन से, चावल को लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाएगा जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कमियों को दूर किया जा सकेगा और कमजोर आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध:** यह भारत और नेपाल के बीच मजबूत विकास साझेदारी को उजागर करता है और सतत विकास लक्ष्यों पर सहयोग को बढ़ावा देता है।

खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने खाद्य संकट पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, जो दुनिया भर में तीव्र भूख की स्थिति पर प्रकाश डालती है और सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों और आबादी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

वैश्विक भुखमरी उन्मूलन में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की भूमिका

- **आपात स्थितियों में खाद्य सहायता:** विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और आपात स्थितियों के दौरान त्वरित खाद्य सहायता प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे अधिक जोखिम वाली आबादी को उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत के समय आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्राप्त हो।
- **लचीलापन निर्माण:** WFP खाद्य सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान तैयार करने हेतु समुदायों के साथ सहयोग करता है, जिसमें कृषि विधियों को बेहतर बनाना और पौष्टिक भोजन तक पहुँच में सुधार करना शामिल है।
- **पोषण कार्यक्रम:** WFP विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती माताओं में कुपोषण को दूर करने के लिए, पोषण-केंद्रित पहलों, जैसे कि फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों, की वकालत करता है।
- **सतत कृषि को बढ़ावा देना:** यह संगठन स्थायी कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को अपना भोजन स्वयं उगाने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान से लैस करने के लिए समर्पित है।

आगे की राह

- WFP का कार्य सतत विकास लक्ष्य 2 - 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत 1963 से WFP का सदस्य रहा है।
- WFP भुखमरी और खाद्य असुरक्षा के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण संगठन बना हुआ है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत ने नेपाल में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रयासों का किस प्रकार समर्थन किया है?

(a) भोजन वितरित करने के लिए सैन्य टुकड़ियाँ भेजकर

(b) नेपाल में कमजोर समुदायों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय और खाद्य सहायता प्रदान करके

(c) नेपाल से भारत को पैकेज्ड खाद्य पदार्थ निर्यात करके

(d) नेपाल में निजी खाद्य कंपनियों को वित्त पोषित करके

उत्तर: (b)

प्रथम बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ - पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव।

मुख्य विवरण

- यह कार्यक्रम प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित किया गया।
- विदेश मंत्रालय (MEA) के तत्वावधान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा आयोजित यह उत्सव बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) देशों के बीच क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

महोत्सव की मुख्य विशेषताएँ

- **विषय: "सप्तसुर: सात राष्ट्र, एक राग"**
  - सात संगीत स्वरों और सात बिम्सटेक सदस्य देशों: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का प्रतीक।
- **भागीदारी**
  - सभी सात बिम्सटेक देशों के कलाकारों और संगीत मंडलियों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक संगीत का प्रदर्शन किया।
- **उद्घाटन**
  - महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया, जिन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सांस्कृतिक परंपराएँ पहचान की शक्तिशाली प्रतीक हैं, जो संवाद, सम्मान और एकता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति**
  - इस कार्यक्रम ने भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति पर प्रकाश डाला, जो

क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान पर केंद्रित थी।

- **सार्वजनिक जुड़ाव**
  - यह महोत्सव जनता के लिए निःशुल्क खुला था, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति सुलभ और समावेशी बनी।
- **महत्व**
  - इसने न केवल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिए, बल्कि सांस्कृतिक एकीकरण और साझा विरासत के लिए भी बिम्सटेक की प्रतिबद्धता को पुष्ट किया।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)

- **उत्पत्ति और स्थापना**
  - **स्थापना:** 1997 (बिस्टेक के रूप में: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग)।
  - 1997 में म्यांमार के शामिल होने के साथ इसका नाम बदलकर बिम्सटेक-ईसी कर दिया गया।
  - **बिम्सटेक (वर्तमान नाम):** 2004 में अपनाया गया, जब भूटान और नेपाल इसमें शामिल हुए।
  - **मुख्यालय:** ढाका, बांग्लादेश (2014 से)।
- **सदस्यता (7 देश)**
  - **दक्षिण एशिया:** बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका
  - दक्षिण पूर्व एशिया: म्यांमार, थाईलैंड

मुख्य विशेषताएँ

- दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है।
- बहु-क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित।

संस्थागत तंत्र

- **शिखर सम्मेलन:** सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय (राष्ट्र/सरकार के प्रमुख)।
- **मंत्रिस्तरीय बैठकें:** नियमित (विदेश, व्यापार, पर्यटन, आदि)
- **कार्य समूह और तकनीकी समितियाँ:** विशिष्ट क्षेत्रों के लिए।
- **सचिवालय:** 2014 में ढाका में स्थापित।

महत्व

- **भू-राजनीतिक:** दक्षिण एशिया और आसियान को जोड़ता है; भारत की एक्ट ईस्ट नीति का पूरक है।
- **आर्थिक:** वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% (लगभग 1.7 बिलियन लोग) और 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2024 अनुमान) से अधिक का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद शामिल है।
- **रणनीतिक:** बंगाल की खाड़ी समुद्री व्यापार, ऊर्जा मार्गों और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सार्क का विकल्प:** सीमित पाकिस्तान कारक के कारण अधिक कार्यात्मक।

हालिया घटनाक्रम

- पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव (सप्तसूर) अगस्त 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- 2022 में अपनाए गए बिम्सटेक चार्टर ने समूह को एक अधिक औपचारिक संरचना प्रदान की है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाओं, ऊर्जा ग्रिड अंतर्संबंधों और आतंकवाद-निरोध पर सहयोग बढ़ाना।

निष्कर्ष

पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह इस बात की याद दिलाता है कि कूटनीति केवल नीतियों और शिखर सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासतों का जश्न मनाने के बारे में भी है। जिस तरह ब्रिक्स उभरती शक्तियों के बीच आर्थिक और भू-राजनीतिक सहयोग पर ज़ोर देता है, उसी तरह बिम्सटेक एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हो रहा है जो रणनीतिक हितों को सांस्कृतिक बंधनों के साथ जोड़ता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय समूहों में सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व पर चर्चा कीजिए। बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जैसी पहल सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग को कैसे पूरक बना सकती हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

पर्पल नोटिस

चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 अगस्त को इंटरपोल के माध्यम से पर्पल नोटिस जारी करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के एक जटिल मामले का खुलासा हुआ है।

मुख्य बिंदु

- नोटिस में इंटरपोल के 196 सदस्य देशों की सभी जाँच एजेंसियों को इन गतिविधियों में शामिल फर्जी संस्थाओं पर नज़र रखने के लिए कहा गया है।
- ईडी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह की फर्जी कंपनियों के एक संगठित नेटवर्क का पता लगाया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थीं।
- यह ऑपरेशन हवाला जैसे ही था, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों और जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए इसे अंजाम दिया गया।
- षड्यंत्रकारियों ने निम्नलिखित तकनीकों का इस्तेमाल करके व्यापार और बैंकिंग प्रणालियों का फायदा उठाया:
  - आयातों का कम बिल बनाना।
  - सेमीकंडक्टर जैसे फर्जी शुल्क-मुक्त आयात का दावा करना।
  - अनुपालन दस्तावेज़ों में जालसाज़ी करना।
  - अवैध धन प्रवाह को छिपाने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से सर्कुलर पुनर्निर्यात करना।

पर्पल नोटिस के बारे में

- पर्पल नोटिस, इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) द्वारा दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने के लिए जारी किए जाने वाले आठ प्रकार के अलर्ट में से एक है।
- पर्पल नोटिस, अपराधियों द्वारा अपनी गतिविधियों, वस्तुओं, उपकरणों या छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। यह अपराधों में प्रयुक्त तकनीकों, उपकरणों या कार्यप्रणाली पर केंद्रित होता है।

नोटिस का प्रकार	उद्देश्य
रेड	किसी वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसके स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
ब्लू	किसी व्यक्ति का पता लगाने, उसकी पहचान करने या उसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए।
ग्रीन	आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी या खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए।
येलो	लापता व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए।
ब्लैक	अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।
ऑरेंज	किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति से गंभीर खतरे की चेतावनी देने के लिए।
पर्पल	आपराधिक तरीकों या उपकरणों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए।
लाइट ब्लू	संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों के लिए जारी किया गया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

इस तरह की जानकारी साझा करके, इंटरपोल देशों को उन अपराधियों से आगे रहने में मदद करता है जो अपराध करने और उसे छिपाने के लिए हमेशा नए-नए तरीके अपनाते रहते हैं। पर्पल नोटिस एक चेतावनी और खुफिया जानकारी साझा करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है।

रणनीतिक प्रभाव

- यह जारी पत्र सीमा पार वित्तीय अपराधों के विरुद्ध भारत के सक्रिय रुख को रेखांकित करता है और ईडी को वैश्विक खुफिया जानकारी साझा करने में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अधिकार क्षेत्र में इसी तरह की व्यापार-आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) योजनाओं की पहचान करने और उनका मुकाबला करने में सहायता करता है।

भारत के प्रयास

- भारत, प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से, धन शोधन से निपटने के लिए वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने हेतु ग्लोबल नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है।

आगे की राह

- इस पर्पल नोटिस के जारी होने से न केवल व्यापार-आधारित धन शोधन जोखिमों से जुड़े जोखिम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता मजबूत होगी, बल्कि धन शोधन के प्रति समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश पड़ेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अगस्त 2025 में इंटरपोल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जारी किए गए पर्पल नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या था?

(a) धन शोधन में शामिल एक भगोड़े की गिरफ्तारी का अनुरोध करना।

(b) आतंकवादी खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति के बारे में चेतावनी देना।

(c) व्यापार-आधारित धन शोधन में प्रयुक्त विधियों की जानकारी साझा करना।

(d) वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े एक लापता व्यक्ति का पता लगाना।

उत्तर: (c)

UNHCR (यूएनएचसीआर)

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने श्रीलंका पहुंचने पर गिरफ्तारी की आशंका वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

मुख्य विवरण

- बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के देश छोड़ने के संदेह में श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा स्वेच्छा से लौटने वाले शरणार्थियों की गिरफ़्तारी इस तरह की पहली घटना है।
- 2002 से, यूएनएचसीआर द्वारा श्रीलंका से 18,643 तमिल शरणार्थियों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है।
- "स्वेच्छा से लौटने वाले शरणार्थियों की सुरक्षा और सम्मान मूलभूत सिद्धांत हैं।"
- जब तक कोई आपराधिक मामला चल रहा हो, तब तक किसी को भी गिरफ़्तार नहीं किया जाता।

शरणार्थी कौन है?

- 1951 के शरणार्थी अभिसमय में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, किसी सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक मान्यताओं के कारण खतरे के वास्तविक भय के कारण अपने मूल देश लौटने में असमर्थ है, तो उसे शरणार्थी माना जाता है।
- संघर्ष, उत्पीड़न, हिंसा या अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण, शरणार्थियों को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- हालाँकि विदेश जाना एक सर्वोत्कृष्ट शरणार्थी अनुभव है, फिर भी ये विदेशी शरणार्थी वैश्विक स्तर पर सभी विस्थापित लोगों का तुलनात्मक रूप से एक छोटा हिस्सा हैं।
- अन्य गैर-विशिष्ट शरणार्थी श्रेणियों में राज्यविहीन व्यक्ति, जिनके विरुद्ध किसी देश की नागरिकता का दावा नहीं किया गया है, और शरण चाहने वाले, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश में यात्रा करते हैं, शामिल हैं।

यूएनएचसीआर

- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ने बताया कि 2024 तक दुनिया भर में 130.8 मिलियन लोग राज्यविहीन या जबरन विस्थापित होंगे, जिनमें से 32 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थी होंगे।
- यूएनएचसीआर के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में 75% शरणार्थी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- यूएनएचसीआर दुनिया भर के शरणार्थियों की सुरक्षा करता है और उनके पुनर्वास या घर वापसी को आसान बनाता है।

- पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने घर खो चुके लाखों लोगों की सहायता के लिए, यूएनजीए ने 1950 में इसकी स्थापना की थी।
- यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो उत्पीड़न और संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों की जान बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए काम करता है।
- 1954 और 1981 में, इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिले।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

(a) जिनेवा (b) न्यूयॉर्क

(c) हेग (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

CHAHAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम → English, हिंदी, द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक विषय: राजनीति विज्ञान एवं अंतराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)

चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

इकाई 3

अर्थव्यवस्था एवं कृषि

राष्ट्रीय सहकारी नीति

चर्चा में क्यों: सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 48 सदस्यीय समिति ने 20-वर्षीय दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय सहकारी नीति (एनसीपी) 2025 का मसौदा तैयार किया है, जो 2022 के ढांचे का स्थान लेगी।

मुख्य विवरण

- एनसीपी 2025 "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण पर आधारित है।
- इस नीति का उद्देश्य भारत के सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण, पहुँच और दक्षता में वृद्धि और ग्रामीण रोज़गार सृजन करना है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) 2025 के उपलक्ष्य में, भारत ने एनसीपी 2025 का अनावरण किया।
- एनसीपी वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी है, जो "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने में फलदायी होगी।

सहकारी और सहकारी समितियां

- सहकारी समिति व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है, जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से सदस्य-नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें लगभग 2 लाख ऋण सहकारी समितियाँ और 6 लाख गैर-ऋण सहकारी समितियाँ शामिल हैं।
- गैर-ऋण सहकारी समितियाँ मुख्य रूप से आवास, डेयरी, श्रम और अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं, जिनमें चीनी, उपभोक्ता, विपणन, मत्स्य पालन, वस्त्र, सेवाएँ, प्रसंस्करण, अस्पताल आदि शामिल हैं।

एनसीपी 2025 की विशेषताएं

- इससे रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा और 1.4 अरब लोगों को लाभ होगा।
- पाँच वर्षों के भीतर भारत के प्रत्येक गाँव में सहकारी समितियों की स्थापना।
- फ़रवरी 2026 तक 2,00,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) स्थापित करने का लक्ष्य।
- सभी राज्य 31 जनवरी, 2026 तक अपनी सहकारी नीतियाँ घोषित करेंगें।
- नई नीति के 6 स्तंभ:
  - आधारभूत प्रणालियों को मज़बूत करना।
  - डिजिटलीकरण और नवाचार के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी।
  - मौजूदा सहकारी समितियों में जीवंतता को बढ़ावा देना।
  - समावेशीपन और पहुँच को बढ़ाना।
  - उभरते क्षेत्रों में विस्तार।
  - युवाओं को शामिल करना और भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता निर्माण।
- एनसीपी 2025 का लक्ष्य 2034 तक सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान को तीन गुना बढ़ाना है।
- सहकारिता अब हरित ऊर्जा, पर्यटन, बीमा और टैक्सी सेवाओं (सहकार टैक्सी) जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों को भी कवर करेगी।
- 4,108 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है।
- 393 पीएसीएस ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा दुकानें चलाने के लिए आवेदन किया है।
- 100 से ज़्यादा पीएसीएस ने एलपीजी वितरण के लिए आवेदन किया है।
- पीएसीएस "हर घर नल से जल" योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रबंधन पर भी काम कर रही हैं।
- इन सभी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने हेतु त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की नींव पहले ही रखी जा चुकी है।

सहकारी समितियों के लिए चुनौतियाँ

- पूँजी तक सीमित पहुँच, शासन संबंधी समस्याएँ और पेशेवर प्रबंधन का अभाव।
- राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ और बुनियादी ढाँचे में कमियाँ।
- पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव और कमज़ोर नेतृत्व।

सहकारी समितियों के लिए अवसर

- **नीति संवर्धन:** जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देते हुए, सहकारी समितियों के लिए शासन नीतियों को सुदृढ़ बनाना।
- **डिजिटल उन्नति:** सहकारी संचालन के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी अपनाने के महत्व पर बल देना, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण शामिल है।
- **कौशल विकास:** सहकारी सदस्यों और कर्मचारियों को प्रबंधन, वित्त और विपणन में उनकी विशेषज्ञता में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संसाधन आवंटित करना।
- **वित्तीय अनुकूलनशीलता:** सहकारी विकास निधि का निर्माण करना जो उनके विकास और विस्तार को सुगम बनाने के लिए लचीले संपार्श्विक और वित्तपोषण विकल्प प्रदान करते हैं।
- **समावेशन पहल:** हाशिए पर पड़े और संवेदनशील समूहों को सहकारी गतिविधियों में शामिल करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना, जिससे सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिले।
- **बुनियादी ढाँचे में सुधार:** सहकारी संचालन को बढ़ावा देने के लिए भंडारण सुविधाओं, परिवहन प्रणालियों और संचार नेटवर्क सहित ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी करना।
- **जागरूकता पहल:** संभावित सदस्यों को सहकारी समितियों में शामिल होने और भागीदारी करने के लाभों के बारे में, विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं में, सूचित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।

आगे की राह

राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में भारत के सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसे आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय का एक सशक्त

माध्यम बनाने की क्षमता है। हालाँकि, इस नीति की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, सुदृढ़ शासन और सरकार, निजी क्षेत्र और सहकारी संस्थाओं के बीच सक्रिय सहयोग पर निर्भर करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न :

प्रश्न: राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के प्रमुख प्रावधानों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह नीति भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, में किस प्रकार योगदान देगी? इसके कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और उनसे निपटने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

चर्चा में क्यों: भारत में किसानों के लिए परिवर्तनकारी सामूहिक ढांचे के रूप में एफपीओ का उदय हो रहा है, जो पारंपरिक सहकारी समितियों के विकल्प के रूप में कार्य कर रहा है।

मुख्य विवरण

- चूंकि जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को तेजी से प्रभावित कर रहा है, इसलिए यदि एफपीओ स्थानीय ज्ञान और पुनर्योजी प्रथाओं पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अपनाते हैं, तो वे लचीली खाद्य प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था

- चक्रीय अर्थव्यवस्था एक आर्थिक ढाँचे को संदर्भित करती है जो अपशिष्ट को कम करने और संसाधन दक्षता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद और सामग्री लंबे समय तक प्रचलन में रहें। यह पुन: उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण सहित विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

एफपीओ

- 2000 के दशक के प्रारंभ में, भारत ने छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में सहायता करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की अवधारणा को लागू किया।
- 2024 तक लगभग 30,000 एफपीओ का गठन किया जा चुका है, जिनमें से 9000 एफपीओ इस पहल के तहत पंजीकृत हैं।
- यह सरकार द्वारा किसानों को और अधिक सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने वाली नीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
- एफपीओ कंपनी अधिनियम के भाग IXA या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित/पंजीकृत होते हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल और एफपीओ

- यह पद्धति स्थानीय उपभोग के लिए डिज़ाइन की गई उत्पादन प्रणालियों पर प्रकाश डालती है, साथ ही पारिस्थितिक कल्याण को भी बढ़ावा देती है।
- यह बाहरी संसाधनों और बाज़ारों पर निर्भरता को कम करके, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करके स्थिरता पर ज़ोर देती है।
- एफपीओ पारंपरिक फसलों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने पर केंद्रित हैं जो स्वास्थ्यवर्धक, अधिक संधारणीय और स्थानीय आहार का अभिन्न अंग हैं।

फसलों में लचीलापन बढ़ाने के तरीके

- **स्थानीय मांग को पूरा करने वाली और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करना:** ऐसी फसलों के विकास को बढ़ावा देना जो स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए आदर्श रूप से अनुकूल हों, न्यूनतम पानी की आवश्यकता हो, मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो, और समुदाय के पारंपरिक आहार का अभिन्न अंग हों।
- **बाह्य स्रोतों पर निर्भरता को न्यूनतम करना:** उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए, स्थानीय स्तर पर जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और बीजों जैसी आवश्यक वस्तुओं की खेती करना।
- **स्थानीय उपभोग को विपणन योग्य वस्तुओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना:** यह सुनिश्चित करते हुए कि समुदाय की पोषण संबंधी आवश्यकताएं स्थानीय फसलों के माध्यम से पूरी की जाएं, संधारणीय उत्पादन की अधिशेष मात्रा को मान्यता देना, जिसका क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लाभप्रद ढंग से विपणन किया जा सके।
- **स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन:** कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण करना, उदाहरण के लिए, गूदा, जूस या आटे में बदलना - जिससे कि उनका जीवन काल बढ़ सके और ऐसे विशिष्ट बाजारों तक पहुंच बन सके जो स्थायित्व और स्वास्थ्य पर जोर देते हैं।

सरकारी पहल

- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):** 2015 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो।
- **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ):** वैज्ञानिक रूप से समर्थित विधियों को लागू करके कृषि पद्धतियों में बदलाव लाने के लिए स्थापित, जो स्थिरता, जलवायु लचीलापन और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित हैं।

आगे की राह

वित्त, बाजार और बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना; प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से किसानों की क्षमता को बढ़ाना; और विनियमन और क्लस्टर-आधारित संवर्धन में आसानी के साथ नीति समर्थन सुनिश्चित करना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा "किसान उत्पादक संगठन" (एफपीओ) को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?

(a) शहरी किसानों के लिए एक सरकारी वित्त पोषित संगठन

(b) बेहतर सौदेबाजी शक्ति और बाजार पहुँच के लिए किसानों का एक समूह

(c) ग्रामीण शिक्षा पर केंद्रित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

(d) बड़ी कृषि फर्मों के स्वामित्व वाला एक लाभकारी निगम

उत्तर: (c)

हरित ईंधन नीति

चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल को शामिल करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ हुए हैं।

मुख्य विवरण

- अपनी हरित ईंधन नीति के अनुरूप, सरकार सक्रिय रूप से इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसकी शुरुआत E10 (10% इथेनॉल) से हुई और अब E20 (20% इथेनॉल) की ओर बढ़ रही है।
- लेकिन कार निर्माताओं ने तकनीकी जोखिमों और दक्षता में कमी, खासकर E20 जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रणों के बारे में चिंता जताई है।
- इथेनॉल धातु के पुर्जों में जंग पैदा कर सकता है और ईंधन प्रणालियों से जमाव को हटा सकता है, जिससे फिल्टर और लाइनें जाम हो सकती हैं।

वर्तमान और भविष्य के लक्ष्य

- भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसकी घोषणा 2018 में की गई थी, ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत 20 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था।
- सरकार अब वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत मिश्रण का नया लक्ष्य निर्धारित कर रही है।
- इसके अतिरिक्त, भारत उच्च-इथेनॉल मिश्रणों पर कम जीएसटी और फ्लेक्स-फ्यूल या E27/E30 के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने जैसे प्रोत्साहनों पर विचार कर रहा है।

भारत की हरित ईंधन नीति

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और एक स्थायी ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल और बायोडीज़ल जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
- यह नीति जैव ईंधनों को देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है, और जीवाश्म ईंधनों, विशेष रूप से पेट्रोल में इथेनॉल के साथ जैव ईंधनों के मिश्रण के लक्ष्य निर्धारित करती है।

ईंधन के रूप में इथेनॉल

- इथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, एक संधारणीय और जैवनिम्नीकरणीय ईंधन है जो बायोमास के किण्वन से उत्पन्न होता है, जिसमें आमतौर पर गन्ना, मक्का, चावल, कसावा या विभिन्न अन्य फसलें शामिल होती हैं।
- ईंधन योजक के रूप में, इसे पेट्रोल (गैसोलीन) के साथ विभिन्न अनुपातों में मिलाया जाता है, जैसे E5 (5 प्रतिशत), E10, E20-E25, और विशेष रूप से इसके लिए डिज़ाइन किए गए इंजनों में यह E85 या यहाँ तक कि E100 तक भी जा सकता है।
- यह ईंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है।

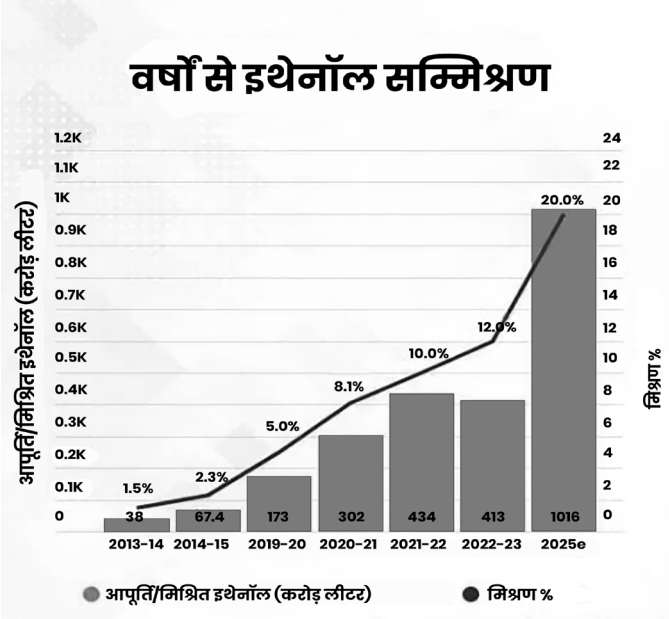

इथेनॉल मिश्रण के विरुद्ध चिंताएँ

- **कम ईंधन दक्षता:** इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (विशेषकर E20 या उससे अधिक जैसे उच्च मिश्रण वाले) पर चलने वाले वाहन कम माइलेज देते हैं, और समान दूरी के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है।
- **इंजन अनुकूलता संबंधी समस्याएँ:** पुराने वाहन और छोटे इंजन, जो इथेनॉल मिश्रणों के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, जंग से ग्रस्त हो सकते हैं (चूँकि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, यह नमी को अवशोषित करता है) और रबर और प्लास्टिक के पुर्जों को तोड़ सकता है, ईंधन लाइन को नुकसान पहुँचा सकता है, या इंजन का जीवनकाल कम कर सकता है।
- **खाद्य बनाम ईंधन संघर्ष:** ईंधन के लिए खाद्य फसलों का उपयोग खाद्य कीमतों को बढ़ा सकता है और कमी पैदा कर सकता है, खासकर उन देशों में जहाँ खाद्य सुरक्षा की समस्या है।
- **उच्च जल और भूमि उपयोग:** फसल उगाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी और कृषि भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है।
- **भंडारण और परिवहन संबंधी समस्याएँ:** इथेनॉल नमी को अवशोषित कर सकता है, जिससे भंडारण टैंकों और पाइपलाइनों में चरण पृथक्करण हो सकता है, जिससे संदूषण और इंजन की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
- **सीमित पर्यावरणीय लाभ:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में समग्र कमी पेट्रोल की तुलना में मामूली या नकारात्मक भी हो सकती है, खासकर अगर फसल उत्पादन में वनों की कटाई शामिल हो।

पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लाभ और फायदे

- **हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करता है:** दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन (जैसे, अपशिष्ट या गैर-खाद्य फसलों से) के विकास को बढ़ावा देता है। स्थायी ईंधन प्रौद्योगिकियों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है:** ईंधन की कार्बन तीव्रता को कम करके देशों को पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। शुद्ध-शून्य या कार्बन-तटस्थ रणनीतियों में योगदान देता है।

- **जैव-निम्नीकरणीय और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित:** इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम विषैला और अधिक जैव-निम्नीकरणीय है। रिसाव या फैलाव की स्थिति में, यह मिट्टी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कम जोखिम पैदा करता है।
- **उच्च ऑक्टेन रेटिंग:** इथेनॉल में उच्च-ऑक्टेन संख्या होती है, जो इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इंजन की खटखटाहट को कम करता है और पेट्रोल इंजनों में दहन दक्षता को बढ़ा सकता है।
- **नवीकरणीय ईंधन स्रोत:** जीवाश्म ईंधन के विपरीत, इथेनॉल नवीकरणीय जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है:** कृषि फसलों की मांग बढ़ाता है, जिससे किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत उपलब्ध होता है। जैव ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण में ग्रामीण रोजगार का सृजन करता है।
- **वायु गुणवत्ता में सुधार:** हानिकारक प्रदूषकों का कम उत्सर्जन धुंध को कम करने और शहरी वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देता है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी:** इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ तरीके से जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कणिकाओं जैसे प्रदूषक कम निकलते हैं। यह समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष

भारत को खाद्य बनाम ईंधन के टकराव से बचने के लिए कृषि अपशिष्ट जैसे गैर-खाद्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और वाहनों के लिए अनुकूलता सुनिश्चित करने से देश भर में सुचारू कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और सम्मिश्रण लक्ष्यों को स्थायी रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में हरित ईंधन पहलों और नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
2. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है।
3. SATAT पहल के तहत, सरकार परिवहन क्षेत्र के लिए हरित ईंधन के विकल्प के रूप में संपीड़ित बायोगैस (CBG) के उपयोग को बढ़ावा देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (p)

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL)

चर्चा में क्यों: NHIDCL ने राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की मरम्मत की, जो सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है और इसे पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है।

NHIDCL के बारे में

- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
- इसकी स्थापना 18 जुलाई, 2014 को राष्ट्रीय राजमार्गों और रणनीतिक सड़कों के निर्माण और रखरखाव में तेजी लाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी।
- इसकी स्थापना अविकसित और चुनौतीपूर्ण इलाकों में, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी:
  - पूर्वोत्तर राज्य
  - हिमालयी क्षेत्र
  - केंद्र शासित प्रदेश
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
  - लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट सामरिक सड़क सम्पर्क में सुधार करना, प्रायः रक्षा एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ समन्वय करते हुए।

NHIDCL विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्रिय है:

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर):** सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संपर्क बढ़ाना।
- **सीमावर्ती क्षेत्र:** सैन्य रसद और तीव्र नागरिक पहुँच के लिए सड़कों का निर्माण।
- **पहाड़ी इलाके:** सुरंगों और हिमस्खलन-प्रवण सड़क सुरक्षा संरचनाओं जैसी परियोजनाएँ।

NHIDCL निम्नलिखित के साथ समन्वय में काम करता है:

- राज्य सरकारें
- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)
- एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)
- रणनीतिक परियोजनाओं के लिए रक्षा और गृह मंत्रालय

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में, NHIDCL की भूमिका, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

मार्केट कपलिंग इन डे अहेड मार्केट

चर्चा में क्यों: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने पावर एक्सचेंजों के डे अहेड मार्केट (डीएएम) खंड में मार्केट कपलिंग के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य विवरण

- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने जनवरी 2026 से भारत के डे-अहेड मार्केट (डीएएम) में चरणबद्ध तरीके से मार्केट कपलिंग को हरी झंडी दे दी है।
- डीएएम कपलिंग राउंड-रॉबिन तरीके से एक्सचेंजों में घूमेगी, जिसमें ग्रिड-इंडिया बैकअप और ऑडिट ऑपरेटर के रूप में काम करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

डे-अहेड मार्केट (डी ए एम) के बारे में

- डे-अहेड मार्केट (डीएएम) बिजली एक्सचेंज का एक खंड है जहाँ अगले दिन डिलीवरी के लिए बिजली का कारोबार किया जाता है।
- यह दो-तरफ़ा बंद नीलामी पर आधारित है, जहाँ खरीदार (वितरण कंपनियाँ, औद्योगिक उपभोक्ता) और विक्रेता (बिजली उत्पादक, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक) अगले दिन के लिए बोलियाँ जमा करते हैं।
- बाज़ार समाशोधन मूल्य (एमसीपी) आपूर्ति और माँग वक्रों के मिलान द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- डीएएम सुनिश्चित करता है:
  - ➢ पारदर्शी मूल्य निर्धारण
  - ➢ उपलब्ध बिजली का कुशल आवंटन
  - ➢ नवीकरणीय एकीकरण के अवसर, क्योंकि नवीकरणीय उत्पादक अगले दिन के शेड्यूल के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं

वर्तमान में, डीएएम भारत के विद्युत एक्सचेंजों का सबसे बड़ा खंड है, जिसमें भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) का प्रभुत्व है, तथा पीएक्सआईएल और एचपीएक्स की भागीदारी कम है।

डीएएम में बाजार युग्मन की अवधारणा

- बाजार युग्मन (मार्केट कपलिंग) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी पावर एक्सचेंजों की बोलियों को एकत्रित किया जाता है और एक केंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से एक समान मार्केट क्लियरिंग मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा अपनी नीलामी चलाने के बजाय, एक ही एल्गोरिथम इष्टतम मूल्य और मात्रा तय करेगा।
- भारत के मॉडल में, यह भूमिका एक इकाई (ग्रिड-इंडिया को बैकअप के रूप में) द्वारा संभाली जाएगी।

बाजार युग्मन के उद्देश्य

- सभी एक्सचेंजों में कुशल मूल्य निर्धारण।
- एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म की परवाह किए बिना खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक समान मूल्य।
- प्रमुख एक्सचेंजों के लाभ को कम करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा।
- सभी प्लेटफ़ॉर्म पर शेड्यूलिंग को अनुकूलित करके बेहतर नवीकरणीय एकीकरण।

पायलट अध्ययन और निष्कर्ष

ग्रिड-इंडिया द्वारा ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए चलाए गए एक शैडो पायलट अध्ययन से पता चला:

- **सीमांत कल्याण लाभ: केवल** लगभग 0.3% सुधार (29 महीनों में ₹38 करोड़)
- **समाप्त मात्रा में मामूली वृद्धि:** लगभग 0.2%
- **मूल्य स्तरों पर न्यूनतम प्रभाव**
- **वास्तविक समय बाज़ार (RTM) में, लाभ और भी कम थे**

इससे यह प्रश्न उठा कि क्या युग्मन के लिए आवश्यक परिचालनात्मक और विनियामक प्रयास ऐसे सीमित लाभों को उचित ठहराते हैं।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **सीमांत लाभ** - कल्याण और मात्रा में मामूली वृद्धि पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है।
- **कार्यान्वयन की जटिलता** - एक्सचेंजों में नए बुनियादी ढाँचे, सॉफ़्टवेयर और समन्वय की आवश्यकता है।
- **एक्सचेंज स्वायत्तता** - कुछ लोगों का तर्क है कि बाज़ार युग्मन "एक्सचेंज युग्मन" के अधिक निकट है, जिससे मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा कम होती है।
- **समय-सीमा सीमित** - जनवरी 2026 के लिए निर्धारित, हालाँकि उद्योग जगत के लोग कार्यान्वयन में देरी का सुझाव दे रहे हैं।

बिजली एक्सचेंजों पर प्रभाव

- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) अपनी प्रमुख बाज़ार स्थिति कुछ हद तक खो सकता है।
- PXIL और HPX को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि एक समान मूल्य निर्धारण से प्रतिस्पर्धा का स्तर समान हो सकता है।
- एक्सचेंज अब केवल तरलता के बजाय लेनदेन शुल्क, सेवाओं और उपयोगकर्ता अनुभव पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

आगे की राह

हालाँकि डीएएम में बाज़ार संयोजन का उद्देश्य अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाना है, लेकिन इसके वास्तविक लाभ सीमित प्रतीत होते हैं। नीति निर्माताओं को निम्न कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है:

- उच्च दक्षता के लिए सुरक्षा-बाधित आर्थिक प्रेषण (SCED) के साथ एकीकरण का अन्वेषण करना।
- RTM और नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रणालियों और हितधारकों की तत्परता सुनिश्चित करते हुए, चरणबद्ध या विलंबित कार्यान्वयन पर विचार करना।

निष्कर्ष

डे-अहेड मार्केट (डीएएम) भारत के बिजली विनिमय तंत्र का केंद्रबिंदु है, जो पारदर्शी और कुशल अगले दिन के व्यापार को सक्षम बनाता है। प्रस्तावित बाजार युग्मन का उद्देश्य मूल्य निर्धारण को एकीकृत करना और समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन अध्ययन केवल मामूली लाभ ही दर्शाते हैं। भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे बिजली क्षेत्र के लिए, कुंजी केवल एक्सचेंजों को युग्मित करने में ही नहीं, बल्कि वास्तविक समय के व्यापार, नवीकरणीय एकीकरण और ग्रिड स्थिरता के लिए अधिक मज़बूत ढाँचे के निर्माण में भी निहित हो सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बिजली व्यापार में डे-अहेड मार्केट (डीएएम) के संदर्भ में मार्केट कपलिंग क्या है? भारत में इसके महत्व, लाभों और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तटस्थ रुख बनाए रखते हुए रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा।

मुख्य विवरण

- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर एवं बैंक दर 5.75 प्रतिशत अपरिवर्तित रहीं।

भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ के बावजूद आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा।

- वित्त वर्ष 26 के लिए मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान है, जो जून के 3.7% अनुमान से कम है, हालाँकि वित्त वर्ष 27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 4.9% तक पहुँचने की संभावना है।
- मुद्रास्फीति में कमी और वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ, RBI ने बाहरी जोखिमों का प्रबंधन करते हुए घरेलू माँग को समर्थन देने के लिए सतर्क रुख अपनाने का संकेत दिया है।

रेपो दर क्या है?

- रेपो दर (पुनर्खरीद दर का संक्षिप्त रूप) वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण देता है।
- इस प्रक्रिया में:
  - बैंक आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचते हैं।
  - वे बाद में एक निश्चित मूल्य पर उन्हें वापस खरीदने के लिए सहमत होते हैं।
  - यह प्रणाली आरबीआई को निम्नलिखित प्रबंधन में मदद करती है:
    - अर्थव्यवस्था में तरलता (बाज़ार में मुद्रा की उपलब्धता)
    - मुद्रास्फीति (कीमतों में वृद्धि)
    - आर्थिक विकास

आरबीआई रेपो रेट में बदलाव क्यों करता है?

- **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए:** यदि मुद्रास्फीति बढ़ रही है (वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं), तो RBI रेपो दर बढ़ा देता है। इससे ऋण महंगे हो जाते हैं, जिससे बाजार में ऋण और मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे कीमतों को कम करने में मदद मिलती है।
- **विकास को बढ़ावा देने के लिए:** जब आर्थिक विकास धीमा होता है, तो RBI रेपो दर कम कर देता है। इससे ऋण सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोग और व्यवसाय अधिक उधार लेने, निवेश करने और खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- **तरलता का प्रबंधन:** रेपो दर को समायोजित करके, आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम धन प्रसारित हो।

मौद्रिक नीति क्या है?

- मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और तरलता को नियंत्रित करता है।
- **इसके मुख्य उद्देश्य हैं:**
  - मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
  - आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
  - वित्तीय बाज़ारों को स्थिर रखना।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), आरबीआई का एक प्रमुख निकाय है जो मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर और अन्य मौद्रिक नीति उपायों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है।
- एमपीसी का गठन आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) की धारा 45जेडबी के तहत किया गया था और यह अक्टूबर 2016 में कार्यरत हो गई थी।

एमपीसी का अधिदेश

- बेंचमार्क रेपो दर निर्धारित करना ताकि मुद्रास्फीति 4% ± 2% के लक्ष्य सीमा के भीतर रहे।
- मौद्रिक नीति की समीक्षा वर्ष में कम से कम चार बार (आमतौर पर हर दो महीने में) करना।
- बहुमत से निर्णय लेना। यदि बराबरी हो, तो आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है।

एमपीसी की संरचना (6 सदस्य)

- **आरबीआई के 3 सदस्य:**
  1. आरबीआई गवर्नर - अध्यक्ष (पदेन)
  2. मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर
  3. एक आरबीआई अधिकारी (आमतौर पर एक कार्यकारी निदेशक)
- **भारत सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य:**
  1. प्रख्यात अर्थशास्त्री या नीति विशेषज्ञ।
  2. चार वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है और पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।
  3. कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा चुना जाता है।
  4. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित।

आरबीआई द्वारा प्रयुक्त महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण

आरबीआई मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों का उपयोग करता है। इन्हें मात्रात्मक (सामान्य) और गुणात्मक (चयनात्मक) उपायों में वर्गीकृत किया गया है।

मात्रात्मक उपकरण (सामान्य उपकरण)

- **रेपो दर:** वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो दर में वृद्धि = महँगे ऋण, बाज़ार में कम मुद्रा। रेपो दर में कमी = सस्ते ऋण, बाज़ार में अधिक मुद्रा।
- **रिवर्स रेपो दर:** वह दर जिस पर RBI बैंकों से ऋण लेता है। उच्च दर = बैंक RBI के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं (तरलता कम होती है)। निम्न दर = बैंक ऋण देने के लिए धनराशि रखते हैं (तरलता बढ़ती है)।
- **नकद आरक्षित अनुपात** (CRR): किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जो RBI के पास नकद में रखा जाना है। उच्च CRR = ऋण देने के लिए कम धनराशि। निम्न CRR = ऋण देने के लिए अधिक धनराशि।
- **वैधानिक तरलता अनुपात** (SLR): किसी बैंक की जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत जो सोने, नकदी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाना है। उच्च SLR = ऋण के लिए कम धनराशि। निम्न SLR = ऋण के लिए अधिक धनराशि।
- **खुला बाजार परिचालन (OMO):** RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है। प्रतिभूतियों की बिक्री = बाजार से धन निष्कासन। प्रतिभूतियाँ खरीदना = बाज़ार में धन का प्रवाह।
- **सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):** आपात स्थिति में बैंक, RBI से रेपो दर से अधिक दर पर ओवरनाइट फ़ंड उधार ले सकते हैं।
- **बैंक दर:** दीर्घकालिक ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है। आजकल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी प्रासंगिक है।

- **तरलता समायोजन सुविधा (LAF):** बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो दरों का उपयोग करने वाला एक ढाँचा।
- **बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS):** अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए जारी किए जाने वाले विशेष बॉन्ड, आमतौर पर उच्च विदेशी पूंजी प्रवाह के दौरान।

गुणात्मक उपकरण (चयनात्मक उपकरण)

- **नैतिक दबाव (Moral Suasion):** आरबीआई बैंकों से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने का अनुरोध या सलाह देता है, जैसे कि जोखिम भरे क्षेत्रों को बहुत अधिक ऋण न देना, बिना किसी सख्त नियम का उपयोग किए।
- **क्रेडिट राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई:** आरबीआई कुछ क्षेत्रों या कंपनियों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमाएँ निर्धारित कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो दिशानिर्देशों का पालन न करने पर बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है।

निष्कर्ष

रेपो दर, आरबीआई की मौद्रिक नीति के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, तरलता प्रबंधन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस दर और अन्य मौद्रिक नीति साधनों को समायोजित करके व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने में मौद्रिक नीति समिति के निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के हालिया निर्णय के आलोक में, मुद्रास्फीति प्रबंधन और आर्थिक विकास को बनाए रखने में आरबीआई के मौद्रिक नीति उपकरणों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में हालिया आँकड़े और रुझान बताइए। [250 शब्द] [15 अंक]

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
2. मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
3. RBI अपने मौद्रिक नीति उपकरणों के तहत अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के लिए केवल रेपो दर का उपयोग करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत के वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को "गोल्डीलॉक्स स्थिति" में घोषित किया।

मुख्य विवरण

- मध्यम वृद्धि, मंद मुद्रास्फीति और सहायक मौद्रिक स्थितियों के दुर्लभ संयोजन ने विश्लेषकों को इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक "मिनी-गोल्डीलॉक्स क्षण" के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी है।
- यह भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति के कारण है, जो 7.6% जीडीपी वृद्धि, चरम ब्याज दरों और स्थिर कॉर्पोरेट आय से प्रेरित है।'

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

अर्थव्यवस्था में "गोल्डीलॉक्स ज़ोन" क्या है?

- "गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था" शब्द की उत्पत्ति उस कहानी से हुई है जिसमें गोल्डीलॉक्स बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा दलिया खाने से बचता है, बल्कि वह दलिया चुनता है जो उसके लिए बिल्कुल सही हो।
  - ➢ आर्थिक दृष्टि से, यह मध्यम विकास, कम मुद्रास्फीति और सहायक मौद्रिक नीति द्वारा चिह्नित एक क्षेत्र को दर्शाता है - जो अति-उत्साह और गतिरोध के बीच एक सुखद स्थिति है।
  - ➢ भारतीय संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने कभी-कभी नियंत्रित मुद्रास्फीति, स्थिर जीडीपी वृद्धि और अनुकूल ब्याज दर रुझानों का हवाला देते हुए वर्तमान स्थिति को "गोल्डीलॉक्स चरण" के रूप में वर्णित किया है।

एक "जस्ट राईट" अर्थव्यवस्था के संकेत

चार्ट:1 अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें: सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई
(मई 2024–मई 2025)

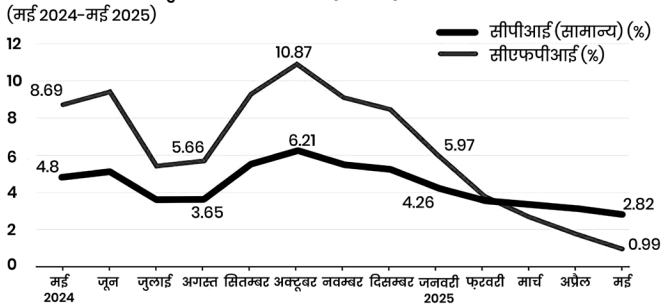

स्रोत: MoSPI

- **विकास की गति** भारत की जीडीपी वृद्धि दर, जो लगभग 7.6% अनुमानित है, वैश्विक मानकों के अनुसार मज़बूत है और लचीलेपन का संकेत देती है।
- **मुद्रास्फीति नियंत्रण में** हेडलाइन सीपीआई में कमी आई है - मई 2024 में 4.8% से मई 2025 में 2.82% तक, जो भारतीय रिजर्व बैंक के आरामदायक स्तर के अनुरूप है।
- **सहायक मौद्रिक नीति** आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में 100 आधार अंकों की कटौती से संतुलित समष्टि आर्थिक परिवेश की अवधारणा को और बल मिला है।

सतह के नीचे मृगतृष्णा

1. मुद्रास्फीति: प्रमुख आंकड़े बनाम वास्तविकता

- यद्यपि बकि समग्र मुद्रास्फीति कम है, खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) अक्सर उच्च और अस्थिर बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2024 में, सीएफपीआई 10.87% पर पहुँच गया, जबकि सीपीआई 6.21% पर था।
- चूँकि निम्न-आय वाले परिवारों के खर्च का लगभग 50% हिस्सा खाद्य पदार्थों पर

खर्च होता है, इसलिए इस तरह की अस्थिरता सीधे तौर पर सामर्थ्य और घरेलू बजट को प्रभावित करती है।

2. वास्तविक मजदूरी में ठहराव

- नाममात्र वेतन वृद्धि अक्सर वास्तविक वेतन वृद्धि से काफ़ी ज़्यादा होती है। 2023 में, नाममात्र वेतन में 9.2% की वृद्धि हुई, लेकिन वास्तविक वेतन में मुश्किल से 2.5% की वृद्धि हुई; 2020 में, इसमें 0.4% की गिरावट भी आई।
- मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति कम होने के कारण, परिवारों को नाममात्र वृद्धि से बहुत कम लाभ होता है।

3. असमान विकास: K-आकार की रिकवरी

- जीडीपी में उछाल तो आया है, लेकिन सुधार असमान है। औपचारिक क्षेत्रों और शहरी अभिजात वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जबकि अनौपचारिक कार्यबल—जो औपचारिक रूप से श्रम बाज़ार का 80% माना जाता है—इससे बाहर रहा है।
- कर योग्य आय-आधारित गिनी गुणांक, जो 0.489 (वित्त वर्ष 13) से 0.402 (वित्त वर्ष 23) तक सुधार दर्शाते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में इस असमानता को दर्शाने में विफल रहे हैं।

4. राजकोषीय बाधाएँ

- हालाँकि राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, फिर भी यह उच्च बना हुआ है—इसके 6.4% (2022-23) से घटकर 4.4% (2025-26) होने का अनुमान है।
- सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 81% है, जो FRBM के 60% के लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकारी खर्च सीमित हो जाता है।

एक गहन वास्तविकता जाँच: गोल्डीलॉक्स एक मृगतृष्णा हो सकती है

दावा	सतही वास्तविकता	अंतर्निहित मुद्दे
विकास	~7.6% पर मजबूत	असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्र में अंतराल
मुद्रा स्फ़ीति	निम्न सीपीआई	अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी गरीबों पर बोझ है
वेतन	नाममात्र वृद्धि देखी गई	वास्तविक मजदूरी स्थिर—क्रय शक्ति क्षीण
राजकोषीय स्थिति	घाटे में कमी	ऋण अभी भी उच्च है, विकास व्यय सीमित है

आगे की राह

भारत को वास्तविक गोल्डीलॉक्स चरण को बनाए रखने के लिए, उसे सुर्खियों से आगे बढ़कर मूल संरचनात्मक खामियों को दूर करना होगा:

- **खाद्य मूल्य स्थिरता:** अस्थिरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं और कृषि लचीलेपन को मज़बूत करना।
- **वास्तविक वेतन वृद्धि:** यह सुनिश्चित करना कि वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति के अनुरूप हो या उससे अधिक हो।
- **समावेशी विकास:** रोज़गार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक समर्थन के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्रों में समृद्धि का विस्तार करना।
- **राजकोषीय विवेक और लक्षित निवेश:** आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के साथ-साथ ऋण प्रबंधन।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक आदर्श गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के विचार को चुनौती देती है?

1. कम मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति अक्सर उच्च और अस्थिर रहती है।
2. वास्तविक मजदूरी वृद्धि नाममात्र मजदूरी वृद्धि से पीछे रहती है, जिससे क्रय शक्ति कम होती है।
3. अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें लगभग 80% कार्यबल शामिल है, असमान सुधार दर्शाता है।
4. सार्वजनिक ऋण FRBM लक्ष्य से काफी नीचे रहता है, जिससे पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश मिलती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वित्त मंत्रालय ने हाल ही में दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर विकास और नियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण "गोल्डीलॉक्स स्थिति" में है। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि यह कथन उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, स्थिर वास्तविक मजदूरी, बढ़ती असमानता और राजकोषीय तनाव जैसी संरचनात्मक कमज़ोरियों को छुपाता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

इकाई 4

पर्यावरण एवं भूगोल

दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम, 2025

चर्चा में क्यों: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुंचाने वाले दूषित स्थलों की पहचान, उपचार और निगरानी के लिए भारत का पहला समर्पित कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं।

उद्देश्य और लक्ष्य

- **उद्देश्य:** औद्योगिक उत्सर्जन, खतरनाक अपशिष्ट निपटान और पूर्व पर्यावरणीय उपेक्षा से उत्पन्न मृदा, तलछट और जल प्रदूषण का समाधान करना।
- लक्ष्य :
  - पर्यावरण के और अधिक क्षरण को रोकना।
  - प्रदूषकों को वित्तीय और कानूनी रूप से जवाबदेह बनाकर "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" सुनिश्चित करना।
  - वैज्ञानिक जाँच, जोखिम मूल्यांकन और अनिवार्य सफाई की एक संरचित प्रक्रिया लागू करना।

नियमों के प्रमुख प्रावधान

1. स्थलों की पहचान और वर्गीकरण

- स्थलों को औद्योगिक गतिविधि, ऐतिहासिक अपशिष्ट रिकॉर्ड या सामुदायिक शिकायतों के आधार पर संदिग्ध, संभावित रूप से दूषित या पुष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2. केंद्रीकृत ट्रैकिंग तंत्र

- सीपीसीबी के नेतृत्व वाला एक ऑनलाइन पोर्टल दूषित स्थलों पर वास्तविक समय का डेटा बनाए रखेगा, जिससे पारदर्शिता और सूचना तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित होगी।

3. जन भागीदारी

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को साइट सूचीकरण के 60 दिनों के भीतर हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करनी होंगी।
- व्यापक जागरूकता के लिए अंतिम सूचियाँ क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएँगी।

4. ज़िम्मेदारी और जवाबदेही

- "ज़िम्मेदार व्यक्ति" तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं को ज़िम्मेदारी सौंपता है।
- ऐसे पक्षों को:
  - संपूर्ण सुधार लागत वहन करनी होगी।
  - यदि प्रदूषक की पहचान हो जाती है, तो 3 महीने के भीतर लागत चुकानी होगी।
  - सफाई के दौरान/बाद में भूमि उपयोग या स्वामित्व बदलने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी।

5. अनाथ स्थल(Orphan Sites)

- जहाँ किसी प्रदूषक की पहचान नहीं की जा सकती, अर्थात अनाथ स्थल, वहाँ सुधार कार्य निम्नलिखित माध्यमों से वित्तपोषित किया जाएगा:
  - पर्यावरण राहत कोष।
  - पर्यावरण उल्लंघनों से दंड।
  - केंद्रीय और राज्य बजटीय आवंटन।

6. स्वैच्छिक सफ़ाई

- निजी संस्थाएँ सफ़ाई का कार्य कर सकती हैं, बशर्ते वे तकनीकी क्षमता, वित्तीय क्षमता और भूस्वामी की सहमति प्रदर्शित करें।

7. निगरानी तंत्र

- विशेषज्ञों और नियामकों वाली राज्य और केंद्र स्तरीय समितियाँ:
  - कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी।
  - अतिरिक्त उपायों की सिफ़ारिश करेंगी।
  - केंद्र सरकार को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

8. वित्तपोषण पैटर्न

- हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य: 90% केंद्र सरकार + 10% राज्य।
- अन्य राज्य: 60% केंद्र सरकार + 40% राज्य।
- केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित।

9. छूट

- ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते:
  - रेडियोधर्मी अपशिष्ट (परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत विनियमित)।
  - खनन-संबंधी प्रदूषण।
  - समुद्री तेल प्रदूषण।
  - नगरीय ठोस अपशिष्ट डंप स्थल (अलग से कवर किए गए)।

महत्व

- एक प्रमुख नीतिगत अंतराल को भरकर पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करता है।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और प्रदूषक जवाबदेही के सिद्धांत को लागू करता है।
- सुलभ आँकड़ों के माध्यम से जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाता है।
- जलवायु-अनुकूल और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के पर्यावरणीय शासन ढाँचे को सुदृढ़ बनाने में पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 के महत्व पर चर्चा कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी (KRASHENINNIKOV VOLCANO)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी इतिहास में पहली बार फटा, जो 600 वर्षों में पहली बार हुआ।

मुख्य विवरण

- ज्वालामुखी के लिए नारंगी (orange) विमानन चेतावनी जारी की गई है क्योंकि इससे हवाई जहाजों को खतरा है।
- यह विस्फोट संभवतः इस सप्ताह की शुरुआत में आए 8.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण हुआ होगा, जिसने लगातार झटके दिए, जिसके कारण सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई।
- किसी भी आबादी वाले इलाके को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राख का गुबार पूर्व की ओर प्रशांत महासागर की ओर बढ़ गया है।
- **विस्फोट की तीव्रता:** राख का बादल आसमान में छह किलोमीटर ऊपर उठ गया और ज्वालामुखी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से से 2.7 किलोमीटर लावा फूट पड़ा।

क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी

- **अवस्थिति:** रूस का पूर्वी ज्वालामुखी क्षेत्र, जो रिंग ऑफ़ फायर (प्रशांत अग्नि वलय) का हिस्सा है, क्रैशेनिनिकोव ज्वालामुखी का घर है। नासा की अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी के अनुसार, इस क्षेत्र के लगभग 300 ज्वालामुखियों में से 29 अभी भी सक्रिय हैं।
- **अंतिम ज्ञात विस्फोट:** 1463 के आसपास, क्रशेनिनिकोव में अंतिम विस्फोट हुआ था।
- **प्रकार:** 1,886 मीटर ऊँचा, क्रशेनिनिकोव एक स्ट्रैटोज्वालामुखी है।
- **विशेषताएँ:** यह ज्वालामुखी एक ढह चुके काल्डेरा के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण 39,600 साल पहले एक विशाल विस्फोट से हुआ था, जिससे 50 घन किलोमीटर डैसिटिक प्यूमिस उत्पन्न हुआ था। यह दो विस्फोटक शंकुओं वाले 9 किलोमीटर चौड़े काल्डेरा से बना है। क्रशेनिनिकोव के दक्षिणी शंकु के पास 800 मीटर चौड़ा और 140 मीटर गहरा एक क्रेटर स्थित है।

स्ट्रैटोज्वालामुखी क्या है?

- **संरचना:** ऊँचे, ढलानदार, शंकु के आकार के ज्वालामुखी, जिन्हें स्ट्रैटोज्वालामुखी कहा जाता है, अपनी स्तरित संरचना से पहचाने जाते हैं। ये "स्तर" या परतें आमतौर पर पाइरोक्लास्टिक पदार्थ (गैसों, चट्टानों के टुकड़ों और ज्वालामुखीय राख) और लावा प्रवाह के मिश्रण से बनी होती हैं।
- **विस्फोट की विशेषताएँ:** एंडीसाइट और डेसाइट जैसे चिपचिपे लावा के जमाव के कारण, जो गैसों को अवरुद्ध कर उच्च दबाव बनाते हैं, स्ट्रैटोज्वालामुखियों में अक्सर विस्फोटक विस्फोट होते हैं।
- **अवस्थिति:** ये अक्सर सबडक्शन ज़ोन में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रशांत अग्नि वलय के किनारे, जहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धँस जाती है।
- **वैश्विक उपस्थिति:** पृथ्वी पर लगभग 60% ज्वालामुखी स्ट्रैटोज्वालामुखी हैं, जिनके शिखर पर अक्सर एक छोटा क्रेटर होता है जिसमें पानी, बर्फ या ज्वालामुखी गुंबद हो सकता है।

क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी का प्रभाव

1. विवर्तनिक महत्व

- प्रशांत अग्नि वलय लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियों और लगभग 90% वैश्विक भूकंपों (यूएसजीएस डेटा) के लिए उत्तरदायी है।
- यह सबडक्शन ज़ोन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के बीच संबंध को दर्शाता है।

2. पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी प्रभाव

- ज्वालामुखी की राख सौर विकिरण (अस्थायी शीतलन) को कम करके जलवायु को प्रभावित कर सकती है।
- बड़े विस्फोटों (जैसे, माउंट पिनातुबो, 1991) ने वैश्विक तापमान में लगभग 0.5°C की गिरावट दिखाई है।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता

- कामचटका क्षेत्र विरल आबादी वाला है, जिससे मानव जोखिम कम होता है।
- विमानन और व्यापार व्यवधान वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं।
- आपदा तैयारी, निगरानी प्रणालियों और पूर्व चेतावनी तंत्रों के लिए सबक।

निष्कर्ष

क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत अग्नि वलय की गतिशील विवर्तनिक प्रकृति को उजागर करता है और ज्वालामुखी निगरानी, विमानन सुरक्षा और आपदा तैयारी में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: रूस के कामचटका प्रायद्वीप में क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी का हालिया विस्फोट प्रशांत अग्नि वलय की विवर्तनिक अस्थिरता को उजागर करता है। समतापी ज्वालामुखियों की भौतिक विशेषताओं का परीक्षण कीजिए और पर्यावरण, जलवायु और मानवीय गतिविधियों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप

चर्चा में क्यों: हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के बाद प्रशांत महासागर में व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।

मुख्य विवरण

- भूकंप की तीव्रता पहले 8.0 दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 8.8 कर दिया गया। इसके बाद, इसकी तीव्रता 6.9 तीव्रता की हो गई।
- कामचटका भूकंप, 2011 में जापान में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप था।
- यह क्षेत्र "रिंग ऑफ फायर" के किनारे स्थित है, जिसे प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय बेल्ट भी कहा जाता है।
- दुनिया के 80% से ज़्यादा सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर के कारण आते हैं।

भूकंप क्या है?

- **भूकंप:** भूकंप एक ऐसी घटना है जो बिना किसी चेतावनी के आती है और इसमें स्थल और उसके ऊपर की हर चीज़ का ज़ोरदार कंपन होता है। यह गतिशील लिथोस्फेरिक या क्रस्टल प्लेटों के संचित तनाव के मुक्त होने के कारण होता है।
- पृथ्वी की भूपर्पटी सात प्रमुख प्लेटों में विभाजित है, जो लगभग 50 मील मोटी हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग पर धीरे-धीरे और निरंतर गति करती हैं, और कई छोटी प्लेटें भी हैं।
- भूकंप मूल रूप से विवर्तनिक होते हैं; अर्थात् गतिशील प्लेटें ज़ोरदार कंपन के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने से कई लोग हताहत और घायल हो सकते हैं और साथ ही संपत्ति को भी भारी नुकसान हो सकता है।

भूकंप की तीव्रता और मापन को समझना

- तीव्रता भूकंप के स्रोत पर उत्पन्न कुल ऊर्जा को मापती है, जबकि तीव्रता पृथ्वी की सतह पर किसी विशिष्ट स्थान पर कंपन के प्रभाव और गंभीरता को दर्शाती है।
- भूकंपीय गतिविधि का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह और किसी निलंबित पिंड के बीच सापेक्ष गति को मापने वाले सीस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

भूकंप के बाद क्या करें?

- **सुरक्षा सुनिश्चित करें और सूचित रहें:** शांत रहें, रेडियो/टीवी के निर्देश सुनें और झटकों के लिए तैयार रहें।
- **आग और गैस के खतरों से बचाव:** बिजली, गैस और पानी बंद कर दें; धूम्रपान, माचिस या लाइटर से बचें; ज़रूरत पड़ने पर टॉर्च का इस्तेमाल करें।
- **आपात स्थिति में कार्रवाई करें:** छोटी आग बुझाएँ, हो सके तो बड़ी आग लगने पर अग्निशमन विभाग को बुलाएँ, और घायल व्यक्तियों को बिना हिलाए उनकी सहायता करें, जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी न हो।
- **खतरनाक सामग्रियों को सावधानी से संभालें:** गिरे हुए ज्वलनशील उत्पादों को साफ़ करें और ढीले बिजली के तारों या धातु की वस्तुओं के संपर्क में आने से बचें।
- **स्वास्थ्य और संसाधनों की सुरक्षा करें:** केवल सुरक्षित, फ़िल्टर किया हुआ पानी पिएँ; यदि स्थानांतरण आवश्यक हो तो भोजन, स्वच्छ पानी और आवश्यक दवाएँ इकट्ठा करें।
- **बाहर सुरक्षा सावधानियों का पालन करें:** समुद्र तटों, नदी के किनारों, क्षतिग्रस्त इमारतों या अस्थिर संरचनाओं से दूर रहें, और फंसे हुए व्यक्तियों के बारे में तुरंत बचाव दल को सूचित करें।

कामचटका: एक उच्च-जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र

- रूस के सुदूर पूर्व में, कामचटका प्रायद्वीप पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।
- इस क्षेत्र में 2020, 2006, 1959, 1952 और 1923 सहित कई शक्तिशाली भूकंप आए हैं, जिनमें से कई सुनामी के रूप में सामने आए।
- ओखोटस्क माइक्रोप्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट का अवतलन इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि का कारण है।
- प्लेट सीमाओं पर अवतलन की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा तनाव उत्पन्न होता है, जिसमें एक सघन टेक्टोनिक प्लेट एक हल्की प्लेट के नीचे गति करती है।
- लगभग 10 किमी की गहराई पर, कुरील-कामचटका ट्रेंच इसी टेक्टोनिक अंतःक्रिया का परिणाम है।

कामचटका और प्रशांत अग्नि वलय

- प्रशांत प्लेट को घेरे हुए, प्रबल ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि वाला एक घोड़े की नाल के आकार का वलय, अग्नि वलय, कामचटका प्रायद्वीप को भी घेरे हुए है।
- पृथ्वी पर सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक, यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है और यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और अन्य सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं को रेखांकित करता है।
- लगातार हो रहे टेक्टोनिक परिवर्तनों के कारण, अग्नि वलय बनाने वाले 15 से अधिक देश—जिनमें अमेरिका, चिली, इंडोनेशिया, जापान, रूस और फिलीपींस शामिल हैं—अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का अनुभव करते हैं।

सबसे शक्तिशाली भूकंप अग्नि वलय में आते हैं

मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल (Mw) के अनुसार, 1900 के बाद से दुनिया भर में मापे गए सबसे शक्तिशाली भूकंप

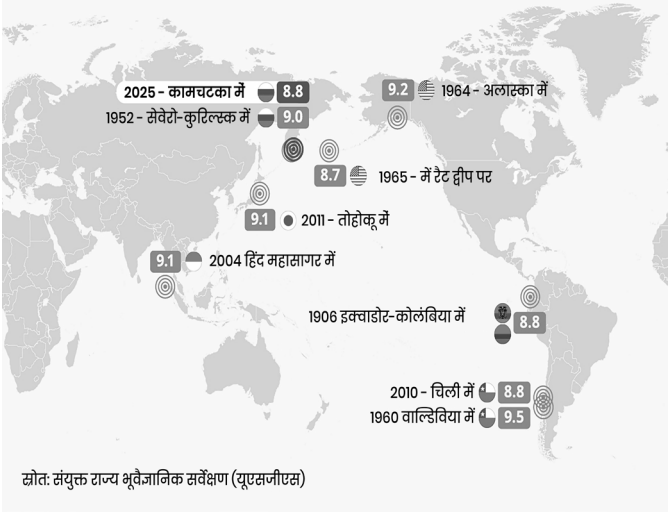

स्रोत: संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस)

वैश्विक भूकंप क्षेत्र और उनका प्रभाव

- लगभग 80% महत्वपूर्ण भूकंप प्रशांत महासागर के परिक्षेत्र में आते हैं, जिसे अक्सर अग्नि वलय के रूप में जाना जाता है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाता है।
- अल्पाइड बेल्ट, जो इंडोनेशिया से हिमालय और तुर्की तक फैला है, दूसरा सबसे सक्रिय क्षेत्र है और 15-17% भूकंपों के लिए ज़िम्मेदार है।
- मध्य-अटलांटिक कटक, तीसरा प्रमुख क्षेत्र, सतह के नीचे स्थित है और मध्यम, कम शक्तिशाली भूकंप उत्पन्न करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रशांत अग्नि वलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दुनिया के 80% से अधिक सबसे बड़े भूकंपों के लिए ज़िम्मेदार है।
2. इसकी लंबाई 40,000 किमी से अधिक है।

3. यह केवल भूकंपों से जुड़ा है, ज्वालामुखी गतिविधि से नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (द)

राइसोटोप परियोजना (RHISOTOPE PROJECT)

चर्चा में क्यों: राइजोटोप परियोजना, रेडियोधर्मी समस्थानिकों (रेडियोआइसोटोप्स) का उपयोग करने वाला एक रचनात्मक गैंडा विरोधी अवैध शिकार कार्यक्रम है, जिसे हाल ही में एक दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था।

मुख्य विवरण

- वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में, पाँच गैंडों को रेडियोधर्मी समस्थानिकों के इंजेक्शन दिए गए।
- शोधकर्ताओं का दावा है कि हालाँकि सींग मनुष्यों के लिए "बेकार" और "ज़हरीले" हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से गैंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।
- रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर (RPM), जो वर्तमान में दुनिया भर की सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अनधिकृत परमाणु वस्तुओं का पता लगाने के लिए लगाए गए हैं, रेडियोधर्मी समस्थानिकों की अल्प मात्रा से चिह्नित गैंडे के सींगों का शीघ्र पता लगा सकते हैं, जिससे अंततः सीमा शुल्क अधिकारियों को तस्करी किए गए सींगों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- रेडियोधर्मी पहचानकर्ता, सींगों को अवैध व्यापार में कम आकर्षक और तस्करों के लिए हानिकारक बनाकर अवैध शिकार को रोकते हैं।

आइसोटोप टैगिंग कैसे काम करती है?

- IAEA रेडियोधर्मी आइसोटोप, जिन्हें रेडियोआइसोटोप भी कहा जाता है, को तत्वों के अस्थिर रूपों के रूप में परिभाषित करता है जो अधिक स्थिर रूपों में बदलने के लिए विकिरण उत्सर्जित करते हैं।
- इन्हें रिएक्टरों या त्वरक (जैसे, कोबाल्ट-60, आयोडीन-131) में कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से (जैसे, यूरेनियम-238, कार्बन-14) बनाया जा सकता है।
- विकिरण को ट्रैक किया जा सकता है और आमतौर पर यह जिस पदार्थ पर पड़ता है उसे बदल देता है।

वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व

- दक्षिण अफ्रीकी प्रांत लिम्पोपो का बुशवेल्ड खंड वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व का घर है।
- इसमें निम्न आर्थिक गतिविधि वाली कम मिट्टी, ढलान और निचली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं।

अवैध शिकार का संकट

- एशियाई पारंपरिक चिकित्सा में गैंडे के सींगों की मांग और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में इनकी व्यापक अवैध शिकार के कारण, दुनिया भर में गैंडों की संख्या 20वीं सदी के शुरुआती 500,000 से घटकर आज केवल 27,000 रह गई है।
- केवल 2025 की शुरुआत में ही 103 अवैध शिकार की घटनाओं के साथ, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है, पिछले दस वर्षों में लगभग 10,000 गैंडों को खो चुका है।
- सींग हटाने के विपरीत, जो अवैध शिकार को कम करने में मददगार तो है, लेकिन गैंडों के समाजीकरण और उनके क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, राइसोटोप परियोजना एक आदर्श समाधान नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गैंडों के व्यवहार को बदले बिना एक शक्तिशाली निवारक हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

राइज़ोटोप परियोजना

- **शुरूआत:** 2021
- **नेतृत्व:** विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय (विट्स विश्वविद्यालय), जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका
- **उद्देश्य:** अवैध बाजार में सींगों का पता लगाने योग्य और उनका मूल्य कम करके गैंडों के अवैध शिकार पर अंकुश लगाना।

मुख्य क्रियाविधि

- **विधि:** गैंडे के सींगों (मानव नाखूनों की तरह केराटिन से बने) में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का सुरक्षित प्रवेश।
- **सुरक्षा:** गैंडों और मनुष्यों के लिए हानिरहित।
- **पता लगाना:** हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमाओं पर विकिरण निगरानी प्रणालियों के माध्यम से सींगों का पता लगाया जा सकता है।
- **बुनियादी ढाँचा:** मौजूदा वैश्विक परमाणु सुरक्षा नेटवर्क का उपयोग करता है।

महत्वपूर्ण क्यों?

- **दक्षिण अफ्रीका:** दुनिया की लगभग 80% गैंडों की आबादी का घर, लगभग 16,000 सफ़ेद गैंडे और लगभग 2,000 काले गैंडे।
- **अवैध शिकार का संकट:** कड़े कानूनों के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका में 2023 में 450 से ज़्यादा गैंडों की हत्या हुई।
- **कारक:** पूर्वी एशिया में उच्च माँग (पारंपरिक चिकित्सा, आभूषण, विलासिता की वस्तुएँ)।

महत्व

- परमाणु विज्ञान को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 15 - भूमि पर जीवन का समर्थन करता है।
- अन्य तस्करी की गई प्रजातियों (जैसे, हाथीदांत के लिए हाथी) के लिए प्रतिकृति बनाने की क्षमता।
- सींग काटने, सशस्त्र गश्त और बाड़ लगाने जैसे पारंपरिक तरीकों से परे अभिनव संरक्षण का प्रदर्शन करता है।

निष्कर्ष

इस परियोजना की सफलता पैंगोलिन और हाथियों जैसी अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए ऐसी रणनीतियों के द्वार खोल सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहा। यह कहाँ स्थित है?

(a) दक्षिण अफ्रीका (b) ब्राज़ील

(c) आयरलैंड (d) इटली

उत्तर: (द)

मरम्मत का अधिकार (RIGHT TO REPAIR)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत ने मरम्मत योग्यता सूचकांक (Repairability Index) के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अनौपचारिक मरम्मत ज्ञान को संरक्षित करने, स्थिरता और डिजिटल नीति ढांचे में मरम्मत को एकीकृत करने और मरम्मत को उपभोक्ता का अधिकार बनाने के लक्ष्यों के साथ ई-कचरा नियमों को संशोधित किया।

मुख्य विवरण

- भारत में डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए नीतिगत परिवेश तेज़ी से बदल रहा है।
- नवाचार, डेटा-संचालित शासन और आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता देने वाली पहल, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएआई) और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), लोकप्रिय हो रही हैं।
- हालाँकि, डिजिटल और नीतिगत संदर्भों में, वे प्रणालियाँ जो दैनिक जीवन, विशेष रूप से अनौपचारिक मरम्मत और रखरखाव अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म रूप से सहारा देती हैं, अनिवार्य रूप से अदृश्य बनी हुई हैं।

अनौपचारिक मरम्मत अर्थव्यवस्था (Informal repair economy)

- मांसपेशी स्मृति, मौन अवलोकन और वर्षों के व्यावहारिक सुधार भारत की मरम्मत विशेषज्ञता का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- गैजेट्स को ठीक करने के लिए मैनुअल की आवश्यकता के बजाय, वे समस्याओं की पहचान करने, पुर्जों का पुन: उपयोग करने और सीमाओं के भीतर काम करने के नए तरीके खोजने के लिए संवेदी संकेतों का उपयोग करते हैं।
- अनौपचारिक मरम्मत करने वालों को बाज़ारों, कौशल-निर्माण पहलों और विधायी ध्यान से तेजी से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि उत्पाद डिज़ाइन कम मरम्मत योग्य होते जा रहे हैं और उपभोक्ता व्यवहार निपटान की ओर बदल रहे हैं।
- यह ज्ञान आमतौर पर भारत के मरम्मत उद्योग में आधिकारिक प्रशिक्षण या प्रमाणन के बजाय पुनरावृत्ति, अवलोकन और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रसारित होता है।
- हाल ही में, यूरोपीय संघ ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनके तहत निर्माताओं को रखरखाव मैनुअल और प्रतिस्थापन पुर्जों को सुलभ बनाना अनिवार्य है।
- मरम्मत का अधिकार ढाँचा भारत में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 2022 में पेश किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 12 द्वारा मरम्मत को जिम्मेदार उपभोक्तावाद के एक घटक के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकारी पहल और कमियाँ

- **ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022:** ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) सिद्धांत स्थापित किया है, जो उत्पादकों को उपयोग के बाद उत्पादों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाता है। हालाँकि ये नियम पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इन नियमों में मरम्मत को निवारक उपाय के रूप में शायद ही उल्लेख किया गया है।
- **प्रशिक्षण**: औपचारिक औद्योगिक रोजगार के लिए अल्पकालिक प्रमाणपत्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसे राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रमों का मुख्य जोर हैं। मरम्मत श्रम, जिसमें रचनात्मकता, निदान क्षमता और तात्कालिकता की आवश्यकता होती है, इस प्रतिमान में आसानी से फिट नहीं बैठता है।
- **नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020**: भारतीय ज्ञान परंपराओं और अनुभवात्मक शिक्षा को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 व्यावहारिक मरम्मत कौशल को प्रोत्साहित या स्थानांतरित करने के तरीके पर सीमित दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- **मिशन लाइफ:** मरम्मत और पुन: उपयोग गतिविधियों को लाइफ (पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल) द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है; हालाँकि, इन स्थायी प्रथाओं को सक्षम करने वाले श्रमिकों को समर्थन देने के लिए, पूरक प्रयासों की आवश्यकता है।

अन्य चुनौतियाँ

- **उत्पाद डिज़ाइन**: जटिल, मरम्मत-योग्य न होने वाले उत्पाद डिज़ाइन और बदलते उपभोक्ता व्यवहार ने अनौपचारिक मरम्मतकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। डिस्पोजेबल संस्कृति और एआई-संचालित प्रणालियाँ उनके अलिखित, अंतर्निहित ज्ञान को मिटा रही हैं।
- **संस्थागत मान्यता का अभाव**: अनौपचारिक मरम्मतकर्ता अभी भी सामाजिक सुरक्षा या आधिकारिक श्रम बल के दायरे में नहीं आते हैं। डिजिटल वस्तुओं को अलग-अलग करने की कठिनाई के कारण पुन: उपयोग और सीखने की क्षमता सीमित है।

आगे की राह

- **अनमेकिंग के लिए डिज़ाइनिंग**: मरम्मत की क्षमता को खरीद नियमों और डिज़ाइन मानकों में शामिल किया जाना चाहिए। तकनीक को वास्तव में संधारणीय बनाने के लिए सार्वजनिक नीति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें कैसे बनाई, उपयोग, तोड़ी, मरम्मत और पुन: उपयोग की जाती हैं।
- **औपचारिक मान्यता**: अनौपचारिक मरम्मतकर्ताओं को ई-श्रम जैसे प्लेटफ़ॉर्म द्वारा वैध रूप से मान्यता दी जा सकती है, जो श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा संचालित है और सामाजिक सहायता और कौशल निर्माण कार्यक्रमों से जुड़ा है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**: मरम्मत कार्य की अकथित, निदानात्मक प्रकृति, जो मानकीकृत औद्योगिक टेम्पलेट्स से विचलित होती है, को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **मरम्मत समानता के लिए एआई का लाभ उठाना:** स्थानीय संदर्भ का त्याग किए बिना, अंतर्निहित मरम्मत ज्ञान को संरचित प्रशिक्षण डेटासेट में एन्कोड और परिवर्तित करने के लिए बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) का उपयोग करना। ऐसे मॉडल बनाना जो वास्तविक समय की मरम्मत निदान को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्णय न लें।
- **नीतिगत वास्तविकताओं के साथ तालमेल**: उत्पाद डिज़ाइन और खरीद दिशानिर्देशों में मरम्मत योग्यता मानकों को शामिल करना। तुरंत पुन: उपयोग और "डिज़ाइनिंग फॉर अनमेकिंग" को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

इस प्रकार, मरम्मत का अधिकार ग्राहकों को सशक्त बनाता है, स्वदेशी कौशल को बनाए रखता है और स्थिरता में सुधार करता है। नीति, उत्पाद डिज़ाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय से समावेशी, वृत्ताकार और समतामूलक प्रौद्योगिकी-संचालित विकास सुनिश्चित होता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विश्लेषण कीजिए कि भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था और स्थिरता, मरम्मत के अधिकार के ढाँचे से कैसे लाभान्वित हो सकती है। अनौपचारिक मरम्मत अर्थव्यवस्था को वर्तमान नीति के ढाँचे में कैसे शामिल किया जाए, इस पर सुझाव दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

इलेक्ट्रिक ब्लू बर्ड "ग्रैंडाला"

चर्चा में क्यों: ग्रैंडाला नामक एक चमकीले नीले रंग का पक्षी हिमाचल प्रदेश की सैंज घाटी में देखा गया।

ग्रैंडाला के बारे में

- ग्रैंडाला (ग्रैंडाला कोलीकलर) थ्रश वर्ग टर्डिडे का एक पक्षी है।
- यह ग्रैंडाला वंश की एकमात्र प्रजाति है।
- यह एक वृक्षीय कीटभक्षी है।
- यह पूर्वोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, और मुख्यतः हिमालय की निचली-मध्य ऊँचाई पर पाया जाता है।
- यह भूटान, भारत, म्यांमार और नेपाल के साथ-साथ तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है।
- ग्रैंडाला एक सामाजिक पक्षी है; यह कीड़े, फल और जामुन खाता है।
- हालाँकि ग्रैंडाला (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से नेपाल, सिक्किम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक) में एक आम पक्षी है, फिर भी इस पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।
- यह 3,000 से 5,000 मीटर की ऊँचाई पर अल्पाइन और उप-अल्पाइन क्षेत्रों में रहता है।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में 'सबसे कम चिंताजनक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

न्यू वुल्फ स्पाइडर प्रजाति

चर्चा में क्यों: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार पिराटुला एक्युमिनाटा प्रजाति की खोज की घोषणा की है, जो सुन्दरवन के सागर द्वीप पर भेड़िया मकड़ियों (वुल्फ स्पाइडर) का एक समूह है।

पिराटुला एक्यूमिनाटा के बारे में

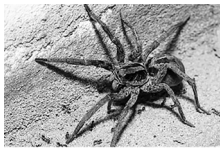

- यह नई पहचानी गई प्रजाति लाइकोसिडे परिवार से संबंधित है, जिसे आमतौर पर वुल्फ स्पाइडर के नाम से जाना जाता है।
- पिराटुला एक्यूमिनाटा ज़मीन पर रहने वाली और मज़बूत शरीर वाली होती है।
- यह आमतौर पर नम वातावरण पसंद करती है, जिसमें शामिल हैं:
  - ➢ गीले घास के मैदान
  - ➢ दलदल (मार्श)
  - ➢ तालाबों या नदियों जैसे मीठे पानी के निकायों के किनारे
- यह अन्य वुल्फ स्पाइडर की तुलना में छोटे से मध्यम आकार की होती है।
- प्रजाति का नाम "एक्यूमिनाटा" किसी नुकीली या पतली आकृति को दर्शाता है, जो संभवतः शरीर के आकार या किसी विशिष्ट रूपात्मक विशेषता का संकेत देता है।
- इसकी आठ आँखें होती हैं जो विशिष्ट लाइकोसिड शैली में व्यवस्थित होती हैं—तीन पंक्तियों में और आगे की ओर अच्छी दृष्टि के साथ।
- यह एक सक्रिय शिकारी है, शिकार को पकड़ने के लिए जाल नहीं बुनती।
- यह एकांतप्रिय और तेज़ गति से चलने वाली होती है, जिसे अक्सर ज़मीन पर दौड़ते हुए देखा जाता है।
- मादाएँ अपने अंडे की थैलियों को अपने स्पिनरेट्स से जोड़कर ले जाती हैं और अंडे से निकलने के बाद अपने बच्चों को अपनी पीठ पर भी ले जा सकती हैं।
- यह कीड़ों का शिकार करके एक प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में कार्य करती है।
- नम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में खाद्य श्रृंखला का हिस्सा, शिकारी और शिकार दोनों के रूप में

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नई खोजी गई वुल्फ स्पाइडर प्रजाति पिराटुला एक्यूमिनाटा के बारे में क्या महत्वपूर्ण है?

(a) यह दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात मकड़ी है।

(b) यह एक मरुस्थलीय पर्यावास में खोजी गई थी और पूरी तरह से अंधी है।

(c) यह भेड़िया मकड़ी की एक नई प्रजाति है जो अपनी विशिष्ट प्रजनन संरचनाओं और पर्यावास वरीयताओं के कारण पहचानी जाती है।

(d) यह उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ने के लिए बड़े गोलाकार जाल बुनने के लिए जानी जाती है।

उत्तर: (c)

सनफ्लावर सी स्टार (SUNFLOWER SEA STAR)

चर्चा में क्यों: जीवाणु "डेन्सोवायरस", 5 अरब से अधिक स्टारफिश की मृत्यु का जिम्मेदार।

सी स्टार या स्टारफिश के बारे में

- पाइक्नोपोडिया हेलियनथोइड्स, जिसे आमतौर पर सनफ्लावर सी स्टार के रूप में जाना जाता है, उत्तरपूर्वी प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला एक बड़ा सी स्टार है।
- अपने वंश की एकमात्र प्रजाति, यह दुनिया के सबसे बड़े समुद्री तारों में से एक है।
- वयस्क सन्फ्लावर सी स्टार में आमतौर पर 16 से 24 शाखाएँ होती हैं। इनका रंग अलग-अलग होता है।
- सनफ्लावर सी स्टार शिकारी और मांसाहारी होते हैं, जो ज़्यादातर समुद्री अर्चिन, क्लैम, समुद्री घोंघे और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों को खाते हैं।
- सनफ्लावर सी स्टार को IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इनका रंग चमकीले नारंगी, पीले-लाल से लेकर भूरे और कभी-कभी बैंगनी तक होता है, इनका शरीर मुलायम, मखमली बनावट वाला होता है और शक्तिशाली चूषकों वाली 5-24 भुजाएँ होती हैं।
- सनफ्लावर सी स्टार कभी अलास्का से दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया तक उत्तरपूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आम थे, और पुगेट साउंड, ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी कैलिफ़ोर्निया और दक्षिणी अलास्का में प्रमुख थे।

डेंसोवायरस और सन्फ्लावर सी स्टार की मृत्यु में इसकी भूमिका

- **डेंसोवायरस एक प्रकार का पार्वोवायरस है:** यह पार्वोविरिडे परिवार से संबंधित है और अकशेरुकी जीवों, जिनमें सी स्टार जैसे इकाइनोडर्म भी शामिल हैं, को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है।
- **सी स्टार क्षय रोग (SSWD) से संबंधित:** सी स्टार-संबंधित डेंसोवायरस (SSaDV) का सी स्टार क्षय रोग से गहरा संबंध है, जो विभिन्न सी स्टार प्रजातियों में बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनता है।
- **सनफ्लावर सी स्टार की बड़े पैमाने पर मृत्यु:** सनफ्लावर सी स्टार (पाइक्नोपोडिया हेलियनथोइड्स) की जनसंख्या में 2013 के आसपास उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट पर विनाशकारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण SSaDV था।
- **ऊतक क्षय और विघटन का कारण बनता है:** संक्रमित सी स्टार में घाव, अंगों का मुड़ना, शरीर का विघटन और अंततः मृत्यु जैसे लक्षण दिखाई देते हैं - जो SSWD के लक्षण हैं।
- **जलीय वातावरण में अत्यधिक संक्रामक:** यह वायरस समुद्री जल में आसानी से फैलता है, जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, खासकर सघन सी स्टार आबादी में।
- **तापमान संबंधी तनाव से प्रकोप और बिगड़ सकता है:** माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, समुद्र का बढ़ता तापमान, डेंसोवायरस संक्रमण के प्रसार और गंभीरता को बढ़ा सकता है।
- **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा:** समुद्री अर्चिन के एक प्रमुख शिकारी, सनफ्लावर सी स्टार के नष्ट होने से अर्चिन की आबादी में उछाल आया है और समुद्री शैवाल वनों का क्षरण हुआ है, जिससे संपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सनफ्लावर सी स्टार (पाइक्नोपोडिया हेलियनथोइड्स) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) यह उत्तरी अमेरिका की झीलों में पाई जाने वाली एक मीठे पानी की प्रजाति है।

(b) यह सी स्टार क्षय रोग से अप्रभावित है।

(c) यह सबसे बड़े और सबसे तेज़ सी स्टार में से एक है, जो समुद्री अर्चिन की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(d) यह मुख्य रूप से फिल्टर फीडिंग द्वारा प्लवक पर आधारित है।

उत्तर: (c)

ऊदबिलाव और तारा कछुए (OTTERS AND STAR TORTOISES)

चर्चा में क्यों: दो स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव और दस सितारा कछुए गुजरात के सूरत से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (एनजेडपी) में लाए गए हैं।

ऊदबिलाव के बारे में

- ऊदबिलाव मस्टेलिडे परिवार से संबंधित अर्ध-जलीय स्तनधारी हैं।
- ये अपने चंचल व्यवहार, बुद्धिमत्ता और बेहतरीन तैराकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- दुनिया भर में ऊदबिलाव की 13 प्रजातियाँ हैं, और भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजातियाँ ये हैं:
  - स्मूथ-कोटेड वाला ऊदबिलाव (लुट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा)
  - एशियाई छोटे-पंजे वाला ऊदबिलाव (एओनिक्स सिनेरियस)
  - यूरेशियन ऊदबिलाव (लुट्रा लुट्रा)
- **पर्यावास और वितरण:**
  - ऊदबिलाव आमतौर पर मीठे पानी की नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि और कभी-कभी तटीय क्षेत्रों के किनारे पाए जाते हैं।
  - भारत में, ये पश्चिमी घाट, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - पर्यावास हानि, प्रदूषण और अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव को IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
  - ऊदबिलाव को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

भारतीय तारा कछुआ (Indian Star Tortoise) के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** जियोचेलोन एलिगेंस
- भारतीय तारा कछुआ आकार में छोटा से मध्यम होता है और कछुआ प्रजातियों में से एक है।
- इसके गुंबददार कवच पर तारे जैसे चमकते हुए पैटर्न होते हैं।
- यह मुख्य रूप से भारत (विशेषकर गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश), श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

- ये शुष्क क्षेत्रों, घास के मैदानों और झाड़ीदार जंगलों में पाए जाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध।
  - CITES के परिशिष्ट I के अंतर्गत शामिल, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है।
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के अंतर्गत संरक्षित।
- **खतरे:**
  - अवैध पालतू व्यापार
  - पर्यावास हानि
  - धार्मिक या सजावटी उद्देश्यों के लिए तस्करी
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:**
  - ये बीज फैलाव और मृदा वातन में मदद करते हैं, जिससे उनके मूल शुष्क आवासों के स्वास्थ्य में योगदान मिलता है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में स्थानांतरण का महत्व

- यह निम्नलिखित क्षेत्रों में चल रहे प्रयासों को दर्शाता है:
  - वन्यजीव बचाव और पुनर्वास
  - संरक्षण के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग
  - जन शिक्षा और जागरूकता
  - वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रजाति प्रबंधन
- यह कदम प्रजनन कार्यक्रमों और आगंतुकों को कम ज्ञात लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में जागरूक करने में भी मदद कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावास और संरक्षण स्थिति के संदर्भ में ऊदबिलाव और भारतीय तारा कछुए के बीच सही अंतर दर्शाता है?

(a) ऊदबिलाव मरुस्थल में रहने वाले सरीसृप हैं, जबकि भारतीय तारा कछुए जलीय स्तनधारी हैं; दोनों को कम चिंताजनक प्रजातियों की सूची में रखा गया है।

(b) ऊदबिलाव मीठे पानी के पर्यावासों में पाए जाने वाले जलीय स्तनधारी हैं और इन्हें संवेदनशील प्रजातियों की सूची में रखा गया है, जबकि भारतीय तारा कछुए भूमि पर रहने वाले सरीसृप हैं जिन्हें भी सुभेद्य प्रजातियों की सूची में रखा गया है।

(c) ऊदबिलाव और भारतीय तारा कछुए दोनों उभयचर हैं जो आमतौर पर वर्षावनों में पाए जाते हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

(d) ऊदबिलाव और भारतीय तारा कछुए दोनों समुद्री प्रजातियाँ हैं और IUCN के अनुसार संकटग्रस्त नहीं हैं।

उत्तर: (b)

इंद्री लेमूर गट बैक्टीरिया

चर्चा में क्यों: पहली बार, शोधकर्ताओं ने इण्ड्री लेमुर के आंत्र माइक्रोबायोम का विश्लेषण किया है, जो मेडागास्कर की एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है।

माइक्रोबायोम के अध्ययन की आवश्यकता

- यह कठोर पद्धति न केवल इंद्री के अस्तित्व से जुड़ी विशिष्ट आंत माइक्रोबियल प्रजातियों को सूचीबद्ध करने में मदद करती है, बल्कि निम्नलिखित विषयों पर भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है:
  - आहार और सामाजिक संरचना माइक्रोबायोम को कैसे आकार देते हैं,
  - पोषण संबंधी स्वास्थ्य और आहार विशेषज्ञता के लिए संभावित निहितार्थ,
  - प्रजातियों के लचीलेपन में माइक्रोबियल वंशागति की भूमिका - संरक्षण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण।

कार्यप्रणाली

- **नमूना संग्रह:** विभिन्न सामाजिक समूहों से मल (और मृदा) का नमूना लेना।
- **नमूना संरक्षण:** OMNIgene.GUT बफर, इथेनॉल, रात भर जमाना, फिर -80 °C पर भंडारण।
- **डीएनए निष्कर्षण:** QIAGEN किट (जैसे, DNeasy PowerSoil)।
- **अनुक्रमण विधियाँ:** 16S rRNA एम्प्लिकॉन (MiSeq) और शॉटगन मेटाजीनोमिक्स (HiSeq या समकक्ष)।
- **जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण:** OTU क्लस्टरिंग (QIIME), जीनोम संयोजन, वर्गीकरण और कार्यात्मक रूपरेखा।
- **पारिस्थितिक विश्लेषण:** विविधता माप, सूक्ष्मजीव संचरण मूल्यांकन, सामाजिक बनाम पर्यावरणीय प्रभावों की तुलना।

मुख्य निष्कर्ष

- अध्ययन इंद्री माइक्रोबायोम में 48 विभिन्न जीवाणु प्रजातियाँ पाई गईं।
- इनमें से 47 पहले अज्ञात थीं और इंद्री के लिए विशिष्ट थीं।
- केवल एस्चेरिचिया कोली की पहचान की गई, जो मुख्यतः मानव बस्तियों के निकट समूहों में मौजूद था।
- यह दर्शाता है कि इंद्री के अपने विशिष्ट सूक्ष्मजीव समुदाय हैं।
- यदि इंद्री विलुप्त हो जाते हैं, तो इससे ये विशिष्ट जीवाणु भी लुप्त हो जाएँगे।

इंद्री लेमूर के बारे में

- **IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- **जनसंख्या:** <10,000 और घटती जा रही है।
- **प्रमुख खतरे:** पर्यावास हानि, विखंडन, अवैध शिकार।
- **संरक्षण:** IUCN लाल सूची स्थिति, CITES परिशिष्ट I, संरक्षित क्षेत्र।
- **संरक्षण कार्य:** सामुदायिक रेंजर, पर्यावास पुनर्स्थापन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार।
- **रूप और व्यवहार:** काला-सफेद कोट; छतरी पर चढ़ते या चिपके रहते समय सीधा खड़ा रहता है; छोटे, एकपत्नी परिवार समूहों में रहता है और जटिल वाचिक संचार प्रदर्शित करता है।
- **पर्यावास और जीवनशैली:** वनवासी पर्णभक्षी, मुख्य रूप से पत्ते, फल, बीज और फूल खाते हैं; संभवतः अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं।

निष्कर्ष

इंद्री लीमर पर माइक्रोबायोम अनुसंधान प्रजातियों के अस्तित्व, पारिस्थितिक अनुकूलन और सूक्ष्मजीवी वंशानुक्रम की भूमिका के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चूँकि पर्यावास हानि और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए ख़तरा हैं, ऐसे अध्ययन लक्षित संरक्षण प्रयासों को सूचित कर सकते हैं, जिससे लुप्तप्राय जानवरों और उनके आवश्यक सूक्ष्मजीवी सहयोगियों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इंद्री लीमर गट बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जाता है?

(a) रक्त का नमूना (b) बाल का नमूना

(c) मल का नमूना (d) त्वचा का स्वाब

उत्तर: (c)

सीबकथॉर्न और हिमालयन बकव्हीट

चर्चा में क्यों: लद्दाख के शीत मरुस्थल में उगाए गए सीबकथॉर्न और हिमालयन बकव्हीट के बीज नासा के क्रू-11 मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए गए प्रयोगों का हिस्सा हैं।

उद्देश्य

- **अंतरिक्ष कृषि तत्परता:** आकलन करना कि क्या ये मज़बूत फ़सलें अंतरिक्ष के वातावरण के अनुकूल हो सकती हैं और चंद्रमा या मंगल जैसे अलौकिक स्थानों पर उगाई जा सकती हैं।
- **अंकुरण-पूर्व परिवर्तनों को समझना:** देखना कि बीजों के अंकुरित होने से पहले ही, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जीन अभिव्यक्ति और चयापचय कैसे बदल जाते हैं।
- **पृथ्वी के लिए फ़सल सुधार:** पृथ्वी पर चरम या निम्नीकृत परिस्थितियों (विशेषकर लद्दाख जैसे शुष्क, ठंडे क्षेत्रों) के अनुकूल जलवायु-प्रतिरोधी, पोषक तत्वों से भरपूर फ़सलें विकसित करने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करना।
- **स्वदेशी सुपरफ़ूड्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना:** लद्दाख की अनूठी फ़सलों जैसे सीबकथॉर्न और टार्टरी बकव्हीट को संधारणीय, उच्च-पोषण वाले खाद्य स्रोतों के मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** प्रोटोप्लेनेट जैसे भारतीय स्टार्ट-अप और जगुआर स्पेस जैसी वैश्विक फर्मों को शामिल करते हुए, सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना।

वापसी और संभावनाएँ

- ये बीज क्रू-10 के साथ पृथ्वी पर वापस आने से पहले लगभग एक सप्ताह तक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रहे, और अब भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं।
- अपेक्षित अंतर्दृष्टि में शामिल हैं:
  - ➢ अंतरिक्ष स्थितियों से प्रेरित आनुवंशिक या संरचनात्मक परिवर्तनों की पहचान।
  - ➢ अनुकूलन की अंतर्दृष्टि जो भविष्य में अंतरिक्ष कृषि के साथ-साथ पृथ्वी पर तनाव-सहनशील फसलों के विकास को सूचित कर सकती है।

अध्ययन का महत्व

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - कृषि:** अंतरिक्ष कृषि में भविष्योन्मुखी प्रयोगों और दीर्घकालिक मिशनों के लिए खाद्य सुरक्षा की खोज को प्रदर्शित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र:** बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप प्रोटोप्लेनेट के माध्यम से भारत की भागीदारी पर प्रकाश डालता है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र के तालमेल को दर्शाता है।
- **पर्यावरण एवं जलवायु लचीलापन:** स्थलीय जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के साथ संरेखित, अंतर्निहित लचीलेपन वाली उच्च-ऊंचाई वाली फसलों पर जोर देता है।

आगे की राह

इस अंतरिक्ष-आधारित बीज प्रयोग के निष्कर्षों को जलवायु-प्रतिरोधी कृषि पर राष्ट्रीय अनुसंधान में एकीकृत किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष एजेंसियों, कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग से पृथ्वी और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों, दोनों के लिए तनाव-सहनशील, उच्च-पोषण वाली फसलें विकसित करने में मदद मिल सकती है। ऐसे अध्ययनों का विस्तार खगोल-जीव विज्ञान और अंतरिक्ष कृषि नवाचार में भारत की भूमिका को भी बढ़ावा देगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: लद्दाख से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक सीबकथॉर्न और हिमालयन बकव्हीट के बीज भेजने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

(a) मंगल ग्रह की मिट्टी में उगने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना।

(b) अंकुरण से पहले सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के तहत आनुवंशिक और उपापचयी व्यवहार में परिवर्तनों का अध्ययन करना।

(c) फसलों के आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण बनाना।

(d) निर्यात उद्देश्यों के लिए भारतीय और अमेरिकी बीज किस्मों की तुलना करना।

उत्तर: (b)

पवन फार्मों में पक्षियों की मृत्यु दर

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन में थार मरुस्थल में पवन फार्मों में पक्षियों की मृत्यु दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

मुख्य विवरण

- नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित यह अध्ययन राजस्थान के जैसलमेर में 3,000 वर्ग किलोमीटर के मरुस्थलीय भूभाग पर किया गया था, जहाँ लगभग 900 पवन टर्बाइन और 270 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ हैं।
- 90 यादृच्छिक रूप से चुने गए टर्बाइनों के 150 मीटर के दायरे में, शोधकर्ताओं ने सात बहु-मौसमी सर्वेक्षणों में 124 पक्षी शवों की पहचान की।
- शवों का पता लगाने में आने वाली कठिनाइयों, जैसे कि मृत जानवरों की खोज और भू-भाग की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित वार्षिक पक्षी मृत्यु दर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर में 4,464 पक्षियों की आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी।
- इसके विपरीत, नियंत्रण स्थानों पर, जो टर्बाइनों से 500-2,000 मीटर की दूरी पर थे, कोई पक्षी मृत्यु नहीं हुई, जो दर्शाता है कि टर्बाइन ही मुख्य कारण थे।
- दिलचस्प बात यह है कि कच्छ और दावणगेरे के पहले के आंकड़ों की तुलना में, जिसमें प्रति टर्बाइन प्रति वर्ष 0.47 पक्षी मृत्यु दिखाई गई थी, अध्ययन का मृत्यु दर अनुमान प्रति माह प्रति टर्बाइन 1.24 पक्षी मृत्यु का अनुमान कहीं अधिक है।

- थार मरुस्थल एक प्रसिद्ध शीतकालीन गंतव्य और मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक घटक है, जो पूरे यूरेशिया में पक्षियों के प्रवास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
- चूँकि शिकारी पक्षी दीर्घायु होते हैं और कम अंडे देते हैं, इसलिए किसी भी अतिरिक्त मृत्यु का समग्र रूप से उनकी आबादी पर प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- **पवन टर्बाइनों की पेंटिंग:** दृश्यता में सुधार के लिए किसी एक ब्लेड पर पेंटिंग करना जिससे शिकारी पक्षियों को पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद मिले।
- **पवन फार्मों को अनुकूलित रूप से बंद करना:** दिन या मौसम (प्रवासी मौसम) के विशिष्ट समय पर टर्बाइनों को बंद करने से सीधा संपर्क कम करने में मदद मिलेगी।
- **पवन फार्म का स्थान:** पवन फार्म के स्थान का बुद्धिमानी से चयन सबसे महत्वपूर्ण शमन उपाय है।
- **एवीआईएसटीईपी:** बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने ऊर्जा नियोजन के लिए ओपन-सोर्स एवियन सेंसिटिविटी टूल (एवीआईएसटीईपी) प्लेटफ़ॉर्म बनाया है ताकि डेवलपर्स को उन क्षेत्रों का पता लगाने और उनसे बचने में मदद मिल सके जहाँ पक्षी नवीकरणीय ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं। डेवलपर्स इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र पक्षी प्रजातियों के लिए "कम", "मध्यम", "उच्च" या "बहुत अधिक" संवेदनशील हैं।
- भारत के पूरे देश, इसके अपतटीय क्षेत्रों सहित, को "कम", "मध्यम", "उच्च" और "बहुत अधिक" पक्षी संवेदनशीलता स्तरों में वर्गीकृत किया गया है।
- हालांकि एवीआईएसटीईपी का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है, पवन फार्म की स्थापना से पहले जमीनी स्तर का अध्ययन आवश्यक है।

संकटग्रस्त प्रजातियाँ और क्षेत्रीय भेद्यता

- थार मरुस्थल पारिस्थितिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यूरेशिया में पक्षियों के प्रवास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
- इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र एक प्रसिद्ध शीतकालीन स्थल है, जिससे पवन ऊर्जा अवसंरचना के कारण पक्षियों की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।
- रैप्टर की ऊँचाई और ऊँची उड़ान पैटर्न के कारण, वे पवन टरबाइन ब्लेड से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
- ये मृत्यु दर जनसंख्या-स्तर पर प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए।

इकाई 5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून

चर्चा में क्यों: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम महत्वपूर्ण मिशनों के माध्यम से तेजी से विकास का अनुभव कर रहे हैं; हालांकि, तकनीकी प्रगति के अलावा, देश अंतरिक्ष संचालन या गतिविधियों के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की स्थापना को भी प्राथमिकता दे रहा है।

अंतरिक्ष कानून

संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय (UNOOSA) कहता है कि अंतरिक्ष कानून में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियाँ, अभिसमय और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकसित नियम और विनियम शामिल हैं।

अंतरिक्ष कानून के प्रमुख तत्व (UNOOSA के अनुसार):

- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग।
- किसी भी एक राष्ट्र द्वारा बाह्य अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों का अधिग्रहण न करना।
- सभी देशों द्वारा बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग की स्वतंत्रता।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों (सरकारी या गैर-सरकारी) के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी और दायित्व।
- अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों के हानिकारक संदूषण से बचाव।

मुख्य बिंदु

- **संधि और कानून के बीच अंतर:** भारत ने बाह्य अंतरिक्ष संधि, उत्तरदायित्व अभिसमय और पंजीकरण अभिसमय जैसी प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों का अनुसमर्थन किया है। फिर भी, इन अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए घरेलू कानूनों का लागू होना आवश्यक है।
- **मौजूदा नियामक ढाँचे की सीमाएँ:** वर्तमान नीतियाँ—जैसे भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, IN-SPACe मानदंड और प्रक्रियाएँ (NPG), और मानकों की सूची—मार्गदर्शन तो प्रदान करती हैं, लेकिन लागू करने योग्य कानूनी स्थिति का अभाव रखती हैं। IN-SPACe, जो एक नियामक भूमिका निभाता है, वैधानिक प्राधिकरण के बिना संचालित होता है।
- **नियामक अस्पष्टता और विखंडन:** कई मंत्रालय—अंतरिक्ष विभाग (DoS), रक्षा, दूरसंचार, वाणिज्य—अंतरिक्ष अनुमोदनों में शामिल हैं, जिसके कारण ओवरलैप, देरी और निवेशक भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

बढ़ती व्यावसायिक भागीदारी के बीच विनियमन की आवश्यकता:

- **लाइसेंसिंग एवं नियामक प्राधिकरण (कौन प्रक्षेपण कर सकता है, किस समय-सीमा के साथ, किन मानदंडों के तहत):** निजी अंतरिक्ष गतिविधियों की मंज़ूरी के लिए नोडल निकाय, IN-SPACe, वर्तमान में बिना किसी कानूनी समर्थन के कार्य करता है, जिससे उसके निर्णयों को न्यायिक चुनौती मिल सकती है।
- **दायित्व एवं बीमा (धाराओं और वित्तीय उत्तरदायित्व को परिभाषित करना):** भारत अपने अंतरिक्ष पिंडों से होने वाले नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी है—भले ही वे निजी फर्मों द्वारा प्रक्षेपित किए गए हों। कानूनी मानदंडों के बिना, मुआवज़ा निर्धारित करना और किफायती बीमा प्राप्त करना अनिश्चित बना हुआ है।
- एफडीआई मानदंड (उपग्रह खंडों में संभावित रूप से 100% स्वचालित मार्ग की अनुमति)
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (नवाचार की रक्षा के लिए):** अस्पष्ट स्वामित्व अधिकार और अस्पष्ट एफडीआई मानदंड नवाचार में बाधा डालते हैं और निवेश को हतोत्साहित करते हैं।
- **अंतरिक्ष मलबा शमन एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल (तकनीकी और कानूनी उपाय, स्वच्छता मानदंड):** मलबा शमन, जीवन-काल समाप्ति निपटान (end-of-life disposal) और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दे अभी भी अनियमित हैं।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करेगा।
- निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा और पूंजी आकर्षित करेगा।
- स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा और प्रतिभा पलायन को रोकेगा।
- दुर्घटनाओं या कक्षीय दुर्घटनाओं के मामले में ज़िम्मेदारी की स्पष्टता प्रदान करेगा।
- वैश्विक मानदंडों के अनुरूप सतत और सुरक्षित विकास का समर्थन करेगा।

कानूनी अपर्याप्तता के परिणाम

- **निवेशकों की हिचकिचाहट:** कानूनी निश्चितता और बीमा तंत्र का अभाव घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को रोकता है, जिससे स्टार्टअप्स को स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **भू-राजनीतिक भेद्यता:** विशेष रूप से अन्य देशों द्वारा बढ़ता अंतरिक्ष सैन्यीकरण, भारत के रणनीतिक क्षेत्र में कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **अनुपालन जोखिम:** एक कमजोर कानूनी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के गैर-अनुपालन का कारण बन सकता है, जिससे भारत को वैश्विक कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों और संस्थागत विश्लेषकों की सिफ़ारिशें

- **राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियाँ कानून लागू करना:** लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं, देयता मानदंडों, बीमा अधिदेशों, बौद्धिक संपदा सुरक्षा और मलबा विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक अधिनियम।
- **IN-SPACe के लिए वैधानिक सशक्तीकरण:** स्पष्ट समयसीमा और प्रवर्तन शक्ति के साथ एकल-खिड़की नियामक के रूप में कार्य करने हेतु स्वतंत्र कानूनी प्राधिकार प्रदान करना।
- **किफायती बीमा ढाँचा:** निजी कंपनियों के लिए बीमा की लागत कम करने हेतु पुनर्बीमा पूल या सरकार समर्थित योजनाएँ स्थापित करना।
- **उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंड:** रणनीतिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते

हुए, उपग्रह घटकों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वचालित मार्गों की अनुमति देना।

- **बौद्धिक संपदा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना:** प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच पेटेंट सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करना।
- **मलबा और सुरक्षा मानकों को लागू करना:** ज़िम्मेदार अंतरिक्ष संचालन के लिए UN/IADC मानदंडों को राष्ट्रीय कानून में एकीकृत करना।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

- **निजी क्षेत्र का सशक्तिकरण:** उपग्रहों, रॉकेटों, ग्राउंड स्टेशनों के निर्माण और वाणिज्यिक सेवाओं की पेशकश के लिए संपूर्ण अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलती है।
- **भूमिका स्पष्टता:**
  - ➢ **इसरो:** अनुसंधान एवं विकास और उन्नत मिशनों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ➢ **एनएसआईएल:** व्यावसायीकरण का प्रबंधन करना।
  - ➢ **IN-SPACe:** निजी संस्थाओं के लिए नियामक और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- **नियामक ढाँचा:** इन-स्पेस दिशानिर्देश जारी करेगा, गतिविधियों को अधिकृत करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- **डेटा एक्सेस:** ≥5m रिज़ॉल्यूशन वाला रिमोट सेंसिंग डेटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है; प्राधिकरण के साथ बेहतर डेटा उपलब्ध है।
- **रणनीतिक उद्देश्य:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का प्रयास।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

- भारत 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता है - जो किसी भी देश के लिए एक ऐतिहासिक पहला अवसर है।
- भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया।
- इसके साथ ही, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला चौथा देश (अमेरिका, रूस और चीन के बाद) बन गया।

निष्कर्ष

भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है—जिसके साथ निजी उद्यम, बढ़ती महत्वाकांक्षाएँ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी जुड़ी हुई है। हालाँकि, बिना कानूनी ढाँचे के तकनीक नाज़ुक है। भारत के संधि दायित्वों को निभाने, एक जीवंत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बाह्य अंतरिक्ष में सुरक्षित, संधारणीय और ज़िम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून न केवल वांछनीय है, बल्कि अनिवार्य भी है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, फिर भी इसका कानूनी ढाँचा पिछड़ रहा है। वैश्विक संधियों और उद्योग विकास के संदर्भ में व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" [250 शब्द] [15 अंक]

लीप-1 उपग्रह मिशन

चर्चा में क्यों: ध्रुव स्पेस के लीप-1 (LEAP-1) उपग्रह को इंडो-ऑस्ट्रेलियाई-अमेरिकी सहयोगी मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

मुख्य विवरण

- इस मिशन ने उन्नत एआई और हाइपरस्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन पेलोड का प्रदर्शन किया।
- यह मिशन ध्रुव स्पेस के लिए एक मील का पत्थर है, जो इसके पी-30 सैटेलाइट बस (satellite bus) की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और कंपनी को प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों से लेकर कक्षा में पेलोड की मेजबानी के लिए ग्राहक-संचालित तैनाती तक ले जाता है।

मिशन विवरण

- **मिशन का नाम:** महत्वाकांक्षी पेलोड के लिए प्रक्षेपण अभियान (LEAP-1) - 1।
- **प्रक्षेपण यान:** स्पेसएक्स फाल्कन 9।
- **प्रक्षेपण स्थल:** वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका।
- **प्राथमिक पेलोड:** ध्रुव स्पेस का P-30 सैटेलाइट बस।
- **होस्टेड पेलोड:**
  - ➢ **नेक्सस-01:** अकुला टेक द्वारा विकसित एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉड्यूल, जिसे रीयल-टाइम प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - ➢ **एस्पेरेसो (Esperesso):** एस्पर सैटेलाइट्स द्वारा OTR-2 के लिए विकसित एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग पेलोड, जिसका उद्देश्य विस्तृत पृथ्वी अवलोकन है।
- **एकीकृत सेवाएँ:** ध्रुव स्पेस ने मिशन प्रबंधन और डेटा डाउनलिंकिंग के लिए ग्राउंड स्टेशन-एज़-ए-सर्विस (GSaaS) और अपने एकीकृत अंतरिक्ष संचालन और कमांड सूट (ISOCS) की भी पेशकश की।
- **पेलोड क्षमता:** द्रव्यमान 15 किग्रा तक; आयतन 12U तक; 50W तक की शक्ति
- **सैटेलाइट बस:** P-30 - कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर, निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) के लिए डिज़ाइन किया गया।

मिशन के उद्देश्य

- कक्षा-अंतर्गत सत्यापन (IOV) और कक्षा-अंतर्गत प्रदर्शन (IOD) क्षमताओं का प्रदर्शन करना।
- छोटे उपग्रह प्लेटफार्मों पर बहु-पेलोड होस्टिंग को बढ़ावा देना।
- अंतरिक्ष में वाणिज्यिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।

सहयोग का महत्व

- **भारत:** हैदराबाद स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप, ध्रुव स्पेस, वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में प्रगति कर रहा है। LEAP-1 मिशन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों से ग्राहक-संचालित उपग्रह तैनाती की ओर संक्रमण करते हुए, इसका पहला व्यावसायिक प्रयास है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** यह मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है, जिसमें अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट उन्नत तकनीकों का योगदान दे रहे हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** प्रक्षेपण यान, स्पेसएक्स का फाल्कन 9, और वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस का प्रक्षेपण स्थल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों को सुगम बनाने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका का उदाहरण है।

सामरिक महत्व

- भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में निजी स्टार्टअप्स की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग और एआई-आधारित उपग्रह पेलोड में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी में योगदान देता है।
- स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जैसी वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर निर्भरता दर्शाता है।

आगे की राह

लीप-1 मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे की राह में इन सहयोगों को गहरा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष गतिविधियों को राष्ट्रीय और वैश्विक विकास प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना शामिल है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: LEAP-1 उपग्रह मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सहयोगी अंतरिक्ष मिशन है।
2. इस मिशन को इसरो के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था।
3. ध्रुव स्पेस ने इस मिशन के लिए सैटेलाइट बस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया था।
4. इस मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से चंद्र अन्वेषण है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

(द) :उत्तर

एआई-आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएँ

चर्चा में क्यों: अर्द्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत और वास्तविक समय जलवायु सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- इस पहल का उद्देश्य किसानों को बुवाई, सिंचाई और कीट नियंत्रण सहित आवश्यक निर्णयों के लिए त्वरित और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- ये सुझाव एआई-संचालित व्हाट्सएप बॉट जैसे सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संप्रेषित किए जाएँगे, जिससे दूर-दराज के कृषि क्षेत्रों में भी सरल पहुँच सुनिश्चित होगी।
- यह पहल शुरू में महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें छोटे किसानों को शामिल करने के लिए आईसीएआर की कृषि-मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयों (एएमएफयू) का उपयोग किया जाएगा।

परियोजना के बारे में

- इस पहल को, जिसे बड़े पैमाने पर जलवायु-लचीली कृषि के लिए एआई-संचालित संदर्भ-विशिष्ट कृषि-मौसम सलाहकार सेवाएँ कहा जाता है, भारत सरकार के मानसून मिशन III का समर्थन प्राप्त है।
- इसका उद्देश्य छोटे किसानों को सटीक, स्थानीयकृत मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी प्रदान करना है, जिससे उन्हें बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता के मद्देनजर सुविचारित विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके।
- केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA-ICAR), अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (ILRI), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भी इस पहल में शामिल हुए।
- इंटेलिजेंट सिस्टम्स एडवाइजरी टूल (iSAT), एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे ICRISAT और उसके सहयोगियों ने मानसून मिशन II के दौरान बनाया और परीक्षण किया था, जिसका मूल उद्देश्य जटिल जलवायु और कृषि संबंधी डेटा को व्यक्तिगत, विज्ञान-संचालित सलाह में परिवर्तित करना था। इस नई पहल के हिस्से के रूप में iSAT वर्तमान में पूरी तरह से परिचालित AI-संचालित टूल बनने के लिए संवर्द्धन के दौर से गुजर रहा है।
- ये तकनीक-संचालित प्लेटफ़ॉर्म हैं जो AI का उपयोग करके निम्नलिखित कार्य करते हैं:
  - ➢ डेटा का विश्लेषण (मृदा स्वास्थ्य, मौसम, फसल प्रकार, उपग्रह चित्र, बाज़ार रुझान)
  - ➢ किसानों को निम्नलिखित विषयों पर अनुकूलित सुझाव प्रदान करते हैं:
    - ♦ फसल चयन
    - ♦ उर्वरक उपयोग
    - ♦ सिंचाई
    - ♦ कीट और रोग प्रबंधन

फसल का समय और बाज़ार मूल्य

भारत के लिए महत्व

- **छोटे और सीमांत किसान (लगभग 86% भारतीय किसान):**
  - ➢ महंगे कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता के बिना व्यक्तिगत सहायता।
  - ➢ दूरस्थ क्षेत्रों में ज्ञान की कमी को पाटना।
- **जलवायु-अनुकूल कृषि:**
  - ➢ एआई उपकरण सूखे, बाढ़ और कीट प्रकोप का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं
- **उत्पादकता और आय में वृद्धि:**
  - ➢ अनुकूलित इनपुट उपयोग, कम लागत + बेहतर उपज
- **किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में सहायक:**
  - ➢ सूचित निर्णय लेने और बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देता है।

कुछ अन्य उदाहरण

प्लेटफ़ॉर्म/संगठन	विवरण
किसान ई-मित्र	एआई चैटबॉट बहुभाषी कृषि सलाह प्रदान करता है
माइक्रोसॉफ्ट और आईसीआरआईएसएटी	आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए एआई बुवाई ऐप
कृषि के लिए आईबीएम वाटसन निर्णय मंच	फसल नियोजन और कीट पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त

क्रॉपिन (Cropin)	एआई-आधारित कृषि निगरानी और सलाह
नीति आयोग + गूगल	परिशुद्ध कृषि के लिए एआई साझेदारी
फसल (Fasal)	मौसम-आधारित सिंचाई/कीट अलर्ट के लिए AI-IoT कृषि विश्लेषण

चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफ़ोन/इंटरनेट तक सीमित पहुँच।
- **भाषा और साक्षरता बाधाएँ:** एआई मॉडल स्थानीय बोलियों का समर्थन नहीं कर सकते।
- **डेटा गोपनीयता और स्वामित्व:** किसानों के डेटा के दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ।
- **मापनीयता:** कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए मॉडलों में सुधार की आवश्यकता।
- **विश्वास की कमी:** किसान शुरुआत में तकनीक-आधारित सलाह पर अविश्वास कर सकते हैं।

सुझाव और आगे की राह

- **डिजिटल अवसंरचना विकास:** ग्रामीण इंटरनेट और मोबाइल पहुँच का विस्तार।
- **एआई उपकरणों का स्थानीयकरण:** क्षेत्रीय भाषाओं और कृषि संदर्भों का समर्थन।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सरकारी स्तर पर तकनीकी कंपनियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- **किसान प्रशिक्षण और विस्तार:** एआई प्रणालियों में जागरूकता और विश्वास का निर्माण।
- **मुक्त डेटा नीतियाँ:** निष्पक्ष पहुँच और गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना:** वित्त पोषण और इनक्यूबेशन के माध्यम से कृषि-तकनीक नवाचार का समर्थन करना।

निष्कर्ष

एआई-आधारित व्यक्तिगत कृषि परामर्श सेवाएँ, किसानों को डेटा-आधारित, समयबद्ध और स्थानीय निर्णयों के माध्यम से सशक्त बनाकर भारतीय कृषि में क्रांति लाने की अपार क्षमता रखती हैं। उचित डिजिटल अवसंरचना, नीतिगत समर्थन और किसान प्रशिक्षण के साथ, ये प्रौद्योगिकियाँ संधारणीय कृषि सुनिश्चित कर सकती हैं, उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और ग्रामीण आय एवं खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय कृषि में बदलाव लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित व्यक्तिगत परामर्श सेवाओं के क्रियान्वयन में क्या अवसर और चुनौतियाँ हैं? [150 शब्द] [10 अंक]

इलेक्ट्रिक वाहन अवसर (ELECTRIC VEHICLE OPPORTUNITY)

चर्चा में क्यों: नीति आयोग ने एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की - "200 बिलियन डॉलर के अवसर का द्वार खोलना: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन"।

मुख्य विवरण

- रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र 2035 तक 200 अरब डॉलर तक का उत्पादन कर सकता है, जिससे रोज़गार सृजन, विनिर्माण में वृद्धि, तेल पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन में कमी आएगी।
- ईवी की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि हुई है: 2016 में लगभग 50,000 इकाइयों से बढ़कर 2024 में 20 लाख से अधिक हो गई है।
- वैश्विक स्तर पर, ईवी अपनाने की दर एक दशक में 20 गुना बढ़ गई है, और भारत में इसे अपनाने का स्तर 2020 में वैश्विक औसत के पाँचवें हिस्से से बढ़कर 2024 में दो-पाँचवें हिस्से तक पहुँच गया है।
- सरकार ने EV30@30 लक्ष्य निर्धारित किया है—2030 तक कुल वाहनों की बिक्री का 30% इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में प्राप्त करना।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)

IEMI, EV अपनाने और तैयारी में राज्य-स्तरीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्किंग टूल प्रदान करता है।

- **संकेतक:** 16 संकेतक तीन विषयों के अंतर्गत समूहीकृत:
  - परिवहन विद्युतीकरण प्रगति (50% भारांक)
  - चार्जिंग अवसंरचना तैयारी (30%)
  - अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति (20%)
- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ अग्रणी रहे।
- **प्रदर्शनकर्ता:** कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई।
- **आकांक्षी:** ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को अपनी नीतियों में तेजी लाने की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में EV-विशिष्ट नीतियाँ हैं, जो व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में चुनौतियाँ

1. आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च प्रारंभिक लागत।
2. चार्जिंग बुनियादी ढाँचे में कमी, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में।
3. बैटरी आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीयकरण संबंधी समस्याएँ, जिनमें आयात पर अत्यधिक निर्भरता है।
4. वित्तीय बाधाएँ, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए।
5. प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास में कमी, जिसके कारण भारत वैश्विक प्रमुखों से पीछे है।

आगे की राह

भारत के लिए 200 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिक वाहन अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए, एक रणनीतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:

- **प्रोत्साहन से अधिदेश की ओर बदलाव:** सब्सिडी से आगे बढ़ना और इलेक्ट्रिक वाहन खरीद अधिदेश, सख्त उत्सर्जन मानदंड और आईसीई वाहनों के लिए हतोत्साहन जैसे नियामक उपाय अपनाना।
- **नवीन वित्तपोषण मॉडल:** बसों, ट्रकों और उनके बेड़े के लिए बैटरी लीजिंग, प्रति उपयोग भुगतान मॉडल और समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण लाइनों को प्रोत्साहित करना।

- **चार्जिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करना:** शहर-स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन केंद्र स्थापित करें और तेज़ और धीमे दोनों चार्जर्स के साथ देशव्यापी चार्जिंग कवरेज सुनिश्चित करना।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना:** आयात पर निर्भरता कम करने और रोज़गार सृजित करने के लिए बैटरी, मोटर और कलपुर्जों के स्थानीय उत्पादन में निवेश करना।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार:** सॉलिड-स्टेट बैटरी, रीसाइक्लिंग और स्मार्ट चार्जिंग समाधान जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
- **सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण:** उत्सर्जन और शहरी गतिशीलता पर अधिकतम प्रभाव डालने के लिए ई-बसों और ई-रिक्शा को प्राथमिकता देना।
- **राज्य-केन्द्रित कार्यान्वयन:** राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए IEMI रैंकिंग का उपयोग करना, अग्रणी राज्यों को प्रोत्साहन देना तथा पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष

- नीति आयोग की रिपोर्ट और भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का अनावरण भारत की हरित गतिशीलता यात्रा में एक मील का पत्थर है। इलेक्ट्रिक वाहनों का परिवर्तन अब केवल जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। यह एक आर्थिक अवसर, रोज़गार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग है।
- मज़बूत नीतिगत आदेशों, वित्तीय नवाचार, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और तकनीकी नेतृत्व के मिश्रण से, भारत स्थायी गतिशीलता में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नीति आयोग की रिपोर्ट "भारत में इलेक्ट्रिक वाहन: 200 अरब डॉलर के अवसर का द्वार खोलना" और भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र 2035 तक 200 अरब डॉलर के आर्थिक अवसर खोल सकता है।
2. भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग अवसंरचना और अनुसंधान एवं नवाचार जैसे संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।
3. IEMI के अनुसार, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में शीर्ष तीन अग्रणी राज्यों में स्थान दिया गया है।
4. भारत का लक्ष्य अपने EV30@30 विजन के तहत 2030 तक सभी वाहनों की बिक्री का 30% इलेक्ट्रिक होना है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (द)

जैव उत्तेजक (BIO STIMULANT)

चर्चा में क्यों: कृषि मंत्रालय ने हाल ही में टमाटर, मिर्च, धान और प्याज सहित कई फसलों के लिए "बायोस्टिमुलेंट्स के विनिर्देशों" को अधिसूचित किया है।

जैव-उत्तेजक क्या हैं?

- इसे "एक पदार्थ या सूक्ष्मजीव या दोनों के संयोजन" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका प्राथमिक कार्य पौधों, बीजों या राइज़ोस्फीयर पर लागू होने पर पौधों में शारीरिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना और उनके पोषक तत्वों के अवशोषण, वृद्धि, उपज, पोषण दक्षता, फसल की गुणवत्ता और तनाव के प्रति सहनशीलता को बढ़ाना है... लेकिन इसमें कीटनाशक या पादप वृद्धि नियामक शामिल नहीं हैं, जो कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत विनियमित हैं।"
- इन्हें कभी-कभी समुद्री शैवाल के अर्क और पौधों के अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग करके बनाया जाता है।

भारत का बायोस्टिमुलेंट बाज़ार

- बाज़ार अनुसंधान फर्म फॉर्च्यून बिज़नेस इनसाइट्स द्वारा 2024 में भारतीय बायोस्टिमुलेंट बाज़ार का आकार 355.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है।
- इस बाज़ार के 15.64% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 2025 के 410.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2032 तक 1,135.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

जैव-उत्तेजकों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ)

- **वर्गीकरण:** एफसीओ ने अनुसूची VI में सूचीबद्ध जैव-उत्तेजकों को आठ समूहों में विभाजित किया, जिनमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, जैव रसायन, पादप अर्क और समुद्री शैवाल अर्क शामिल थे।
- **कीटनाशक सामग्री:** एफसीओ के अनुसार, किसी भी जैव-उत्तेजक में अधिकतम स्वीकार्य 0.01 पीपीएम से अधिक कीटनाशक नहीं हो सकता।
- **परीक्षण:** "जैव-प्रभावकारिता परीक्षण तीन कृषि-पारिस्थितिक स्थानों पर एक मौसम के लिए कम से कम तीन अलग-अलग खुराकों पर किए जाएँगे।"
- **केंद्रीय जैव-उत्तेजक समिति:** यह केंद्र को (i) एक नया जैव-उत्तेजक जोड़ने; (ii) विभिन्न जैव-उत्तेजकों के विनिर्देशों को परिभाषित करने; (iii) नमूना संग्रह और विश्लेषण तकनीकों; (iv) न्यूनतम प्रयोगशाला आवश्यकताओं; (v) जैव-उत्तेजक परीक्षण तकनीकों; और (vi) किसी भी अन्य मुद्दे पर सलाह देगी जो केंद्र सरकार इसके समक्ष प्रस्तुत करे।

जैव-उत्तेजक पदार्थों के संबंध में चिंताएँ

- **जबरन टैगिंग:** कई उर्वरक विक्रेता नियमित उर्वरकों के साथ जैव-उत्तेजक पदार्थों की "जबरन टैगिंग" कर रहे हैं।
- **अपर्याप्त लाभ:** किसानों ने जैव-उत्तेजक पदार्थों की अप्रभावीता और यूरिया तथा डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे सब्सिडी वाले उर्वरकों की जबरन खरीद की शिकायत की है।
- **विनियमन:** हाल ही में नियामक जाँच से पहले, बाजार में लगभग 30,000 अनियमित जैव-उत्तेजक उत्पाद थे, जिन्हें बिना सरकारी अनुमोदन के बेचा जा रहा था।

आगे की राह

- **नियामक निगरानी को मज़बूत करना:** नकली और अनियमित उत्पादों पर नकेल कसते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO, 1985) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल गुणवत्ता-सत्यापित जैव-उत्तेजक ही बेचे जाएँ।

- **वैज्ञानिक सत्यापन को बढ़ावा देना:** जैव-प्रभावकारिता परीक्षणों को और अधिक कठोर और पारदर्शी बनाएँ, जिसके परिणाम सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित हों।
- **किसान-केंद्रित दृष्टिकोण:** किसानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से जैव-उत्तेजकों को अपनाना सुनिश्चित करें, सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जैव-उत्तेजकों को "जबरन टैगिंग" से बचें और इसके बजाय फसल उपज, मृदा स्वास्थ्य और तनाव सहनशीलता पर लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन परियोजनाएँ और फील्ड स्कूल प्रदान करना।
- **सुरक्षा उपायों के साथ बाज़ार विकास:** जैव-उत्तेजक नवाचार में घरेलू अनुसंधान एवं विकास और स्टार्टअप्स को समर्थन देना, विशेष रूप से समुद्री शैवाल, फसल अवशेषों और सूक्ष्मजीव समाधानों जैसे स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करके।
- **आर्थिक और नीतिगत उपाय:** सत्यापित जैव-उत्तेजकों को किफ़ायती बनाने के लिए लक्षित सब्सिडी या कर प्रोत्साहन प्रदान करना और किसानों के शोषण को रोकने के लिए मूल्य विनियमन ढाँचे लागू करना।

निष्कर्ष

जैव-उत्तेजक, यदि सख्त नियमन, वैज्ञानिक सत्यापन और किसान जागरूकता द्वारा समर्थित हों, तो रसायनों पर निर्भरता कम हो सकती है और स्थायी फसल उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। उनकी सफलता नवाचार को किसान विश्वास और नीतिगत समर्थन के साथ एकीकृत करने में निहित है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में जैव-उत्तेजकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैव-उत्तेजकों को कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
2. उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) जैव-उत्तेजकों को विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, पादप अर्क और समुद्री शैवाल अर्क जैसे समूहों में वर्गीकृत करता है।
3. एफसीओ के अनुसार, किसी भी जैव-उत्तेजक में 0.01 पीपीएम से अधिक कीटनाशक सामग्री नहीं हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

निसार

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारतीय और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियों के पहले संयुक्त उपग्रह, नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) की मदद से लॉन्च किया गया।

निसार उपग्रह मिशन की मुख्य विशेषताएँ

- यह एल और एस बैंड में संचालित एक वैश्विक माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है जो पूर्णतः पोलरिमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा एकत्र कर सकता है।
- **एस-बैंड रडार प्रणाली:** एस-बैंड आवृत्तियाँ 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में होती हैं और इनका उपयोग रडार, मौसम पूर्वानुमान और कुछ संचार उपग्रहों के लिए किया जाता है।
- **एल-बैंड रडार प्रणाली:** एल-बैंड आवृत्तियाँ 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में होती हैं और इनका उपयोग उपग्रह नेविगेशन (जीपीएस), मोबाइल सैटेलाइट फोन और सैटेलाइट रेडियो के लिए किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, नासा कक्षा संचालन योजना और रडार संचालन योजना प्रदान करता है, जबकि इसरो उपग्रह कमांड और संचालन को संभालता है।
- नासा और इसरो द्वारा प्रदान किया गया ग्राउंड स्टेशन समर्थन प्राप्त छवियों को डाउनलोड करने में सक्षम बनाकर निसार मिशन की सहायता करेगा, जिन्हें आवश्यक प्रसंस्करण के बाद उपयोगकर्ता समुदाय में वितरित किया जाएगा।
- **मेनफ्रेम बस:** I3K संरचना, 3-अक्ष स्थिर अंतरिक्ष यान।
- **रिज़ॉल्यूशन:** 5-100 मीटर, लगभग 240 किमी का दृश्यमान क्षेत्र
- **कक्षा:** ध्रुवीय, सूर्य-समकालिक
- **प्रक्षेपक यान:** GSLV Mk-II
- **कक्षा की ऊँचाई:** 747 किमी
- **मिशन अवधि:** 5 वर्ष
- एक ही प्लेटफ़ॉर्म से S-बैंड और L-बैंड SAR का उपयोग करके एकत्रित डेटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

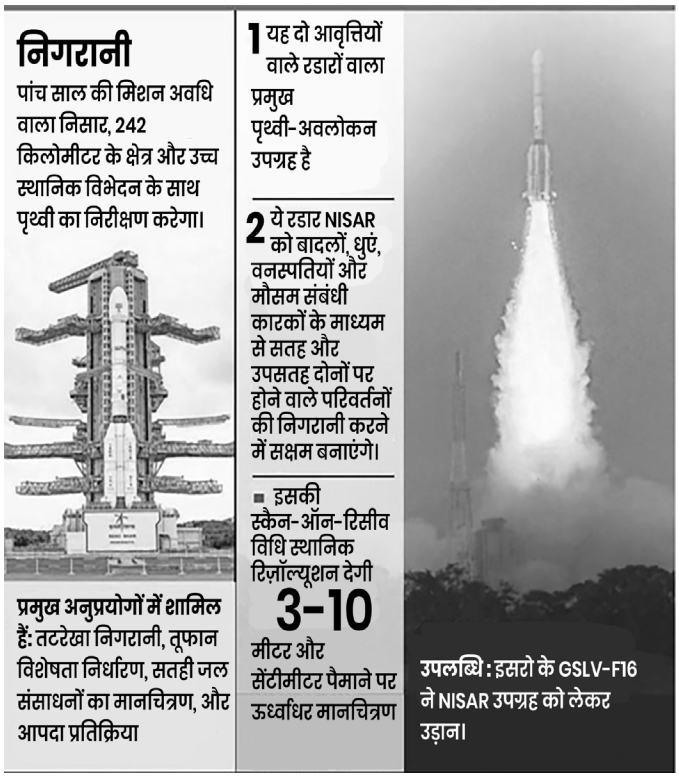

निसार उपग्रह मिशन की प्रमुख अनुप्रयोग विशेषताएँ

- हर बारह दिनों में, निसार दुनिया की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों, जिनमें द्वीप, समुद्री बर्फ और कुछ महासागर शामिल हैं, की तस्वीरें लेगा।
- निसार मिशन का मुख्य लक्ष्य भूमि और बर्फ के विरूपण, भूमि पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री क्षेत्रों की उन क्षेत्रों में जाँच करना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के वैज्ञानिक समुदायों के लिए साझा रुचि के हैं।
- निसार मिशन वुडी बायोमास और उसके उतार-चढ़ाव को मापने में भी मदद करेगा।
- सक्रिय फसलों के विस्तार में परिवर्तनों को ट्रैक करना और आर्द्रभूमि मानचित्र के आकार में बदलावों को पहचानना।
- ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें, समुद्री बर्फ की गतिशीलता और पर्वतीय ग्लेशियर, भूकंपीयता, ज्वालामुखी, भूस्खलन और उपसतही जलभृतों, हाइड्रोकार्बन भंडारों आदि में परिवर्तनों से जुड़े अवतलन और उत्थान के कारण भूमि सतह विरूपण के उदाहरण हैं।

निष्कर्ष

निसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच वैज्ञानिक सहयोग और अंतरिक्ष कूटनीति का एक प्रमुख उदाहरण है। यह प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए आवश्यक होगा क्योंकि यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन, सभी मौसमों में, दिन-रात की तस्वीरें प्रदान करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहला दोहरे बैंड वाला रडार इमेजिंग उपग्रह (एल और एस बैंड) है।
2. निसार को वास्तविक समय संचार प्रदान करने के लिए भूस्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है।
3. इस मिशन का उद्देश्य भूमि विरूपण, जैवभार, ध्रुवीय बर्फ की गतिशीलता और महासागरीय सतह में परिवर्तन का अध्ययन करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

मनोभ्रंश (DEMENTIA)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ द्वारा प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मनोभ्रंश विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

मुख्य विवरण

- 'मनोभ्रंश' कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो याददाश्त, सोचने की क्षमता और दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यह बीमारी समय के साथ बदतर होती जाती है और मुख्य रूप से वृद्ध लोगों को प्रभावित करती है।
- वैज्ञानिकों ने वर्षों से वायु प्रदूषण के कारण मनोभ्रंश होने के कारणों को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं।
- मनोभ्रंश की शुरुआत और अवधि ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से प्रभावित मानी जाती है, और माना जाता है कि ये दोनों ही वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, जो या तो सीधे मस्तिष्क में प्रवेश करता है या उन्हीं मार्गों से होकर गुजरता है जिनसे फेफड़े और हृदय संबंधी विकार होते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में 99% लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें प्रदूषकों का स्तर उच्च होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की दिशानिर्देश सीमा से अधिक होता है; निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रदूषण का स्तर अधिक है।

डिमेंशिया और तीन प्रचलित वायु प्रदूषक

- **PM2.5:** पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) मुख्यतः ताप विद्युत संयंत्रों और ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। अध्ययन में पाया गया कि PM2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ($\mu g/m^3$) से किसी व्यक्ति में डिमेंशिया का सापेक्ष जोखिम आधार रेखा से 17% बढ़ जाएगा।
- **NO_2:** नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत ऑटोमोबाइल, ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक कार्यों में जीवाश्म ईंधन का जलना है। अध्ययन में पाया गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर प्रत्येक 10 $\mu g/m^3$ से डिमेंशिया का सापेक्ष जोखिम 3% बढ़ जाता है।
- **कालिख (Soot):** काला कार्बन या कालिख PM2.5 लकड़ी जलाने और ऑटोमोबाइल उत्सर्जन प्रदूषकों सहित अन्य स्रोतों से उत्पन्न होता है। अध्ययन के अनुसार, लंबे समय तक कालिख के संपर्क में रहने पर प्रत्येक 1 $\mu g/m^3$ से डिमेंशिया का जोखिम 13% बढ़ जाता है।

संकेत और लक्षण

- स्मृति हानि, संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ, दृश्य बोध, आत्म-नियंत्रण, भाषाई या समस्या-समाधान संबंधी कठिनाइयाँ, और एकाग्रता एवं ध्यान केंद्रित करने की क्षमता।
- व्यक्तित्व में परिवर्तन, जैसे कि मनोदशा में उतार-चढ़ाव, चिंता, व्यामोह और निराशा।

चिकित्सा

- यद्यपि नैदानिक परीक्षणों के विभिन्न चरणों में कई नए उपचारों पर शोध किया जा रहा है, फिर भी वर्तमान में मनोभ्रंश का कोई इलाज नहीं है।

संज्ञानात्मक क्षति मनोभ्रंश (CIND) और इसके मनोभ्रंश में प्रगति के लिए एक जोखिम कारक के रूप में वायु प्रदूषण: एक अनुदैर्ध्य अध्ययन

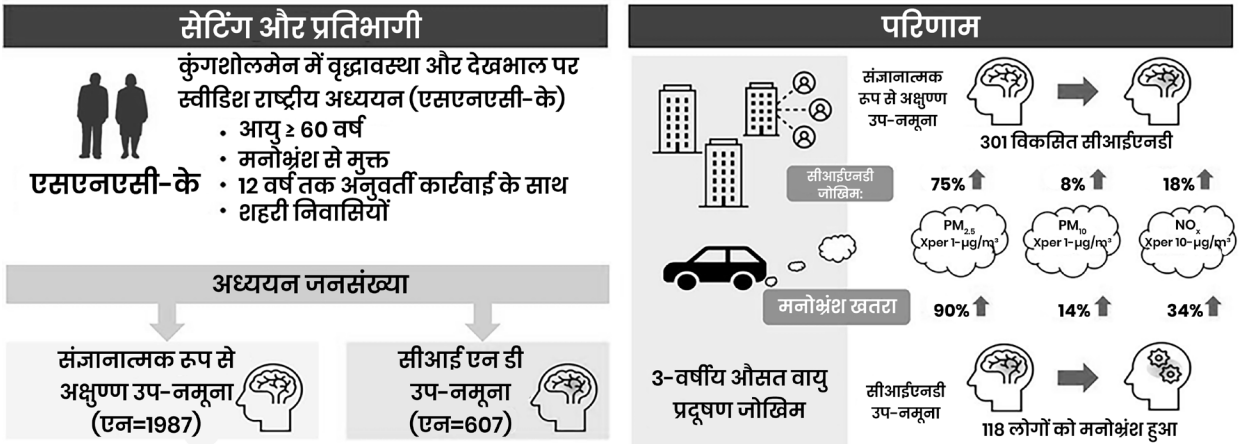

निष्कर्ष

लंबे समय तक परिवेशी वायु प्रदूषकों के संपर्क में रहने से CIND का जोखिम बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण CIND से मनोभ्रंश की ओर बढ़ने का भी एक जोखिम कारक है।

वैश्विक परिदृश्य

- वैश्विक स्तर पर वृद्ध लोगों में विकलांगता और निर्भरता के प्रमुख कारणों में से एक, मनोभ्रंश वर्तमान में सभी विकारों में मृत्यु का सातवाँ सबसे आम कारण है।
- मनोभ्रंश लगभग 5.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है, जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के 5.4% पुरुष और 8.1% महिलाएँ शामिल हैं।
- 2030 तक, यह आँकड़ा बढ़कर 7.8 करोड़ और 2050 तक 13.9 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

भारतीय पहल

- **अल्ज़ाइमर और संबंधित विकारों के लिए भारतीय सोसायटी**: यह स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त धन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और प्रत्येक राज्य में सरकार की मनोभ्रंश योजना या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**: इसका उद्देश्य सभी को समान, उचित मूल्य वाली और उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है जो उनकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह हों।

क्लोव्स सिंड्रोम (CLOVES SYNDROME)

चर्चा में क्यों: शोधकर्ताओं का मानना है कि क्लोव्स रोग PIK3CA जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।

मुख्य विवरण

- क्लोव्स सिंड्रोम, जिसके लिए ये अक्षर हैं: जन्मजात; लिपोमैटस; अतिवृद्धि; संवहनी विकृतियाँ; एपिडर्मल नेवी और स्पाइनल/कंकाल संबंधी विसंगतियाँ/स्कोलियोसिस, एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक विकार है।
- स्तन, फेफड़े, अंडाशय, पेट, मस्तिष्क, बृहदान्त्र और मलाशय के कैंसर कई प्रकार के कैंसरों में से हैं जिन्हें PIK3CA जीन में उत्परिवर्तन से जोड़ा गया है।
- PIK3CA-संबंधित अतिवृद्धि स्पेक्ट्रम, या PROS, बीमारियों का एक व्यापक समूह है जिसमें क्लोव्स सिंड्रोम, एक अतिवृद्धि विकार, शामिल है।
- यह वंशानुगत नहीं है और इसे प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

क्लोव्स के लक्षण

- उनके धड़ या धड़ पर वसायुक्त, मुलायम गांठें (आमतौर पर पेट, पार्श्व भाग या पीठ पर)।
- संवहनी (रक्त वाहिका) प्रणाली की विकृतियाँ, आमतौर पर लसीका संबंधी विकृति, सूजी हुई नसें, या इनका संयोजन।
- अंगों की असामान्यताएँ (आमतौर पर, बड़ी या अतिरिक्त उंगलियाँ या पैर की उंगलियाँ और चौड़े पैर या पैर की उंगलियाँ)
- रीढ़ की हड्डी की समस्याएँ (कई मामलों में रीढ़ की हड्डी का बंधा होना या स्कोलियोसिस)।
- त्वचा संबंधी विसंगतियाँ (आमतौर पर उभरे हुए, मस्से जैसे दाने जिन्हें एपिडर्मल नेवी कहा जाता है)।
- कम आम लक्षणों में कूल्हे या घुटने के जोड़ों की समस्याएँ और असामान्य रूप से छोटे या अनियमित आकार के गुर्दे शामिल हैं।

निदान

- विस्तृत चिकित्सा और पारिवारिक इतिहास की जाँच।
- संपूर्ण शारीरिक परीक्षण।
- चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई), कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसे इमेजिंग अध्ययन।

क्लोव्स सिंड्रोम का इलाज कैसे किया जाता है?

- **स्क्लेरोथेरेपी**: यह गैर-शल्य चिकित्सा तकनीक क्लोव्स से जुड़ी संवहनी असामान्यताओं के आकार और संभावित असुविधा को कम कर सकती है।
- **एम्बोलिज़ेशन**: क्लोव्स सिंड्रोम से जुड़ी धमनी-शिरा संबंधी विकृतियों और अन्य संवहनी असामान्यताओं को इस न्यूनतम आक्रामक तकनीक का उपयोग करके छोटा किया जा सकता है।
- **डीबल्किंग सर्जरी**: क्लोव्स सिंड्रोम के कारण बढ़े हुए ऊतकों और रक्त धमनियों को हटाने के लिए, कुछ बच्चों को डीबल्किंग सर्जरी की आवश्यकता होती है। डीबल्किंग एक महत्वपूर्ण, आक्रामक प्रक्रिया है, लेकिन जिन बच्चों की नसें गंभीर रूप से बढ़ी हुई हैं या अंगों की असामान्यताएँ हैं जो उनकी गतिशीलता को सीमित करती हैं, उनके लिए यह उनके जीवन को बदल सकती है।
- **आईवीसी फ़िल्टर**: क्लोव्स से पीड़ित बच्चों में, इन्फीरियर वेना कावा (आईवीसी) फ़िल्टर नामक एक उपकरण फुफ्फुसीय एम्बोलिज़्म से बचने में मदद कर सकता

है, जो संभावित रूप से घातक थक्के होते हैं जो रक्तप्रवाह से होकर फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं।

निष्कर्ष

क्लोव्स सिंड्रोम नामक एक असामान्य, गैर-वंशानुगत स्थिति PIK3CA उत्परिवर्तन के कारण होती है। जटिलता के बावजूद, शीघ्र निदान और दवा, सर्जरी और न्यूनतम आक्रामक प्रक्रियाओं के संयोजन से रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: क्लोव्स सिंड्रोम किस जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है?

(a) FGFR2 (b) BRCA1

(c) PIK3CA (d) TP53

उत्तर: (c)

जैव उर्वरित आलू

चर्चा में क्यों: पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जल्द ही भारत में अतिरिक्त लौह तत्व के साथ जैव-उर्वरक आलू पेश करेगा।

मुख्य विवरण

- लौह-सम्पन्न आलू की किस्मों पर वर्तमान में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और आईसीएआर-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला को बीजों के गुणन और किसानों को वितरण के उद्देश्य से जर्मप्लाज्म तक पहुँच प्रदान की गई है।
- यह आलू की किस्म पेरू में पहले ही उपलब्ध करा दी गई है और वर्तमान में भारत की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार इसका मूल्यांकन और संशोधन किया जा रहा है।
- सिंधु-गंगा के मैदानों को दुनिया के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हुए, सीआईपी उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर रहा है। यह केंद्र बीज की पहुँच और क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास में सुधार करेगा।

जैव-उर्वरक आलू

- साधारण आलूओं की तुलना में, जैव-उर्वरक आलू विशेष रूप से विकसित आलू होते हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, जस्ता और विटामिन सी) की सांद्रता अधिक होती है।
- जैव-उर्वरक आलू नामक एक नए प्रकार का आलू विकसित किया गया है जिसमें छिपी हुई भूख और आयरन की कमी से निपटने के लिए उच्च लौह तत्व होते हैं।
- ये आलू जैव प्रौद्योगिकी और पारंपरिक प्रजनन के उपयोग से उपज या स्वाद से समझौता किए बिना तैयार किए जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) इस परियोजना का प्रभारी है और कंद फसल अनुसंधान में विश्व में अग्रणी सीआईपी में स्थित है, जो भारत में पोषण-संवर्धित आलू को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

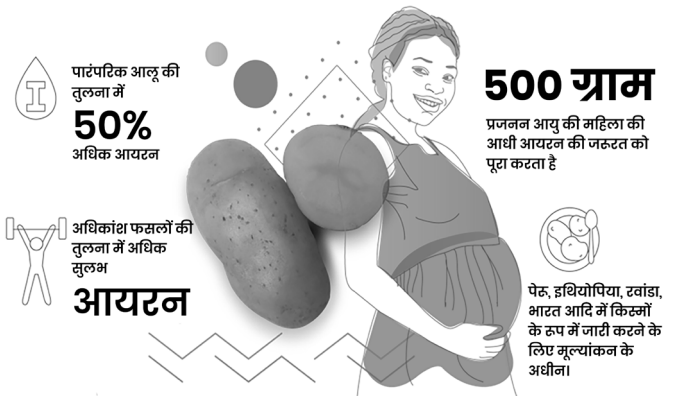

जैव-प्रबलीकरण

- पारंपरिक प्रजनन, कृषि तकनीकों या समकालीन जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उपभोक्ता-पसंदीदा गुणों को बनाए रखते हुए खाद्य फसलों के पोषक घनत्व को बढ़ाने की विधि को जैव-प्रबलीकरण कहा जाता है।
- यह मुख्य फसलों में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने में योगदान देता है।
- **लौह-समृद्ध फसलें**: चावल, सेम, शकरकंद, कसावा और फलियाँ।
- **जस्ता-समृद्ध फसलें**: इसमें मक्का, शकरकंद, चावल, सेम और गेहूं शामिल हैं।
- **प्रोविटामिन A फसलें**: इसमें कसावा, शकरकंद और मक्का शामिल हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), जो अक्सर चर्चा में रहता है, कहाँ स्थित है?

(a) कानपुर (b) शिमला

(c) धारवाड़ (d) जालंधर

उत्तर: (b)

एक्टोपिक गर्भावस्था (ECTOPIC PREGNANCY)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, उत्तर प्रदेश में एक्टोपिक गर्भावस्था का दुर्लभ मामला सामने आया, जिसमें भ्रूण यकृत में विकसित हो रहा था।

मुख्य विवरण

- एक्टोपिक गर्भावस्था तब होती है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के अंदर की बजाय, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में, बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है।
- दुर्लभ अवसरों पर, निषेचित अंडा गर्भाशय ग्रीवा, उदर गुहा या अंडाशय से चिपक सकता है।
- इस तरह की गर्भावस्थाएँ सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पातीं क्योंकि केवल गर्भाशय ही विकासशील भ्रूण को धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक्टोपिक गर्भावस्था के जोखिम कारक

- **आयु**: 35 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में एक्टोपिक गर्भावस्था का जोखिम सबसे अधिक होता है।
- **फैलोपियन ट्यूब की असामान्यताएँ**: फैलोपियन ट्यूब की विशिष्ट संरचना

में कोई भी परिवर्तन अन्यत्र एक्टोपिक गर्भावस्था या ट्यूबल गर्भावस्था की संभावना को बढ़ा सकता है।

- **पूर्व में हुई स्त्री रोग संबंधी सर्जरी**: पूर्व में हुई फैलोपियन ट्यूब सर्जरी, जैसे पुनर्निर्माण या ट्यूबल नसबंदी, निशान पैदा कर सकती हैं, ट्यूब की प्राकृतिक संरचना को बदल सकती हैं, और एक्टोपिक गर्भावस्था की संभावना को बढ़ा सकती हैं।
- **संक्रमण**: एक्टोपिक गर्भावस्था का एक अन्य जोखिम कारक पैल्विक संक्रमण है, जिसे अक्सर पैल्विक सूजन रोग के रूप में जाना जाता है। क्लैमाइडिया या एन. गोनोरिया जैसे यौन संचारित जीव आमतौर पर पैल्विक संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- **स्त्री रोग संबंधी विकार**: पैल्विक संक्रमणों की तरह, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉएड ट्यूमर, या पैल्विक निशान ऊतक (पेल्विक आसंजन) फैलोपियन ट्यूब को संकुचित कर सकते हैं और अंडों की गति में बाधा डाल सकते हैं, जिससे एक्टोपिक गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाता है।
- **सिगरेट पीना**: गर्भधारण के समय सिगरेट पीने से भी एक्टोपिक गर्भावस्था का खतरा बढ़ जाता है। यह खतरा खुराक पर निर्भर पाया गया है, यानी यह महिला की आदतों पर निर्भर करता है और जैसे-जैसे वह अधिक सिगरेट पीती है, यह बढ़ता जाता है।

एक्टोपिक गर्भावस्था का प्रभाव

- कुछ महिलाओं में कोई प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और वे एक्टोपिक गर्भावस्था से भ्रूण को स्वतः ही ग्रहण कर लेती हैं। इन मामलों में, महिला को बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के देखा जा सकता है।
- **रक्तस्राव**: एक्टोपिक गर्भावस्था का सबसे भयावह परिणाम, गर्भाशय का फटना, आंतरिक रक्तस्राव, पेट और श्रोणि में दर्द, आघात और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। परिणामस्वरूप, एक्टोपिक गर्भावस्था में रक्तस्राव के लिए तुरंत सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।
- **भविष्य की गर्भावस्थाएँ**: श्रोणि रक्त से निशान ऊतक का निर्माण भविष्य में गर्भधारण को और अधिक कठिन बना सकता है। इसके अतिरिक्त, निशान ऊतक भविष्य में एक्टोपिक गर्भावस्था की संभावना को बढ़ा सकता है।

एक्टोपिक गर्भावस्था का प्रबंधन और उपचार कैसे किया जाता है?

- कुछ एक्टोपिक गर्भावस्थाएँ बिना किसी सहायता के अपने आप समाप्त हो जाती हैं, जबकि अन्य में संभावित घातक रक्तस्राव के कारण तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती है।
- **मेथोट्रेक्सेट**: कैंसर-रोधी दवा मेथोट्रेक्सेट (रुमैट्रेक्स, ट्रेक्सॉल) का उपयोग चिकित्सा उपचार में किया जाता है। यह दवा प्लेसेंटा की विकासशील कोशिकाओं को नष्ट करके एक्टोपिक गर्भावस्था का गर्भपात कराती है।
- **लेप्रोस्कोपिक (कीहोल) सर्जरी**: लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए सर्वोत्तम मानक है। मामले के आधार पर, डॉक्टर या तो फैलोपियन ट्यूब को रखते हुए गर्भावस्था के ऊतक को हटा देते हैं या फैलोपियन ट्यूब को ही हटा देते हैं।

निष्कर्ष

एक्टोपिक गर्भावस्था, हालांकि असामान्य है, लेकिन अगर इसका पता न चले तो गर्भाशय के फटने और मातृ मृत्यु का गंभीर खतरा होता है। समय पर निदान, निवारक देखभाल और लेप्रोस्कोपिक प्रबंधन जीवन बचाने और प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अस्थानिक गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह तब होता है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित होता है।
2. इसके उपचार में कभी-कभी मेथोट्रेक्सेट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्भावस्था के ऊतकों की वृद्धि को रोकता है।
3. अस्थानिक गर्भावस्था के प्रबंधन के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को सर्वोत्तम माना जाता है।
4. अस्थानिक गर्भावस्था में भ्रूण सामान्य रूप से विकसित हो सकता है यदि वह उदर गुहा में प्रत्यारोपित हो।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (d)

ट्रेसर- ट्विन उपग्रह (TRACER- TWIN SATELLITES)

चर्चा में क्यों: हाल ही में, नासा के ट्रेसर्स (टेंडेम रिकनेक्शन और कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनिस्सेंस सैटेलाइट्स) मिशन को कैलिफोर्निया के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद कक्षा में तैनात किया गया था।

मुख्य विवरण

- ट्रेसर्स मिशन चुंबकीय पुनर्संयोजन और पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा।
- चुंबकीय पुनर्संयोजन और पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके प्रभावों की जाँच करने के लिए, यह ध्रुवीय कस्प्स के ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में उड़ान भरेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में कीप के आकार के छिद्र होते हैं।
- इस जुड़वां उपग्रह प्रणाली का उद्देश्य यह जाँच करना है कि पृथ्वी का चुंबकीय कवच, या चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य से आने वाली सौर हवा और आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है।
- वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कि पुनर्संयोजन कितनी तेज़ी से बदलता और विकसित होता है, ट्रेसर्स उपग्रह प्रतिवर्ष 3,000 बार चुंबकीय पुनर्संयोजन रिकॉर्ड करेंगे।
- ऐसा करके, वैज्ञानिकों को सौर गतिविधि के प्रभावों, जैसे पृथ्वी के विद्युत ग्रिड, जीपीएस सिस्टम और संचार उपग्रहों में व्यवधान, को बेहतर ढंग से समझने और उनके लिए तैयार होने की संभावना है।
- सूर्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए, वैज्ञानिक ट्रेसर्स के डेटा को सूर्य का अध्ययन करने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए अन्य नासा मिशनों की जानकारी के साथ एकीकृत करेंगे।

चुंबकीय पुनर्संयोजन क्या है?

- जब सौर वायु पृथ्वी से टकराती है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पुनर्संयोजन से गुज़र सकता है, जिससे इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे आसपास के कण तेज़ गति से प्रक्षेपित होते हैं।
- ऑरोरा जैसे आश्चर्यजनक प्रकाश प्रदर्शन उत्पन्न करने के अलावा, ये पुनर्संयोजन घटनाएँ जीपीएस सिस्टम, उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के काम में भी बाधा डाल सकती हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में प्रक्षेपित 'ट्रेसर्स मिशन' किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है?

(a) इसरो (b) जाक्सा (JAXA)

(c) नासा (d) ईएसए (ESA)

उत्तर: (c)

CHAHAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम → English, हिंदी, द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक विषय: राजनीति विज्ञान एवं अंतराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)

चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

इकाई 6

रक्षा एवं सुरक्षा

भारत में रक्षा उत्पादन

चर्चा में क्यों: वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 18% की मज़बूत वृद्धि दर्शाती है।

मुख्य विवरण

- निजी क्षेत्र ने कुल उत्पादन का 23% आपूर्ति की, जबकि शेष 77% रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से आया।
- देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी इसकी हिस्सेदारी में परिलक्षित होती है, जो वित्त वर्ष 2023-2024 में 21% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में 23% हो गई।
- व्यापक नियामक सुधारों, व्यापार करने में आसानी में सुधार और पिछले 10 वर्षों में स्वदेशीकरण पर जानबूझकर दिए गए ज़ोर के कारण, उद्योग के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने साल-दर-साल स्थिर विकास दिखाया है।

रक्षा स्वदेशीकरण का महत्व

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करके, भारत ज़रूरत के समय बाहरी विक्रेताओं या भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलावों के बंधन में बंधे बिना, तुरंत कार्रवाई करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है।
- **आधुनिकीकरण:** एक खतरनाक पड़ोस में, आधुनिकीकरण सेना को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार भी रखता है।
- **आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता:** एक मजबूत औद्योगिक आधार को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय निर्माताओं, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को समर्थन देकर, रक्षा स्वदेशीकरण आर्थिक विकास को गति देता है। यह रोज़गार सृजित करता है, कौशल विकसित करता है और विभिन्न उद्योगों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिनका महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ता है।
- **निर्यात क्षमता:** भारत का रक्षा निर्यात उसके रणनीतिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण घटक बन रहा है, जिससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है।
- **तकनीकी नवाचार:** घरेलू रक्षा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर, स्वदेशीकरण भारत को एक निष्क्रिय उपभोक्ता से अत्याधुनिक तकनीक के निर्माता के रूप में परिवर्तित होने में मदद करता है।

रक्षा उत्पादन में चुनौतियाँ

- **रक्षा बजट:** वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए ₹5.94 लाख करोड़ के रक्षा बजट के साथ, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। हालाँकि, यह बजट सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम है, जो चिंता का विषय है।
- **बुनियादी ढाँचे और क्षमता का अभाव:** रक्षा स्वदेशीकरण में उत्साहजनक प्रगति के बावजूद, घरेलू रक्षा क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और क्षमता का अभाव है।
- **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** निजी क्षेत्र को शामिल करने के प्रयासों के बावजूद, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) रक्षा उत्पादन के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं।
- **तकनीकी घाटा:** इंजन, अर्धचालक और सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों के विकास में गंभीर कमियों के कारण भारत अभी भी महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है।
- **जटिल खरीद प्रक्रियाएँ:** आधुनिकीकरण की पहल अक्सर कठिन अधिग्रहण प्रक्रियाओं, कई अनुमोदन स्तरों और समयबद्ध निर्णय लेने की कमी के कारण पटरी से उतर जाती है या विलंबित हो जाती है।

आगे की राह

- **निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा:** सुनिश्चित करना कि निजी रक्षा उद्यमों का कुल रक्षा उत्पादन में कम से कम 50% योगदान हो।
- **रक्षा आधुनिकीकरण कोष:** जैसा कि 2023-2024 के बजट में सुझाव दिया गया है, एक गैर-समाप्ति योग्य रक्षा आधुनिकीकरण कोष के निर्माण से प्रत्याशित आवश्यकताओं और उपलब्ध निधियों के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।
- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास को मज़बूत करना:** डीआरडीओ, वाणिज्यिक कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्ट-अप्स के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है।
- **रक्षा अधिग्रहण में सुधारों में तेज़ी:** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) के तहत, डिजिटल निगरानी उपकरणों और एकीकृत परियोजना टीमों का उपयोग करके खरीद समय को उल्लेखनीय रूप से कम किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अंततः, वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत का रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक स्पष्ट कदम दर्शाता है। भारत दीर्घकालिक सुधारों, बेहतर अनुसंधान एवं विकास, और त्वरित अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सहयोग से रक्षा निर्माण का एक विश्वव्यापी केंद्र बन सकता है और रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सामरिक स्वायत्तता की दिशा में एक कदम के रूप में भारत द्वारा रक्षा उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, तकनीकी निर्भरता और खरीद संबंधी अड़चनें अभी भी मौजूद हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

प्रलय मिसाइल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए।

मुख्य विवरण

- **स्वदेशी तकनीक:** प्रलय एक ठोस प्रणोदक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है। यह अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन का उपयोग करती है।
- **सहयोग:** डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र इमारत (हैदराबाद) ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों (बीडीएल, बीईएल, आदि) के साथ मिलकर इसे विकसित किया है।
- **रेंज:** इस मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।

प्रलय: सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल

प्रलय एक कैनिस्टरयुक्त सामरिक, सतह से सतह पर मार करने वाली, तथा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा युद्धक्षेत्र में उपयोग के लिए विकसित किया गया है।

इंजन: दो चरण वाला रॉकेट मोटर, तीसरे चरण वाला MaRV

गति: मैक 1 से 1.6

रेंज: 150-500 किमी

प्रक्षेप पथ: निम्न

मार्गदर्शन प्रणाली: जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली

प्रक्षेपण मंच: 8x8 बीईएमएल-टाट्रा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लांचर

द्रव्यमान: 5 टन (4.9 लंबा टन; 5.5 छोटा टन)

परिचालन सीमा: 150-500 किमी (93-311 मील)

हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद यह अपना रास्ता बदल सकता है और इसका पता लगाना मुश्किल होता है

इसे मोबाइल लांचर से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसमें नवीनतम नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स है

इसमें इंटरसेप्टर मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है

- **वारहेड क्षमता:** प्रलय विभिन्न लक्ष्यों पर विभिन्न प्रकार के वारहेड दाग सकता है। अपने पारंपरिक पेलोड (350-1,000 किलोग्राम) के कारण, इसमें बहुमुखी निवारक क्षमता है, जो उच्च-विस्फोटक विखंडन या भेदक वारहेड को सक्षम बनाता है।
- **गति और चपलता:** मैक 5-6 टर्मिनल गति प्राप्त की जाती है, और MaRV (मैन्युवरेबल री-एंट्री व्हीकल) तकनीक का उपयोग हवा में दिशा बदलने और अवरोधन से बचने के लिए किया जाता है।
- **लॉन्चपैड:** लॉन्च प्लेटफ़ॉर्म को तैनात करने के लिए रोड-मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चर (अशोक लेलैंड 12x12) का उपयोग किया जाता है, जो त्वरित स्थानांतरण और शूट-एंड-स्कूट क्षमताओं की अनुमति देता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रलय एक ठोस प्रणोदक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है।
2. इस मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
3. प्रलय मिसाइल मैक 5-6 टर्मिनल गति प्राप्त कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

आरएस-28 सरमत (RS-28 SARMAT)

चर्चा में क्यों: रूस वर्तमान में आरएस-28 सरमत नामक एक तरल ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसे नाटो ने सतन 2 (Satan 2) नाम दिया है।

मुख्य विवरण

- सरमत एक तीन-चरणीय, 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली, द्रव-ईंधन से चलने वाली मिसाइल है।
- **माप:** मिसाइल की लंबाई और व्यास क्रमशः 35.3 और 3 मीटर है।
- **पेलोड क्षमता:** सरमत विभिन्न प्रकार के आयुध ले जा सकता है और 10 टन तक का पेलोड ले जा सकता है।
- **गति:** 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति (लगभग मैक 20) है।
- **प्रक्षेपण के समय वजन:** 208.1 टन।
- रिपोर्टों के अनुसार, सरमत दुनिया भर में कई लक्ष्य-योग्य पुनः-प्रवेश वाहन पहुँचा सकता है।
- यह मिसाइल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक और किसी भी क्षेत्र से होकर उड़ान भर सकती है।

रूस सरमत आईसीबीएम का परीक्षण करेगा

रूस की नई अंतरमहाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम), अति-भारी थर्मोन्यूक्लियर हथियारों से लैस आरएस-28 सरमत, शीत युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे घातक सोवियत मिसाइल एसएस-18 की जगह लेगी।

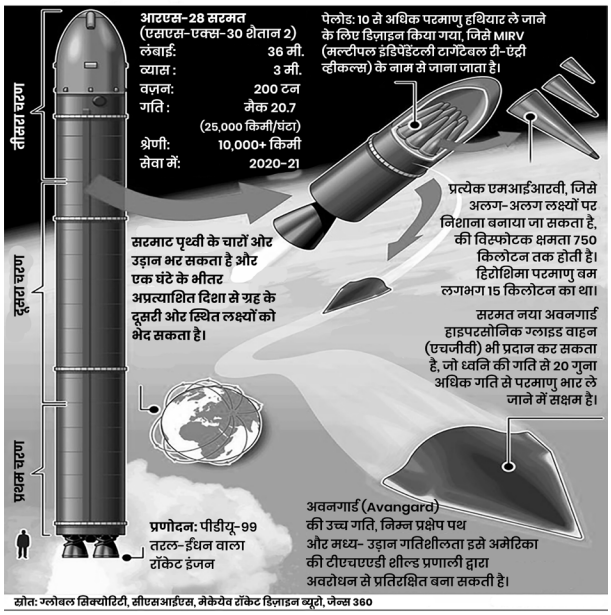

स्रोत: ग्लोबल सिक्योरिटी, सीएसआईएस, मेकेयेव रॉकेट डिज़ाइन ब्यूरो, जेन्स 360

ओरेशनिक मिसाइल

चर्चा में क्यों: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में घोषणा की कि रूस ने अपनी नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल, ओरेशनिक का उत्पादन शुरू कर दिया है।

ओरेशनिक मिसाइल के बारे में

- यह एक रूसी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- **गति:** यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 10 की गति तक पहुँचने में सक्षम है।
- **रेंज:** लगभग 5,500 किमी।
- **लक्ष्यीकरण और परिहार:** वायु रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए गतिशीलता के साथ डिज़ाइन किया गया।
- **एमआईआरवी तकनीक:** कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन (एमआईआरवी), एक ही मिसाइल को पारंपरिक या परमाणु हथियारों से एक साथ कई अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देते हैं।
- **पेलोड क्षमता:** छह से आठ हथियार ले जा सकता है।

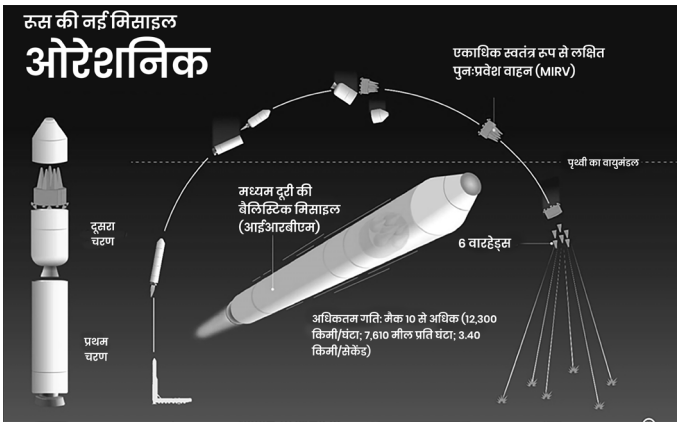

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रही ओरेशनिक मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है?

(a) संयुक्त राज्य अमेरिका (b) चीन

(c) रूस (d) उत्तर कोरिया

उत्तर: (c)

ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह

चर्चा में क्यों: इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने नासा के साथ अगले सहयोगी मिशन, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की।

ब्लूबर्ड उपग्रह के बारे में

- **निर्माता:** अमेरिका स्थित कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल ने इस अत्याधुनिक अमेरिकी संचार उपग्रह का निर्माण किया है।
- **सैटेलाइट-टू-स्मार्टफोन:** उपग्रह के अनोखे 64 वर्ग मीटर के एंटीना के कारण सीधे उपग्रह-से-स्मार्टफोन कनेक्शन संभव होंगे, जिसका वज़न लगभग 6,000 किलोग्राम है और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा।
- **डेटा ट्रांसमिशन:** ब्लूबर्ड उपग्रहों के बीम, जो 40 मेगाहर्ट्ज तक की क्षमता को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, 120 एमबीपीएस तक की अधिकतम डेटा ट्रांसमिशन गति को संभव बनाते हैं।
- **एलवीएम-3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3):** एएसटी स्पेसमोबाइल ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड उपग्रह, जिसका वज़न लगभग छह टन है, को एलवीएम3 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण इसरो द्वारा नासा के सहयोग से किया गया है।
2. यह पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित एक बड़े एंटीना के माध्यम से सीधे उपग्रह-से-स्मार्टफोन संचार को सक्षम बनाता है।
3. इसे भारत के LVM-3 (प्रक्षेपण यान मार्क-3) का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

इकाई 7

सामाजिक मुद्दे

किशोरों की निजता का अधिकार

चर्चा में क्यों: "किशोरों के निजता के अधिकार" मामले 2025 में स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किशोर कामुकता और POCSO अधिनियम के आवेदन/प्रवर्तन के आसपास बदलते कानूनी ढांचे पर प्रकाश डाला है।

निर्णय के मुख्य बिंदु

- यह मामला नाबालिगों की सुरक्षा और उनकी बढ़ती स्वायत्तता तथा किशोर संबंधों की जटिल प्रकृति को स्वीकार करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
- यह मामला न्यायिक सोच या दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक है, जिससे किशोर संबंधों पर लागू होने वाले POCSO जैसे कानूनों की प्रयोज्यता का पुनर्मूल्यांकन होता है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति के अनुभव पर, विशेष रूप से लड़की के दृष्टिकोण से, ज़ोर देना है, जो फैसले के व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 142

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष चल रहे किसी भी मामले या विषय में "पूर्ण न्याय" प्राप्त करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश जारी करने की अद्वितीय और असाधारण शक्ति प्रदान करता है।
- यह विवेकाधीन शक्ति न्यायालय को तकनीकी पहलुओं से आगे बढ़कर विधायी कमियों को दूर करने, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है, भले ही इसका अर्थ मौजूदा कानूनों की व्याख्या करना या उन्हें अस्थायी रूप से रद्द करना ही क्यों न हो।
- यह प्रावधान जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने और विधायी या कार्यकारी कार्रवाई की कमी होने पर हस्तक्षेप करने के लिए सौंपा गया था।

फैसले से संबंधित मुख्य विवरण

- **POCSO अधिनियम और किशोर यौन संबंध:** यह मामला किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों से संबंधित POCSO अधिनियम को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को उजागर करता है।
- **एक कल्याणकारी राज्य के दायित्व:** इस मामले में शामिल व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए एक "कल्याणकारी राज्य" के रूप में राज्य की ज़िम्मेदारी पर अदालत का ध्यान महत्वपूर्ण है।
- **व्यापक शिक्षा और सुधार की आवश्यकता:** यह फैसला किशोर यौन संबंधों की जटिलताओं को दूर करने के लिए व्यापक यौन शिक्षा और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
- **मौलिक अधिकार:** यह मामला इस बात की पुष्टि करता है कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, यहाँ तक कि किशोरों के लिए भी, हालाँकि इस पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- **डिजिटल गोपनीयता:** किशोरों के डेटा के संग्रह और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही के संबंध में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं को अदालत के निर्देश आज के डिजिटल परिदृश्य में प्रासंगिक हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून:** यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, जो सहमति से किशोरों की यौन गतिविधि को मान्यता देता है, और भारतीय कानूनी दृष्टिकोण के बीच असमानता को भी संबोधित करता है।

किशोर (Adolescent)

- भारत में, किशोर को 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बचपन से वयस्कता की ओर संक्रमण का अनुभव कर रहा होता है, जो शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास द्वारा स्पष्ट होता है।
- यह परिभाषा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम) और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

निजता का अधिकार

- भारत में निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, विकल्पों और शारीरिक स्वायत्तता को राज्य, संगठनों या व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है।
- इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में सर्वसम्मति से मान्यता दी गई थी।
- यह अधिकार गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत डेटा की मनमानी निगरानी या प्रकटीकरण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मामले के बारे में

- यह मामला पश्चिम बंगाल की एक 14 वर्षीय लड़की और एक 25 वर्षीय व्यक्ति से जुड़ा था, जिनकी बाद में शादी हो गई और 2021 में, जब लड़की 17 वर्ष की थी, एक बच्चे को जन्म दिया।
- उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उस पर अपहरण, बलात्कार, गंभीर यौन उत्पीड़न और बाल विवाह के आरोप में मुकदमा चलाया गया।
- POCSO विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में मानवीय आधार पर इस दोषसिद्धि को पलट दिया। इसने दंपति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया, जो यह नहीं समझते थे कि उनका रिश्ता एक अपराध है।
- उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि को बहाल रखा और लड़की की भलाई और उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया।
- समिति के निष्कर्षों ने कानूनी कार्यवाही से लड़की और उसके परिवार पर पड़ने वाले भावनात्मक और वित्तीय दबाव को उजागर किया।

- अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं देने का फैसला किया, यह स्वीकार करते हुए कि अगर उसे कैद किया जाता तो लड़की को संभावित नुकसान हो सकता था।

"किशोरों के निजता के अधिकार" के बारे में

- किशोरों के निजता के अधिकार का तात्पर्य माता-पिता, राज्य या संस्थाओं सहित अन्य लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप से किशोरों के निजी स्थान, विकल्पों और जानकारी की सुरक्षा से है।
- इसमें स्वास्थ्य, शरीर, रिश्तों और डिजिटल जीवन के मामलों में निजता शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त, यह अधिकार किशोरों की बढ़ती स्वायत्तता और भावनात्मक परिपक्वता का सम्मान करता है।
- न्यायालयों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि किशोरों के साथ ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए जिसके अधिकार विकसित हो रहे हैं, खासकर यौन स्वायत्तता और सहमति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

पोस्को अधिनियम के बारे में

- इसका अर्थ है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।
- यह भारत सरकार द्वारा बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति) को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं।

चिंताएँ और न्यायिक व्याख्या

- हाल ही में न्यायालयों ने सामान्य किशोर व्यवहार को अपराध मानने से बचने के लिए शोषणकारी दुर्व्यवहार और सहमति से बने किशोर संबंधों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- कुछ मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से बने संबंधों में शामिल किशोरों के निजता और स्वायत्तता के अधिकार को मान्यता देकर उदारता दिखाई है।

POCSO के तहत सहमति की उम्र में सुधार पर विचार क्यों किया जा रहा है?

- अदालतों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है जहाँ दोनों साथी नाबालिग हैं, या एक की उम्र 18 साल से थोड़ी ज़्यादा है।
- सहमति से बने रिश्तों में किशोरों को अक्सर अपराधी या पीड़ित माना जाता है, जिससे उन्हें आघात, आपराधिक रिकॉर्ड और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
- इस कानून का कभी-कभी अंतर्जातीय, अंतर्धार्मिक या गैर-अनुमोदित रिश्तों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, खासकर जब लड़कियां भाग जाती हैं।
- तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान बताते हैं कि लगभग 16 साल के किशोर रिश्तों और यौन गतिविधियों के बारे में सोच-समझकर चुनाव कर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानक, किशोरों की विकसित होती क्षमताओं पर ज़ोर देते हैं।
- कई उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की कठोरता पर पुनर्विचार करने की सिफ़ारिश की है।
- 2023 में, गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भी POCSO के तहत सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था।

प्रस्तावित सुधार

- **आयु सीमा से छूट (रोमियो-जूलियट खंड):** यदि साझेदारों के बीच आयु का अंतर कम है (जैसे, 2-3 वर्ष) और छोटा साथी कम से कम 16 वर्ष का है, तो सहमति से संबंध बनाने की अनुमति दी जाती है।
- यूके और कनाडा सहित कई देशों ने सहमति की आयु 16 वर्ष निर्धारित की है। सहमति की आयु को घटाकर 16 वर्ष करने से भारतीय कानून वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और किशोर अधिकारों के अनुरूप हो जाएगा।

आगे की राह

बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने और उनकी स्वायत्तता व भावनात्मक परिपक्वता का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी नींव रख दी है—अब, सांसदों, शिक्षकों और संस्थानों को सहानुभूति, सुधार और जागरूकता के साथ इस पर आगे बढ़ना होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: किशोरों के निजता के अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. न्यायालय ने स्वीकार किया कि किशोरों में विकासशील क्षमताएँ होती हैं और उन्हें व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में निजता का क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
2. निर्णय ने निकट-आयु छूट को शामिल करने के लिए POCSO अधिनियम में संशोधन किया।
3. न्यायालय ने किशोर पीड़िता की निजता और स्वायत्तता की रक्षा करके पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: POCSO के तहत सहमति से बने संबंधों में किशोरों के निजता के अधिकार को मान्यता देने वाला सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, स्वायत्तता के साथ संरक्षण के संतुलन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। भारत में किशोर न्याय और कानूनी सुधारों पर इस निर्णय के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। कानूनी व्यवस्था को किशोरों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

लैंगिक न्याय के लिए कोई जगह नहीं

चर्चा में क्यों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के तहत गिरफ्तारी या बलपूर्वक कार्रवाई के निलंबन को मंजूरी दे दी है, जो महिलाओं के प्रति क्रूरता-विरोधी है। इस फैसले को आपराधिक न्याय और लैंगिक समानता के संदर्भ में चिंताजनक माना जा रहा है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए या भारतीय दंड संहिता की धारा 85

- दहेज संबंधी क्रूरता को रोकने और विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 1983 में लागू।
- **लागू:** पति या उसके रिश्तेदार
- **अपराध की प्रकृति:** संज्ञेय और गैर-जमानती
- **दंड:** 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
- **विचारणीय:** प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

क्रूरता (कानून के अनुसार)

- कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जिससे निम्नलिखित की संभावना हो:
  - दहेज उत्पीड़न और महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, या
  - उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति (शारीरिक या मानसिक) पहुँचाना।
- किसी महिला या उसके रिश्तेदारों को दहेज की किसी भी गैरकानूनी माँग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसका उत्पीड़न।

पृष्ठभूमि

- एक व्यक्तिगत वैवाहिक विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश:
  - शिकायत के बाद दो महीने (शांति अवधि) तक कोई गिरफ्तारी या बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  - किसी भी कार्रवाई से पहले मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर परिवार कल्याण समितियों की स्थापना।
- **फैसले का प्रभाव**
  - पर्याप्त सबूत होने पर भी, कानून प्रवर्तन (पुलिस) को दो महीने तक गिरफ़्तारी करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
  - शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम।
  - घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है।
  - एक मिसाल कायम करता है जो आपराधिक कानून में विधायी मंशा को कमज़ोर करता है।
  - उन्हें न्याय पाने से हतोत्साहित करता है।
- **फैसले की आलोचना**
  - **न्याय में देरी**: गिरफ्तारी में देरी से वास्तविक शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
  - **निवारण को कमजोर करना**: इससे धोखाधड़ी के दावों को बढ़ावा मिल सकता है और कानून की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
  - **न्यायिक अतिक्रमण**: निषेधादेश प्रक्रियात्मक परिवर्तन लागू करते हैं जो विधायी जाँच के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं।

महत्वपूर्ण आँकड़े

- एनसीआरबी की भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के अनुसार:
  - **दोषसिद्धि दर:** वर्ष में दर्ज धारा 498ए के केवल 12.91% मामलों में दोषसिद्धि हुई।
  - **लंबित मामले:** वर्ष के अंत तक 92.45% मामले सुनवाई के लिए लंबित रहे।
  - **मामले के निपटान का विवरण:** 2022 में निपटाए गए मामलों में से:
    - लगभग 28.7% बिना सुनवाई के निपटाए गए—अधिकांश समझौतों (समझौता, दलील सौदेबाजी, या रद्दीकरण) के माध्यम से।
    - बाकी मामलों में, जिन पर मुकदमा चला, उनमें से 76.6% बरी हो गए, जबकि केवल 17.7% मामलों में दोषसिद्धि हुई।

कानूनी और संवैधानिक चिंताएँ

- **पीड़ितों के अधिकारों का हनन (अनुच्छेद 21- जीवन और सम्मान का अधिकार):** शांत अवधि (कूलिंग-ऑफ पीरियड) हस्तक्षेप को स्थगित करके शिकायतकर्ताओं को खतरे में डाल सकती है। यह देरी संविधान द्वारा समय पर सुरक्षा और सम्मानजनक निवारण की गारंटी को चुनौती देती है।
- **समानता और समान अनुप्रयोग का उल्लंघन (अनुच्छेद 14- समानता का अधिकार):** धारा 498A के मामलों के लिए एक विशेष प्रक्रियात्मक अवरोध बनाना, अन्य आपराधिक प्रावधानों की तुलना में असमान व्यवहार का प्रतीक है, जिन्हें समान सुरक्षा उपायों का लाभ नहीं मिलता है। यह विचलन कानूनी स्थिरता और विधि के समक्ष समानता पर चिंताएँ पैदा करता है।
- **न्यायिक अतिक्रमण और शक्तियों का पृथक्करण:** प्रक्रियात्मक नवाचारों - जैसे अनिवार्य परिवार कल्याण समितियों और शांत अवधि - को लागू करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो वैधानिक कानून पर आधारित नहीं हैं, को न्यायिक नीति निर्माण के रूप में देखा जाता है, जो विधायी अधिकार का अतिक्रमण करता है। कानूनी विद्वानों का तर्क है कि ऐसे व्यापक बदलावों को न्यायपालिका पर नहीं, बल्कि संसद पर छोड़ देना चाहिए।
- **'दुरुपयोग' के कथन को सही ठहराने के लिए कमज़ोर अनुभवजन्य आधार:** यह निर्णय व्यापक दुरुपयोग की धारणा पर बहुत अधिक निर्भर करता है, फिर भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले ठोस अनुभवजन्य आंकड़ों का संदर्भ देने में विफल रहता है। इस तरह के निराधार सामान्यीकरण न्यायशास्त्र और विधायी मंशा, दोनों की अखंडता को कमज़ोर कर सकते हैं।

सामाजिक और लैंगिक न्याय के आयाम

- **महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक निष्पक्षता में संतुलन:** न्यायालय ने दोहराया कि धारा 498A घरेलू क्रूरता के विरुद्ध महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनी हुई है, लेकिन सुरक्षात्मक कानूनों को व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार नहीं बनना चाहिए। शिकायतकर्ताओं की गरिमा और अभियुक्तों की प्रतिष्ठा, दोनों की रक्षा के लिए यह संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- **वैवाहिक विवादों में हथियारीकरण से बचना:** दुरुपयोग से जुड़ी सामाजिक चिंताएँ इस निर्णय के केंद्र में थीं। न्यायालय ने ऐसे उदाहरणों को स्वीकार किया जहाँ प्रावधानों का रणनीतिक रूप से विपरीत परिवार को परेशान करने या उन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दो महीने की शांत अवधि और अनिवार्य मध्यस्थता जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करके, इसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करते हुए परिवारों को अनावश्यक आघात से बचाना था।
- **दंडात्मक न्याय की तुलना में पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर ज़ोर:** सार्वजनिक क्षमा याचना, अनुच्छेद 142 के तहत मुकदमेबाजी और विवाह विच्छेद, और परिवार कल्याण समितियों के माध्यम से एक संरचित मध्यस्थता ढाँचे जैसे निर्देशों के माध्यम से, इस निर्णय ने एक ऐसे न्याय मॉडल को बढ़ावा दिया जो संघर्ष को बढ़ाने के बजाय सुलह और उपचार को प्रोत्साहित करता है। यह पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण परिवारों और समुदायों, दोनों के लिए गहरे सामाजिक और भावनात्मक निहितार्थ रखता है।
- **लिंग-तटस्थ दुरुपयोग से सुरक्षा:** पितृसत्ता और दहेज-संबंधी दुर्व्यवहार के निरंतर प्रचलन को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानून में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए या उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसने महिलाओं के लिए एक सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में धारा 498A की वैधता बनाए रखने का प्रयास किया, साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता एवं सामाजिक सद्भाव के व्यापक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए तंत्र सुनिश्चित किए।

बेहतर समाधान

- जांच की गुणवत्ता में सुधार।
- पुलिस और न्यायपालिका में जागरूकता बढ़ाना।
- वैध मामलों के निपटारे में तेज़ी लाना।
- सत्यापित झूठी शिकायतों पर दंड लगाना और यह सुनिश्चित करना कि पीड़ितों की सुरक्षा बरकरार रहे।

आगे की राह

- **वैधानिक सुधार:** संसद को केवल न्यायिक निर्देशों पर निर्भर रहने के बजाय, प्रारंभिक जाँच जैसे संतुलित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को कानून में संहिताबद्ध करने पर विचार करना चाहिए।
- **जाँच तंत्र को मज़बूत करना:** घरेलू हिंसा की शिकायतों को संवेदनशीलता से निपटाने और त्वरित लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के भीतर विशेष इकाइयाँ बनाना।
- **मध्यस्थता को सशक्त बनाना, लेकिन निगरानी के साथ:** परिवार कल्याण समितियों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) उपकरणों को स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही के साथ विनियमित किया जाना चाहिए।
- **पीड़ितों के लिए सहायता:** घरेलू हिंसा के वास्तविक पीड़ितों की मदद के लिए कानूनी सहायता, मनोसामाजिक सहायता और आश्रय गृहों की संख्या बढ़ाना।
- **संवेदनशीलता और प्रशिक्षण:** पुलिस, न्यायपालिका और कानूनी अधिकारियों के लिए नियमित रूप से लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करें ताकि ऐसे मामलों को सहानुभूति और तटस्थता से निपटाया जा सके।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "लिंग-संबंधी कानूनों की न्यायिक व्याख्याओं में दुरुपयोग की चिंताओं और कमजोर समूहों की सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच संतुलन होना चाहिए।" भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और लैंगिक न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों के संदर्भ में, भारत के कानूनी ढांचे के भीतर महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लैंगिक-संवेदनशील न्यायनिर्णयन को सुदृढ़ करने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु की 'मक्कलाई थेडी मारुथुवम (लोगों के दरवाजे पर दवा) योजना, और कर्नाटक की गृह आरोग्य योजना को सभी जिलों में विस्तारित किया गया है, जिसका उद्देश्य गैर-संचारी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।

स्वास्थ्य प्रशासन

- यह उन संरचनाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों को संदर्भित करता है जो किसी देश या क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आकार देते हैं और इसकी प्रभावशीलता, समानता और पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
- इसमें रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित करना, स्वास्थ्य सेवा वितरण को विनियमित करना, विभिन्न हितधारकों (जैसे सरकारी एजेंसियाँ, प्रदाता और नागरिक समाज) का प्रबंधन करना और जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल है।

मक्कलाई थेडी मारुथुवम

- यह तमिलनाडु सरकार की एक योजना है जिसे 2021 में घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों, वृद्धों की देखभाल और फिजियोथेरेपी के लिए। इसका उद्देश्य घर पर ही जाँच, उपचार और दवाएँ प्रदान करके अस्पताल जाने की संख्या को कम करना और कमज़ोर आबादी के लिए पहुँच को बढ़ाना है।

गृह आरोग्य

- यह कर्नाटक सरकार की एक योजना है जिसे 2024 में शुरू किया गया है ताकि घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें, विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), वृद्धों की देखभाल और उपशामक सहायता के लिए। यह मोबाइल स्वास्थ्य टीमों को तैनात करती है जो संवेदनशील आबादी की जाँच, निगरानी और उन्हें दवाइयाँ प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य पहुँच में सुधार और अस्पताल पर निर्भरता कम करना है।

गैर-संचारी रोग (एनसीडी)

- गैर-संचारी रोग दीर्घकालिक, गैर-संक्रामक स्थितियाँ हैं जो आमतौर पर धीरे-धीरे बढ़ती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। उदाहरण: हृदय रोग (स्ट्रोक, दिल का दौरा), कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन रोग (अस्थमा, सीओपीडी), मधुमेह आदि।

अन्य विवरण

- भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण विकेंद्रीकरण और विस्तार का अनुभव किया है, जिसमें राज्य-स्तरीय पहलों द्वारा घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और अंतिम-स्तरीय सेवा वितरण को बेहतर बनाया जा रहा है।
- एक स्वस्थ लोकतंत्र का सही मापदंड यह है कि नागरिक स्वास्थ्य प्रशासन में कितनी सक्रियता से भाग ले सकते हैं।
- जब जनता इसमें शामिल होती है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों को मज़बूत करती है, जवाबदेही में सुधार करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

मुख्य विशेषताएँ

- **स्वास्थ्य प्रशासन का विकसित होता परिदृश्य:** भारत में स्वास्थ्य प्रशासन में अब विविध हितधारक शामिल हैं: नागरिक समाज, व्यावसायिक संघ, ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ औपचारिक संस्थाएँ भी।
- **नागरिक सहभागिता का महत्व:** यह नागरिक गरिमा को सुदृढ़ करता है, ज्ञान-संबंधी अन्याय का प्रतिकार करता है, अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती देकर जवाबदेही बढ़ाता है, और विश्वास एवं सहयोगात्मक कार्रवाई के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देता है।
- **संस्थागत तंत्र मौजूद हैं, लेकिन अक्सर निष्क्रिय:** ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियाँ (वीएचएसएनसी), रोगी कल्याण समितियाँ और महिला आरोग्य समितियाँ जैसे मंच सहभागिता को सुगम बनाने के लिए हैं। फिर भी, वे अस्पष्ट भूमिकाओं, अनियमित बैठकों, कम उपयोग किए गए धन, खराब समन्वय और जड़ जमाए सामाजिक पदानुक्रमों से ग्रस्त हैं।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियाँ (वीएचएसएनसी)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित, वीएचएसएनसी सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ हैं जो ग्राम स्वास्थ्य योजनाएँ तैयार करने, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने, जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर पड़े समूहों का समावेश सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन्हें असीमित धनराशि प्राप्त होती है और ये स्थानीय स्वास्थ्य जवाबदेही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

रोगी कल्याण समितियाँ (आरकेएस)

- इन्हें अस्पताल प्रबंधन समितियों के रूप में भी जाना जाता है, आरकेएस पंजीकृत समितियाँ हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करती हैं। ये समितियाँ जवाबदेही, निधि के कुशल उपयोग और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करती हैं। इनके सदस्यों में चिकित्सा अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और सामुदायिक नेता शामिल होते हैं।

महिला आरोग्य समितियाँ (एमएएस)

- एमएएस राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले सामुदायिक समूह हैं। ये समितियाँ स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, पोषण और सामाजिक लामबंदी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एमएएस शहरी गरीब समुदायों और स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच की खाई को पाटती हैं और स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।

नागरिक सहभागिता में बाधाएँ

- **मानसिकता:** नागरिकों को भागीदार नहीं, बल्कि लाभार्थी माना जाता है।
- **मापन-आधारित फ़ोकस:** सफलता को गुणवत्ता या एजेंसी से नहीं, बल्कि संख्याओं से मापा जाता है।
- **चिकित्सा प्रभुत्व:** कम सार्वजनिक स्वास्थ्य पृष्ठभूमि वाले बायोमेडिकल पेशेवरों द्वारा शासन।
- **प्रतिरोध:** जवाबदेही का डर, नियामक नियंत्रण, और कार्यभार से बचना।

कमज़ोर नागरिक सहभागिता के परिणाम

- नागरिक विरोध प्रदर्शनों, मीडिया अभियानों और कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं।
- संस्थागत अविश्वास और अलगाव के कारण प्रणालीगत असमानताएँ बनी रहती हैं।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन सूचकांक

सूचकांक का नाम	फोकस क्षेत्र	मुख्य विशेषताएं
नीति आयोग का राज्य स्वास्थ्य सूचकांक	स्वास्थ्य परिणाम, शासन, इनपुट/प्रक्रियाएँ	सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक रैंकिंग
SHRESTH: राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक	स्वास्थ्य सेवाओं में नियामक गुणवत्ता और शासन	लाइसेंसिंग, प्रवर्तन, शिकायत निवारण, पारदर्शिता का आकलन करता है
सुशासन सूचकांक	समग्र शासन, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल है	स्वास्थ्य मेट्रिक्स सहित बहु-क्षेत्रीय शासन रैंकिंग
राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा सूचकांक (एनपीएचएनएसआई)	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा	पोषण, तैयारी, स्वास्थ्य पर केंद्रित एक समग्र, क्रॉस-सेक्टर सूचकांक

आगे की राह

- शासन की मानसिकता को साधनवाद से साझेदारी की ओर बदलना।
- स्वास्थ्य अधिकार शिक्षा, नागरिक जागरूकता और समावेशी पहुँच के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- कार्यशील और संसाधनयुक्त सामुदायिक मंच सुनिश्चित करना।
- इस तरह की सहभागिता को मानक अभ्यास के रूप में स्थापित करना, न कि केवल गौण पूरक के रूप में।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में, स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक सहभागिता के महत्व को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह से समझाता है?

(a) यह सुनिश्चित करता है कि केवल चिकित्सा पेशेवर ही स्वास्थ्य नीति संबंधी निर्णय लें।

(b) यह स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण को बढ़ाता है और सार्वजनिक वित्तपोषण की आवश्यकता को कम करता है।

(c) यह समुदायों और स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच जवाबदेही, समावेशिता और विश्वास को बढ़ाता है।

(d) यह औपचारिक स्वास्थ्य संस्थानों को समुदाय-आधारित स्व-देखभाल प्रणालियों से प्रतिस्थापित करता है।

उत्तर: (c)

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) परामर्श

चर्चा में क्यों: NOTTO ने अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं के बीच लैंगिक असंतुलन को दूर करने और दान को प्रोत्साहित करने के लिए 10-सूत्रीय परामर्श जारी किया है।

मुख्य अंश

- महिला रोगियों और मृत दाताओं के रिश्तेदारों को अंग आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- NOTTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार:
  - महिलाएँ सबसे ज़्यादा अंगदान करती हैं और सबसे कम अंग प्राप्त करती हैं।
  - 2019 से 2023 तक सभी जीवित अंगदाताओं में से 63.8% महिलाएँ थीं।
  - पुरुषों को सबसे ज़्यादा अंग दान किए गए, जो प्राप्तकर्ताओं का 69.8% था।
  - पिछले पाँच वर्षों में भारत में 56,509 जीवित अंगदानों में से 36,038 अंग महिलाओं द्वारा दान किए गए।
  - केवल 17,041 अंग महिलाओं में प्रत्यारोपित किए गए, जबकि 39,447 अंग पुरुषों में प्रत्यारोपित किए गए।

अंग आवंटन मानदंड

आवंटन के मानदंड रोग की अवधि, प्रतीक्षा सूची में रहने की अवधि, बीमारी की गंभीरता, बच्चों, वर्तमान में प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले जीवित दाता, और रक्त समूह, आयु, आकार आदि जैसे मिलान कारकों के आधार पर बेहतर और उन्नत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करते हैं।

- **भौगोलिक निकटता:** अंगों को शुरू में उसी शहर या राज्य में प्रतीक्षारत प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है जहाँ से अंग प्राप्त किया गया था, ताकि "कोल्ड इस्किमिया समय" (वह अवधि जब अंग रक्त आपूर्ति के बिना रहता है) को कम किया जा सके।
- **प्रतीक्षा समय:** प्राप्तकर्ताओं को इस आधार पर रैंक किया जाता है कि वे प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में कितने समय से हैं।

- **चिकित्सा तात्कालिकता:** रोगी की स्थिति की गंभीरता प्राथमिकता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **मिलान मानदंड:** दाता और प्राप्तकर्ता के बीच अनुकूलता आवश्यक है, जिसमें शामिल हैं:
- **रक्त समूह:** आवंटन संगत रक्त समूहों के आधार पर विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करता है।
- **आयु और विशेष परिस्थितियाँ:** बाल चिकित्सा प्राप्तकर्ताओं के लिए बाल चिकित्सा दाताओं के अंगों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि जीवित दाता किसी रिश्तेदार को जीवित किडनी प्रदान कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय वितरण:** यदि स्थानीय स्तर पर या राज्य के भीतर कोई उपयुक्त प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, तो अंग को क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है।
- **शासी निकाय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) भारत में अंग आवंटन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

आवंटन प्रणाली में बदलाव

- **कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं:** मृतक दाता अंग पंजीकरण के लिए 65 वर्ष की पूर्व ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग पंजीकरण करा सकते हैं।
- **कोई अधिवास आवश्यकता नहीं:** मरीज अब अपने निवास स्थान की परवाह किए बिना मृतक दाता अंगों के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे अधिक पहुँच और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

नए प्राथमिकता मानदंड (10-सूत्रीय परामर्श)

- **महिला मरीज़:** पहुँच में मौजूदा लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अतिरिक्त आवंटन अंक प्रदान करना।
- **मृतक दाताओं के निकट संबंधी:** दाता के निकट परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान करना।
- **दाता का अंतिम संस्कार और सम्मान:** दाता परिवारों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार और सार्वजनिक सम्मान सुनिश्चित करना।
- **बुनियादी ढाँचे का विस्तार:** ट्रॉमा सेंटरों और मेडिकल कॉलेजों में अंग पुनर्प्राप्ति सुविधाओं का विकास करना।
- **प्रशिक्षण और जागरूकता:** प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं को दाता पहचान प्रशिक्षण से सुसज्जित करें; राजदूत नियुक्त करना।
- **डेटा पारदर्शिता और प्रवर्तन:** राष्ट्रीय रजिस्ट्री रिपोर्टिंग को अनिवार्य करें; मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA) के माध्यम से लागू करना।
- **समर्पित समन्वय:** अस्पतालों में स्थायी प्रत्यारोपण समन्वयक की भूमिकाएँ स्थापित करना।

भारत में अंगदान का रुझान और आँकड़े

- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण 2024 में ऐतिहासिक ऊँचाई (~18,911) पर पहुँच गए, जो 2023 में ~18,378 से ज़्यादा है।
- जीवित दाताओं का बोलबाला है, और मृतक दाताओं का अनुपात बहुत कम है।
- शव दान पहली बार 2023 में 1,000 को पार कर गया।
- क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी असमानताएँ बनी हुई हैं—तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक सबसे आगे हैं, जबकि कई राज्य पीछे हैं।
- माँग आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है, और हज़ारों मरीज़ प्रतीक्षारत हैं।
- वैश्विक मानकों के हिसाब से दान दर अभी भी काफ़ी कम है। भारत वैश्विक मानकों से काफ़ी नीचे है, जहाँ अंगदान दर प्रति दस लाख जनसंख्या (पीएमपी) पर 1 से भी कम है, जबकि स्पेन जैसे देशों में यह दर 48 पीएमपी है।
- कुल अंग प्रत्यारोपण में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, और जीवित दाता प्रत्यारोपण में पहले स्थान पर है।

भारत में अंगदान को बेहतर बनाने के उपाय

- **ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन में सुधार:** कई संभावित मृतक दाता ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन में देरी या कम रिपोर्टिंग के कारण अनुपयोगी रह जाते हैं।
- **अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना:** अंग पुनर्प्राप्ति और भंडारण केंद्रों (ओआरबीओ) और प्रमाणित प्रत्यारोपण अस्पतालों की संख्या बढ़ाना।
- **राज्य अंग नेटवर्क बनाना:** कई राज्यों में अभी भी मज़बूत राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) के बुनियादी ढाँचे का अभाव है। राज्यों को रीयल-टाइम रजिस्ट्री, पुनर्प्राप्ति नेटवर्क और अंग परिवहन प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए।
- **दाता परिवारों के लिए प्रोत्साहन और मान्यता:** गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना: स्वास्थ्य बीमा, शैक्षिक छात्रवृत्ति, आवास सहायता, आदि।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ:** अंगों की उपलब्धता और परिवहन पर नज़र रखने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और जीपीएस सिस्टम का उपयोग करना।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी):** राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण, जागरूकता और बुनियादी ढाँचे को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया। आईसीयू, रिट्रीवल सेंटर और प्रत्यारोपण समन्वयकों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया गया।
- **हरित गलियारे:** यातायात पुलिस और विमानन मंत्रालयों द्वारा समर्थित, ये न्यूनतम देरी के साथ राज्यों के बीच अंगों के त्वरित परिवहन की अनुमति देते हैं।
- **अंग प्रतिज्ञा पोर्टल:** को-विन पोर्टल अब अंग प्रतिज्ञा पंजीकरण की भी अनुमति देता है।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एबीडीएम) में समावेश:** अंगदान प्रतिज्ञाओं और प्रत्यारोपण इतिहास को डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया जा रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NOTTO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. यह अंग दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
3. अपने हालिया परामर्श में, NOTTO ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों को विदेशी नागरिकों के लिए अंग आरक्षित करने की अनुमति दी है।
4. NOTTO परामर्श का उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण में पारदर्शिता और समान पहुँच को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: b (केवल 1, 2 और 4)

भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट

चर्चा में क्यों: मानसिक परेशानी एक कारण है जिसके कारण भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या कर लेता है।

मुख्य विवरण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 5.6 करोड़ भारतीय अवसाद से ग्रस्त हैं और 3.8 करोड़ लोग चिंता विकारों से ग्रस्त हैं।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, लगभग 7 में से 1 भारतीय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है, लेकिन उनमें से केवल 10% ही उपचार प्राप्त कर पाते हैं।
- भारत में मानसिक रोग से ग्रस्त लगभग 80% लोगों को कोई उपचार नहीं मिलता है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त 60% व्यक्ति सामाजिक भेदभाव के डर से अपने निदान को गुप्त रखना पसंद करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा

- WHO मानसिक स्वास्थ्य को "मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने, तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है।"
- किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कई तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है—कठोर पालन-पोषण, आनुवंशिक भेद्यता, आर्थिक कठिनाई और जीवन की व्यापक परिस्थितियाँ।

चिकित्सा और परामर्श की भूमिका

- मनोचिकित्सा और परामर्श सहित चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य विकारों के प्रबंधन और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- संज्ञानात्मक-व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) जैसी चिकित्सा के पश्चिमी मॉडल लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी देश भर में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी अभी भी बनी हुई है।
- भारत में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात बहुत कम है, जहाँ प्रति 100,000 लोगों पर केवल 0.75 मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि वैश्विक औसत प्रति 100,000 पर 3 है।

औषधीय दवाएँ

- अवसाद, चिंता और सिज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन के लिए अक्सर औषधीय दवाएँ निर्धारित की जाती हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में मनोरोग दवाओं के उपयोग में 40% की वृद्धि हुई है।
- विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि दवाएँ प्रभावी तो हो सकती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा निर्धारित किया जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ परामर्श या चिकित्सा की पहुँच सीमित है।

दुःख और मानसिक स्वास्थ्य

- दुःख किसी क्षति के प्रति एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन भारत में, दुःख की अभिव्यक्ति अक्सर सांस्कृतिक अपेक्षाओं और भावनात्मक समर्थन की कमी के कारण जटिल हो जाती है। कई लोगों के लिए, दुःख अवसाद या चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में प्रकट हो सकता है।
- भारतीय समाज में, शोक की प्रक्रिया पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है, जो अक्सर व्यक्ति की भावनात्मक भलाई की तुलना में परिवार की ज़रूरतों को प्राथमिकता देती हैं।
- शोध बताते हैं कि दुःख (grief) का समाधान न किए जाने से दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें अवसाद, मादक द्रव्यों का सेवन और अभिघातज के बाद का तनाव विकार (PTSD) शामिल हैं।

सरकारी पहल

- **मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017**: यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को एक मौलिक मानव अधिकार मानता है और सभी नागरिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने का आदेश देता है।
  - धारा 115 के तहत आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
  - समुदाय-आधारित देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण को अनिवार्य बनाता है।
  - अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधियों की नियुक्ति की अनुमति देता है।
  - राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी):** 1982 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। यह मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और संवर्धन पर केंद्रित है। हालाँकि, धन और संसाधन अपर्याप्त हैं।
- **ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी):** ज़िला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1996 में शुरू किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, सुलभ हो।
  - एनएमएचपी के एक भाग के रूप में शुरू किया गया।
  - इसमें जागरूकता, शीघ्र पहचान, उपचार और रेफरल तंत्र शामिल हैं।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006**: यह मानसिक बीमारी को एक दिव्यांगता के रूप में मान्यता देती है और इसमें मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रावधान शामिल हैं।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार तक समान पहुँच प्रदान करता है।
  - भेदभाव को कम करने और समावेशिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई):** 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आबादी के सबसे गरीब तबके को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है, लेकिन इसमें मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS):** बैंगलोर स्थित NIMHANS, भारत में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान का सर्वोच्च संस्थान है। यह एक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान दोनों है और मानसिक स्वास्थ्य नीति और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति:** 2020 में, भारत ने अपनी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश भर में आत्महत्याओं को कम करना है, जो एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा रहा है।
  - 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य।

चुनौतियाँ और समाधान

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण में वृद्धि:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश आवश्यक है।
- **शिक्षा और जागरूकता:** अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने से कलंक को दूर करने और लोगों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।
- **समुदाय-आधारित देखभाल:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को शहरी केंद्रों से आगे बढ़ाकर और इसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में एकीकृत करके सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।

प्रमुख सिफ़ारिशें

- स्कूलों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान करने के लिए अधिक प्रशिक्षण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण: इससे मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों पर बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक दोराहे पर खड़ा है। हालाँकि कलंक को कम करने और देखभाल तक पहुँच बढ़ाने में प्रगति हुई है, फिर भी कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ने के लिए सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और जनता के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। केवल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य अब एक उपेक्षित मुद्दा न रहे, बल्कि उसके सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडे का एक केंद्रीय हिस्सा बने।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलों पर चर्चा कीजिए। इन सुधारों ने देश में मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने में किस प्रकार योगदान दिया है? इन पहलों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता में सुधार के लिए समाधान सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

गली के कुत्तों का खतरा (STREET DOG MENACE)

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अगस्त 2025) ने विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित पहले के आदेशों को संशोधित किया है।

मुख्य विवरण

- **पूर्व आदेश (11 अगस्त, 2025)**
  - ➢ एक पीठ ने निर्देश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद आदि में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें सड़कों पर छोड़े बिना स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में रखा जाए।
  - ➢ इसने कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई और जन सुरक्षा पर ज़ोर दिया।
- **विरोध/आक्रोश**
  - ➢ पशु कल्याण समूहों, कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह अवैज्ञानिक, अमानवीय और अव्यावहारिक है और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों का उल्लंघन करता है, जिनमें नसबंदी और रिहाई सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं।
  - ➢ चिंताओं में शामिल हैं: अपर्याप्त आश्रय क्षमता; भीड़भाड़; कुत्तों का कल्याण; आदेशों का पालन करने की व्यवस्था की क्षमता; "आक्रामक" कुत्तों की परिभाषा; व्यावहारिक व्यवस्था।
- **संशोधित आदेश (22 अगस्त, 2025)**
  - ➢ न्यायालय ने पहले के निर्देश को वापस ले लिया। अब यह गैर-आक्रामक, नसबंदी किए हुए, टीका लगाए हुए, कृमिनाशक कुत्तों को उनके मूल इलाकों में वापस भेजने की अनुमति देता है। केवल वे कुत्ते जो पागल हैं, पागल होने का संदेह है, या जो आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें आश्रयों या बाड़ों में रखा जाना है।
  - ➢ सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है; अधिकारियों को प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में भोजन क्षेत्र निर्धारित करने होंगे।
  - ➢ इस आदेश का विस्तार एनसीआर से आगे किया जा रहा है - अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में पक्षकार हैं; संबंधित उच्च न्यायालय की याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित की जा रही हैं।
- **कानूनी ढाँचा / एबीसी नियम**
  - ➢ पशु जन्म नियंत्रण नियम (एबीसी नियम), विशेष रूप से 2023 के अद्यतन नियम, यह आवश्यक करते हैं कि नसबंदी और टीकाकरण किए गए कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाए। कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, स्थायी निष्कासन/आश्रय इन नियमों के विरुद्ध है।
  - ➢ ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने माना है कि आवारा कुत्तों की बड़ी आबादी को देखते हुए "रिहाई निषेध" का प्रावधान कठोर और व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक था।

प्रमुख मुद्दे

- **प्रवर्तन और बुनियादी ढाँचा क्षमता:** आश्रय स्थल, मानव संसाधन, पशु चिकित्सा सुविधाएँ, वित्त पोषण, निगरानी आदि। कई लोगों का मानना है कि एनसीआर और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को सहारा देने के लिए यह क्षमता बहुत कम है।
- **पशु कल्याण और अधिकारों संबंधी चिंताएँ:** पशु कल्याण समूहों द्वारा स्वतंत्र रूप से रहने वाले जानवरों को स्थायी रूप से बंदी बनाना क्रूर और अनैतिक माना जाता था। कुत्ते क्षेत्रीय होते हैं और सड़क पर रहने के लिए खुद को ढाल लेते हैं; गैर-आक्रामक, स्वस्थ कुत्तों को बंदी बनाने से गंभीर तनाव, आघात या मृत्यु हो सकती है।
- **"आक्रामक" कुत्तों की परिभाषा में अस्पष्टता:** पहले के आदेश में "आक्रामक" कुत्ते की परिभाषा के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं था। भौंकना? पीछा करना? काटना? वैज्ञानिक या कानूनी परिभाषा के बिना, अधिकारी कुत्तों को गलत लेबल लगा सकते हैं या गलत तरीके से बंदी बना सकते हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई और कानूनी चुनौतियाँ हो सकती हैं।

सामाजिक/नैतिक दृष्टिकोण

- **कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका, जनभावना:** कई नागरिक कठोर निष्कासन आदेशों का विरोध करते हैं, आवारा कुत्तों को शहरी ताने-बाने का हिस्सा मानते हैं।
- **संवैधानिक या बुनियादी अधिकारों का पहलू:** जीवन का अधिकार (जैसा

कि जानवरों पर लागू होता है), क्रूरता, उचित प्रक्रिया। क्या ऐसे कानूनों की अवहेलना की जा रही है जो उन्हें उनके क्षेत्र में वापस छोड़ने का आदेश देते हैं।

- **पारिस्थितिक/पर्यावरणीय/शहरी प्रबंधन के आयाम:** आवारा कुत्ते अक्सर कचरे, खुली नालियों, खुले खाद्य अपशिष्ट पर जीवित रहते हैं; इसलिए प्रबंधन केवल कुत्तों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वच्छता, आश्रय आदि के बारे में भी है।

शहरी शासन और कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- **नगरपालिका की ज़िम्मेदारियाँ:** स्थानीय अधिकारियों को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम सौंपा गया है, जिसके लिए पर्याप्त संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।
- **आहार क्षेत्र और जन सहभागिता:** निर्दिष्ट आहार क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य मानव-पशु अंतःक्रियाओं को विनियमित करना और संघर्षों को कम करना है।

वैज्ञानिक और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि

- **कुत्ते का व्यवहार:** प्रभावी नीतियाँ बनाने में गली के कुत्तों के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। आक्रामकता और क्षेत्रीयता जैसे कारक मानव-कुत्ते के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **नस्ल-विशिष्ट कानून:** कुछ कुत्तों की नस्लों को "क्रूर" के रूप में वर्गीकृत करना और ऐसे पदनामों का सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों पर प्रभाव।

आगे की राह

प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकारों, पशु कल्याण समूहों और समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। आश्रय स्थल के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना, आक्रामकता पर स्पष्ट दिशानिर्देश, निर्दिष्ट क्षेत्रों में ज़िम्मेदारी से भोजन उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना और जन जागरूकता अभियान, कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे।

निष्कर्ष

मानव सुरक्षा और पशु कल्याण में संतुलन बनाना जटिल लेकिन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय का संशोधित आदेश कानूनी मानदंडों और वैज्ञानिक समझ के साथ एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य मानवीय और स्थायी नीतियों के माध्यम से नागरिकों और आवारा कुत्तों, दोनों की सुरक्षा करना है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया हस्तक्षेपों का परीक्षण कीजिए। आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और एक मानवीय एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। [150 शब्द] [10 अंक]

सहमति की आयु (AGE OF CONSENT)

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ जनहित याचिका में "सहमति की आयु" पर बहस फिर से उभर आई है।

सर्वोच्च न्यायालय का विचार

- न्यायालय इस बात की जाँच करेगा कि क्या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अनुसार, "सहमति" से यौन संबंधों के लिए वर्तमान आयु सीमा 18 वर्ष को कम किया जाना चाहिए।
- POCSO अधिनियम के अनुसार, नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि में शामिल होना एक आपराधिक अपराध है।
- POCSO के तहत "सहमति" के रूप में संदर्भित मामलों में किशोरों के बीच यौन अन्वेषण शायद ही कभी शामिल होता है; बल्कि, वे एक अधिक परेशान करने वाली और जटिल सामाजिक वास्तविकता को उजागर करते हैं।

अन्य प्रमुख विवरण

- अधिकांश पीड़ित (12 वर्ष से कम आयु की लड़कियाँ) हाशिए के समुदायों से हैं और हिंसक घरों, परिवार के सदस्यों द्वारा यौन शोषण, भेदभाव और/या जबरन विवाह की धमकियों से बचने की कोशिश कर रही हैं।
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग से पता चलता है कि बाल यौन शोषण की घटनाएँ 2012 में 8,541 से बढ़कर 2021 में 53,874 हो गईं।
- प्रजा फाउंडेशन की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इनमें से 54% मामलों में, आरोपी पार्टनर, दोस्त या ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शादी का वादा किया था और बाद में पीड़िता को छोड़ दिया था।
- इसके अतिरिक्त, 26% घरेलू कर्मचारी थे, 12% पड़ोसी थे, और 8% परिवार के सदस्य या अभिभावक थे।
- इस बीच, भारत में 2022 में 1.6 मिलियन बाल विवाह दर्ज किए गए, जिनमें से भारत बाल संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल लगभग 900 मामले दर्ज किए गए।
- बाल अधिकार कार्यकर्ता सहमति की आयु को घटाकर 16 वर्ष करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, सिवाय उन मामलों के जिनमें अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ जबरदस्ती या यौन संबंध शामिल हों।

"सहमति" के बारे में

- हाल ही में पश्चिम बंगाल के मामले में, पीड़िता 14 साल की थी, और कुछ जमीनी स्तर पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पीड़ित कभी-कभी 12 साल या उससे भी कम उम्र के होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह सवाल है कि "सहमति" कौन स्थापित करेगा और इसका फैसला कौन करेगा।
- सहमति उत्साहपूर्ण, अनिच्छुक, भय से प्रेरित या चालाकी से प्राप्त की जा सकती है। इसे रद्द किया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, या गलत तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है। बलात्कार के मुकदमों में "सहमति" का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बचाव है।

इकाई 8

इतिहास एवं संस्कृति

जोड़ीदार परंपरा

चर्चा में क्यों: हिमाचल के हट्टी जनजाति के दो भाइयों ने एक ही महिला से बहुपत्नी प्रथा में विवाह किया, जिसे जोड़ीदार भी कहा जाता है।

जोड़ीदार के बारे में

- जोड़ीदार , बहुपतित्व का एक रूप है, जिसे जजड़ा या उजाला पक्ष भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश (और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों) के ट्रांस-गिरि क्षेत्र में हट्टी समुदाय के बीच सदियों पुरानी आदिवासी प्रथा है।
- इस परंपरा में, एक महिला दो या दो से अधिक भाइयों से विवाह करती है।

रहने की व्यवस्था और बच्चे

- पत्नी एक निश्चित समय-सारिणी के अनुसार प्रत्येक पति के साथ बारी-बारी से रहती है - दैनिक, साप्ताहिक या अन्यथा।
- बच्चों का पालन-पोषण सामूहिक रूप से किया जाता है, जहाँ सबसे बड़े भाई को कानूनी रूप से पिता माना जाता है, हालाँकि सभी भाई पालन-पोषण की ज़िम्मेदारियाँ साझा करते हैं।

भारत में कानूनी स्थिति

- हालाँकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बहुपतित्व की अनुमति नहीं है, हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय राजस्व कानूनों और हट्टी जैसे आदिवासी समुदायों के लिए "जोड़ीदार कानून" के तहत जोड़ीदार को मान्यता देकर एक अपवाद बनाया है।
- हट्टी समुदाय को 2023 में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा भी प्राप्त हुआ, जिससे उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को और अधिक वैधता मिली।

उद्देश्य और सांस्कृतिक महत्व

- **इस प्रथा का विकास इस प्रकार हुआ:**
  - पैतृक भूमि को कई उत्तराधिकारियों में विभाजित होने से बचाकर उसका संरक्षण करना।
  - पारिवारिक एकता को मज़बूत करना और दूरस्थ, पहाड़ी इलाकों में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - परिवार के भीतर सहयोग और संयुक्त ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना।

नकारात्मक प्रभाव

- **आधुनिक कानूनी और लैंगिक मानदंडों का उल्लंघन:**
  - यह प्रथा आधुनिक कानूनी ढाँचों को चुनौती देती है और मानक हिंदू विवाह कानूनों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है।
  - यह महिलाओं की स्वायत्तता, सहमति और लैंगिक समानता को लेकर चिंताएँ पैदा करती है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में महिला के पास समान अधिकार नहीं हो सकते हैं।
- **भावनात्मक और सामाजिक तनाव:**
  - साझा विवाह भाइयों के बीच ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता और भावनात्मक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
  - महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं या पारिवारिक गतिशीलता में व्यक्तिगत स्थान, गोपनीयता या पसंद की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- **महिलाओं के लिए सीमित वैवाहिक अवसर:**
  - व्यापक बहुपति प्रथा वाले समुदायों में, कम पुरुष विवाह करते हैं, लेकिन इससे महिलाओं का स्वतंत्र रूप से विवाह भी कम होता है, कभी-कभी लैंगिक असंतुलन या सीमित गतिशीलता के कारण।
- **आधुनिकीकरण का प्रतिरोध:**
  - कुछ लोग इन प्रथाओं को सामाजिक प्रगति, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में बाधा मानते हैं।
  - युवा अक्सर ऐसे पारंपरिक दायित्वों से बचने के लिए गाँव छोड़ देते हैं, जिससे शहरों की ओर पलायन और सांस्कृतिक क्षीणता होती है।

निष्कर्ष

जोड़ीदार परंपरा आदिवासी समाजों की अनुकूलनशील बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, जो आर्थिक आवश्यकताओं और पारिवारिक एकता के बीच संतुलन बनाती है। हालाँकि, यह आज के बदलते सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में लैंगिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाती है।

आगे की राह

जागरूकता, कानूनी स्पष्टता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की आवश्यकता है। समावेशी संवाद, आदिवासी भागीदारी और क्रमिक सुधार आधुनिक भारत में परंपरा और अधिकारों, दोनों का सम्मान सुनिश्चित कर सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जोड़ीदार परंपरा भौगोलिक बाधाओं के प्रति एक अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक अनुकूलन को दर्शाती है। समकालीन भारतीय समाज में ऐसी प्रथाओं की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [150 शब्द] [10 अंक]

पाइका विद्रोह

चर्चा में क्यों: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने इतिहास से पाइका विद्रोह को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की, एनसीईआरटी की पुस्तक को "बहुत बड़ा अपमान" बताया।

मुख्य विवरण

- एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि 1817 के विद्रोह को पाठ्यपुस्तक के दूसरे खंड में शामिल किया जाएगा, जो सितंबर-अक्टूबर में जारी किया जाएगा।

ओडिशा के पाइका

- पाइका ओडिशा का एक पारंपरिक योद्धा वर्ग था, जो विशेष रूप से 1817 के

पाइका विद्रोह में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था, जिसे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती सशस्त्र विद्रोहों में से एक माना जाता है।

- पाइका प्राचीन और मध्यकालीन ओडिशा क्षेत्र (पूर्व में कलिंग) में मिलिशिया या किसान-सैनिक थे।
- उन्होंने गजपति शासकों और बाद में खुर्दा साम्राज्य के राजाओं के अधीन भूमि-स्वामी मिलिशिया के रूप में कार्य किया।
- अपनी सैन्य सेवा के बदले में, उन्हें भूमि या लगान-मुक्त भूमि (जागीरें) प्रदान की जाती थीं।

भूमिका और जीवनशैली

- योद्धा होने के अलावा, वे अक्सर किसान या ज़मींदार भी होते थे।
- उनकी एक युद्ध परंपरा थी, वे शारीरिक युद्ध में प्रशिक्षित थे और पाइका अखाड़ा जैसी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते थे, जिसमें तलवारबाज़ी, कुश्ती और लाठीबाज़ी शामिल थी।
- उन्होंने बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करने और आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1817 का पाइका विद्रोह

- **नेतृत्व:** खुर्दा के राजा की सेना के सेनापति बख्शी जगबंधु विद्याधर द्वारा।
- **कारण:** ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियों, लगान-मुक्त भूमि की समाप्ति और पारंपरिक अधिकारों व विशेषाधिकारों के दमन से असंतोष।
- यह विद्रोह खुर्दा में शुरू हुआ और ओडिशा के अन्य भागों में फैल गया।
- हालाँकि इसे अंततः दबा दिया गया, लेकिन यह 1857 के विद्रोह से दशकों पहले, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रतिरोध का प्रतीक था।

विरासत

- भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना है।
- पाइका विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध मानने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, हालाँकि आधिकारिक तौर पर यह दर्जा 1857 को ही दिया गया है।
- पाइका अखाड़ा मार्शल आर्ट आज भी ओडिशा में प्रचलित है और इसे ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया जाता है।

पाइका विद्रोह की समयरेखा (1817)

वर्ष	घटना
1803	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (लगभग 1803) के दौरान ओडिशा (कटक और आसपास के क्षेत्रों) पर कब्जा कर लिया।
1804-1817	ब्रिटिशों ने उच्च भूमि कर लगाया, लगान-मुक्त भूमि अनुदान को समाप्त कर दिया, तथा सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बिगाड़ दिया।
1817(मार्च)	बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में असंतुष्ट पाइकों ने खोरधा से विद्रोह शुरू कर दिया।
1817 (अप्रैल)	पाइका ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला करते हैं: पुलिस स्टेशन, राजस्व कार्यालय और कोषागार।
1817 (मई-जुलाई)	यह ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में फैल गया, विशेषकर पुरी, पिपिली, खुर्दा और कटक में, तथा अन्य जिलों को भी प्रभावित किया।
1817 (अगस्त)	अंग्रेजों ने बलपूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कई विद्रोही पकड़े गए या मारे गए।
1825	बख्शी जगबंधु को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 1829 में कैद में उनकी मृत्यु हो गई।

बख्शी जगबंधु विद्याधर

- वे विद्रोह के नायक थे।
- **उपाधि:** "बख्शी" खुर्दा राजा के अधीन सेना के सेनापति की उपाधि थी।
- **पृष्ठभूमि:** एक सामंती पाइका परिवार के एक कुलीन व्यक्ति, ब्रिटिश सुधारों के बाद उन्होंने अपनी जागीर (ज़मीन) खो दी।
- **नेतृत्व:** उन्होंने हज़ारों पाइकाओं, आदिवासियों (कोंध) और किसानों को संगठित किया।
- **प्रतीकात्मकता:** जगबंधु को एक देशभक्त और शहीद के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।

पाइका से जुड़े उल्लेखनीय स्थान

स्थान	महत्व
खोरधा	विद्रोह का केंद्र, खुर्दा साम्राज्य की राजधानी।
बरुनेई हिल्स	विद्रोहियों का ठिकाना; प्रतिरोध का प्रतीकात्मक स्थल।
पुरी	पवित्र शहर जहाँ विद्रोहियों को आध्यात्मिक समर्थन प्राप्त हुआ।
बानापुर	पाइका शक्ति का प्रमुख केंद्र।
जगतसिंहपुर और गंजम	अन्य क्षेत्र जहां विद्रोह फैला।

निष्कर्ष

1817 का पाइका विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के प्रारंभिक प्रतिरोध की एक साहसिक अभिव्यक्ति था। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में, पाइकाओं ने अपनी भूमि, अधिकारों और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हालाँकि दमन का शिकार हुए, उनकी विरासत ओडिशा के शौर्य के गौरवशाली प्रतीक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में आज भी कायम है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 1817 के पाइका विद्रोह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया था।
2. यह विद्रोह मुख्यतः लगान-मुक्त भूमि-पट्टों के उन्मूलन और दमनकारी राजस्व नीतियों के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप था।

3. पाइका एक जनजातीय समूह था जो स्थानान्तरित कृषि में संलग्न था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (द)

देवदासी प्रथा

चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार को बिना कोई आयु सीमा तय किए देवदासी प्रथा का घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया।

मुख्य विवरण

- 1993-1994 और 2007-2008 में पहले किए गए सर्वेक्षणों में क्रमशः 22,873 और 46,660 देवदासियों की पहचान की गई थी।
- पिछले दो सर्वेक्षणों में, पंजीकरण के लिए आयु सीमा 45 वर्ष और उससे अधिक निर्धारित की गई थी।
- राज्य में सदियों पुरानी देवदासियों की प्रथा 1982 में कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम लागू होने के बाद से प्रतिबंधित है।
- बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) किसी भी आयु सीमा के विरुद्ध देवदासियों के लिए एक नया कानून लाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है।

देवदासी प्रथा के बारे में

- देवदासी एक महिला कलाकार होती है, जो आमतौर पर युवा लड़कियां होती हैं और यौवन से पहले, अपने पूरे जीवन में किसी देवता या मंदिर की पूजा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। यह समर्पण एक ऐसे समारोह के दौरान होता है जो विवाह समारोह जैसा होता है।

सर्वेक्षण की आवश्यकता

- **पुराने और अपूर्ण आँकड़े:** पिछला व्यापक सर्वेक्षण 2007-08 में किया गया था, जिसमें आयु प्रतिबंधों के कारण कई युवा महिलाओं, विशेषकर उस समय 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्तमान आँकड़े न तो सटीक हैं और न ही आज इस मुद्दे के वास्तविक दायरे को दर्शाते हैं।
- **कानूनी प्रतिबंध के बावजूद जारी प्रथा:** कर्नाटक में 1982 से कानूनी प्रतिबंध के बावजूद, कुछ युवा दलित लड़कियों को अभी भी देवदासी के रूप में समर्पित किया जा रहा है, अक्सर सामाजिक और आर्थिक दबावों के कारण।
- **कल्याण और पुनर्वास:** कई देवदासियाँ अभी भी मान्यता या दस्तावेज़ीकरण के अभाव में पेंशन, आवास, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य लाभ जैसी सरकारी सहायता से वंचित हैं।
- **कानूनी और मानवाधिकार अनुपालन:** भारत महिला अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (जैसे, CEDAW) का हस्ताक्षरकर्ता है। एक सशक्त सर्वेक्षण करने से कमजोर समूहों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलती है।

कर्नाटक देवदासी (रोकथाम, निषेध, राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2025 के बारे में

- यह विधेयक पुराने कानूनों (1982, 2009) को एक व्यापक, अधिकार-आधारित मॉडल से प्रतिस्थापित करता है।
- यह देवदासी समर्पण में किसी भी तरह की संलिप्तता को अपराध घोषित करता है, जिसके लिए 2 से 5 साल की कैद और ₹1 लाख से शुरू होने वाले जुर्माने का प्रावधान है; बार-बार अपराध करने पर 7 साल तक की कैद और ₹2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, और मंदिर परिसर में किए गए अपराध गैर-जमानती हैं।
- देवदासियों के बच्चों को पैतृक पहचान स्थापित करने, उत्तराधिकार का दावा करने और भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। उन्हें कानून के तहत वैध बच्चे माना जाता है।
- तालुक, जिला और राज्य स्तर पर राहत चार्टर और संस्थागत तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, आवास, पेंशन, शिक्षा और आजीविका के अवसरों की गारंटी देता है।

वकालत और सामुदायिक सहभागिता

- पूर्व देवदासी से कार्यकर्ता बनीं और पद्मश्री पुरस्कार विजेता, सीताव्वा जोद्दाती, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) MASS का नेतृत्व करती हैं, जिसने 4,000 से ज़्यादा महिलाओं के पुनर्वास में मदद की है और लगभग 300 स्वयं सहायता समूहों (SHG) की स्थापना की है जो वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा कार्यशालाएँ, कानूनी परामर्श आदि प्रदान करते हैं।
- एक अन्य प्रमुख कार्यकर्ता, शोभा गस्ती ने 1997 में MASS की स्थापना की और 45 वर्ष से अधिक आयु की पूर्व देवदासियों के लिए पेंशन सुनिश्चित करने में मदद की। उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

चुनौतियाँ और समावेशन की माँग

- कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने चेतावनी दी है कि सर्वेक्षण पर आयु सीमा (जैसे, 41 वर्ष और उससे अधिक) लागू करने से कई युवा उत्तरजीवी बाहर हो जाएँगे, जिससे उनकी अदृश्यता और लाभों से वंचित रहना जारी रहेगा।
- 15,000 से अधिक देवदासी महिलाओं के परामर्श से संचालित 2025 विधेयक की सहभागी मसौदा प्रक्रिया, अधोगामी नीति-निर्माण प्रक्रिया से अधिक समावेशी, समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है।

निष्कर्ष

कर्नाटक का देवदासी पुनर्वास कार्यक्रम मज़बूत कानूनी ढाँचों, लक्षित कल्याणकारी सेवाओं, आधुनिक आउटरीच उपकरणों और ज़मीनी स्तर की सक्रियता का संयोजन है। हालाँकि, वास्तव में प्रभावी और न्यायसंगत होने के लिए, पुनः सर्वेक्षण पूरी तरह से समावेशी होना चाहिए और सभी पूर्व देवदासियों—विशेषकर युवा पीड़ितों—को इसमें भाग लेने और लाभान्वित होने में सक्षम बनाना चाहिए।

चोलों की कुदावोली प्रणाली

चर्चा में क्यों: गंगईकोंड चोलपुरम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चोल साम्राज्य ने भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाया।

मुख्य अंश

- प्रधानमंत्री ने राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित हज़ार साल पुराने पत्थर के मंदिर की भी प्रशंसा की।
- उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चोल साम्राज्य की लोकतांत्रिक पद्धति ब्रिटिश मैग्ना कार्टा से सदियों पहले से मौजूद थी।
- गंगईकोंड चोलपुरम एक शिव मंदिर है, जो तमिलनाडु के अरियालुर में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था।

चोल साम्राज्य

- 9वीं से 13वीं शताब्दी ई. तक चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था, जिसका केंद्र वर्तमान तमिलनाडु था।
- राजा राज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम जैसे शासकों के अधीन, साम्राज्य दक्षिण भारत, श्रीलंका और यहाँ तक कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला।
- चोलों के पास एक सशक्त नौसेना थी, जिससे समुद्री व्यापार और विदेशी विजय संभव हुई।
- उन्होंने कला, वास्तुकला (जैसे, बृहदेश्वर मंदिर), तमिल साहित्य और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- चोलों ने ग्राम सभाओं (सभाओं) के माध्यम से एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और स्थानीय स्वशासन प्रणाली विकसित की, जो बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई।
- यह दो प्रमुख ग्राम-स्तरीय संस्थाओं, अर्थात् सभा और उर, पर आधारित था।
  - ➢ **सभा:** ब्रह्मदेय (ब्राह्मणों को दान की गई भूमि) गाँवों में विद्वान ब्राह्मणों की एक परिषद, जो प्रशासन, भूमि प्रबंधन और न्याय के लिए उत्तरदायी थी।
  - ➢ **उर:** गैर-ब्राह्मण बस्तियों में एक सामान्य ग्राम सभा, जहाँ सभी निवासी स्थानीय शासन, संसाधन वितरण और सामुदायिक निर्णयों में भाग लेते थे।
- प्रांतक चोल द्वारा जारी 'उत्तरमेरुर शिलालेख' कुदावोलई प्रणाली नामक औपचारिक चुनावी प्रणाली के दुनिया के सबसे पुराने जीवित साक्ष्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

कुदावोली (KUDAVOLI) प्रणाली: मतपत्र चुनाव प्रणाली

- इस पद्धति के अंतर्गत, गाँवों को वार्डों में विभाजित किया जाता था।
- योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे टिकटों (वोलाई) पर अंकित किए जाते थे और एक बर्तन (कुदा) में रखे जाते थे।
- एक युवा बालक, जिसे आमतौर पर उसकी निष्पक्षता के लिए चुना जाता था, सबके सामने पर्ची निकालता था।
- पत्ते पर लिखे नाम को चुनाव का विजेता घोषित किया जाता था।
- निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा/समिति (जिसे वरियम या कुडुम्बु कहा जाता था) का गठन करते थे।
  - ➢ उद्यान समिति, तालाब (सिंचाई) समिति, न्याय समिति, स्वर्ण समिति (वित्तीय मामले) जैसी समितियाँ।
- यह यादृच्छिक ड्रॉ कोई भाग्य का खेल नहीं था, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामूहिक सहमति पर आधारित एक नागरिक अनुष्ठान था।
- **अयोग्यताएँ और पात्रता मानदंड:**
  - ➢ उम्मीदवारों के पास कर चुकाने लायक भूमि होनी आवश्यक थी।
  - ➢ उनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  - ➢ वैदिक ग्रंथों का अच्छा ज्ञान या प्रशासनिक कौशल होना चाहिए।
  - ➢ उनका रिकॉर्ड साफ़ होना चाहिए और अपराध या घरेलू हिंसा का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए।
  - ➢ जो व्यक्ति कर्ज़ नहीं चुकाते थे, शराब की लत से जूझ रहे थे, या मौजूदा सदस्यों के करीबी रिश्तेदार थे, उन्हें न तो योग्य माना गया और न ही अयोग्य।

कुदावोलाई प्रणाली का महत्व:

- 1,000 साल से भी पहले जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का प्रदर्शन।
- स्थानीय शासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित की।
- परान्तक चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध उत्तरमेरुर शिलालेख (लगभग 920 ई.) जैसे शिलालेखों में इसे संहिताबद्ध किया गया था।
- वंशानुगत शक्ति के बजाय सामुदायिक भागीदारी से प्रेरित।

विरासत

कुदावोलाई प्रणाली दर्शाती है कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन और निर्वाचित प्रतिनिधित्व किस प्रकार अत्यधिक विकसित थे। इतिहासकार अक्सर इसे आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से ग्रामीण प्रशासन, के अग्रदूत के रूप में उद्धृत करते हैं।

निष्कर्ष

कुदावोलाई प्रणाली चोल साम्राज्य की लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जमीनी स्तर के शासन की उन्नत समझ को दर्शाती है। इसकी पारदर्शी, सहभागी चुनाव पद्धति प्राचीन भारतीय प्रशासन में जवाबदेही, निष्पक्षता और नागरिक भागीदारी के महत्व को उजागर करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "चोल साम्राज्य की कुदावोलाई प्रणाली प्राचीन भारत की प्रारंभिक लोकतांत्रिक प्रथाओं को दर्शाती है। इसकी विशेषताओं, महत्व और आधुनिक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।" [250 शब्द] [15 अंक]

महाबोधि मंदिर

चर्चा में क्यों: सर्वोच्च न्यायालय ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को निरस्त करने और बिहार में महाबोधि मंदिर के उचित नियंत्रण, प्रबंधन और प्रशासन के लिए इसे केंद्रीय कानून के साथ बदलने की याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

मुख्य विवरण

- यह याचिका न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
- पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा।
- याचिका में 1949 के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 13 के साथ "असंगत" है।
- अनुच्छेद 13 उन कानूनों से संबंधित है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या उनका हनन करते हैं।
- याचिका में संबंधित अधिकारियों को न्याय के हित में धार्मिक, आस्था, विश्वास और पूजा का प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन करने के लिए दुनिया भर के बौद्धों की अनन्य पूजा के लिए बोधगया मंदिर परिसर में किए गए अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

महाबोधि मंदिर के बारे में

- महाबोधि मंदिर परिसर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र क्षेत्रों में से एक है।
- बोधगया वह स्थान है जहाँ माना जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

- महाबोधि मंदिर परिसर में एक भव्य 50 मीटर ऊँचा मंदिर है जिसे वज्रासन के नाम से जाना जाता है, साथ ही एक प्रतिष्ठित बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञानोदय से संबंधित छह अतिरिक्त पवित्र स्थल भी हैं।
- यह क्षेत्र कई प्राचीन मन्नत स्तूपों से घिरा हुआ है, जिनमें से सभी आंतरिक, मध्य और बाहरी गोलाकार सीमाओं द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित हैं।
- दक्षिण में, घेरे के बाहर, कमल तालाब नामक एक सातवाँ पवित्र स्थल स्थित है।
- मंदिर क्षेत्र और कमल तालाब दोनों दो या तीन अलग-अलग स्तरों पर घुमावदार पैदल मार्गों से घिरे हैं, और पूरा परिसर आसपास की भूमि की सतह से 5 मीटर नीचे स्थित है।

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 (बीजीटीए) पर विवाद

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - 1949 से पहले, बुद्ध के ज्ञानोदय स्थल महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक हिंदू महंत द्वारा किया जाता था, जिसके कारण संरक्षकता को लेकर लंबे समय तक विवाद चला।
  - बिहार राज्य ने एक औपचारिक संरचना के माध्यम से मंदिर प्रशासन को विनियमित करने के लिए बीजीटीए अधिनियमित किया।
  - इस अधिनियम ने बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) की स्थापना की, जिसमें चार बौद्ध और चार हिंदू शामिल थे, और गया के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) पदेन अध्यक्ष थे। 2013 के संशोधन तक, डीएम हिंदू होना आवश्यक था।
- **धार्मिक स्वायत्तता बनाम साझा शासन:**
  - बौद्ध समूहों का तर्क है कि एक पवित्र बौद्ध मंदिर का शासन गैर-बौद्धों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
  - वे पवित्रता और धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए विशेष नियंत्रण चाहते हैं, यह देखते हुए कि अन्य धर्म अपने पूजा स्थलों का प्रबंधन स्वयं करते हैं।
  - समान प्रतिनिधित्व के बावजूद, डीएम अक्सर गैर-बौद्धों के पक्ष में संतुलन बनाते थे।
  - आलोचकों का कहना है कि शिवलिंग स्थापित करना या बुद्ध को अवतार मानना जैसे हिंदू अनुष्ठान बौद्ध सिद्धांत के साथ असंगत हैं और इस स्थल के प्रतीकवाद को कमजोर करते हैं।

वर्तमान स्थिति और माँगें

- बौद्ध समूहों का तर्क है कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी संयुक्त हिंदू-बौद्ध समिति द्वारा।
- स्वतंत्रता से पूर्व यह मंदिर हिंदू महंतों के नियंत्रण में था। हालाँकि बीजीटीए ने सुधार का प्रयास किया, लेकिन बौद्धों का मानना है कि यह औपनिवेशिक काल की असमानताओं को जारी रखता है और विशुद्ध रूप से बौद्ध स्थल पर गैर-बौद्ध अनुष्ठानों की अनुमति देता है।
- बौद्ध भिक्षुओं और संगठनों ने इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल और प्रदर्शन किए हैं।

कानूनी जटिलताएँ और जारी विरोध प्रदर्शन

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 (बीजीटीए) से जुड़ी कानूनी जटिलताओं में संवैधानिक, धार्मिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ शामिल हैं।

- **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन (अनुच्छेद 25 और 26):**
  - अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं करने की अनुमति देता है।
  - बौद्ध समूहों का तर्क है कि बीजीटीए गैर-बौद्धों (हिंदुओं और राज्य के अधिकारियों) को बौद्ध धार्मिक स्थल के प्रबंधन में भाग लेने की अनुमति देकर इन अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **धार्मिक स्वायत्तता का खंडन:**
  - हिंदू मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों के विपरीत, जहाँ अनुयायी विशेष रूप से मामलों का प्रबंधन करते हैं, बोधगया में साझा शासन मॉडल को बौद्ध स्वायत्तता में एक असाधारण हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
  - यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत भेदभाव और असमान व्यवहार की चिंताएँ पैदा करता है।
- **धार्मिक संस्थान पर राज्य का नियंत्रण:**
  - जिला मजिस्ट्रेट (एक सरकारी अधिकारी) का मंदिर समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में होना धार्मिक संस्थानों में राज्य के हस्तक्षेप पर सवाल उठाता है।
  - यह राज्य और धर्म के बीच की रेखा को धुंधला करता है, और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- **मंदिर की प्रकृति और मिश्रित स्वामित्व का इतिहास:**
  - कानूनी रूप से, महाबोधि मंदिर 1949 से पहले हिंदू महंतों के नियंत्रण और ऐतिहासिक रूप से होने वाले साझा अनुष्ठानों के कारण अद्वितीय है।
  - यह स्वामित्व और स्वामित्व को एक जटिल कानूनी मुद्दा बनाता है, जो अनन्य बौद्ध नियंत्रण के दावों को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- बीजीटीए में संशोधन करके यह सुनिश्चित करना कि मंदिर प्रबंधन समिति में बौद्धों का स्पष्ट बहुमत हो।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष एक बौद्ध अनुयायी हो, खासकर इसलिए क्योंकि मंदिर विशेष रूप से बौद्ध धर्म के लिए पवित्र है।
- धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने और राज्य के अतिक्रमण को रोकने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट की पदेन भूमिका को एक स्वतंत्र बौद्ध धार्मिक प्रमुख या एक तटस्थ नागरिक प्रशासक से बदलना।
- प्रमुख बौद्ध स्थलों की देखरेख, सामुदायिक प्रतिनिधित्व, संरक्षण और वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए संस्कृति या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक बौद्ध विरासत बोर्ड बनाना।
- सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से अनुच्छेद 25, 26 और 14 के तहत बीजीटीए की संवैधानिकता की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और धार्मिक स्वायत्तता और राज्य की भागीदारी पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने चाहिए।
- ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और राजनीतिकरण से बचने के लिए बौद्ध-हिंदू संवाद को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

एक सुधारित कानूनी ढाँचे को बौद्ध धार्मिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, और दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक के समावेशी, गैर-राजनीतिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए। इससे भारत की बहुलतावाद और बुद्ध की भूमि के रूप में वैश्विक छवि मज़बूत होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
2. महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
3. बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के तहत इस मंदिर का प्रबंधन विशेष रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाता है।
4. सम्राट अशोक को इस स्थल पर मूल संरचना के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

ललित कला अकादमी

चर्चा में क्यों: ललित कला अकादमी (एलकेए) ने कलाकार सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

कलात्मक उत्कृष्टता के लिए एक मंच

- लक्ष्मी कला अकादमी (एलकेए) समकालीन दृश्य कलाओं (पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंटमेकिंग, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन और मिश्रित मीडिया सहित) के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है, जो अग्रणी और उभरते भारतीय कलाकारों द्वारा समकालीन कलाकृतियों की विविध श्रृंखला प्रदर्शित करता है।
- 1954 में स्थापित, एलकेए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।
- 64वें संस्करण में हज़ारों प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 300 से अधिक कलाकृतियों का चयन एक प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल द्वारा किया गया।
- कुल 15 कलाकारों को राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला, जिनमें से प्रत्येक को ₹1 लाख का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया।

विविध विषय और स्वर

- इस वर्ष की प्रदर्शनी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है, और निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालती है:
  - जलवायु परिवर्तन और स्थिरता
  - लैंगिक पहचान और सामाजिक न्याय
  - शहरीकरण और प्रवास
  - लोक परंपराएँ और आध्यात्मिक प्रतीकवाद

ललित कला अकादमी की प्रमुख पहल

- **राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी:** देश भर की समकालीन भारतीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम।
- **कार्यशालाएँ, शिविर और कलाकार निवास:** रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय-स्तरीय कला शिविर, कार्यशालाएँ और कलाकार-निवास कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **कला छात्रवृत्तियाँ और फैलोशिप:** युवा कलाकारों और कला छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए छात्रवृत्तियाँ और शोध अनुदान प्रदान करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम:** विदेशी कला संस्थानों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाता है, जिससे भारतीय कलाकारों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन और सहयोग करने का अवसर मिलता है।
- **प्रकाशन और प्रलेखन:** भारतीय कला प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कला पत्रिकाएँ, मोनोग्राफ और प्रदर्शनी कैटलॉग प्रकाशित करता है।
- **क्षेत्रीय केंद्र और गैलरी:** कला तक पहुँच को विकेंद्रीकृत करने के लिए चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर और लखनऊ जैसे शहरों में क्षेत्रीय केंद्र संचालित करता है।
- **पारंपरिक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन:** लोक, आदिवासी और पारंपरिक भारतीय कला रूपों को आधुनिक कलात्मक प्रथाओं के साथ एकीकृत करते हुए, उन्हें समर्थन देने के लिए पहल करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ललित कला अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख पहल की गई है/हैं?

1. राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन।
2. दृश्य कलाकारों को राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार प्रदान करना।
3. कलाकार निवास, कार्यशालाएँ और कला शिविर आयोजित करना।
4. नृत्य और संगीत जैसी प्रदर्शन कलाओं के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा वैश्विक व्यवस्था को नया रूप

चर्चा में क्यों: यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें किसी भी देश पर हमला होने पर "पारस्परिक सहायता" प्रदान करने का वादा किया गया है।

पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें प्रमुख शक्तियाँ मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में विभाजित थीं।
- नाज़ी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के कारण, इसमें भारी विनाश, नरसंहार और जापान में परमाणु बमबारी हुई।
- इसने वैश्विक राजनीति को नया रूप दिया, जिसके परिणामस्वरूप शीत युद्ध और संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटेन ने एक मित्र शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि जर्मनी धुरी राष्ट्रों (एक दूसरे के विपरीत) के साथ संबद्ध था।

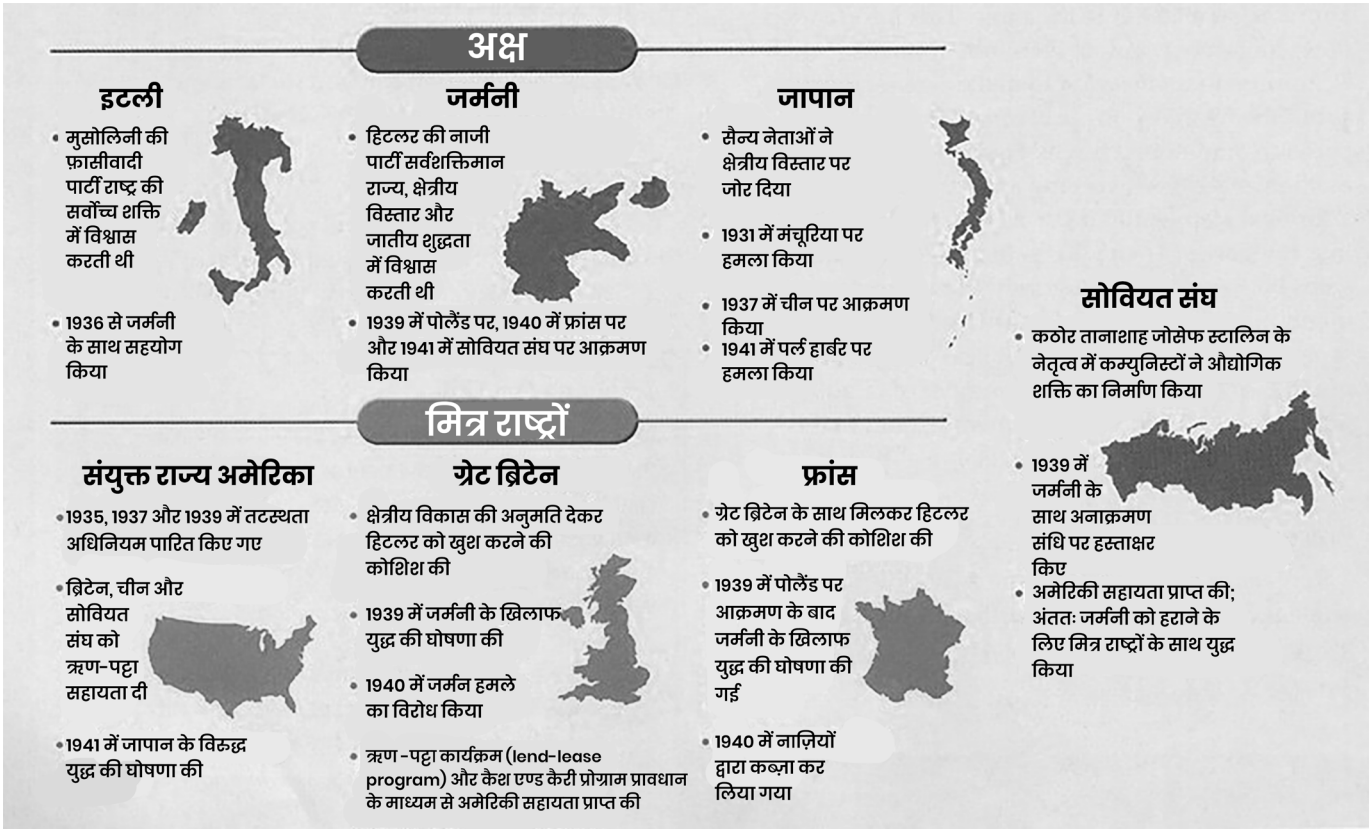

प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध को कैसे जन्म दिया

प्रथम विश्व युद्ध ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों के मिश्रण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी:

- **वर्साय की संधि (1919)**
  - इसने जर्मनी पर भारी दंड लगाया, जिसमें भारी क्षतिपूर्ति, भू-क्षेत्र का नुकसान और सैन्य सीमाएँ शामिल थीं।
  - इससे जर्मनी अपमानित और आक्रोशित महसूस करने लगा, जिससे राष्ट्रवादी और प्रतिशोधी भावनाएँ भड़क उठीं।
- **आर्थिक उथल-पुथल**
  - युद्ध ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस कर दिया।
  - 1929 की महामंदी ने वैश्विक अस्थिरता और बेरोजगारी को और भी बदतर बना दिया, जिससे फासीवाद और नाज़ीवाद जैसी अतिवादी विचारधाराओं को और अधिक समर्थन मिला।
- **अधिनायकवादी शासन का उदय**
  - आर्थिक और राजनीतिक अराजकता ने सत्तावादी नेताओं (जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी) को सत्ता में आने का मौका दिया, क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थान और बदला लेने का वादा किया था।
- **राष्ट्र संघ की विफलता**
  - हालाँकि इसकी स्थापना भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन इसके पास अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं थी और यह 1930 के दशक में धुरी राष्ट्रों के आक्रमण को रोकने में विफल रहा।
- **अनसुलझे राष्ट्रवादी तनाव**
  - प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्धारित सीमाओं में, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और बाल्कन में, जातीय और राष्ट्रीय पहचानों की अनदेखी की गई, जिसके कारण निरंतर संघर्ष जारी रहा।

द्वितीय विश्व युद्ध का क्रम

- **युद्ध का आरंभ (1939)**
  - **1 सितंबर, 1939:** जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया।
  - **3 सितंबर, 1939:** ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।
  - मोलोटोव-रिबेंट्रॉप संधि के तहत सोवियत संघ ने पूर्वी पोलैंड पर आक्रमण किया।
  - पोलैंड जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित हो गया।
- **प्रारंभिक धुरी राष्ट्रों की विजय (1939-1941)**
  - ब्लिट्जक्रेग ("लाइटनिंग वॉर") रणनीति के कारण जर्मनी को तीव्र विजय प्राप्त हुई।
  - **1940:**
    - जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया।
    - **मई-जून 1940:** फ्रांस का पतन।
    - **ब्रिटेन का युद्ध शुरू:** ब्रिटेन ने जर्मन हवाई हमलों का विरोध किया।
  - **1941:**
    - **अप्रैल:** जर्मनी ने यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण किया।
    - **22 जून, 1941:** ऑपरेशन बारब्रोसा - जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया।
    - **7 दिसंबर, 1941:** जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया।
    - **8-11 दिसंबर:** अमेरिका युद्ध में उतरा; जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

- **निर्णायक मोड़ (1942-1943)**
  - **1942:**
    - **मिडवे का युद्ध (जून):** प्रशांत क्षेत्र में जापान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी जीत।
    - **अल अलामीन (अक्टूबर):** उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश विजय।
  - **1943:**
    - **स्टेलिनग्राद का युद्ध समाप्त (फरवरी):** सोवियत संघ की बड़ी जीत, पूर्वी मोर्चे पर स्थिति बदल गई।
    - मित्र देशों का इटली पर आक्रमण शुरू (जुलाई)।
    - इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया (सितंबर), लेकिन जर्मनी ने इटली में लड़ाई जारी रखी।
- **मित्र देशों के आक्रमण (1944)**
  - **6 जून, 1944 – D-Day:** मित्र देशों की सेनाएँ फ्रांस के नॉरमैंडी में उतरीं।
  - **अगस्त 1944:** पेरिस आजाद हुआ।
  - सोवियत सेनाएँ पश्चिम की ओर बढ़ीं और पूर्वी यूरोप में जर्मन सेनाओं को पीछे धकेला।
  - धुरी शक्तियाँ सभी मोर्चों पर पीछे हट गईं।
- **धुरी शक्तियों की पराजय (1945)**
  - **अप्रैल 1945:**
    - सोवियत ने बर्लिन में प्रवेश किया।
  - **30 अप्रैल:** हिटलर ने आत्महत्या कर ली।
  - **7-8 मई, 1945:** जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया - V-E दिवस (यूरोप में विजय)।
  - **6 और 9 अगस्त, 1945:** अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए।
  - **15 अगस्त, 1945:** जापान ने आत्मसमर्पण किया - V-J दिवस (जापान पर विजय)।

द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक व्यवस्था को कैसे नया रूप दिया

- **महाशक्तियों (अमेरिका और सोवियत संघ) का उदय**
  - **द्वितीय विश्व युद्ध से पहले:** यूरोप वैश्विक राजनीति पर हावी था।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद:
    - अमेरिका और सोवियत संघ सैन्य और वैचारिक रूप से प्रभावशाली महाशक्तियों के रूप में उभरे।
    - द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने पुरानी बहुध्रुवीय व्यवस्था का स्थान ले लिया।
    - शीत युद्ध (1947-1991) का कारण बना: पूंजीवाद बनाम साम्यवाद।
- **यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन**
  - यूरोपीय शक्तियाँ (ब्रिटेन, फ्रांस, आदि) आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गईं।
  - उपनिवेशित राष्ट्रों ने फासीवाद-विरोधी बयानबाजी और युद्धकालीन बलिदानों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता की माँग की।
  - उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों को बढ़ावा दिया:
    - अफ्रीका (जैसे, घाना, केन्या)
    - एशिया (जैसे, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम)
    - 1960 के दशक तक, अधिकांश उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिल गई थी।
- **संयुक्त राष्ट्र का निर्माण (1945)**
  - संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक और वैश्विक युद्ध को रोकने के लिए की गई थी।
  - इसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना था।
  - इसने राष्ट्र संघ का स्थान लिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा था।
  - इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है; अब लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं।
- **यूरोप का विभाजन और काल्पनिक बाधा**
  - **युद्धोत्तर यूरोप विभाजित था:**
    - पश्चिमी यूरोप: लोकतांत्रिक, पूंजीवादी (अमेरिका समर्थित)।
    - पूर्वी यूरोप: साम्यवादी, सोवियत नियंत्रण में।
  - इसके परिणामस्वरूप नाटो (1949) और वारसॉ संधि (1955) का निर्माण हुआ।
  - जर्मनी विभाजित हो गया: पश्चिमी जर्मनी (संघीय गणराज्य) और पूर्वी जर्मनी (साम्यवादी)।
- **आर्थिक पुनर्निर्माण और वैश्विक संस्थाएँ**
  - **मार्शल योजना (1948):** अमेरिका ने यूरोप के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के लिए धन मुहैया कराया।
  - वैश्विक आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया:
    - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
    - विश्व बैंक
    - GATT (जो बाद में WTO बन गया)
  - वैश्विक पूंजीवाद और मुक्त व्यापार की नींव रखी।
- **इज़राइल का गठन और मध्य पूर्व तनाव**
  - 1948: नरसंहार के बाद, इज़राइल यहूदियों के लिए एक मातृभूमि के रूप में स्थापित हुआ।
  - इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक अरब-इज़राइल संघर्ष हुए।
  - मध्य पूर्व की भू-राजनीति का नया स्वरूप सामने आया।
- **परमाणु युग की शुरुआत**
  - हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों के प्रयोग ने परमाणु हथियारों को वैश्विक राजनीति में एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में स्थापित किया।
  - परमाणु हथियारों की होड़ शीत युद्ध की एक परिभाषित विशेषता बन गई।
  - परमाणु प्रसार को लेकर जारी वैश्विक चिंताएँ।
- **मानवाधिकार और युद्ध अपराध**
  - नूरेमबर्ग मुकदमों में नाज़ी नेताओं पर युद्ध अपराधों और नरसंहार का मुकदमा चलाया गया।
  - इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का विकास हुआ।
  - 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया।

क्षेत्र	प्रभाव
यूरोपीय सुरक्षा	साझा रक्षा रुख के माध्यम से मज़बूत निरोध; अमेरिका पर कम निर्भरता; यूरोपीय स्वायत्तता में निवेश।
रक्षा उद्योग	रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा, साझा रसद, बढ़ा हुआ निर्यात और खरीद में पैमाने की अर्थव्यवस्था।
प्रवासन और सामाजिक सामंजस्य	चैनल तस्करी में संभावित कमी; नागरिक और भाषाई कार्यक्रमों का लाभ उठाकर बेहतर एकीकरण; सामाजिक स्थिरता में वृद्धि।
तकनीकी नेतृत्व	संयुक्त नवाचार दोनों देशों को उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणी बना सकता है।
भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण	ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन यूरोप के साथ मजबूती से जुड़ रहा है; E3 गठबंधन एक अधिक सुसंगत यूरोपीय विदेश नीति को आकार दे रहा है।
जोखिम और चुनौतियाँ	घरेलू राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में बाधा डाल सकती है; कार्यान्वयन और बौद्धिक संपदा विवाद प्रमुख परियोजनाओं में देरी कर सकते हैं।

भविष्य की दिशा

- **संयुक्त क्षमता विकास**: परियोजनाओं में लंबी दूरी की सटीक प्रहार प्रणालियों (2,000 किमी+), ड्रोन, बॉक्सर जैसे बख्तरबंद वाहनों और स्कॉटलैंड से संचालित जर्मन विमानों जैसे गश्ती दल का सह-विकास शामिल है।
- **उन्नत औद्योगिक सहयोग**: साझा हथियार निर्यात, नई विनिर्माण सुविधाएँ (जैसे, यूके में एक राइनमेटल कारखाना), और रक्षा उद्योग रणनीतियों में अंतर-संचालनीयता।
- **E3 समन्वय (यूके-जर्मनी-फ्रांस):** यह संधि त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करती है, प्रवासन, रक्षा और विदेश नीति पर साझा रणनीति को और गहरा करती है।
- **ऊर्जा और प्रौद्योगिकी संबंध**: पूर्ण-स्पेक्ट्रम सहयोग नवीकरणीय ऊर्जा (विशेष रूप से उत्तरी सागर परियोजनाएँ), डिजिटल नवाचार, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान तक फैला है।
- **तस्करी के विरुद्ध कानूनी सुधार**: जर्मनी ब्रिटेन में अनधिकृत प्रवासन की सुविधा को आपराधिक बनाएगा, तस्करों और रसद केंद्रों को लक्षित करेगा—यहाँ तक कि प्रवासियों की अनुपस्थिति में भी।
- **रक्षा व्यय में वृद्धि**: रक्षा बजट बढ़ाने की प्रतिबद्धता—जीडीपी का 3.5%—और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना।
- **औद्योगिक विकास**: रोज़गार सृजन निवेश, जैसे स्वीडन में ड्रोन निर्माण और ब्रिटिश तकनीक का उपयोग करके यूके-आधारित तोपखाने का उत्पादन।
- **नवाचार निधि**: एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर लचीलेपन में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी निवेश अपेक्षित हैं; उदाहरण के लिए, 2030 तक 0.6% (यूके) और 0.8% (जर्मनी) की अनुमानित जीडीपी वृद्धि के साथ €2.5 बिलियन का नवाचार कोष।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "यूके-जर्मनी मैत्री और द्विपक्षीय सहयोग संधि यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता और ब्रेक्सिट के बाद पुनर्संरेखण को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" विकसित हो रही वैश्विक शक्ति गतिशीलता, यूरोपीय सुरक्षा और भारत पर इसके प्रभावों के संदर्भ में इस संधि के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

राजा राजेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति

चर्चा में क्यों: राजेंद्र चोल प्रथम के गतिशील नेतृत्व में, नौसेना की सर्वोच्चता अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गई।

मुख्य विवरण

- भारत के संपूर्ण दक्षिणी प्रायद्वीप पर उनके प्रभुत्व के कारण, चोलों को समुद्र तक निर्बाध पहुँच प्राप्त थी।
- इस अवधि के दौरान शुरू किए गए नौसैनिक अभियानों के परिणामस्वरूप श्रीलंका पर कब्ज़ा हुआ और बंगाल की खाड़ी पार करके मलय प्रायद्वीप के सुदूर तटों तक एक साहसिक अभियान चलाया गया।
- मलय प्रायद्वीप की पराजय के कारण राजेंद्र को कदरम कोंडन (कदरम का विजेता) की उपाधि मिली।

राजेंद्र चोल प्रथम (1014-1044 ई.)

- महान राजराजा चोल प्रथम के पुत्र, राजेंद्र लगभग 1014 ई. में सिंहासन पर बैठे।
- उन्हें एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित चोल साम्राज्य विरासत में मिला, जिसका उन्होंने अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक विस्तार किया।
- अपनी सैन्य प्रतिभा और महत्वाकांक्षी विजयों के कारण उन्हें "दक्षिण भारत का नेपोलियन" कहा जाता है।
- **नौसैनिक क्षमता**
  - ➢ राजेंद्र चोल प्रथम (लगभग 1014-1044 ई.) भारतीय उपमहाद्वीप से परे बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभियान चलाने वाले पहले भारतीय सम्राट थे।
  - ➢ उन्होंने चोल नौसेना को एक शक्तिशाली समुद्री सेना में परिवर्तित किया ताकि:
    - ♦ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण किया जा सके।
    - ♦ दक्षिण-पूर्व एशिया में शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके।
    - ♦ बंदरगाहों और व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को सुरक्षित और विस्तारित किया जा सके।

प्रमुख नौसैनिक अभियान

- ➢ **श्रीलंका विजय**
  - ♦ अपने पिता, राजराजा चोल प्रथम द्वारा शुरू की गई विजय को जारी रखा और पूरा किया।
  - ♦ पूरे द्वीप को अपने अधीन कर लिया, जिससे यह चोल साम्राज्य में पूर्ण रूप से शामिल हो गया।

- **मालदीव अभियान**
  - चोल नौसेना ने मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करते हुए हिंद महासागर में गहराई तक अभियान बढ़ाया।
  - यह एक सैन्य चौकी और एक व्यापारिक चौकी दोनों के रूप में कार्य करता था।
- **दक्षिण पूर्व एशियाई अभियान (लगभग 1025 ई.) - श्रीविजय अभियान**
  - सबसे प्रसिद्ध और दूरगामी नौसैनिक अभियान।
  - राजेंद्र ने श्रीविजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक विशाल नौसैनिक बेड़ा भेजा, जिसका नियंत्रण प्रमुख समुद्री अवरोध बिंदुओं पर था:
    - मलक्का जलडमरूमध्य
    - सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र
- **नौसैनिक उपलब्धियों का महत्व**
  - **भारतीय प्रभाव का विस्तार**
    - बंगाल की खाड़ी में चोल राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार।
    - दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारतीय समुद्री और व्यापारिक नेटवर्क को मज़बूत किया।
  - **सैन्य और सैन्य उत्कृष्टता**
    - संगठित, लंबी दूरी की नौसैनिक रसद का प्रदर्शन किया—जो उस समय के लिए दुर्लभ था।
    - समुद्र के पार कुशल सैन्य आवाजाही, जहाज निर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाएँ।
  - **हिंद महासागर भू-राजनीति का अग्रदूत**
    - औपनिवेशिक यूरोपीय नौसैनिक साम्राज्यों से सदियों पहले का।
    - भारत की प्रारंभिक समुद्री नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन

निष्कर्ष

राजेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति ने भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया, दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रभाव बढ़ाया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। उनकी रणनीतिक दृष्टि ने सैन्य शक्ति को कूटनीति के साथ जोड़कर एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करती है।

आगे की राह

21वीं सदी में, जब भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अग्रणी समुद्री शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत को पुनर्जीवित करना प्रेरणा और दिशा दोनों प्रदान करता है। प्रमुख कदमों में शामिल हैं:

- **स्वदेशी नौसेना क्षमताओं को मज़बूत करना** - आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत समुद्री नौसेना परिसंपत्तियों और जहाज निर्माण में निवेश करना।
- **समुद्री कूटनीति को बढ़ावा देना** - चोल काल के दौरान स्थापित प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हुए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ नौसैनिक सहयोग को गहरा करना।
- **समुद्री विरासत को बढ़ावा देना** - भारत की नौसैनिक विरासत का सम्मान करने के लिए नागपट्टिनम और गंगईकोंडा चोलपुरम जैसे ऐतिहासिक बंदरगाहों को विरासत और शैक्षिक केंद्रों के रूप में विकसित करना।
- **सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना** - सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाने के लिए साझा इतिहास का उपयोग करें, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों के साथ।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाए।
2. उनके नौसैनिक अभियानों ने भारतीय प्रभाव को मालदीव और श्रीलंका तक बढ़ाया।
3. राजेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (द)

इकाई 9

सरकारी योजनाएँ

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 100 कृषि जिलों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) को मंजूरी दी।

मुख्य विवरण

- यह योजना चालू वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी।
- यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगा।
- नीति आयोग, पीएमडीडीकेवाई को "समग्र मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण" सहायता भी प्रदान करेगा।

फसल सघनता

- फसल सघनता भूमि के उपयोग की कुशलता का माप है।
- इसे कुल बोए गए क्षेत्रफल और शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- सरल शब्दों में, फसल सघनता का अर्थ है एक कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में किसी भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या।
- अखिल भारतीय स्तर पर, 2021-22 में फसल सघनता 155 प्रतिशत दर्ज की गई, लेकिन राज्यों में इसमें भिन्नताएँ पाई गईं।

योजना के बारे में

- पीएमडीडीकेवाई के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले के लिए कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों सहित एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
- यह जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ योजना कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला धन धान्य समिति द्वारा तैयार की जाएगी और प्रगतिशील किसान इसके सदस्य होंगे।
- ये योजनाएँ व्यापक परामर्श और कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फसल पैटर्न और संबद्ध गतिविधियों की समझ पर आधारित होंगी।
- इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियाँ गठित की जाएँगी।
- क्षेत्रीय भ्रमण, समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए जाएँगे।
- प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना की प्रगति की 117 प्रमुख निष्पादन संकेतकों के आधार पर मासिक आधार पर निगरानी की जाएगी।
- प्रत्येक जिले में तकनीकी ज्ञान भागीदार के रूप में केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय होंगे।
- एक डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता, पहुँच और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

योजना का उद्देश्य

- **कार्यक्रम के पाँच उद्देश्य हैं:**
  - कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
  - फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना।
  - पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि।
  - सिंचाई सुविधाओं में सुधार।
  - दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।

अपेक्षित परिणाम

- यह योजना केवल फसल कृषि पर ही नहीं, बल्कि फल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केंद्रित होगी।
- पैमाने, प्रौद्योगिकी और संस्थागत शक्ति का लाभ उठाकर, यह योजना ग्रामीण परिवर्तन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। इस योजना के परिणामस्वरूप:
  - उच्च उत्पादकता
  - कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मूल्य संवर्धन
  - स्थानीय आजीविका सृजन
  - घरेलू उत्पादन में वृद्धि
  - आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की प्राप्ति

किसानों और कृषि क्षेत्र पर योजना के संभावित प्रभाव

- **फसलोत्तर बुनियादी ढाँचे में सुधार:** यह योजना आधुनिक गोदामों, शीतगृहों

और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है, जिससे फसलोत्तर नुकसान कम हो सकता है और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति हो सकती है।

- **ऋण तक बेहतर पहुँच:** एकत्रीकरण केंद्रों और विपणन प्लेटफार्मों जैसे बुनियादी ढाँचे का समर्थन करके, किसानों—विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों—की संस्थागत ऋण और सरकारी खरीद तंत्र तक बेहतर पहुँच हो सकती है।
- **कृषि निर्यात को बढ़ावा:** बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण और भंडारण बुनियादी ढाँचे के साथ, भारतीय कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, जिससे निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है।
- **फसल विविधीकरण को बढ़ावा:** भंडारण और मूल्य संवर्धन की बेहतर सुविधाएँ किसानों को पारंपरिक अनाजों के बजाय फलों, सब्जियों और दालों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे उनकी आय सुरक्षा में वृद्धि होगी।
- **कृषि-तकनीक और नवाचार को समर्थन:** यह योजना कृषि-संबंधी तकनीक (जैसे सटीक खेती, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आदि) में स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए जगह बनाती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और क्षेत्र का आधुनिकीकरण करती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई धन-धान्य कृषि योजना, भारतीय कृषि में कुछ स्थायी संरचनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए अभिसरण, विकेन्द्रीकृत नियोजन और वास्तविक समय निगरानी की शक्तियों का उपयोग करती है।

नीति आयोग, कृषि विश्वविद्यालयों और 11 मंत्रालयों से मजबूत वित्तीय समर्थन और सहायता के साथ, यह पहल कम उत्पादकता, मध्यम फसल घनत्व और निम्न ऋण मानकों वाले 100 जिलों की आजीविका को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, जिससे लचीले ग्रामीण समुदायों को बढ़ावा मिलता है और कृषि क्षेत्र में "सबका साथ, सबका विकास" की प्रतिबद्धता पूरी होती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य भारत में व्यापक कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं और किसानों एवं कृषि क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियाँ बाधा बन सकती हैं? [250 शब्द] [15 अंक]

एसएएससीआई योजना (SASCI SCHEME)

चर्चा में क्यों: पर्यटन मंत्रालय ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट टेम्पलेट के साथ परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।

उद्देश्य और लक्ष्य

- इस योजना का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास, ब्रांडिंग और वैश्विक स्तर पर उनके विपणन हेतु राज्यों को 50 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार के अवसर सृजित करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण पर्यटन अनुभव विकसित करना है जो अपेक्षित मूल्य सृजित करे और उत्तरदायी पर्यटन पद्धतियों को अपनाते हुए योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करे।
- यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यटन अनुभवों के डिज़ाइन और विकास हेतु सर्वोत्तम विशेषज्ञता के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
- राज्य सरकार परियोजना के लिए सभी बाधाओं से मुक्त, निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का विकास और पूर्ण होना अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर होगा। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत 31.03.2026 तक धनराशि जारी करेगी, हालाँकि राज्यों को 31.03.2026 के बाद भी जारी की गई धनराशि का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- परियोजना का संचालन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

लाभ

- **पर्यटक प्रवाह में विविधता:** कम ज्ञात स्थलों (जैसे, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर, आंध्र प्रदेश में गंडिकोटा, गोवा में पोंडा) के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे संतृप्त स्थलों पर दबाव कम होता है और पर्यटक यातायात का पुनर्वितरण होता है।
- **आर्थिक उत्थान और रोज़गार सृजन:** पर्यटन से जुड़े रोज़गार सृजन, बुनियादी ढाँचे में निवेश और सहायक सेवाओं में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है।
- **सतत और समुदाय-केंद्रित:** संधारणीयता, वहन क्षमता, सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ज़ोर दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।
- **विशेषज्ञता और तकनीक का लाभ:** डिज़ाइन, पर्यावरण, विरासत प्रबंधन में विशेषज्ञों की भागीदारी को बढ़ावा देता है और बेहतर पर्यटन प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों को एकीकृत करता है।
- **सहकारी संघवाद को सशक्त करना:** नवाचार के लिए लचीलेपन के साथ अंतर-सरकारी सहयोग—केंद्रीय वित्त पोषण, राज्य-आधारित कार्यान्वयन—को प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ/नुकसान

- **राज्य क्षमता सीमाएँ:** महत्वाकांक्षी, समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्यों के पास अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता या प्रशासनिक क्षमता का अभाव हो सकता है।
- **स्थायित्व संबंधी चिंताएँ:** कठोर निगरानी के बिना, बुनियादी ढाँचे के विकास से पारिस्थितिक क्षरण या पर्यटकों की अस्थाई वहन क्षमता का जोखिम होता है।
- **क्रियान्वयन और रखरखाव संबंधी जोखिम:** बुनियादी ढाँचे के लिए अक्सर दीर्घकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। राज्यों को प्रारंभिक स्थापना के बाद भी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता करनी चाहिए।

सकारात्मक प्रभाव

- **सांस्कृतिक परियोजनाएँ:** एसएएससीआई भाग 6 के अंतर्गत आइज़ोल में "पीएम एकता मॉल" (यूनिटी मॉल) - स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है।
- **आध्यात्मिक और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा:** एसएएससीआई के अंतर्गत एक निधि आंध्र प्रदेश में अखंड गोदावरी परियोजना को आवंटित की गई ताकि राजमुंदरी को एक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र में बदला जा सके।
- **संतुलित पर्यटन विकास:** इसका उद्देश्य मुख्यधारा के आकर्षणों पर भीड़भाड़ को कम करना और कम खोजे गए स्थानों में पर्यटन वृद्धि को गति देना है।

भविष्य के लाभ और परिणाम

श्रेणी	अंतर्दृष्टि
संतुलित पर्यटन प्रसार	नए क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोकप्रिय स्थलों पर दबाव कम हो सकता है।
आर्थिक गुणक	बुनियादी ढांचे और विपणन निवेश से पर्यटन राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होने की संभावना है।
स्थानीय सशक्तिकरण	समुदायों को नौकरियों, शिल्प बाज़ारों और सेवा इंटरफेस के माध्यम से लाभ होगा।
वैश्विक छवि संवर्धन	वैश्विक स्तर के पर्यटन केंद्रों का विकास भारत के अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण को बढ़ाता है।
मापनीयता और प्रतिकृति	मार्च 2026 की समय-सीमा से आगे की भविष्य की योजनाओं के लिए प्रभावी मॉडल अपनाए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ अभिसरण	स्वर्णिम भारत 2047, मेक इन इंडिया और स्वदेश दर्शन जैसी पहलों के साथ संरेखित।

आगे की राह

एसएएससीआई योजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए, क्षमता निर्माण, सतत नियोजन, सामुदायिक सहभागिता और समय पर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने और अन्य पर्यटन पहलों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने से प्रभाव और जवाबदेही और बढ़ेगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पर्यटन मंत्रालय की एसएएससीआई (SASCI) योजना का मुख्य उद्देश्य है:

(a) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

(b) पूंजी निवेश सहायता से प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास करना

(c) होटल निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना

(d) निजी टूर ऑपरेटरों को सीधे वित्तपोषित करना

उत्तर: (b)

अमृत भारत स्टेशन योजना

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार "अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीबीएस)" के तहत तमिलनाडु में 77 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है।

अन्य विवरण

- तमिलनाडु रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण का एक प्रमुख केंद्र है।
- प्रधानमंत्री के अनुसार, देश का रेलवे अवसंरचना आधुनिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है।
- इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को अधिक स्वच्छ, अधिक आरामदायक और भविष्य के लिए तैयार बनाना है।

योजना के बारे में

- 2022 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) का उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क पर स्टेशनों का विकास और उन्नयन करना है।
- ABSS का एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जिसमें मास्टर प्लान बनाना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यात्रियों के लिए बेहतर स्टेशन पहुँच आदि शामिल हैं।
- ABSS के तहत, विकास के लिए 1,300 से अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है।
- यह योजना छोटे स्टेशनों (टियर 2 और टियर 3 शहरों) पर केंद्रित है, जबकि पहले की योजनाएँ बड़े जंक्शनों पर केंद्रित थीं।
- 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- स्टेशन भवनों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों और टिकटिंग क्षेत्रों का आधुनिकीकरण।
- डिज़ाइन में स्थानीय विरासत और संस्कृति का एकीकरण।
- बेहतर यात्री सुविधाएँ जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, साइनेज, डिजिटल बोर्ड और एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज।
- बेहतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (बस, मेट्रो, आदि)।
- सौर पैनल, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी हरित पहल।
- सुगम्यता के लिए दिव्यांग-अनुकूल बुनियादी ढांचा।

दीर्घकालिक लक्ष्य

- विश्व स्तरीय स्टेशन अवसंरचना का निर्माण।
- क्षेत्रीय संपर्क और यात्रा को सुगम बनाना।
- बेहतर रेल-आधारित गतिशीलता के माध्यम से आर्थिक विकास और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे को एक आधुनिक, समावेशी और यात्री-केंद्रित प्रणाली में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महानगरों और प्रमुख जंक्शनों से परे समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके, यह क्षेत्रीय अंतरों को पाटती है और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाती है।

आगे की राह

दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए, योजना को समय पर क्रियान्वयन, उन्नत सुविधाओं के रखरखाव और स्मार्ट सिटी तथा शहरी गतिशीलता योजनाओं के साथ एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्थानीय हितधारकों को शामिल करने और संधारणीय तकनीकों को अपनाने से इसका प्रभाव और बढ़ेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 'अमृत भारत स्टेशन योजना' का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशनों का निजीकरण करना।

(b) केवल प्रमुख मेट्रो रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना।

(c) आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्री अनुभव के साथ रेलवे स्टेशनों का विकास करना।

(d) सभी प्रमुख स्टेशनों पर बुलेट ट्रेन सेवाएँ शुरू करना।

उत्तर: (c)

आयुर्ज्ञान योजना

चर्चा में क्यों: आयुष मंत्रालय आयुष औषधियों में अनुसंधान को व्यापक और गहन बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

आयुर्ज्ञान योजना

- आयुष मंत्रालय, आयुष योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।
- इस योजना के तीन घटक हैं:
  - ➢ आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)
  - ➢ आयुष में अनुसंधान और नवाचार
  - ➢ योजना के अंतर्गत आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को जोड़ा गया है
- आयुष में अनुसंधान और नवाचार घटक के अंतर्गत, देश भर के पात्र संगठनों/संस्थानों को बाह्य चिकित्सा पद्धति में नैदानिक, मौलिक, औषधीय, साहित्यिक और औषधीय पादप अनुसंधान को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मंत्रालय ने वैज्ञानिक आधार पर आयुष प्रणाली में अनुसंधान करने, समन्वय करने, सूत्रीकरण करने, विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना की है:
  - ➢ केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)
  - ➢ केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRUM)
  - ➢ केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH)
  - ➢ केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (CCRS)
  - ➢ केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRYN)
- **मुख्य अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं:**
  - ➢ औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो वानस्पतिक सर्वेक्षण)
  - ➢ फार्माकोग्नॉसी और इन-विट्रो प्रसार तकनीकें
  - ➢ औषधि मानकीकरण
  - ➢ औषधीय अनुसंधान
  - ➢ नैदानिक अनुसंधान
  - ➢ साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन
  - ➢ जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम

आयुर्ज्ञान योजना के मुख्य बिंदु

- **एकीकृत ढाँचा:** आयुर्ज्ञान योजना दो पूर्व पहलों—क्षमता निर्माण एवं सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) और आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार—को एक व्यापक कार्यक्रम में समाहित करती है।
- **क्षमता निर्माण एवं सीएमई:** इसका उद्देश्य संरचित प्रशिक्षण, आईटी-सक्षम शिक्षा के उपयोग और नवीनतम नैदानिक एवं शिक्षण पद्धतियों के प्रसार के माध्यम से आयुष पेशेवरों—जिनमें शिक्षक, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं—के कौशल को अद्यतन करना है।
- **अनुसंधान एवं नवाचार:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता वाले आयुष क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है, जिसमें औषधि मानकीकरण, सत्यापन और नई चिकित्सा पद्धतियों के विकास जैसे तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है—जो पहले बाह्य-आयुर्विज्ञान अनुसंधान योजना के अंतर्गत थे।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** सीएमई और अनुसंधान परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाता है और मंत्रालय के अंतर्गत एक परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- **प्रभाव और पहुँच:** आयुष चिकित्सकों और गैर-आयुष वैज्ञानिकों सहित 3,330 से अधिक प्रशिक्षुओं को सशक्त बनाने के साथ, आयुष ने पूरे भारत में अंतःविषय क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया है।
- **रणनीतिक दृष्टि:** यह योजना उच्च-गुणवत्ता वाले अनुसंधान और शैक्षिक पहुँच के माध्यम से आयुष प्रणालियों के वैज्ञानिक सत्यापन, वैश्विक स्वीकृति में वृद्धि, मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण और साक्ष्य-आधारित अभ्यास को बढ़ावा देती है।

आयुष स्वास्थ्य योजना

- इस पहल के दो मुख्य घटक हैं:
  - ➢ **आयुष और जन स्वास्थ्य:** सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।
  - ➢ **उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सुविधाओं में सुधार:** सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथिक संस्थानों में उन्नत या विशिष्ट आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण को सुगम बनाना।
- आयुष स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र पहलू के अंतर्गत, योग्य व्यक्तिगत संगठनों या संस्थानों को उनके संचालन और सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन के साथ-साथ आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यता की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में विदेशी देशों के साथ सहयोग के लिए 25 देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- विदेशी देशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- सहयोगी अनुसंधान/शैक्षणिक सहयोग के लिए विदेशी संस्थानों के साथ 51 संस्थान-दर-संस्थान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- 39 विदेशी देशों में 43 आयुष सूचना प्रकोष्ठों की स्थापना में सहयोग दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप/छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के तहत भारत में मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए विदेशी नागरिकों को छात्रवृत्ति प्रदान की।

आयुर्ज्ञान योजना का सकारात्मक प्रभाव

प्रभाव क्षेत्र	विवरण
स्वास्थ्य सेवा एकीकरण	आयुष को एलोपैथिक प्रणालियों से जोड़ता है; एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल को बढ़ावा देता है।

शिक्षा की गुणवत्ता	देश भर के आयुष संस्थानों में शिक्षण मानकों का उन्नयन।
रोज़गार और नवाचार	अनुसंधान संबंधी नौकरियाँ खोलता है, आयुष उत्पाद विकास में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है।
वैश्विक मान्यता	अनुसंधान परिणामों के माध्यम से पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा में भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाता है।
नीति विकास	आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए डेटा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

आयुर्ज्ञान योजना एक समयोचित पहल है जो क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतःविषय सहयोग को एकीकृत करके भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत बनाती है। यह आयुष पेशेवरों और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाती है, जिससे एक अधिक विश्वसनीय, प्रमाण-आधारित और विश्व स्तर पर सम्मानित आयुष पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त होता है।

आगे की राह

इस योजना के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों तक पहुँच बढ़ाने, अनुसंधान के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नियमित परिणाम मूल्यांकन और मुख्यधारा के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ एकीकरण आयुष प्रणालियों में स्थिरता और अधिक जन विश्वास सुनिश्चित करेगा।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'आयुर्ज्ञान योजना' का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना

(b) आयुष औषधि निर्माण इकाइयों को सब्सिडी प्रदान करना

(c) आयुष प्रणालियों में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना

(d) पूरे भारत में निजी आयुष क्लीनिकों का विनियमन करना

उत्तर: (c)

संचार मित्र योजना

चर्चा में क्यों: दूरसंचार विभाग ने युवाओं को 'डिजिटल राजदूत' के रूप में सशक्त बनाने के लिए देश भर में संचार मित्र योजना शुरू की।

योजना का उद्देश्य और मुख्य विवरण

- संचार मित्र योजना का उद्देश्य दूरसंचार जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए "डिजिटल एम्बेसडर" के रूप में छात्र स्वयंसेवकों की क्षमता का दोहन करना है।
- इस योजना का उद्देश्य दूरसंचार विभाग की पहलों, दूरसंचार सेवाओं और विभिन्न नागरिक-केंद्रित प्रयासों के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे उपयोगकर्ता, ग्राहक और आम जनता बेहतर ढंग से कार्य करें।
- स्वयंसेवकों को डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी रोकथाम, ईएमएफ विकिरण और ज़िम्मेदार मोबाइल उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती दूरसंचार तकनीकों से भी परिचित कराया जाएगा।
- संचार मित्र के रूप में चुने गए छात्रों को राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (NCA-T) और दूरसंचार विभाग के मीडिया विंग के विशेषज्ञों द्वारा संरचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को इंटर्नशिप, राष्ट्रीय परियोजना भागीदारी और इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे मंचों पर अवसर प्रदान किए जाएँगे।
- यह युवा-केंद्रित पहल, लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण और वितरण में देश के नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाते हुए, एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

योजना के प्रमुख स्तंभ

संचार मित्र योजना तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

- **कनेक्ट:** यह स्तंभ नागरिकों और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की खाई को पाटने पर केंद्रित है—यह सुनिश्चित करना कि लोग दूरसंचार सेवाओं और संबंधित सरकारी पहलों के बारे में जागरूक हों, उन्हें कैसे प्राप्त करें और उनसे लाभ उठाएँ।
- **शिक्षित करना:** संचार मित्र साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, सुरक्षित मोबाइल उपयोग और ईएमएफ विकिरण जोखिमों को समझने सहित महत्वपूर्ण डिजिटल और दूरसंचार संबंधी मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाते हैं, जिससे डिजिटल सेवाओं के ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **नवाचार:** यह स्तंभ दूरसंचार अनुसंधान और नवाचार में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है—उन्हें 5G, 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती तकनीकों के साथ काम करने और वास्तविक दुनिया के दूरसंचार समाधानों में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है।

सरकार का दृष्टिकोण

- **नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण:** युवाओं को जमीनी स्तर पर दूरसंचार साक्षरता के वाहक के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त बनाकर एक डिजिटल रूप से जागरूक और ज़िम्मेदार समाज का निर्माण करना।
- **डिजिटल विभाजन को पाटना:** दूरसंचार जागरूकता और पहुँच में सुधार करके ग्रामीण और वंचित समुदायों को भारत की डिजिटल यात्रा में शामिल करना सुनिश्चित करना।
- **नागरिक-केंद्रित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र:** मोबाइल सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और शिकायत निवारण तंत्र सहित दूरसंचार सेवाओं के सुरक्षित और अधिक सूचित उपयोग को बढ़ावा देना।
- **युवा जुड़ाव और राष्ट्र निर्माण:** प्रशिक्षित युवाओं (संचार मित्रों) का एक नेटवर्क बनाना जो डिजिटल क्षेत्र में शिक्षा, पहुँच और नवाचार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान दें।
- **"डिजिटल इंडिया" और "विकसित भारत 2047" का समर्थन:** समावेशी डिजिटल विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुँच के व्यापक लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संचार मित्र योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दूरसंचार साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क बनाने हेतु एक सरकारी पहल है।
2. इसका एक प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
3. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा दूरसंचार-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (द)

एलआईसी बीमा सखी योजना

चर्चा में क्यों: केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया।

मुख्य विवरण

- ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और '2047 तक सभी के लिए बीमा' मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की गई।
- यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में आर्थिक सुरक्षा की दिशा में भी एक कदम है।

योजना के बारे में

- एलआईसी बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक महिला-केंद्रित योजना है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करके उन्हें सशक्त बनाना है और साथ ही समुदायों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।
- चयनित प्रतिभागियों को तीन साल की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वजीफा दिया जाता है, जिसमें कमीशन-आधारित कमाई और करियर में उन्नति के अवसर शामिल होते हैं।

पात्रता मानदंड

- **लिंग एवं आयु:** 18-70 वर्ष की आयु की महिलाएँ।
- **शैक्षिक योग्यता:** न्यूनतम कक्षा 10 (10वीं उत्तीर्ण)।
- **अपात्र:** मौजूदा एलआईसी एजेंटों या कर्मचारियों के रिश्तेदार, सेवानिवृत्त एलआईसी कर्मचारी, पूर्व एलआईसी एजेंट और वर्तमान एलआईसी एजेंट।
- **स्वयं सहायता समूह सदस्यता (कुछ कार्यान्वयनों में):** डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और स्थानीय निवास वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

लाभ और सकारात्मक प्रभाव

- **महिलाओं (बीमा सखियों) के लिए**
  - **वित्तीय स्वतंत्रता:** कमीशन के साथ मासिक वजीफा स्थिर और लचीली आय के रास्ते खोलता है।
  - **कौशल विकास:** प्रशिक्षण उद्यमशीलता, संचार और वित्तीय साक्षरता कौशल को बढ़ाता है।
  - **करियर के अवसर:** स्नातक एलआईसी में विकास अधिकारी (डीओ) जैसी भूमिकाओं के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।
  - **सामाजिक मान्यता:** महिलाएँ सम्मानित सामुदायिक हस्तियाँ और परिवर्तन का माध्यम बनती हैं।
- **ग्रामीण समुदायों के लिए**
  - **बीमा पहुँच में वृद्धि:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी योजनाओं के लिए वंचित क्षेत्रों तक सीधी पहुँच।
  - **वित्तीय जागरूकता:** जोखिम कवरेज, दावों और वित्तीय नियोजन की समझ में सुधार।
- **सरकार और एलआईसी के लिए**
  - **बढ़ी हुई पहुँच:** ग्रामीण बाजारों में बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है।
  - **लिंग-समावेशी विकास:** आर्थिक गतिविधियों और शासन की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
प्रदर्शन दबाव	वजीफा जारी रखने के लिए समय पर नीति प्रतिधारण (≥65%) आवश्यक है - कम मांग वाले क्षेत्रों में यह मुश्किल हो सकता है।
सीमित लाभ	प्रतिभागियों को वजीफा मिलता है, न कि स्थायी एलआईसी कर्मचारियों की तरह पूर्ण वेतन लाभ।
पहुंच और जागरूकता	दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों में बीमा योजनाओं के प्रति समझ या विश्वास की कमी हो सकती है।
संधारणीयता	निरंतर सफलता मजबूत निगरानी, समर्थन और प्रतिधारण के लिए प्रेरणा पर निर्भर करती है।

आगे की राह

दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए, बीमा सखी योजना को निरंतर कौशल विकास, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और संचालन को आसान बनाने के लिए डिजिटल सहायता उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बीमा में सामुदायिक विश्वास को मज़बूत करना, स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी का विस्तार करना और करियर में प्रगति के मार्ग प्रदान करना, प्रभाव और स्थिरता दोनों को बढ़ाएगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एलआईसी बीमा सखी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और वजीफा सहायता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाना है।

2. यह योजना बिना किसी प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के एक निश्चित वेतन प्रदान करती है।

3. 18 वर्ष से कम आयु की महिलाएं इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (द)

न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों: दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु (अर्थात न्याय का मित्र) कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) गांवों में लाभार्थियों को सामुदायिक देखभाल कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता प्रदान करने में लगे हुए हैं।

मुख्य विवरण

- यह भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की एक प्रमुख पहल है।
- इसे सभी के लिए, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और गरीब लोगों के लिए, जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर्च वहन नहीं कर सकते, न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
- यह "हाशिए पर रहने वालों के लिए न्याय तक पहुँच" परियोजना का हिस्सा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप है, जो राज्य को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

कार्यक्रम के बारे में

- न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवा) "न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना" (दिशा) योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में से एक है, जिसका क्रियान्वयन न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- न्याय बंधु कार्यक्रम इच्छुक निशुल्क अधिवक्ताओं का पंजीकरण करता है और उन्हें न्याय बंधु एप्लिकेशन के माध्यम से लाभार्थियों (जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं) से जोड़ता है।
- वर्तमान में, 9261 अधिवक्ताओं ने स्वेच्छा से न्याय बंधु प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।
- लाभार्थियों को निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु 23 उच्च न्यायालयों में निशुल्क अधिवक्ताओं का एक पैनल भी गठित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, विधि छात्रों में निशुल्क कार्य की भावना का संचार करने और विधिक सेवा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, देश के 109 विधि महाविद्यालयों में निशुल्क क्लबों का गठन किया गया है।

उद्देश्य

- अभ्यासरत अधिवक्ताओं को शामिल करके भारत में निःशुल्क संस्कृति को संस्थागत बनाना।
- एक ऐसा मंच तैयार करना जहाँ कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले नागरिक स्वयंसेवी वकीलों से जुड़ सकें।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के प्रयासों को पूरक बनाना।

लक्षित लाभार्थी

- आर्थिक रूप से संवेदनशील वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय
- संकटग्रस्त महिलाएँ और बच्चे
- तस्करी के शिकार
- विकलांग व्यक्ति
- अल्पसंख्यक और अन्य संवेदनशील समूह

निष्कर्ष

न्याय बंधु समावेशी न्याय की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। कानूनी सेवा प्रदाताओं और वंचितों के बीच की खाई को पाटकर, यह भारत को सभी के लिए समान न्याय के संवैधानिक आदर्श को साकार करने के करीब लाता है। निरंतर समर्थन और जागरूकता के साथ, यह जमीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण के लिए एक परिवर्तनकारी साधन बन सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: न्याय तक पहुँच एक मौलिक अधिकार और लोकतंत्र की आधारशिला है। इस संदर्भ में, भारत में हाशिए पर पड़े लोगों के कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवाएँ) कार्यक्रम की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस योजना के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और इसे कैसे मज़बूत बनाया जा सकता है? [250 शब्द] [15 अंक]

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

चर्चा में क्यों: हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए विशेष पंजीकरण अभियान को इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है।

मुख्य विशेषताएँ

- **प्रशासनिक मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- **लाभार्थी:** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं, को सहायता प्रदान करता है।
- **वित्तीय सहायता:** पहली संतान के लिए ₹5,000; दूसरी बालिका के लिए ₹6,000 (PMMVY 2.0)।
- **उद्देश्य:** लड़कियों के लिए स्वस्थ आहार, चिकित्सा देखभाल और रचनात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और खोई हुई मजदूरी की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **उपलब्धि:** योजना के प्रारंभ होने के बाद से 4.05 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके बैंक या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कुल 19,028 करोड़ रुपये का मातृत्व लाभ (कम से कम एक किस्त) प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

माताओं को सशक्त बनाना, पीढ़ियों को आकार देना

मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार की मातृत्व लाभ योजना, वंचित पृष्ठभूमि की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।

पहली संतान के लिए **₹5,000**; दूसरी बालिका के लिए **₹6,000** (PMMVY 2.0)

संस्थागत प्रसव के लिए **जननी सुरक्षा योजना** से जुड़ा लाभ (कुल ₹6,000)

स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है

निष्कर्ष

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपने जीवन की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए सशक्त बनाता है और स्वास्थ्य जाँच, स्वस्थ आहार और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करके महिला-नेतृत्व वाले विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

ज्ञान भारतम मिशन

चर्चा में क्यों: सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में पुस्तकालयों, संग्रहालयों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी संग्रहों में संग्रहित एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और उन्हें उपलब्ध कराना है।

मुख्य विवरण

- **विजन:** भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपराओं को उसकी व्यापक पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और साझाकरण के माध्यम से भावी पीढ़ियों के लिए पुनर्जीवित करना।

उद्देश्य

- शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में संग्रहीत भारत के पांडुलिपि इतिहास का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करने के अलावा, सरकार अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने की योजना बना रही है।
- **डिजिटलीकरण:** व्यापक पहुँच के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाने हेतु पांडुलिपियों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण।

रणनीतिक स्तंभ और कार्यान्वयन योजना

- **विद्वान नेतृत्व और संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** इंडोलॉजी, भाषाशास्त्र और संरक्षण विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नेतृत्व।
- **तकनीकी एकीकरण:** पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एआई-सहायता प्राप्त प्रतिलेखन प्लेटफ़ॉर्म, संरक्षण के लिए उद्गम ट्रैकिंग और क्लाउड अवसंरचना के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि अभिलेखागार के साथ एकीकरण के लिए एपीआई।
- **संरक्षण और क्षमता निर्माण:** ताड़ के पत्ते, सन्टी छाल और कागज़ की पांडुलिपियों के लिए नई संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना। "पांडुलिपि मित्रों" का शुभारंभ: लगभग 100 जिलों में प्रशिक्षित जमीनी स्तर के स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क।
- **जन सहभागिता:** स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षिक मॉड्यूल का विकास। पांडुलिपि विरासत को प्रदर्शित करने वाले इमर्सिव वीआर/एआर अनुभव। पांडुलिपि मेलों और राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन।

मिशन घटक:

- **सर्वेक्षण एवं दस्तावेज़ीकरण:** पांडुलिपियों की राष्ट्रव्यापी पहचान एवं सूचीकरण।
- **संरक्षण एवं पुनर्स्थापन:** वैज्ञानिक एवं पारंपरिक विधियों के माध्यम से फ्रेगी ग्रंथों की सुरक्षा।
- **डिजिटलीकरण एवं संग्रह:** एआई-सहायता प्राप्त डिजिटलीकरण एवं एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह का निर्माण।
- **प्रौद्योगिकी एवं एआई नवाचार:** हस्तलिखित पाठ पहचान और ज्ञान-सेतु एआई चुनौती जैसे उपकरण।

पांडुलिपियाँ क्या हैं?

- पांडुलिपि कागज़, छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर हस्तलिखित रचना होती है, जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी होती है और जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यपरक महत्व होता है।
- उदाहरण के लिए, बख्शाली पांडुलिपि (तीसरी या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व), जो सन्टी की छाल पर लिखा गया एक प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथ है।

मातृ वन पहल

चर्चा में क्यों: हाल ही में, भारत सरकार ने 'मातृ वन पहल' शुरू की - एक थीम-आधारित शहरी वन जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र में प्रकृति से प्रेरित हरित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों के पोषण के लिए समर्पित है।

मुख्य विवरण

- 750 एकड़ में फैला मातृ वन, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के किनारे बनाया जाएगा।
- इसका उद्देश्य एक विशिष्ट पारिस्थितिक और सांस्कृतिक क्षेत्र बनाना है जो शहरी स्थिरता, जैव विविधता और जन कल्याण को बढ़ावा देगा।
- सीएसआर भागीदार, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी), स्कूली बच्चे और सरकारी एजेंसियां, सभी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगी।
- दिल्ली-एनसीआर को समग्र रूप से "मातृ वन" हरित आवरण से बहुत लाभ होगा।
- अरावली में मूल पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए, "मातृ वन" में मुख्य रूप से काबुली कीकर (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) जैसी मौजूदा झाड़ियों को हटाया जाएगा और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के किनारे ढाक/अमलताश के पेड़ लगाए जाएँगे।
- धौक, सालार, कुल्लू और खैरी सहित अरावली प्रजातियों के साथ-साथ गोया खैर, गंगेरन और मरोड़ फल्ली जैसी झाड़ियों के साथ-साथ बरगद, पीपल, गुल्लर, बेल पत्र, इमली, पिलखन, नीम, ढाक, सेमल, खिरनी, देसी कदम, अमलताश और बांस जैसे लंबी अवधि के पेड़ लगाए जाएंगे।

- **थीम आधारित वृक्षारोपण उपवन:**
  - **बम्बूसेटम:** बांस की प्रजातियों का एक समूह; अरावली प्रजाति आर्बोरेटम
  - **पुष्प वाटिका:** फूलों वाली वृक्ष प्रजातियों का एक समूह
  - **सुगंध वाटिका:** सुगंध प्रजातियों का एक समूह
  - औषधीय पौधे वाटिका
  - नक्षत्र वाटिका राशि वाटिका
  - कैक्टस का बगीचा
  - तितली उद्यान
  - **बोधि वाटिका:** बरगद, पीपाक, गुल्लर और पिलखन का उपवन
- इसके अलावा, मातृ वैन में एक बाइक ट्रैक, प्रकृति पथ, योग स्थल, गज़ेबोस, विश्राम क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी।

CHAHAL ACADEMY

यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा

2026/27/28

प्रवेश प्रारंभ

एनसीईआरटी+जीएस+सीसैट
फाउंडेशन बैच के लिए

माध्यम → English, हिंदी, द्विभाषी (Bilingual)

वैकल्पिक विषय
राजनीति विज्ञान एवं अंतराष्ट्रीय संबंध (PSIR) - भूगोल
समाज शास्त्र - इतिहास - मानव शास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी)

चहल एकेडमी, 22-B, ग्राउंड फ्लोर, करोल बाग, मेट्रो पिलर नंबर 112, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9313218122, 9625993995

हमारी शाखाएँ

नई दिल्ली, अहमदाबाद, आनंद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागालैंड, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, वडोदरा

इकाई 10

महत्वपूर्ण रिपोर्ट

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक

चर्चा में क्यों: हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2024 का छठा संस्करण जारी किया, जिसे बीईई ने ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन (एईईई) के सहयोग से विकसित किया है।

सूचकांक के बारे में मुख्य विवरण:

- यह सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का आकलन करता है।
- राज्यों को चार प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - अग्रणी (>60%)
  - सफल (50-60%)
  - दावेदार (30-50%)
  - आकांक्षी (<30%)
- यह सूचकांक 2070 तक भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में तीव्रता लाने के लिए ऊर्जा दक्षता का मूल्यांकन करता है।
- सूचकांक सात प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए 66 संकेतकों का उपयोग करता है:
  - इमारतें
  - उद्योग
  - परिवहन
  - बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOM)
  - कृषि
  - नगरपालिका सेवाएँ
  - विभिन्न क्षेत्रों में पहल
- SEEI के 2024 संस्करणों में विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए संकेतक जोड़े गए हैं:
  - इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीतियाँ
  - स्टार-रेटेड (ईसीबीसी) भवन
  - मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)
  - ईएससीओ मॉडल
  - एमएसएमई क्लस्टर प्रोफाइलिंग
  - पीएटी योजना विस्तार
  - ऊर्जा ऑडिट, रेट्रोफिट और क्षमता निर्माण पहल
- 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कुल अंतिम ऊर्जा खपत (TFEC) के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है
  - समूह 1: >15 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई)
  - समूह 2: 5-15 एमटीओई
  - समूह 3: 1-5 एमटीओई
  - समूह 4: <1 एमटीओई

क्षेत्र								
श्रेणियां	क्रॉस सेक्टर	इमारतें	उद्योग	नगरपालिका सेवाएँ	परिवहन	कृषि	डिस्कॉम	कुल
नीति वित्त संस्थागत क्षमता EE उपायों को अपनाना ऊर्जा बचत	प्रोग्राम/योजना - विशिष्ट संकेतक सामान्य संकेतक							
क्षेत्र भार	15	22	17	11	16	8	11	100
संकेतक भारित — सामान्य	15	9	6	2	7	3	6	48
संकेतक भारित — प्रोग्राम/ योजना		13	11	9	9	5	5	52

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऊर्जा उपभोग समूह
महाराष्ट्र	समूह 1
आंध्र प्रदेश	समूह 2
असम	समूह 3
त्रिपुरा	समूह 4

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के उद्देश्य

- राज्य स्तरीय प्रगति की डेटा-आधारित निगरानी और ट्रैकिंग सक्षम बनाता है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- राज्य-स्तरीय ऊर्जा दक्षता निगरानी को संस्थागत बनाता है, विशेष रूप से राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) के माध्यम से।
- भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों, जिनमें 2070 तक नेट-ज़ीरो और उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य शामिल हैं, के साथ संरेखण का समर्थन करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत मार्च 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना था।
- सरकार ने जनवरी 2010 से भारत में कुछ उपकरणों (जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एलईडी बल्ब) के लिए BEE द्वारा स्टार रेटिंग प्राप्त करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था।
- यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) के अंतर्गत भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मानक भी निर्धारित करता है।

ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन

- यह एक गैर-लाभकारी नीति वकालत और ऊर्जा दक्षता बाज़ार को सक्षम बनाने वाला संगठन है।
- यह एक प्रमुख थिंक-टैंक है जो ऊर्जा दक्षता को "प्रथम ईंधन" के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है - कार्बन-मुक्ति के लिए सबसे सस्ता, सबसे स्वच्छ और सबसे तेज़ संसाधन।
- AEEE प्रभावशाली, आँकड़ों पर आधारित ऊर्जा दक्षता नीतियों और पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और पेशेवरों को एक साथ लाता है।
- इसकी प्रमुख पहलों में कॉल फॉर एक्शन (CFA), ऊर्जा दक्षता और कार्बन-मुक्ति पर फ़ोरम (FEED), शीतलन कार्यक्रम और आँकड़ा ढाँचे शामिल हैं।

आगे की राह

राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता परिणामों में तेजी लाने के लिए राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) को मजबूत करना, वास्तविक समय निगरानी को एकीकृत करना, शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार करना और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 द्वारा विकसित किया गया है:

(a) नीति आयोग

(b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(c) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और AEEE

(d) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)

उत्तर: (c)

NARI-2025 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक (NARI) 2025, भारतीय शहरों में महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- **समग्र सुरक्षा धारणा:** 31 भारतीय शहरों की 12,770 महिलाओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% है। जहाँ 10 में से 6 महिलाएँ अपने शहरों में सुरक्षित महसूस करती हैं, वहीं 40% महिलाएँ अभी भी "इतनी सुरक्षित नहीं" या असुरक्षित महसूस करती हैं।
- **उत्पीड़न:** 2024 में, 7% महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का अनुभव होने की सूचना दी; 24 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में यह आँकड़ा बढ़कर 14% हो जाता है। उत्पीड़न के प्रमुख केंद्रों में आस-पड़ोस (38%) और सार्वजनिक परिवहन (29%) शामिल हैं।
- **कम रिपोर्टिंग:** रिपोर्टिंग दरें बहुत कम हैं, तीन में से केवल एक महिला ही उत्पीड़न की रिपोर्ट करती है, जबकि दो-तिहाई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते, जिसका अर्थ है कि आधिकारिक अपराध आँकड़े (जैसे, एनसीआरबी) अधिकांश घटनाओं को दर्ज नहीं करते।
- **अधिकारियों में विश्वास की कमी:** केवल 25% महिलाओं को भरोसा है कि अधिकारी प्रभावी ढंग से कार्रवाई करेंगे, जबकि 75% में विश्वास की कमी है। उत्पीड़न की रिपोर्ट किए जाने पर भी, केवल 16% पर ही कार्रवाई होती है, और केवल 22% रिपोर्ट की गई घटनाओं को औपचारिक रूप से दर्ज किया जाता है।
- **दिन के उजाले में सुरक्षा:** शैक्षणिक संस्थान दिन के समय लगभग 86% सुरक्षित हैं, जबकि कार्यस्थलों पर 91% महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती हैं, हालाँकि लगभग आधी महिलाएँ POSH नीति के कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चित हैं। रात में, सुरक्षा का स्तर तेज़ी से गिरता है, खासकर सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन क्षेत्रों में।

सबसे सुरक्षित बनाम सबसे कम सुरक्षित शहर

- **सबसे सुरक्षित शहर (शीर्ष रैंक):** कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई लगातार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरे हैं, जिसका श्रेय बेहतर लैंगिक समानता, बुनियादी ढांचे, नागरिक भागीदारी और उत्तरदायी पुलिसिंग को दिया जाता है।
- **सबसे कम सुरक्षित (सबसे कम रैंक वाले) शहर:** खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों में पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची शामिल हैं, जो कमजोर बुनियादी ढांचे, पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और अप्रभावी संस्थागत प्रतिक्रिया से ग्रस्त हैं।

शीर्ष 7 सबसे सुरक्षित शहर

रैंक	शहर	राज्य	विभेदक कारक
1	कोहिमा	नागालैंड	सशक्त लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी
2	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	मजबूत बुनियादी ढांचा, सक्रिय पुलिस व्यवस्था
3	भुवनेश्वर	ओडिशा	प्रभावी संस्थाएँ, शहरी नियोजन
4	आइजोल	मिजोरम	उच्च सामाजिक विश्वास, सुरक्षित शहरी संस्कृति
5	गंगटोक	सिक्किम	सामुदायिक समर्थन, उत्तरदायी पुलिसिंग
6	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	समावेशी स्थानीय शासन
7	मुंबई	महाराष्ट्र	सतर्क पुलिसिंग, नागरिक भागीदारी

मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट नीतिगत इरादों और वास्तविक दुनिया के सुरक्षा अनुभवों, खासकर अंधेरे के बाद, के बीच एक गहरा अंतर उजागर करती है।
- प्रमुख महानगरों सहित कई शहर, महिलाओं के एक बड़े हिस्से के लिए असुरक्षित बने हुए हैं, जो योजना, प्रवर्तन या नागरिक भागीदारी में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करता है।
- अधिकारियों में विश्वास की कमी के कारण कम रिपोर्टिंग आम है, और कई घटनाएँ अपराध के आंकड़ों में अदृश्य रह जाती हैं।
- रिपोर्ट पुलिसिंग से परे, बुनियादी ढाँचे में सुधार, जन जागरूकता, कानूनी समाधान और सामाजिक परिवर्तन जैसे समग्र समाधानों की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

आगे की राह

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समावेशी शहरी नियोजन, बेहतर कानून प्रवर्तन जवाबदेही, सुलभ शिकायत प्रणाली, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता, वास्तविक समय पर जवाबदेही सुनिश्चित करना और सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: प्रगतिशील कानूनी ढाँचों के बावजूद, भारतीय शहरों में महिलाओं के जीवन के अनुभव सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियों को उजागर करते हैं। NARI 2025 रिपोर्ट के आलोक में, शहरी प्रशासन में व्याप्त कमियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारतीय शहरों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए)

चर्चा में क्यों: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) अपने एकीकृत पोर्टल के परीक्षण के अंतिम चरण में है।

मुख्य विवरण

- पोर्टल का उद्देश्य निम्नलिखित को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है:
  - निवेशकों के लिए दावा न किए गए लाभांश, शेयर आदि के संबंध में दावा प्रक्रिया को सरल बनाना।
  - निवेशकों और कंपनियों दोनों के लिए पहुंच को आसान बनाना।
- यह इंटरफ़ेस को सरल बनाएगा, प्रक्रियागत देरी को कम करेगा और निवेशकों के दावों के निपटान में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
- यह पोर्टल आवश्यक हितधारकों—जैसे डिपॉजिटरी और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)—को एक साथ लाएगा ताकि एक सुचारू और प्रभावी अनुभव सुनिश्चित हो सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियों द्वारा प्रस्तुत डेटा सटीक है और दावों के सुचारू प्रसंस्करण में मदद के लिए, नियम 1(ए) के अनुसार सार्वजनिक नोटिस आधिकारिक आईईपीएफए वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं।

महत्व

- निवेशक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करता है।
- वित्तीय समावेशन और डिजिटल शासन को बढ़ावा देता है।
- सरकार के "व्यापार सुगमता" और कुशल नियामक ढाँचे के लक्ष्य का समर्थन करता है।

आईईपीएफए

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत 2016 में स्थापित।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के अधीन कार्य करता है।
- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) के प्रबंधन हेतु स्थापित।

आईईपीएफए के प्रमुख कार्य

- **निवेशकों को धन वापसी:** दावा न किए गए लाभांश, शेयर, डिबेंचर आदि की वसूली के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, जिससे तेज़ और पारदर्शी प्रक्रिया संभव होती है।
- **निवेशक जागरूकता और शिक्षा:** अभियान, कार्यशालाएँ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, स्कूल आउटरीच और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग का उपयोग करता है।
- **शिकायत निवारण:** निवेशकों को कंपनी से संबंधित वित्तीय शिकायतों के समाधान में मदद करता है।
- **नीति परामर्श:** निवेशक सुरक्षा ढाँचे में सुधार के उपायों पर कंपनी मंत्रालय को सलाह देता है।

आईईपीएफ

- निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कोष।
- इसमें दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा राशि, डिबेंचर और कंपनियों द्वारा 7 वर्षों की निष्क्रियता के बाद हस्तांतरित शेयर शामिल हैं।
- कंपनियों को इन दावा न किए गए धन को आईईपीएफ में स्थानांतरित करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

आईईपीएफए एकीकृत पोर्टल पारदर्शी, कुशल और निवेशक-अनुकूल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दावा प्रक्रिया को आसान बनाता है और सुगमता को बढ़ाता है, निवेशकों को अधिक शक्ति प्रदान करता है और वित्तीय बाजारों में विश्वास का निर्माण करता है, जो भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी।
2. यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. यह निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश और शेयर वापस करने के लिए जिम्मेदार है।
4. यह निवेशक संरक्षण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्वीकार करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

मसौदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (एनटीपी-25)

चर्चा में क्यों: दूरसंचार विभाग ने 2030 के लिए दूरसंचार को नया रूप देने के लिए सात वर्षों के बाद राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (सार्वजनिक परामर्श के लिए) का मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- इस क्षेत्र में अंतिम प्रमुख नीति राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 थी, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:
  - सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड
  - रोज़गार सृजन में वृद्धि
  - बेहतर अनुसंधान एवं विकास, आदि।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव - 5G, उभरता हुआ 6G अनुसंधान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्वांटम संचार, उपग्रह नेटवर्क - के साथ-साथ डिजिटल विभाजन, बुनियादी ढांचे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की चुनौतियों ने एक नई नीति को अनिवार्य बना दिया है।

मुख्य विशेषताएं और लक्ष्य

महत्वपूर्ण क्षेत्र	लक्ष्य 2030 तक
निवेश और आर्थिक विकास	• दूरसंचार अवसंरचना में वार्षिक निवेश बढ़कर ₹1 ट्रिलियन। • सकल घरेलू उत्पाद में दूरसंचार क्षेत्र का योगदान दोगुना। • दूरसंचार उत्पादों और सेवाओं का निर्यात दोगुना।
नौकरियां और कौशल	• दूरसंचार क्षेत्र में 10 लाख नए रोज़गारों का सृजन। • भविष्य की माँगों को पूरा करने के लिए 10 लाख और लोगों को पुनः कौशल प्रदान करना या कौशल उन्नयन करना।
कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा	• "टावर फ़ाइबराइज़ेशन" को वर्तमान ~46% से बढ़ाकर 80% करना। • 5G द्वारा 90% आबादी को कवर करना और 4G नेटवर्क के लिए 100% कवरेज प्राप्त करना। • 10 करोड़ घरों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना। • 10 लाख सार्वजनिक वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट स्थापित करना; "डिजिटल भारत निधि" के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजनाएँ।
विनियमन, नवाचार, घरेलू विनिर्माण	• "भारत - एक दूरसंचार उत्पाद राष्ट्र" को बढ़ावा देना: दूरसंचार विनिर्माण उत्पादन में 150% की वृद्धि करना, आयात प्रतिस्थापन को 50% तक बढ़ाना। • दूरसंचार/उभरती हुई तकनीक में 500 तकनीकी स्टार्टअप/एमएसएमई को समर्थन प्रदान करना। • अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए (शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में) लगभग 30 उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित करना।
सुरक्षा और साइबर लचीलापन	• "क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी" के लिए तैयारी। • एंडपॉइंट सुरक्षा को बेहतर बनाएँ; घटना रिपोर्टिंग और साइबर खतरे का पता लगाने के लिए AI/ML का उपयोग करने वाले फ्रेमवर्क।
स्थिरता और व्यापार करने में आसानी	• दूरसंचार क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना। • नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुमतियों को आसान बनाना (जैसे, मार्गाधिकार), और अंतिम-मील कनेक्टिविटी में छोटे आईएसपी को सहायता प्रदान करना।

सामर्थ्य और अवसर

- **समग्र दृष्टिकोण:** यह मसौदा केवल कनेक्टिविटी पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, स्थिरता, कौशल विकास और सुरक्षा पर भी केंद्रित है। यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत की डिजिटल छलांग के लिए आवश्यक है।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:** घरेलू विनिर्माण और आयात प्रतिस्थापन को अधिक प्रोत्साहन देने से निर्भरता (विशेषकर हार्डवेयर और नेटवर्क उपकरणों के क्षेत्र में) कम हो सकती है और रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं।

- **डिजिटल विभाजन को पाटना:** ग्रामीण ब्रॉडबैंड, सार्वजनिक वाई-फ़ाई और मज़बूत अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लक्ष्यों के साथ, इस नीति का उद्देश्य हाशिए पर पड़े क्षेत्रों के और क़रीब "सार्थक कनेक्टिविटी" लाना है।
- **नियामक स्पष्टता और तैयारी:** साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कानूनी ढाँचे, उपकरणों और मानकों के विनियमन पर ज़ोर। जैसे-जैसे दूरसंचार अवसंरचना महत्वपूर्ण होती जा रही है, लचीलापन महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- **हरित एजेंडा:** कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्य प्रासंगिक है। दूरसंचार का ऊर्जा पदचिह्न (सेल टावर, डेटा सेंटर) बहुत बड़ा है; नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है।

एनटीपी 2025 के मसौदे को लागू करने में चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन में कमियाँ:** पिछले नीतिगत लक्ष्य (जैसे ग्रामीण ब्रॉडबैंड, टावर फाइबर) आंशिक रूप से पूरे नहीं हुए हैं। अनुमतियों, समन्वय और वित्त पोषण में देरी के कारण कार्यान्वयन में समस्याएँ हैं।
- **वित्त पोषण और निवेश जोखिम:** ₹1 ट्रिलियन/वर्ष का निवेश प्राप्त करने के लिए मज़बूत वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन (जैसे पीएलआई) और निजी क्षेत्र के विश्वास की आवश्यकता है।
- **नियामक बाधाएँ:** मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), स्पेक्ट्रम आवंटन और अंतर-राज्यीय समन्वय जैसी अड़चनें बुनियादी ढाँचे के कार्यान्वयन को धीमा कर सकती हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** सामर्थ्य, डिजिटल साक्षरता और डिवाइस तक पहुंच बाधाएं बनी हुई हैं - विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
- **सुरक्षा बनाम गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** राष्ट्रीय सुरक्षा (जैसे निगरानी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी) को गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
- **स्थायित्व और बुनियादी ढाँचा:** दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार की तैनाती, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और इस क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और रसद संबंधी चुनौतियाँ हैं।

डिजिटल भारत निधि

- डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के मसौदे में उल्लिखित एक प्रस्तावित निधि है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में समावेशी और समतामूलक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- यह ग्रामीण, दूरस्थ, कम सेवा वाले और असेवित क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना और सेवाओं को समर्थन प्रदान करेगी।
- यह मौजूदा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को प्रतिस्थापित या पुनः ब्रांड करने का प्रस्ताव है।

उद्देश्य

- अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके डिजिटल डिवाइड को पाटना।
- प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, सार्थक ब्रॉडबैंड पहुँच को बढ़ावा देना।
- कम आय वाले क्षेत्रों में नए युग की तकनीकों (5G, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट इंटरनेट) के लिए धन उपलब्ध कराना।
- छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) और सामुदायिक नेटवर्क की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

महत्व

- डिजिटल इंडिया पहल और सरकार के सार्वभौमिक 4G व 5G कवरेज के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- समावेशी विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास और डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि पुरानी योजनाओं की तुलना में सार्वजनिक निधियों का बेहतर लक्ष्यीकरण और कुशलतापूर्वक उपयोग हो।

अन्य प्रमुख आयाम

- **संघवाद और केंद्र-राज्य समन्वय**
  - **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** दूरसंचार एक केंद्रीय विषय है, लेकिन इसका कार्यान्वयन (जैसे टावर स्थापना, मार्गाधिकार, भूमि उपयोग) राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
  - **मुद्दे:** अनुमोदन में देरी, असंगत नीतियाँ, स्थानीय डिजिटल क्षमता का अभाव।
  - **विस्तार के उपाय:** केंद्र-राज्य समन्वय मंचों और डिजिटल विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर चर्चा।
- **दूरसंचार और लैंगिक समावेशन**
  - **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** डिजिटल लैंगिक विभाजन अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है—मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक कम महिलाओं की पहुँच है।
  - **नीतिगत अंतर:** मसौदा नीति सीधे तौर पर लिंग-विशिष्ट डिजिटल पहुँच या कौशल प्रशिक्षण को संबोधित नहीं करती है।
  - **विस्तार के उपाय:** लैंगिक-संवेदनशील दूरसंचार नीतियों, महिलाओं के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि को शामिल करने पर चर्चा करना।
- **सेवाओं की गुणवत्ता में शहरी-ग्रामीण विभाजन**
  - **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** शहरी क्षेत्रों में उच्च गति वाली 5G और फाइबर उपलब्ध हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर खराब बैंडविड्थ और कम विश्वसनीयता का सामना करना पड़ता है।
  - **नीतिगत निहितार्थ:** ध्यान केवल "कवरेज" पर ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता, सामर्थ्य और विश्वसनीयता पर भी होना चाहिए।
- **आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलापन में दूरसंचार**
  - **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** आपदाओं के दौरान दूरसंचार अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है - पूर्व चेतावनी प्रणालियों और प्रतिक्रिया दोनों के लिए।
  - **अवसर:** यह नीति लचीले, आपदा-रोधी नेटवर्क और दूरसंचार से जुड़ी जलवायु निगरानी को बढ़ावा दे सकती है।
- **दूरसंचार और सार्वजनिक सेवा वितरण**
  - **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** डिजिटल शासन (ई-गवर्नेंस, डीबीटी, टेलीमेडिसिन, ई-शिक्षा) दूरसंचार पर निर्भर करता है।
  - **दायरा:** दूरसंचार केवल बुनियादी ढाँचा ही नहीं है, बल्कि शासन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक भी है, इसलिए नीतियों को अंतर-संचालन, समावेशन और डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **सरकारी और डिजिटल संप्रभुता**
  - **यह क्यों महत्वपूर्ण है:** जैसे-जैसे भारत दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार कर रहा है, डेटा स्थानीयकरण, नेटवर्क उपकरणों पर नियंत्रण और विदेशी प्रभाव के प्रश्न महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
  - **दृष्टिकोण:** नीति को राष्ट्रीय साइबर संप्रभुता के अनुरूप होना चाहिए, संभवतः एक डिजिटल विदेश नीति ढाँचे के माध्यम से।

आगे की राह

- प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, नीति को स्पष्ट समय-सीमा, मज़बूत अंतर-मंत्रालयी समन्वय और पर्याप्त वित्त पोषण द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मज़बूत करना, नियामक अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय शासन को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण होगा।
- नियमित निगरानी, हितधारकों की प्रतिक्रिया और अनुकूली सुधारों से समावेशी और भविष्य के लिए तैयार दूरसंचार अवसंरचना की दिशा में प्रगति को दिशा मिलेगी।

निष्कर्ष

दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा एक समयोचित और महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत करता है। इसकी सफलता जमीनी क्रियान्वयन, समावेशी पहुँच और नवाचार तथा विनियमन के बीच संतुलन पर निर्भर करेगी। यदि चुनौतियों का निरंतर राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ समाधान किया जाए, तो डिजिटल रूप से जुड़ा भारत परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के मसौदे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 2030 तक 5G सेवाओं के साथ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि करने का प्रस्ताव करता है।
2. नीति का उद्देश्य भारत की 100% आबादी को कवर करना है।
3. इसका लक्ष्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दूरसंचार क्षेत्र के योगदान को दोगुना करना है।
4. नीति में इस क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को 30% तक कम करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 4

(b) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

दूषित दवाओं पर डब्ल्यूएचओ-यूएनओडीसी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: डब्ल्यूएचओ-यूएनओसीडी की संयुक्त रिपोर्ट "दूषित दवाएं और फार्मास्युटिकल एक्सीपिएंट्स आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता" से पता चलता है कि पिछले 90 वर्षों में, दवाओं में एक्सीपिएंट्स संदूषण की कम से कम 25 प्रलेखित घटनाओं के कारण 1,300 से अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन घटनाओं में अक्सर औद्योगिक रसायन जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) शामिल होते हैं—जिन्हें आमतौर पर सॉल्वैंट्स या एंटीफ्रीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है—जिन्हें अवैध रूप से ग्लिसरीन, सोर्बिटोल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जैसे दवा-ग्रेड एक्सीपिएंट्स से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- इन विषैले रसायनों की थोड़ी मात्रा भी घातक साबित होती है, खासकर सस्ती तरल मौखिक दवाओं (जैसे कफ सिरप और पैरासिटामोल सिरप) में, जो अक्सर बच्चों को दी जाती हैं।
- सबसे अधिक प्रभावित देश निम्न और मध्यम आय वाले देश (LMIC) हैं, जहाँ नियामक निगरानी, आपूर्ति-श्रृंखला ट्रेसबिलिटी और बाज़ार के बाद की निगरानी कमज़ोर है। हाल ही में गाम्बिया, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान आदि में घातक संदूषण के मामलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण मुद्दे

- **नियामक कमियाँ:** कई न्यायालयों में एक्सीपिएंट निर्माताओं और वितरकों पर सख्त निगरानी का अभाव है। कच्चे माल की सोर्सिंग, भ्रामक लेबलिंग या जाली दस्तावेज़ों, और अपर्याप्त सीमा शुल्क/प्रवर्तन तंत्रों की निगरानी कमज़ोर है।
- **आपूर्ति श्रृंखला भेद्यता:** एक्सीपिएंट आपूर्ति श्रृंखलाएँ जटिल होती हैं, जिनमें कई मध्यस्थ शामिल होते हैं। औद्योगिक-ग्रेड के रसायन, दवा-ग्रेड के रूप में प्रच्छन्न होकर, अक्सर बाज़ार की अस्थिरता का फायदा उठाते हुए, श्रृंखला में प्रवेश करते हैं।
- **बच्चों का स्वास्थ्य:** बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली तरल मौखिक दवाएँ (सिरप) जोखिम के प्रमुख वाहक हैं। बच्चे विशेष रूप से डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) के विषाक्त प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **आपराधिक तत्व:** जानबूझकर जालसाजी, प्रतिस्थापन, और कभी-कभी पूरी तरह से धोखाधड़ी (लागत कम करने के लिए) शामिल होती है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और अनौपचारिक बाज़ार समस्या को बढ़ाते हैं।
- **प्रभाव में असमानता:** निम्न और मध्यम-आय वाले देश (एलएमआईसी) इसका खामियाजा भुगतते हैं; कमजोर नियामक प्राधिकरण, अपर्याप्त संसाधन वाली स्वास्थ्य प्रणालियाँ, अनौपचारिक बाज़ार, गुणवत्ता आश्वासन तक कम पहुँच।

आशय

- **जन स्वास्थ्य:** मृत्यु दर के अलावा, दूषित दवाइयाँ दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ, अंग क्षति और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में विश्वास की कमी का कारण बन सकती हैं।
- **नियामक विश्वसनीयता:** बार-बार होने वाली घटनाएँ दवा कंपनियों में विश्वास को कमज़ोर करती हैं, अनुपालन को प्रभावित करती हैं, और जोखिम को बढ़ाती हैं—उदाहरण के लिए, निर्यात/आयात विश्वसनीयता को सीमित करना।
- **आर्थिक लागत:** ज़हरीले रोगियों के इलाज, दवाओं को वापस मंगाने, मुकदमेबाज़ी और नियामक प्रणालियों को मज़बूत करने की लागत बहुत ज़्यादा है।
- **नैतिकता और समानता:** सबसे कमज़ोर लोग—गरीब, ग्रामीण, बच्चे—अनुपातहीन रूप से प्रभावित होते हैं। वैश्विक दवा व्यापार, लाभ बनाम सुरक्षा की नैतिकता पर नैतिक प्रश्न उठाता है।
- **वैश्विक शासन:** चूँकि एक्सीपिएंट आपूर्ति श्रृंखलाएँ और व्यापार सीमा पार हैं, इसलिए इन मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कानूनी ढाँचे और सूचना साझाकरण की आवश्यकता है।

आगे की राह

- विशेष रूप से एक्सीपिएंट्स के लिए नियामक निगरानी को मज़बूत करना, जिसमें कच्चे माल का अनिवार्य परीक्षण और लागू करने योग्य प्रमाणन शामिल है।
- बाज़ार में आने के बाद की निगरानी और रीयल-टाइम अलर्ट सिस्टम में सुधार करना, खासकर बाल चिकित्सा फ़ॉर्मूलेशन के लिए।
- सीमा शुल्क, कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य मंत्रालयों और सीमा पार नियामक प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाना।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों को लागू करना कि जानबूझकर संदूषण को एक आपराधिक अपराध माना जाए, और ऐसे दंड दिए जाएँ जो कदाचार को प्रभावी ढंग से रोकें।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं (जैसे, बैच की उत्पत्ति, लेबलिंग, पैकेजिंग पर नज़र रखना) के भीतर पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को सुगम बनाना, संभवतः ब्लॉकचेन और डिजिटल ऑडिट जैसी तकनीक का उपयोग करना।
- तकनीकी, नियामक और प्रयोगशाला अवसंरचना में क्षमता निर्माण के साथ-साथ अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) को लागू करने के लिए संसाधन प्रदान करके निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) का समर्थन करना।

निष्कर्ष

डब्ल्यूएचओ-यूएनओडीसी की रिपोर्ट एक रोके जा सकने वाले वैश्विक स्वास्थ्य संकट का खुलासा करती है: अपर्याप्त विनियमन, नाज़ुक आपूर्ति श्रृंखलाओं और दवाओं की सुरक्षा में आपराधिक गतिविधियों की घुसपैठ के कारण हज़ारों लोगों की जान चली गई है, कई अन्य को नुकसान पहुँचा है, और बच्चे इसके शिकार बन गए हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं, वैश्विक मानक स्थापित करना, सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना न केवल वैकल्पिक है, बल्कि ये अत्यावश्यक भी हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: दूषित दवाओं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)-यूएनओडीसी की रिपोर्ट के संदर्भ में, डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) क्या है?

(a) कैंसर-रोधी दवाओं में प्रयुक्त एक चिकित्सीय यौगिक

(b) औषधीय उपचय पदार्थों के स्थान पर अवैध रूप से प्रयुक्त एक औद्योगिक विलायक

(c) सिरप की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिए मिलाया जाने वाला एक परिरक्षक

(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित एक टीका स्थिरक

(q) :उत्तर

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति

चर्चा में क्यों: हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय प्रभाव वाली बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए हाल ही में संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) का गठन किया है।

मुख्य विवरण

- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, जो 2005 के अधिनियम के पारित होने से पहले भी अस्तित्व में थी, को आपदा प्रबंधन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया।
- आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (प्रक्रिया) नियम, 2025, गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए।
- **अध्यक्ष:** समिति की स्थापना कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के अधीन की गई थी।
- **सदस्य:** इसके सदस्यों में विभागाध्यक्ष और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, गृह सचिव, रक्षा सचिव और कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) शामिल हैं।
- **कार्य:** एनसीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली किसी भी बड़ी आपदा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- किसी संभावित आपदा, उभरती आपदा या किसी भी आपदा के दौरान, एनसीएमसी के अध्यक्ष संकट की प्रकृति के आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी संगठन के किसी भी विशेषज्ञ या अधिकारी को शामिल कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, एनसीएमसी किसी भी आसन्न या आसन्न संकट परिदृश्य से निपटने के लिए तत्परता का आकलन भी करता है और यदि आवश्यक हो, तो तैयारियों में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025

- विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन समितियों और प्राधिकरणों के बीच स्पष्टता और समन्वय आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 का लक्ष्य है।
- एनसीएमसी और उच्च स्तरीय समिति जैसे महत्वपूर्ण पूर्व-मौजूदा संगठनों को इस अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- यह एनडीएमए और एसडीएमए को राष्ट्रीय और राज्य आपदा योजनाओं का सीधे मसौदा तैयार करने का अधिकार देता है।
- बढ़ती शहरी आपदा की कमज़ोरियों से निपटने के लिए, यह अधिनियम राज्यों को अपने स्वयं के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) स्थापित करने की अनुमति देता है और राज्य की राजधानियों और प्रमुख महानगरीय शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) की स्थापना का आह्वान करता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय महत्व के संकटों के लिए बेहतर समन्वय, तत्परता और प्रतिक्रिया की गारंटी देकर, आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा एनसीएमसी को औपचारिक मान्यता प्रदान करने से भारत के आपदा प्रशासन में वृद्धि होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह उच्च-स्तरीय समिति और एनसीएमसी को वैधानिक सहायता प्रदान करता है।
2. अधिनियम के तहत एनडीएमए और एसडीएमए को सीधे राज्य और राष्ट्रीय आपदा योजनाएँ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
3. यह भारत के प्रत्येक जिले में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) के निर्माण को अधिकृत करता है।
4. यह अधिनियम राज्यों को अपने स्वयं के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) स्थापित करने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 2 और 4

(q) :उत्तर

इकाई 11

समाचारों में चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

श्री अरबिंदो

चर्चा में क्यों: देश ने दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर 15 अगस्त 2025 को 15 मिनट की एनिमेटेड फिल्म 'श्री अरबिंदो-ए कॉल टू न्यू इंडिया' का प्रीमियर करके सम्मानित किया।

श्री अरबिंदो के बारे में

- श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था, 7 से 21 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई।
- वे प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, खासकर 1905 और 1910 के बीच, जिन्होंने मुख्यधारा की कांग्रेस से बहुत पहले ही ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की वकालत की थी।
- उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और अनुशीलन समिति जैसी गुप्त संस्थाओं का समर्थन किया, जिनका उद्देश्य सशस्त्र प्रतिरोध था।
- 1908 में, अलीपुर बम कांड, जो एक प्रमुख राजनीतिक मुकदमा था, के दौरान अरबिंदो को गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल में बिताया गया उनका समय उनके आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
- जेल में रहते हुए, उन्हें कई गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए, जिसके कारण उन्होंने योग और आंतरिक बोध का जीवन अपना लिया।
- 1910 में, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना और लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, तत्कालीन फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी चले गए।
- श्री अरबिंदो ने एकात्म योग नामक आध्यात्मिकता की एक अनूठी प्रणाली विकसित की, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को दिव्य जीवन में रूपांतरित करना है।
- उन्होंने "द मदर" के नाम से प्रसिद्ध फ्रांसीसी आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम के निर्माण और उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उनकी सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कृति "द लाइफ डिवाइन" है, जो आध्यात्मिक विकास के उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में "सावित्री", "योग का संश्लेषण" और "गीता पर निबंध" शामिल हैं।
- उन्होंने पत्रकारिता को राजनीतिक चेतना जागृत करने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने बंदे मातरम और कर्मयोगी जैसे शक्तिशाली राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का संपादन किया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की और देशभक्ति की भावना जगाई।
- उन्होंने एक आध्यात्मिक लोकतंत्र की कल्पना की और कई नेताओं को प्रेरित किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के दिन, उनका जन्मदिन 15 अगस्त को ही था और उन्होंने इसे एक "महत्वपूर्ण संयोग" बताया।
- श्री अरविंद का निधन 5 दिसंबर, 1950 को हुआ। उनकी शिक्षाएं श्री अरविंद आश्रम और पांडिचेरी के निकट ऑरोविले इंटरनेशनल टाउनशिप के माध्यम से जारी हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: श्री अरबिंदो घोष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे।
2. उन्होंने बंदे मातरम और कर्मयोगी जैसे राष्ट्रवादी प्रकाशनों का संपादन किया।
3. उन्हें अलीपुर बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
4. उन्होंने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (c) केवल 1 और 4

(b) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: श्री अरबिंदो घोष न केवल एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, बल्कि एक दूरदर्शी आध्यात्मिक नेता भी थे, जिनके विचार राजनीतिक स्वतंत्रता से भी आगे तक प्रसारित थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

चंद्र शेखर आज़ाद

चर्चा में क्यों: 23 जुलाई (119वीं जयंती) को सम्पूर्ण राष्ट्र ने चंद्रशेखर आज़ाद को याद किया, जो एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन

- **जन्म नाम:** चंद्रशेखर तिवारी
- **जन्म:** उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के भावरा नामक गाँव में हुआ था।
- **परिवार:** उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता, सीताराम तिवारी, गरीब लेकिन अत्यंत सिद्धांतवादी थे।
- **शिक्षा:** चंद्रशेखर को शिक्षा के लिए बनारस (वाराणसी) भेजा गया। वहाँ, वे राष्ट्रवादी विचारों से परिचित हुए और कम उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए।

- **नाम परिवर्तन:** असहयोग आंदोलन (1921) में भाग लेने के कारण 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तार होने के बाद, उन्होंने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को अपना नाम "आज़ाद", पिता का नाम "स्वतंत्रता" और निवास स्थान "जेल" बताया। तभी से वे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने जाने लगे।
- **मृत्यु:** 27 फ़रवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क (अब आज़ाद पार्क), इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में उनका निधन हो गया।
- अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार कि वे कभी जीवित नहीं पकड़े जाएँगे, उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली।

स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान

- **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA):** वे HSRA के एक प्रमुख नेता बने, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था।
- **काकोरी षडयंत्र केस (1925):** आज़ाद काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक थे, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सरकारी धन हड़पना था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान सहित उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। आज़ाद ने गिरफ्तारी से बचते हुए भूमिगत गतिविधियाँ जारी रखीं।
- **भगत सिंह और अन्य को समर्थन:** आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य जैसे युवा क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट (1929) का समर्थन और सह-योजना बनाई, जिसका उद्देश्य बिना किसी हताहत के "बहरों को सुनाना" था।
- **गुरिल्ला युद्ध और भूमिगत आंदोलन:** आज़ाद ने उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में गुप्त ठिकानों से भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों और हथियार प्रशिक्षण का नेतृत्व जारी रखा। वे गिरफ्तारी से बचने की अपनी क्षमता और अपनी तीक्ष्ण निशानेबाजी और गुरिल्ला रणनीति के लिए जाने जाते थे।

योगदान का महत्व

- **अवज्ञा के प्रतीक:** आज़ाद स्वतंत्रता की अटूट भावना के प्रतीक थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके निडर रुख ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया।
- **पीढ़ियों के बीच सेतु:** उन्होंने बिस्मिल जैसे पूर्व क्रांतिकारियों को भगत सिंह जैसे युवा वर्ग से जोड़ा।
- **समाजवाद की ओर झुकाव:** उनके नेतृत्व में, एचएसआरए स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए एक समाजवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़ा।
- **अहिंसा का विकल्प:** उनके मार्ग ने दिखाया कि स्वतंत्रता संग्राम एकांगी नहीं था, बल्कि कई दृष्टिकोण थे, जो सभी अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने में योगदान करते थे।

आज के भारत के लिए सीखें

- **उद्देश्यपूर्ण देशभक्ति:** आज़ाद की देशभक्ति केवल भावनात्मक नहीं थी; यह दूरदर्शिता, योजना और बलिदान से प्रेरित थी। आज, देशभक्ति का अर्थ समाज में योगदान देना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और कर्म के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना हो सकता है।
- **अन्याय के विरुद्ध साहस:** आत्मसमर्पण करने से इनकार और अवज्ञा का उनका अंतिम कार्य हमें उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक।
- **युवा जुड़ाव:** जब उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तब उनकी आयु मात्र बीस वर्ष थी। उनका जीवन आज के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नवाचार और सामाजिक कार्यों में शामिल होने का आह्वान करता है।
- **धार्मिक सीमाओं के पार एकता:** अशफ़ाक़उल्ला ख़ान और अन्य लोगों के साथ आज़ाद का सौहार्द एक धर्मनिरपेक्ष भावना को दर्शाता है, जो आज के अक्सर ध्रुवीकृत वातावरण में एक अत्यंत आवश्यक सबक है।
- **नैतिक अखंडता:** एक क्रांतिकारी होने के बावजूद, आज़ाद के नैतिक आचार-संहिताएँ मज़बूत थीं। उन्होंने कभी भी अति हिंसा का प्रयोग नहीं किया और न ही कभी निर्दोषों को नुकसान पहुँचाया, जिससे प्रतिरोध में नैतिकता के महत्व पर बल मिलता है।

निष्कर्ष

चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन वीरता और आदर्शवाद का प्रतीक है। ऐसे समय में जब स्वतंत्रता और लोकतंत्र को हल्के में लिया जा रहा है, उनके जीवन को याद करना हमें स्वतंत्रता की कीमत और निडर दृढ़ विश्वास की शक्ति का एहसास कराता है। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और एक न्यायपूर्ण, समावेशी और सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चंद्रशेखर आज़ाद किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे?

(a) आज़ाद हिंद फ़ौज

(b) अनुशीलन समिति

(c) हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)

(d) ग़दर पार्टी

उत्तर: (c)

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती (23 जुलाई) पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अद्वितीय पराक्रम और अपार योगदान की प्रशंसा की।

बाल गंगाधर तिलक का जीवन

- **पूरा नाम:** केशव गंगाधर तिलक
- **जन्म:** 23 जुलाई 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र (तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी) में
- **पारिवारिक पृष्ठभूमि:** एक चितपावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे, जो अपनी विद्वता और परंपरा के लिए जाने जाते हैं।
- **शिक्षा:**
  - दक्कन कॉलेज, पुणे से गणित में स्नातक।
  - बाद में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे से एलएलबी (कानून की डिग्री) की उपाधि प्राप्त की।
- **युवावस्था में व्यक्तित्व:**
  - अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, दृढ़ नैतिक बोध और गहरी देशभक्ति के लिए जाने जाते थे।
  - प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों और इतिहास से गहराई से प्रभावित थे।
- **मृत्यु:** 1 अगस्त 1920 को, मुंबई में, 64 वर्ष की आयु में।
- **कारण:** वर्षों के तनाव, कारावास और तीव्र सक्रियता के कारण बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण।

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज़ "भारतीय अशांति के जनक" और भारतीय "लोकमान्य" (जनता के प्रिय) के रूप में भी जानते हैं।

शिक्षा और सामाजिक सुधार में भूमिका

- सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने से पहले, तिलक का मानना था कि शिक्षा राष्ट्रीय जागृति की नींव है।
- **फर्ग्यूसन कॉलेज:** गुणवत्तापूर्ण, राष्ट्रवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी (1884) और बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज की सह-स्थापना की।
- उन्होंने स्थानीय भाषा में शिक्षा की वकालत की, ताकि भारतीय अपनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें।
- उन्होंने ब्रिटिश-प्रधान शिक्षा प्रणाली के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप संस्कृत, भारतीय इतिहास और विरासत को बढ़ावा दिया।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- **पत्रकारिता:** तिलक ने जनचेतना जगाने के लिए प्रेस की शक्ति का प्रयोग किया: केसरी (मराठी में) और द मराठा (अंग्रेजी में): ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्होंने ये समाचार पत्र शुरू किए।
- **उन्होंने घोषणा की:** "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा!"
- **राजनीतिक नेतृत्व और गरमपंथी पक्ष:** 1900 के दशक के आरंभ में, कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई: उदारवादी (जैसे गोपाल कृष्ण गोखले) याचिकाओं के माध्यम से क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे; गरमपंथी (जैसे तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय) प्रत्यक्ष कार्रवाई और आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। तिलक का मानना था कि स्वशासन (स्वराज) अंग्रेजों का उपकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:** भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक उत्सवों के रूप में पुनर्जीवित किया।
- **कारावास और लेखन:** अपने लेखन और भाषणों के कारण "राजद्रोह" के आरोप में कई बार गिरफ्तार हुए।
  - ➢ **1908:** बर्मा की मांडले जेल में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
  - ➢ इस दौरान उन्होंने भगवद्गीता की व्याख्या "गीता रहस्य" लिखी, जिसमें कर्म योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अकर्म की अपेक्षा कर्म पर बल दिया गया।
- **तिलक द्वारा लिखित पुस्तकें:** गीता रहस्य, कर्म और कर्तव्य के दृष्टिकोण से भगवद् गीता की व्याख्या।

योगदान का महत्व

- **भारत के प्रथम जननेता:** तिलक उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनता को शामिल किया और अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को तोड़ा।
- **सांस्कृतिक जागृति:** भारतीय इतिहास, धर्म और दर्शन में गौरव का संचार किया। भारतीयों को पहचान और आत्मविश्वास का एहसास दिलाया।
- **भावी आंदोलनों की नींव:** गांधीजी जैसे नेताओं द्वारा जनआंदोलनों के लिए मंच तैयार किया। तिलक के प्रारंभिक तरीकों से कई रणनीतियाँ और विचारधाराएँ विकसित हुईं।
- **राजनीतिक विचारधारा में बदलाव:** उन्होंने राजनीति में दृढ़ता का परिचय दिया और अंग्रेजों से याचना करने के बजाय उन्हें चुनौती दी।
- **स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) को बढ़ावा:** राष्ट्रीय नीति बनने से बहुत पहले ही उन्होंने भारतीय निर्मित वस्तुओं और आत्मनिर्भरता की वकालत की।

आज के भारत में तिलक से सीखें

- **शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण:** स्वदेशी, प्रासंगिक शिक्षा पर उनका ध्यान हमें अपने मन को उपनिवेशवाद से मुक्त करने और अपनी ज्ञान प्रणालियों को महत्व देने की याद दिलाता है।
- **अन्याय के विरुद्ध आवाज़:** वह निडर होकर बोलने में विश्वास करते थे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल या उत्पीड़न ही क्यों न सहना पड़े—यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है।
- **सांस्कृतिक एकता:** एकता के लिए त्योहारों का उनका पुनरुत्थान दर्शाता है कि कैसे संस्कृति समावेशी रूप से उपयोग किए जाने पर एक एकीकृत और राजनीतिक शक्ति बन सकती है।
- **परिवर्तन की शक्ति के रूप में मीडिया:** राष्ट्र निर्माण के लिए समाचार पत्रों का उपयोग आज पत्रकारिता की शक्ति और उत्तरदायित्व की याद दिलाता है।
- **राजनीतिक कार्रवाई के लिए आध्यात्मिक शक्ति:** गीता रहस्य ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आध्यात्मिकता और सक्रियता एक साथ रह सकते हैं। हमें नैतिक शक्ति के साथ न्याय के लिए कार्य करना चाहिए।
- **आत्मनिर्भरता और स्वदेशी:** तिलक द्वारा स्वदेशी के प्रचार की प्रतिध्वनि आज "मेक इन इंडिया" और वोकल फॉर लोकल जैसे आंदोलनों में दिखाई देती है।

निष्कर्ष

बाल गंगाधर तिलक एक दूरदर्शी, राष्ट्रवादी, विद्वान और जन-आंदोलनकारी व्यक्ति थे। उनके जीवन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बौद्धिक और भावनात्मक आधार तैयार किया। आज की दुनिया में, स्वशासन, शिक्षा, सांस्कृतिक गौरव और नागरिक साहस के उनके आदर्श अत्यंत प्रासंगिक हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था?

(a) द हिंदू (b) केसरी

(c) द टाइम्स ऑफ इंडिया (d) प्रबुद्ध भारत

(q) :उत्तर

अटल बिहारी वाजपेयी

चर्चा में क्यों: 16 अगस्त को भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सातवीं पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिन्हें उनके एकीकृत नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए याद किया जाता है।

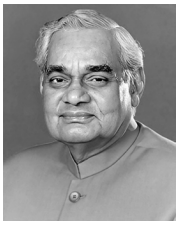

जीवन और शिक्षा

- **जन्म:** 25 दिसंबर, 1924, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता, कृष्ण बिहारी वाजपेयी, एक स्कूल शिक्षक थे।
- **स्कूली शिक्षा:** ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, फिर ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (वर्तमान महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज) से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सिंधिया राजवंश से प्राप्त छात्रवृत्ति की सहायता से कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

राजनीतिक शुरुआत और करियर

- **प्रारंभिक सक्रियता:** 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
- **राज्यसभा और लोकसभा:** नौ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित, जो चार दशकों से अधिक के संसदीय करियर को दर्शाता है।
- **राजनीतिक यात्रा:** एक पत्रकार के रूप में शुरुआत की और फिर 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रूप में विकसित हुई।

प्रधानमंत्री और राजनीतिक नेतृत्व के रूप में

कार्यकाल:

- **1996:** पहली बार 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- **1998–1999:** गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में लौटे।
- **1999–2004:** राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व करते हुए पूरे पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया। ऐसा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।

गठबंधन निर्माता:

- विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर भाजपा को अलगाव से निकालकर राजनीतिक प्रमुखता तक पहुंचाया।

आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार

- **निजीकरण और विनिवेश:** विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया; बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, वीएसएनएल जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किया गया।
- राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने और घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम (2003) पारित किया गया।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) पारित किया गया, जिससे वित्तीय खुफिया इकाई का गठन किया गया।
- **बुनियादी ढांचे से संबंधित पहल:**
  - ➢ स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क
  - ➢ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- **दूरसंचार सुधार:** राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 ने सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया, टैरिफ कम किए और कनेक्टिविटी का विस्तार किया।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की शुरुआत की गई।

आर्थिक प्रभाव

- प्राकृतिक आपदाओं और भू-राजनीतिक संघर्ष जैसी चुनौतियों के बावजूद मजबूत जीडीपी वृद्धि (~ 6-8%), कम मुद्रास्फीति (~ 4.5%), और बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार हासिल किया।

कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा

- **परमाणु परीक्षण (पोखरण-II, 1998):** भारत की सामरिक स्वायत्तता पर ज़ोर दिया; सोवियत संघ ने प्रतिबंधों को जन्म दिया, लेकिन अंततः भारत की वैश्विक स्थिति को मज़बूत किया।
- **कारगिल युद्ध (1999):** संतुलित सैन्य और कूटनीतिक रणनीति के साथ भारत का नेतृत्व किया, सीमाओं पर तनाव को टाला।
- **पाकिस्तान के साथ कूटनीति:** दिल्ली-लाहौर बस सेवा शुरू की और शांति को बढ़ावा देने के लिए आगरा शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- **वैश्विक जुड़ाव:** 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा सुनिश्चित की, जो 1978 के बाद पहली यात्रा थी, जिससे भारत-अमेरिका संबंध मज़बूत हुए। "लुक ईस्ट" नीति के माध्यम से आसियान के साथ संबंधों को मज़बूत किया।
- विदेश मंत्री के रूप में, वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने इसे कई बार संबोधित किया।

शब्दों, दृष्टि और मूल्यों का व्यक्ति

- प्रसिद्ध कवि और वक्ता, हिंदी में अपने भावपूर्ण भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें अक्सर काव्यात्मक गहराई होती है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों, शिष्टाचार और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, सभी दलों में उनका सम्मान किया जाता है।
- समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और ग्रामीण उत्थान पर केंद्रित।

बाद के वर्ष और विरासत

- **पुरस्कार:**
  - ➢ पद्म विभूषण (1992)
  - ➢ सर्वश्रेष्ठ सांसद (1994)
  - ➢ भारत रत्न (2014)
- **मृत्यु:** 16 अगस्त, 2018 को 93 वर्ष की आयु में नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। 17 अगस्त को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, तत्पश्चात राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर दाह संस्कार किया गया; अस्थियाँ हरिद्वार में विसर्जित की गईं। राजघाट पर "सदैव अटल" स्मारक स्थापित किया गया।
- **स्मरण:** एक दूरदर्शी नेता, सुशासन और राजनीति में गरिमा के प्रतीक के रूप में निरंतर स्मरण किया जाता है। 16 अगस्त को देश भर में श्रद्धांजलि दी जाती है। जन्मदिवस (25 दिसंबर) को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **अन्य सम्मान:** उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की एक नई पुस्तक, अतुलनीय अटलजी (व्यक्तित्व, विचार और विरासत), उनके निबंधों, भाषणों और कविताओं को संकलित करती है - जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ियों को उनकी दृष्टि और विरासत के बारे में प्रेरित करना है।

निष्कर्ष

अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता से कहीं बढ़कर थे, वे आदर्शों, वचनों और कर्मों से प्रेरित एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी विरासत राजनीति से परे है। वे एक ऐसे राजनेता थे जिनके अखंडता, एकता और विकास के आदर्श आज भी भारत और उसके बाहर की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) वह गैर-कांग्रेसी पार्टी से पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे।

(b) उन्होंने संसद में कभी कोई पद नहीं संभाला।

(c) उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

(d) प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

उत्तर: (द)

इकाई 12

'योजना' से महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025)

नवाचार की स्वतंत्रता

I. नवाचार की मानवीय यात्रा

- **होमो सेपियंस की एक परिभाषित विशेषता के रूप में नवाचार**
  - प्रारंभिक मानव पत्थर के औज़ार बनाते थे और आग के प्रयोग में पारंगत थे।
  - खानाबदोश समूहों ने स्थायी कृषि समाजों का गठन किया।
- **कृषि क्रांतियाँ**
  - सिंचाई प्रणालियाँ बनाई गईं।
  - फ़सल चक्र अपनाया गया।
  - चयनात्मक घरेलूकरण का प्रयोग किया गया।
  - इन कदमों से उत्पादकता बढ़ी और शहरीकरण एवं व्यापार को बढ़ावा मिला।
- **औद्योगिक और तकनीकी क्रांतियाँ**
  - मशीनों, भाप ऊर्जा और बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत की।
  - डिजिटल युग, सेवा अर्थव्यवस्थाओं, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण को जन्म दिया।
- **वैश्विक योगदान**
  - विभिन्न समाजों ने मानव प्रगति में अद्वितीय विचार और क्षमताएँ जोड़ीं।

II. भारत का नवाचार का सभ्यतागत लोकाचार

- **विद्वान और ज्ञान नेता**
  - पिंगला, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कर ने गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान को उन्नत किया।
- **शिक्षण केंद्र**
  - नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और पुष्पगिरि अंतःविषयक केंद्र थे।
  - उन्होंने वास्तुकला, धातु विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद और भाषा विज्ञान को पोषित किया।
- **ज्ञान परंपरा का लचीलापन**
  - आक्रमणों, औपनिवेशिक प्रभुत्व और वैश्विक व्यवधानों के बावजूद, भारत की नवाचार भावना कायम रही।
  - यह सभ्यतागत आधार में गहराई और लचीलेपन को दर्शाता है।

III. नवाचार की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकाचार

- **विकसित भारत 2047 और स्वतंत्रता का एक नया अर्थ**
  - स्वतंत्रता में अब सृजन करने, समस्याओं का समाधान करने तथा समाज को आकार देने में भागीदारी करने की क्षमता भी शामिल है।
- **नवप्रवर्तन की स्वतंत्रता:** समाधान बनाने, विकल्पों की कल्पना करने और प्रासंगिकता बनाने का अवसर, क्षमता और अधिकार।
- **इस स्वतंत्रता की अभिव्यक्तियाँ**
  - स्वदेशी ज्ञान को "ग्लोकल (वैश्विक+स्थानीय)" समाधानों में परिवर्तित करना।
  - अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन सेंटर।
  - संधारणीय कृषि का अभ्यास।
- **विकेंद्रीकरण और वास्तविक स्वतंत्रता**
  - नवाचार महानगरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक प्रसारित हो रहा है।
  - यह स्टार्टअप यूनिकॉर्न से लेकर स्वयं सहायता समूहों तक प्रसारित है।
  - यह विकास को वास्तविक स्वतंत्रता के रूप में बढ़ावा देता है।
- **संवैधानिक संबंध**
  - अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार।
  - अनुच्छेद 21: जीवन और सम्मान का अधिकार।
  - अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार।
  - अनुच्छेद 51A: वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और सुधार करने का कर्तव्य।

IV. नवाचार के क्षितिज को व्यापक बनाना

(i) रणनीतिक नीति ढांचा और बजटीय प्रोत्साहन

- **केंद्रीय बजट 2025-26:** अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान

- रणनीतिक और उभरती हुई तकनीक में अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹20,000 करोड़: एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा।
- यह कोई सामान्य विज्ञान बजट नहीं है। यह प्रयोग करने, असफल होने और व्यावसायीकरण की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

- **डीप-टेक वित्तपोषण**
  - यह सिडबी के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ के डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (FoF) का पूरक है।
  - डीप-टेक को लंबी अवधि की आवश्यकता होती है और इसमें जोखिम भी अधिक होता है।
- सरकार नवाचार वित्त को लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रारंभिक चरण में एक समर्थक के रूप में आगे आती है।
- **प्रतिभा पाइपलाइन**
  - ₹70,000 से ₹80,000 मासिक वजीफे के साथ 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप।
  - **लक्ष्य:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना।
  - **संदेश:** नवाचार एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है, न कि विशेषाधिकार।

(ii) एएनआरएफ और नियामक सुगमता का निर्माण

- **एएनआरएफ की स्थापना (संसद, 2023)**
  - अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने व्यापक अधिदेश के साथ एसईआरबी का स्थान लिया है।
- **वित्तपोषण संरचना (2023–28)**
  - एएनआरएफ फंड, इनोवेशन फंड, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान फंड, विशेष प्रयोजन फंड के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का लक्ष्य।
  - केंद्र सरकार द्वारा पहले ही ₹14,000 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका है।
  - शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओं, फाउंडेशनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त की जाएगी।
- **नियामक चपलता**
  - संस्थानों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए एक उच्च सीमा तक स्वायत्तता प्राप्त है।
  - इससे कार्यकुशलता में सुधार होता है और प्रक्रियागत देरी कम होती है।
  - विश्वास-आधारित, समावेशी नवाचार शासन की ओर बदलाव।
- **आरडीआई योजना (01 जुलाई 2025)**
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ की निधि वाली अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंज़ूरी दे दी है।
  - यह योजना कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करती है।
  - **उद्देश्य:** निजी क्षेत्र की वित्तपोषण बाधाओं को दूर करना; उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए विकास और जोखिम पूँजी प्रदान करना।
  - **लक्ष्य:** नवाचार को सुगम बनाना, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
  - एएनआरएफ, आरडीआई योजना को व्यापक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।

(iii) जमीनी स्तर पर नवाचार को मजबूत करना

- **पारंपरिक और क्षेत्रीय ज्ञान प्रणालियाँ**
  - भारत का अनौपचारिक क्षेत्र स्थानीय कृषि तकनीकों, कृषक किस्मों, पौध संरक्षण, मानव एवं पशु स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, स्थानीय इंजीनियरिंग और वस्त्र प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
  - नवाचार अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों से उत्पन्न होते हैं।
- **राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन-भारत (एनआईएफ)**
  - डीएसटी के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान; लगभग 600 जिलों से जमीनी स्तर के नवाचारों की खोज और पोषण करता है।
  - उद्योग, अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से समर्थन का एक संपूर्ण चक्र प्रदान करता है।
  - **परिणाम:** 1,400 से अधिक पेटेंट दायर, 120 से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। कई एनआईएफ-समर्थित नवप्रवर्तकों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
  - यह अदृश्यता से मुक्ति है, उन देशों के विपरीत जहाँ नवाचार केवल कॉर्पोरेट, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और शीर्ष विश्वविद्यालयों तक ही सीमित है।
- **उन्नत भारत अभियान (शिक्षा मंत्रालय)**
  - शैक्षणिक संस्थानों को ग्रामीण भारत से जोड़ता है।
  - संस्थान गाँवों के समूहों को गोद लेते हैं, आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और प्रासंगिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

(iv) नवाचार स्वतंत्रता के मंच के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- **डीपीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स:** आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, ओएनडीसी उद्यमियों और डेवलपर्स को सक्षम बनाते हैं।
- **ओएनडीसी परिणाम (मार्च 2025 तक)**
  - 7 लाख से ज़्यादा विक्रेता और सेवा प्रदाता जुड़े; ज़्यादातर एमएसएमई हैं।
  - 20.4 करोड़ संचयी लेनदेन।
  - बड़े प्लेटफ़ॉर्म के मुक़ाबले समान अवसर।

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रक्षेप पथ**
  - भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024: डिजिटलीकरण में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
  - 2030 तक, डिजिटल अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था का लगभग पाँचवाँ हिस्सा होने का अनुमान है, जो पारंपरिक क्षेत्रों से आगे निकल जाएगा।
- **भारत ऊर्जा स्टैक (IES)**
  - ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित, अंतर-संचालनीय डिजिटल अवसंरचना, जैसे ऊर्जा के लिए UPI।
  - नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करता है और DISCOM की दक्षता बढ़ाता है।
  - पारदर्शी, विश्वसनीय, भविष्य-तैयार बिजली सेवाएँ प्रदान करता है।
  - **उदाहरण:** सौर पैनल वाला एक किसान ग्रिड को अतिरिक्त बिजली देता है और सीधे बैंक भुगतान प्राप्त करता है।
  - DISCOM माँग पर नज़र रख सकते हैं, चोरी रोक सकते हैं और समय पर अलर्ट भेज सकते हैं।
  - विश्वसनीयता और वृद्धि में सुधार करता है

(v) क्षेत्रीय गहनता: स्वास्थ्य, कृषि, एआई, क्वांटम

- **स्वास्थ्य सेवा (डिजिटल-प्रथम बदलाव)**
  - **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम):**
    - 20 करोड़ ABHA खाते।
    - स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR) पर 3.49 लाख सुविधाएँ।
    - हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) पर 5.23 लाख पेशेवर।
  - यह अंतर-संचालन को सक्षम बनाता है, अतिरेक को कम करता है, और टेलीमेडिसिन, ई-फार्मेसियों और एआई समर्थित निदान तक पहुँच को आसान बनाता है।
  - **औषधीय अनुसंधान प्रोत्साहन कार्यक्रम (पीआरआईपी):** भारत को फार्मा और मेडटेक में वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने के लिए ₹5,000 करोड़।
  - **डीएचआर-आईसीएमआर कार्य योजना 2024-29:**
    - स्वदेशी और किफायती स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
    - प्रतिरोधी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान प्रदान करना।
    - डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को आगे बढ़ाना।
    - अनुसंधान-आधारित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
    - प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी बढ़ाना।
    - चिकित्सा संबंधी उपायों में तेज़ी लाना।
    - चिकित्सा अनुसंधान में भारत की वैश्विक स्थिति सुनिश्चित करना।
- **कृषि (कृषि 4.0)**
  - कार्यबल का लगभग 42% कार्यरत है; सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% योगदान देता है।
  - कीटों का पता लगाने के लिए ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई और IoT-आधारित मृदा एवं जल प्रबंधन का उपयोग करता है।
  - **योजनायें:** ड्रोन दीदी, आकाशदूत, एग्री-इंडिया हैकाथॉन, आर्य, आरकेवीवाई-रफ़्तार और एग्री टेक इनोवेशन हब।
- स्टार्टअप समाधानों में एआई सिंचाई सलाह, मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ और रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैव-इनपुट शामिल हैं।
- **इन्क्यूबेशन और डीप-टेक मिशन**
  - टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) और सामुदायिक नवाचार केंद्र (सीआईसी)।
  - अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल/एटीएलएस) हजारों स्कूलों को 3डी प्रिंटर, रोबोटिक्स किट और विज्ञान उपकरण प्रदान करते हैं।
  - ये प्रयास एनएम-आईसीपीएस (अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन) और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के अनुरूप हैं।
  - **उद्देश्य:** अग्रणी प्रौद्योगिकियों में नवाचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और संप्रभुता एवं स्थिरता के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करना।

V. मापनीय वैश्विक प्रभाव

- **नवाचार और आईपी स्थिति**
  - **वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024:** भारत 39वें स्थान पर, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर।
  - **डब्ल्यूआईपीओ विश्व आईपी फाइलिंग रिपोर्ट 2023:** पेटेंट फाइलिंग में भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर - अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अग्रणी देशों के बीच।
- **डिजिटल तत्परता**
  - **नेटवर्क तत्परता सूचकांक (एनआरआई):** 89वें (2015) से 49वें (2024) तक सुधार हुआ।
- **स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र**
  - 1.57 लाख डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप।
  - 100 से अधिक यूनिकॉर्न।
  - टियर-II और टियर-III शहरों से लगभग 51% स्टार्टअप भागीदारी।
  - मज़बूत पेटेंट प्रवर्तन और कम नियामक अनिश्चितता से प्रगति को बल मिला।

VI. सभ्यतागत जागृति और राष्ट्रीय दृष्टि

- **आत्मशक्ति (आंतरिक शक्ति)**
  - नवाचार का विस्तार एक गहन राष्ट्रीय जागृति को दर्शाता है।
  - आम नागरिक आत्मविश्वास और साहस के साथ नवाचार करते हैं।
- **गांधीवादी महासागरीय मंडल**
  - नवाचार प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, खेतों और जनजातीय बस्तियों से स्व-सुदृढ़ संकेंद्रित तरंगों के रूप में फैलता है।
  - व्यक्ति और समुदाय रचनात्मक ऊर्जा के केन्द्र हैं।
- **राज्य-समाज साझेदारी**
  - सरकार जनभागीदारी, जमीनी स्तर पर नवाचार और समुदाय-संचालित समाधानों के माध्यम से सृजन (रचनात्मक अभिव्यक्ति) को सक्षम बनाती है।
  - यह रचनात्मकता का स्वराज है जहाँ ग्रामीण-आदिवासी नवप्रवर्तक और इसरो वैज्ञानिक मिलकर योगदान करते हैं।
- **विकसित भारत@2047 और आत्मनिर्भरता**
  - समाज के सभी स्तरों पर अवसरों का प्रसार नवाचार को बढ़ावा देता है।
  - यह आत्मनिर्भरता और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण की ओर एक सभ्यतागत बदलाव का प्रतीक है।

लोगों का पद्म (People's PADMA)

I. श्री पंडी राम मंडावी - आदिवासी उपकरण निर्माता और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले

(i). परिचय

- **पूरा नाम:** श्री पंडी राम मंडावी
- **स्थान:** नारायणपुर, छत्तीसगढ़ (बस्तर क्षेत्र)
- **कला विशेषज्ञता:** गोंड काष्ठ शिल्प, मुरिया काष्ठ कला और बाँस के वाद्य यंत्र
- **प्रमुख सम्मान:** आदिवासी कला और शिल्प संवर्धन में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित
- **प्रतिष्ठित कृति:** बाँस की सीटी जिसे 'सुलूर' या 'बस्तर बांसुरी' के नाम से जाना जाता है

(ii) प्रारंभिक जीवन

- 12 फ़रवरी 1957 को गढ़बंगाल गाँव में जन्म।
- कुशल लकड़ी कारीगरों के परिवार में पले-बढ़े।
- पिता एक प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशीकार थे, जिन्होंने यह कला उन्हें विरासत में दी।
- बचपन से ही, लकड़ी के कंघे और बाँस की बांसुरी बनाकर लकड़ी की कारीगरी सीखने लगे।

(iii) कलात्मक कौशल और रचनाएँ

- वर्षों से उन्होंने अपने प्रदर्शनों की सूची का विस्तार किया है और इसमें शामिल हैं:
  - लकड़ी की तलवारें
  - युद्ध कुल्हाड़ी
  - धनुष और तीर
  - चलने में सहायक छड़ियाँ
  - बाँस की बांसुरी
- प्रत्येक रचना एक वस्तु से कहीं अधिक है—मुरिया जनजाति के संघर्षों, आनंद और परंपराओं की कहानी प्रस्तुत करती है।

(iv) सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान

- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में मुरिया काष्ठ कला का समर्थन किया।
- कौशल और ज्ञान साझा करते हुए, कारीगरों का एक समुदाय बनाया।
- शिल्पकला में निहित आदिवासी कथाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया।
- अमूर्त विरासत के संरक्षण हेतु युवा कारीगरों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया।

(v) मान्यता और विरासत

- पद्मश्री के अलावा कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए।
- आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं।
- आने वाली पीढ़ियों को पारंपरिक कौशल का महत्व समझने के लिए प्रेरित करते हैं।
- उनका जीवन इस बात पर ज़ोर देता है कि अमूर्त विरासत का संरक्षण न केवल अतीत के सम्मान के लिए, बल्कि भविष्य के लिए सांस्कृतिक आधारशिला बनाने के लिए भी आवश्यक है।

II. डॉ. वेंकप्पा अंबाजी सुगातेकर - गोंधल लोक गायक

(i) परिचय

- **पूरा नाम:** डॉ. वेंकप्पा अंबाजी सुगातेकर
- **स्थान:** बागलकोट, कर्नाटक
- **विशेषज्ञता:** कर्नाटक की गोंधल लोक संगीत परंपरा
- **प्रमुख सम्मान:** गोंधल लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्मश्री से सम्मानित।

(ii) प्रारंभिक जीवन और संगीत यात्रा

- जन्म 1 मई 1943।
- 10 वर्ष की आयु में लोक संगीत का प्रशिक्षण शुरू किया।
- असाधारण स्मृति और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरा लगाव।
- हज़ारों लोक रचनाओं में निपुणता प्राप्त, जिनमें शामिल हैं:
  - दसर पद
  - संथा शिशुनालार पद
  - वचन साहित्य
  - देवी पद

(iii) कलात्मक निपुणता

- 1,000 से अधिक गीत और 150 दीर्घ-रूपी पौराणिक कहानियाँ पूरी तरह से स्मृति से जानते हैं।
- कहानी कहने के तत्वों के साथ गोंधल लोक संगीत प्रस्तुत करते हैं।
- भक्ति गीतों, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक टिप्पणियों का सम्मिश्रण।

(iv) प्रशिक्षण और मार्गदर्शन

- 1,000 से अधिक छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया।
- गोंधल परंपराओं का अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित।
- कला को जीवित रखने के लिए लोक संगीत में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

(v) प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रभाव

- कर्नाटक भर में व्यापक रूप से प्रस्तुतियाँ।
- गोंधल परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उभरते कलाकारों को प्रेरित करता है।
- कर्नाटक के लोक संगीत की एक जीवंत किंवदंती के रूप में मान्यता प्राप्त।
- 82 वर्ष की आयु में भी, एक सक्रिय सांस्कृतिक राजदूत बने हुए हैं।

(vi) मान्यता और विरासत

- सांस्कृतिक योगदान के लिए 30 से अधिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता।
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा "सांस्कृतिक मशाल वाहक" के रूप में प्रशंसा प्राप्त।
- उनका समर्पण आधुनिक समाज में सांस्कृतिक संरक्षण की शक्ति को दर्शाता है।
- उनका कार्य यह सुनिश्चित करता है कि गोंधल लोक संगीत जीवंत, प्रासंगिक और सम्मानित बना रहे।

III. 'जनपद पद्म' सम्मान का महत्व

- जमीनी स्तर के सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान करता है जिनके काम अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में अनदेखे रह जाते हैं।
- संगीत से लेकर शिल्प तक, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- यह दर्शाता है कि समुदाय-आधारित पारंपरिक कलाओं के प्रति समर्पण का राष्ट्रीय और वैश्विक सांस्कृतिक मूल्य है।

इकाई 13

'कुरुक्षेत्र' से महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025)

विषय 1: कृषि 4.0 - कृषि-तकनीक क्रांति की ओर

I. भारत में कृषि का महत्व

- **रोज़गार:** भारत के 42.3% कार्यबल को रोजगार देता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18.2%।
- **चुनौतियाँ:**
  - कम उत्पादकता और उपज का अंतर (वैश्विक औसत से 20-60% कम)।
  - मानसून पर अत्यधिक निर्भरता (52% कृषि वर्षा पर निर्भर)।
  - खंडित छोटी जोत (89.4% किसानों के पास <2 हेक्टेयर) है।
  - कटाई के बाद उच्च नुकसान (सभी फसलों में 0.92% - 15.88%)।
  - अस्थिर कृषि आय।
  - **पशुधन क्षेत्र के मुद्दे:** चारे की कमी, पशु स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल, कमज़ोर आपूर्ति श्रृंखलाएँ।

II. परिवर्तन की आवश्यकता

- बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य सुरक्षा की बढ़ती माँग।
- प्रौद्योगिकी अपनाने से किसानों की आय बढ़ सकती है, स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है और दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
- **डिजिटल कृषि:** सटीक खेती, अपशिष्ट कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और बाज़ार से जुड़ाव के लिए AI, IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, बिग डेटा का उपयोग।

III. डिजिटल कृषि की अवधारणा

- **दो पूरक प्रतिमान:** ये दोनों मिलकर कृषि 4.0 की नींव रखते हैं - संस्थागत ढाँचों को उन्नत करते हुए किसानों को सशक्त बनाना।

(i) स्मार्ट फ़ार्म डिजिटलीकरण (खेत-स्तर):

- IoT-आधारित मृदा/फसल सेंसर।
- छिड़काव/इमेजिंग के लिए ड्रोन।
- स्वचालित सिंचाई।
- मोबाइल-आधारित फ़ार्म प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म।
- **लक्ष्य:** खेतों को प्रतिक्रियाशील, सटीकता-संचालित उत्पादन इकाइयों में बदलना।

(ii) स्मार्ट कृषि-क्षेत्र डिजिटलीकरण (पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर):

- उपग्रह-आधारित फसल निगरानी।
- मौसम पूर्वानुमान।
- ब्लॉकचेन-सक्षम आपूर्ति श्रृंखलाएँ।
- बाज़ार पहुँच, ऋण, सब्सिडी और बीमा के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।
- **लक्ष्य:** शासन, पारदर्शिता और प्रणालीगत समर्थन को मज़बूत करना।

IV. स्मार्ट फ़ार्म डिजिटलीकरण - प्रमुख पहलू

- **अपनाने का अंतर:** जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की तुलना में भारत में कम अपनाया गया।
- **संबोधित चुनौतियाँ:**
  - **कीट नियंत्रण:** कीटों के कारण 30-35% फ़सल का नुकसान; जलवायु परिवर्तन से हमले और भी बदतर हो जाते हैं (प्रति +1°C वृद्धि पर 10-25% उपज हानि)।

- **जल प्रबंधन:**
  - 70-80% किसान भूजल सिंचाई पर निर्भर हैं।
  - 17% भूजल खंडों का अत्यधिक दोहन हो चुका है, 5% गंभीर रूप से समाप्त हो चुके हैं।
  - IoT सेंसर पानी के उपयोग को लगभग 50% तक कम कर सकते हैं।
- **पोषक तत्व प्रबंधन:** ऑप्टिकल सेंसर सटीक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे अति प्रयोग कम होता है।
- **खरपतवार प्रबंधन:** ड्रोन + GPS = खरपतवार मानचित्रण + लक्षित छिड़काव।

- **बहुउद्देशीय उपकरण के रूप में स्मार्टफ़ोन:**
  - **कैमरा:** पत्ती सूचकांक, मिट्टी के चित्र।
  - **GPS:** समस्या क्षेत्रों की पहचान।
  - **एक्सेलेरोमीटर/जाइरोस्कोप:** गतिविधि की निगरानी, अलार्म।
  - **QR कोड:** बीज ट्रेसेबिलिटी।
- **स्वचालन के लाभ:**
  - श्रम की कमी दूर होती है (90% किसान इसका हवाला देते हैं)।
  - प्रच्छन्न बेरोजगारी कम होती है।
  - रोबोटिक्स और एआई उपकरणों से दक्षता बढ़ती है।
- **डिजिटल तत्परता:**
  - 85.5% घरों में स्मार्टफोन हैं।
  - 86.3% घरों में इंटरनेट की सुविधा है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में 95.5% युवाओं (15-29 वर्ष) के पास स्मार्टफोन हैं।
  - **संभावना:** हर खेत एक स्मार्टफार्म है।

V. स्मार्ट कृषि-क्षेत्र डिजिटलीकरण - प्रणालीगत स्तर

- **आपूर्ति श्रृंखला:** "खेत से कांटे तक" पता लगाने की क्षमता के लिए ब्लॉकचेन; प्रामाणिकता के लिए क्यूआर कोड, निर्यात को बढ़ावा देना।
- **बाजार पहुँच:** डिजिटल बाज़ार बिचौलियों को कम करते हैं, मूल्य प्राप्ति में सुधार करते हैं।
- **मौसम और सलाह:** कीट जोखिम, मौसम और फसल पद्धतियों पर एआई-आधारित, अति-स्थानीय सलाह।
- **जियो-टैगिंग:** कृषि नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए संपत्ति ट्रैकिंग।
- **रिमोट सेंसिंग:** उपग्रह इमेजरी के माध्यम से मिट्टी की नमी, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रकोप की निगरानी।
- **पशुधन क्षेत्र:** स्वास्थ्य निगरानी, चारा ट्रैकिंग, रोग का शीघ्र पता लगाना।
- **डेयरी:** गुणवत्ता और हानि में कमी के लिए स्वचालन।
- **मत्स्य पालन:**
  - मौसम अपडेट, बाजार जानकारी, डिजिटल वाणिज्य।
  - जल निकायों का मानचित्रण, पारिस्थितिक तंत्रों पर नज़र रखना।
  - स्थायी मत्स्य पालन के लिए सलाह।
- **वेयरहाउसिंग:** हानि को कम करने के लिए तापमान/आर्द्रता निगरानी हेतु सेंसर (भारत में अभी भी प्रारंभिक अवस्था में)।

VI. एग्री स्टैक इंडिया - व्यापक कृषि प्रबंधन प्रणाली (CAMS)

- **उद्देश्य:** नीति नियोजन, निगरानी और वास्तविक समय में निर्णय लेना।
- **घटक:**
  - **किसान डेटाबेस:** आधार-लिंक्ड आईडी, SHG/FPO सदस्यता, भूमिहीन श्रमिकों की जानकारी।
  - **भूमि एवं संपत्ति रिकॉर्ड:** जियो-टैग किए गए भूखंड, मृदा स्वास्थ्य, जल संसाधन, स्वामित्व की स्थिति।
  - **फसल/इनपुट डेटा:** पैटर्न, पैदावार, उर्वरक/बीज का उपयोग, जैविक/प्राकृतिक खेती की स्थिति।
  - **वास्तविक समय डेटा:** उपग्रह चित्र, मौसम संबंधी चेतावनियाँ, कीट/बाढ़/सूखे की चेतावनी।
  - **बुनियादी ढाँचा रिकॉर्ड:** बीज, उर्वरक, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, गोदाम।
  - **बाज़ार संपर्क:** न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी मूल्य, खरीदार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ।
  - **ऋण एवं बीमा:** किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण इतिहास, PMFBY कवरेज।
  - **सरकारी योजनाएँ:** पात्रता और शिकायत निवारण के लिए PM-KISAN, RKVY, PKVY, SMAM लिंक।
  - **सलाह:** मौसम, फसलों, संधारणीय कृषि पर व्यक्तिगत एसएमएस अलर्ट।
- **सुरक्षा उपाय:** डेटा सुरक्षा, सहमति-आधारित पहुँच, पारदर्शिता के लिए डैशबोर्ड।

VII. आगे की राह - कृषि 4.0 को मज़बूत बनाना

- **बुनियादी ढाँचा:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट में सुधार।
  - विश्वसनीय बिजली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा।
- **वहनीयता और समावेशिता:**
  - सभी किसानों के लिए तकनीकों को वहनीय बनाना।
  - महिला किसानों, आदिवासी समूहों और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा समावेशी अपनाना।
- **क्षमता निर्माण:**
  - प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ विस्तार सेवाओं को मज़बूत बनाना।
  - डिजिटल उपकरणों में किसानों और कृषि-श्रमिकों के लिए कौशल विकास।
- **नियमन:** ड्रोन, एआई, साइबर सुरक्षा पर स्पष्ट नीतियाँ।
- **सरकारी पहल:**
  - पीएम-किसान, डिजिटल इंडिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएमएफबीवाई, किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएँ।
  - डिजिटल इंडिया ने 2.5 लाख गाँवों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाया।
- **सक्षमकर्ता के रूप में संस्थान:**
  - आईसीएआर संस्थान (113), कृषि विश्वविद्यालय (74), केवीके (731)।
  - एफपीओ (8,875), पैक्स (1,01,524)।
- **वैश्विक अवसर:** संयुक्त राष्ट्र का 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष - भारत कृषि प्रौद्योगिकी के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठा सकता है।

VIII. निष्कर्ष

- कृषि 4.0 केवल तकनीक के बारे में नहीं है—यह लचीली, संधारणीय और समावेशी कृषि प्रणालियों के बारे में है।
- डिजिटल अपनाने से, भारत:
  - किसानों की आय बढ़ा सकता है।
  - खाद्य सुरक्षा को मज़बूत कर सकता है।
  - जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को सुनिश्चित कर सकता है।
  - विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कृषि-अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है।
- भारत को कृषि नवाचार में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए इस बदलाव के लिए दूरदर्शिता, समन्वय, समावेशिता और किसान-केंद्रित ध्यान की आवश्यकता है।

विषय 2: संरक्षण कृषि पद्धतियाँ और परिप्रेक्ष्य

I. पृष्ठभूमि

- **हरित क्रांति (1960 का दशक):**
  - पशु-आधारित निर्वाह खेती से ऊर्जा-गहन, रसायन-आधारित खेती की ओर बदलाव।
  - खाद्य आत्मनिर्भरता और बाद में अधिशेष प्राप्त हुआ।
- **नकारात्मक परिणाम:**
  - मृदा स्वास्थ्य क्षरण।
  - जल तनाव और प्रदूषण।
  - वायु गुणवत्ता में गिरावट।
- **बढ़ती चिंताएं (1980 के दशक के अंत में):**
  - संसाधन क्षरण और उत्पादकता में ठहराव की रिपोर्टें।
  - स्थायी, पर्यावरण-अनुकूल, लाभदायक प्रथाओं की खोज को बढ़ावा मिला।
- **संरक्षण कृषि (सीए) का उदय:**
  - यह शब्द 1990 के दशक में लोकप्रिय हुआ।
  - वैज्ञानिक नवाचारों और पारंपरिक कृषि प्रथाओं, दोनों पर आधारित।

II. संरक्षण कृषि (सीए) के मूल सिद्धांत

- **FAO परिभाषा:** खाद्य सुरक्षा, लाभप्रदता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करने वाली एक प्रणाली।
- **तीन प्रमुख सिद्धांत:**
  - **न्यूनतम मृदा विक्षोभ**
    - शून्य जुताई (ZT) और सीधी बुवाई का उपयोग।
    - कटाव को रोकता है, कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करता है।
  - **स्थायी मृदा आवरण**
    - जैविक मल्च/अवशेष मिट्टी को धूप और बारिश से बचाता है।
    - नमी का संरक्षण करता है, संघनन से बचाता है, जैव विविधता को बढ़ावा देता है।
  - **फसल विविधीकरण**
    - फसल चक्रण, विविध क्रम और अंतरफसल।
    - मृदा संरचना, कीट/रोग प्रतिरोधक क्षमता और उर्वरता में सुधार करता है।
  - **समग्र दृष्टिकोण:**
    - ये तीनों क्रियाएँ कृषि प्रणालियों में एक साथ लागू होती हैं।
    - उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य में एक साथ सुधार करता है।

III. संरक्षण कृषि (सीए) में प्रमुख प्रथाएँ

- **शून्य जुताई (ZT):**
  - पारंपरिक जुताई को समाप्त करता है।
  - बिना जुते खेतों में सीधे बोए गए बीज, पराली के साथ।
  - शून्य जुताई बीज-सह-उर्वरक ड्रिल बीज और उर्वरक को कुशलतापूर्वक डालता है।

- ➢ फसल अवशेष गीली घास के रूप में कार्य करते हैं—जल संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, तापमान नियंत्रण।
- ➢ चावल-गेहूँ प्रणाली (पंजाब और हरियाणा) के लिए अवशेष जलाने को कम करने हेतु महत्वपूर्ण।

- **फसल अवशेष प्रबंधन:**
  - ➢ जलाए जाने के बजाय गीली घास के रूप में संग्रहित।
  - ➢ मृदा सूक्ष्मजीवी गतिविधि और कार्बनिक कार्बन में सुधार।
  - ➢ वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है।
- **फसल चक्र:**
  - ➢ दलहनी फसलें नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है।
  - ➢ अवशेष वाष्पीकरण को कम करते हैं ⟶ 1-2 सिंचाई की आवश्यकता कम होती है।
  - ➢ मृदा को लंबे समय तक नम बनाए रखता है।

IV. अनुसंधान, समर्थन और अपनाना

- **आईसीएआर की पहल:**
  - ➢ एनआईसीआरए, एनएटीपी, एनएआईपी, सीए पर कंसोर्टियम अनुसंधान मंच।
  - ➢ 11 राष्ट्रीय स्थानों पर कार्यरत।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग:**
  - ➢ सीएसआईएसए, बीआईएसए, सीआईएमएमवाईटी, आईआरआरआई, चावल-गेहूं कंसोर्टियम।
  - ➢ सहभागी अनुसंधान और क्षेत्र परीक्षण।
- **सरकारी सहायता:**
  - ➢ कोई समर्पित सीए नीति नहीं, लेकिन योजनाओं के माध्यम से सहायता:
    - ♦ कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (हैप्पी सीडर, लेजर लैंड लेवलर जैसी मशीनें)।
    - ♦ फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए सब्सिडी।
    - ♦ जलवायु परिवर्तन शमन योजनाएँ अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण कृषि का समर्थन करती हैं।
- **अपनाने का पैमाना:**
  - ➢ वर्तमान में संरक्षण कृषि के अंतर्गत 25-30 मिलियन हेक्टेयर।
  - ➢ 7+ लाख किसान संरक्षण का अभ्यास कर रहे हैं।
  - ➢ पंजाब, हरियाणा (चावल-गेहूं बेल्ट) में केंद्रित।
  - ➢ बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य भारत, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश और कोंकण में विस्तार।
  - ➢ **फसलें:** गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, सरसों, चना।

V. सफलता की कहानी - राजापुर गाँव (बिहार)

- गेहूँ में शून्य-जुताई को 100% अपनाया गया।
  - ➢ 2010 से सीएसआईएसए और आईसीएआर-केवीके द्वारा समर्थित।
  - ➢ किसान नवंबर के मध्य तक गेहूँ बोते हैं ⟶ अधिक उपज, कम लागत।
  - ➢ **उदाहरण:** राहुल राय, प्रगतिशील किसान:
    - ♦ पारंपरिक से स्थानांतरित ⟶ शून्य जुताई गेहूँ और सीधे बोए गए चावल।
    - ♦ गेहूँ की उपज 3.5-4 टन/हेक्टेयर (2014) से बढ़कर 5.5 टन/हेक्टेयर (2023) हो गई।
    - ♦ पड़ोसी गाँवों में संरक्षण कृषि को बढ़ावा देने वाले एक चैंपियन किसान बन गए।

VI. संरक्षण कृषि के लाभ

- **उपज:**
  - ➢ प्रारंभिक वर्षों में पोषक तत्वों की गतिहीनता के कारण मामूली गिरावट देखी जा सकती है।
  - ➢ समय के साथ, बेहतर मृदा स्वास्थ्य और नमी से उपज में वृद्धि होती है।
  - ➢ **सिंधु-गंगा के मैदान:** शून्य जुताई ने चावल और गेहूँ की उपज में 10-17% की वृद्धि की।
  - ➢ **गेहूँ की उपज में सुधार:** पारंपरिक की तुलना में 200-500 किग्रा/हेक्टेयर अधिक।
- **लागत में कमी:**
  - ➢ उर्वरकों, शाकनाशियों, श्रम, जल और ईंधन पर बचत।
  - ➢ **लागत में कमी:** प्रति हेक्टेयर 15-16%।
  - ➢ **सिंधु-गंगा के मैदान:** प्रति हेक्टेयर औसतन ₹5,760 की बचत।
- **जलवायु और पर्यावरण:**
  - ➢ **कार्बन पृथक्करण:** 3,667 किग्रा CO_2/हेक्टेयर/वर्ष।
  - ➢ ~60 लीटर ईंधन/हेक्टेयर की बचत (CO_2 में 156 किग्रा/हेक्टेयर/वर्ष की कमी)।
  - ➢ पारंपरिक खेती की तुलना में 67% कम ईंधन की खपत।
  - ➢ **पानी की बचत:** 25-35%।
  - ➢ अवशेष जलाने में कमी ⟶ वायु प्रदूषण कम होता है।
- **मानवीय एवं सामाजिक लाभ:**
  - ➢ भूजल प्रदूषण कम होता है।

- महिला किसानों के लिए कठिन परिश्रम कम होता है (नर्सरी/जुताई का काम कम होता है)।
- स्वच्छ वायु और सुरक्षित जल के माध्यम से जन स्वास्थ्य में सुधार होता है।

VII. अपनाने में चुनौतियाँ

- **तकनीकी और वित्तीय:**
  - शून्य जुताई मशीनरी की उच्च लागत और सीमित पहुँच।
  - छोटे किसानों को सामर्थ्य के साथ संघर्ष करना पड़ता है।
- **ज्ञान का अभाव:**
  - किसानों में जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव।
  - सहभागी अनुसंधान, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय मुद्दे:**
  - छोटी और खंडित भूमि जोत।
  - अवशिष्टों (जैसे, चारा) का प्रतिस्पर्धी उपयोग।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध:** प्रथाएँ पारंपरिक कृषि मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न हैं।

VIII. आगे की राह

- **नीति और समर्थन:**
  - संभावित गाँवों में संरक्षण कृषि मशीनीकरण केंद्र स्थापित करना।
  - संरक्षण कृषि अपनाने के लिए स्थायी व्यावसायिक मॉडल विकसित करना।
  - सब्सिडी और सहायता योजनाओं को मज़बूत बनाना।
- **अनुसंधान और नवाचार:**
  - संरक्षण कृषि में समस्या-समाधान अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना।
  - किसानों के विश्वास के लिए परीक्षणों और प्रदर्शनों का विस्तार करना।
- **ज्ञान और जागरूकता:**
  - संरक्षण कृषि अभ्यासकर्ताओं के लिए शिक्षण मंच।
  - अधिक किसान प्रशिक्षण, सहभागी विस्तार मॉडल।
- **विस्तार क्षमता:**
  - बंजर/परती भूमि को संरक्षण कृषि के अंतर्गत लाना।
  - लाभदायक फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- **भविष्य की प्राथमिकता:**
  - संरक्षण कृषि भारत की कृषि नीति का केंद्रबिंदु होनी चाहिए।
  - स्थिरता, लाभप्रदता और अंतर-पीढ़ीगत लाभ के लक्ष्य।

इकाई 14

'डाउन टू अर्थ' से महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025)

प्लास्टिक स्वास्थ्य संकट

संदर्भ: प्लास्टिक हर जगह मौजूद है, लेकिन साथ ही, इसके छिपे हुए और अक्सर नज़रअंदाज़ किए जाने वाले स्वास्थ्य मूल्य भी हैं। लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड प्लास्टिक्स (अगस्त 2025) की एक हालिया रिपोर्ट में एक ऐसी बात उजागर हुई है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता: प्लास्टिक से बने रसायन और माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक अपने पूरे जीवन चक्र में, उत्पादन से लेकर निपटान तक, मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष

- **जहरीले रसायनों से भारी आर्थिक बोझ**
  - प्लास्टिक में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तीन रसायन - पीबीडीई (ज्वाला रोधी), बीपीए (स्पष्टता और मजबूती के लिए), और डीईएचपी (लचीलेपन के लिए) - के कारण 38 देशों में अनुमानित 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वास्थ्य व्यय हुआ है, जो दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **परिप्रेक्ष्य के लिए:** इतनी राशि से अगले 200 वर्षों तक दुनिया भर में हर नवजात शिशु के टीकाकरण का खर्च उठाया जा सकता था।
- **जोखिम सर्वव्यापकता और प्रारंभिक जीवन भेद्यता**
  - कई प्लास्टिक रसायन अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करते हैं, और इनके संपर्क में आने से बांझपन, कैंसर, हृदय रोग और तंत्रिका-विकास संबंधी विकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि भ्रूण और नवजात शिशु भी इससे प्रभावित होते हैं।
  - माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक (एमएनपी) मानव रक्त, फेफड़ों, यकृत, गुर्दे, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं के मल में भी पाए गए हैं।
- **निर्माण एवं जीवनचक्र उत्सर्जन, पर्यावरणीय क्षति**
  - प्लास्टिक के उत्पादन से प्रतिवर्ष 2 गीगाटन से अधिक CO_2-समतुल्य उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है।
  - पेट्रोकेमिकल या प्लास्टिक निर्माण सुविधाओं के निकट स्थित समुदायों को श्वसन संबंधी समस्या, तंत्रिका संबंधी समस्याओं और जन्म दोषों सहित गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **अपशिष्ट, माइक्रोप्लास्टिक और रोगजनकों**
  - अब तक उत्पादित सभी प्लास्टिक का लगभग 10% पुनर्चक्रित किया जाता है। शेष जमा हो जाता है और धीरे-धीरे सूक्ष्म और नैनो कणों में विघटित हो जाता है।
  - जो लोग अनौपचारिक रूप से कचरा इकट्ठा करते हैं और लैंडफिल के पास रहते हैं, उन्हें भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक कचरा मच्छर जनित बीमारियों को बढ़ावा देता है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बढ़ावा देता है क्योंकि प्लास्टिक "प्लास्टिस्फीयर" सतह के रूप में कार्य करता है जहाँ रोगाणु और जीवाणु पनपते हैं, प्रतिरोधी जीन साझा करते हैं, आदि।
- **नियामक अंतराल**
  - प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले लगभग 16,000 रसायनों में से लगभग 75% की विषाक्तता की जाँच कभी नहीं की गई।
  - वैश्विक प्लास्टिक संधि (जो संयुक्त राष्ट्र-पर्यावरण प्रस्तावों के माध्यम से शुरू की गई थी) से संबंधित चर्चाओं में, स्वास्थ्य-केंद्रित अनुच्छेद (अनुच्छेद 19) को लेकर काफ़ी असहमति है: इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, कुछ देश इसे ख़त्म करना चाहते हैं जबकि अन्य इसे स्थगित करना चाहते हैं।

प्रस्तावित समाधान

लैंसेट रिपोर्ट और संबंधित अध्ययन प्रस्तावित करते हैं:

- सबसे हानिकारक और परिहार्य प्लास्टिक उत्पादों और रसायनों पर वैश्विक प्रतिबंध या चरणबद्ध समाप्ति।
- प्लास्टिक के लिए सुसंगत डिज़ाइन मानक ताकि वे अधिक सुरक्षित और अधिक चक्रीय (पुन: उपयोग, पुनर्चक्रणीयता आदि) हों।
- **वित्तीय प्रवाह का संचलन:** सुरक्षित प्लास्टिक, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, प्रभावित स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए अधिक धनराशि। न्यायसंगत परिवर्तन, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के लिए।
- अनुकूली संधि तंत्र ताकि जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़े, संधि प्रतिक्रिया दे सके।
- मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को मान्यता देते हुए "एक स्वास्थ्य" ढाँचे को लागू करना।

मुख्य निहितार्थ

- **जन स्वास्थ्य संकट:** जिसे कभी मुख्यतः एक पर्यावरणीय समस्या (समुद्री प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा) माना जाता था, उसके गंभीर, मात्रात्मक स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं - दीर्घकालिक रोगों का बोझ, तंत्रिका संबंधी और विकासात्मक प्रभाव।
- **आर्थिक बोझ और बाह्य प्रभाव:** इसकी लागत निर्माताओं या उपभोक्ताओं द्वारा खरीद के समय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों, जनसंख्या और दीर्घकालिक उत्पादकता हानि द्वारा वहन की जाती है।
- **जलवायु संबंध:** प्लास्टिक से होने वाले उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का जलवायु परिवर्तन से संबंध है; प्लास्टिक उत्पादन कम करने के सह-लाभों में उत्सर्जन में कमी शामिल है।
- **असमानता और पर्यावरणीय न्याय:** निम्न-आय वाले समुदाय, कमज़ोर विनियमन या खराब अपशिष्ट अवसंरचना वाले देश, अनौपचारिक क्षेत्र असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
- **नियामकीय पिछड़ापन:** विज्ञान ने प्रगति की है; नीतियाँ उसके अनुरूप नहीं हैं। कई रसायनों का परीक्षण नहीं हुआ है; मानव अंगों में माइक्रोप्लास्टिक/नैनो प्लास्टिक का हाल ही में पता चला है, फिर भी विनियमन अब गति पकड़ रहा है।

चुनौतियाँ और अंतराल

- **वैज्ञानिक अनिश्चितताएँ:** हालाँकि कई अंतिम बिंदु (कैंसर, अंतःस्रावी व्यवधान

आदि) स्थापित हैं, सूक्ष्म/नैनो-प्लास्टिक के लिए दीर्घकालिक प्रभाव, खुराक सीमा, अंतःक्रियाओं पर अभी भी शोध किया जा रहा है।

- **विनियमन बनाम आर्थिक हित:** प्लास्टिक सस्ता और बहुमुखी है; लागत, बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों और निहित जीवाश्म ईंधन हितों के कारण उद्योग विरोध कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की जटिलता:** वैश्विक प्लास्टिक संधि में, राष्ट्रों के बीच इस बात पर मतभेद है कि स्वास्थ्य प्रावधानों को कितनी दृढ़ता से शामिल किया जाए; व्यापार, लागत, संप्रभुता आदि को लेकर चिंताएँ हैं।
- **कार्यान्वयन, विशेष रूप से निम्न/मध्यम आय वाले देशों में:** कमज़ोर विनियमन, अनौपचारिक क्षेत्र, कमज़ोर अपशिष्ट प्रबंधन, निगरानी और प्रवर्तन का अभाव।
- **बड़े पैमाने पर वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना:** पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियाँ, बुनियादी ढाँचा, उत्पाद डिज़ाइन, आपूर्ति श्रृंखला समायोजन महत्वपूर्ण हैं।

क्या किया जाने की आवश्यकता है

विशेष रूप से भारत के लिए प्रासंगिक, लेकिन वैश्विक स्तर पर लागू:

- **नियामक ढांचे को मजबूत करना**
  - ➢ उपयोग में आने वाले सभी प्लास्टिक रसायनों, विशेष रूप से अंतःस्रावी विघटनकारी रसायनों, के लिए परीक्षण और सुरक्षा मूल्यांकन अनिवार्य करना।
  - ➢ उच्च जोखिम वाले रसायनों पर प्रतिबंध/चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाने का कानून बनाना।
  - ➢ पैकेजिंग और डिज़ाइन के लिए मानक निर्धारित करें ताकि न्यूनतम रिसाव और अधिकतम पुनर्चक्रण सुनिश्चित हो सके।
- **संधियों / अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वास्थ्य को शामिल करना**
  - ➢ वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ताओं में, स्वास्थ्य संबंधी सशक्त और स्पष्ट लेखों पर ज़ोर देना; स्वास्थ्य को एक वैकल्पिक या गौण मुद्दा मानने से बचना।
  - ➢ अनुकूली संधि धाराओं का उपयोग करना ताकि जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़े (जैसे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में), संधि में समायोजन किया जा सके।
- **राजकोषीय नीति और प्रोत्साहन**
  - ➢ प्लास्टिक उत्पादन में प्रयुक्त जीवाश्म ईंधन फीडस्टॉक्स के लिए सब्सिडी हटाना; सब्सिडी/कर राहत को सुरक्षित विकल्पों की ओर पुनर्निर्देशित करना।
  - ➢ अपशिष्ट संग्रहण अवसंरचना, वृत्तीय अर्थव्यवस्था, सुरक्षित सामग्रियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता।
- **निगरानी, डेटा और अनुसंधान**
  - ➢ जोखिम संबंधी आंकड़ों में निवेश करना, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी (गर्भवती महिलाओं, बच्चों) में।
  - ➢ दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए दीर्घकालिक महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन।
  - ➢ भोजन, पानी, हवा में सूक्ष्म प्लास्टिक आदि की निगरानी।
- **जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन**
  - ➢ प्लास्टिक लीचेट, माइक्रोप्लास्टिक के खतरे के बारे में शिक्षित करना।
  - ➢ उपभोक्ता वस्तुओं में विकल्पों (जैवनिम्नीकरणीय, पुन: प्रयोज्य) को बढ़ावा देना।
- **न्यायोचित परिवर्तन और पर्यावरणीय न्याय**
  - ➢ प्लास्टिक उत्पादन/कचरे से प्रभावित समुदायों (जैसे, कारखानों या कूड़ाघरों के पास) को सहायता प्रदान करना।
  - ➢ यह सुनिश्चित करना कि अनौपचारिक कचरा क्षेत्र को सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और उचित वेतन के साथ औपचारिक रूप दिया जाए।
- **एकीकृत "एक स्वास्थ्य" दृष्टिकोण**
  - ➢ पर्यावरण प्रदूषण, पशु स्वास्थ्य (वन्यजीव, पशुधन), मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों को पहचानना।
  - ➢ **अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** पर्यावरण, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि।

भारत-विशिष्ट संदर्भ

- भारत में प्लास्टिक की खपत बहुत ज़्यादा है और प्लास्टिक कचरा बहुत ज़्यादा है; कई शहरों में कचरा संग्रहण की व्यवस्था ठीक नहीं है और अनौपचारिक क्षेत्र इसका खामियाज़ा भुगत रहे हैं।
- नियामक कदम पहले से ही मौजूद हैं (एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध, रीसाइक्लिंग के नियम, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आदि), लेकिन इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है और डिज़ाइन मानकों/रासायनिक सुरक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा है।
- सुरक्षित सामग्री और रीसाइक्लिंग तकनीक विकसित करने के लिए भारत के विनिर्माण पैमाने और अनुसंधान क्षमता (जैसे, आईआईटी, सीएसआईआर, भारतीय अनुसंधान संस्थानों में) का लाभ उठाने की संभावना है।
- भारत वैश्विक मंचों (प्लास्टिक प्रदूषण पर यूएनईपी, आईएनसी) में मज़बूत स्वास्थ्य प्रावधानों और अनुकूली संधि ढाँचों को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व कर सकता है।

निष्कर्ष

प्लास्टिक को लंबे समय से एक पर्यावरणीय खतरे के रूप में समझा जाता रहा है; यह स्वास्थ्य पर बढ़ता और गंभीर बोझ है - बीमारी, विकलांगता और आर्थिक नुकसान। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जब तक नीति, उद्योग और जन जागरूकता में नाटकीय बदलाव नहीं आएगा, तब तक इसकी अदृश्य लागत बढ़ती रहेगी।

भारत और विश्व स्तर पर, वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। इस बदलाव को समर्थन देने के लिए मज़बूत स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, अनुकूली ढाँचे, सुरक्षा मानक और न्याय एवं वित्त सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

- प्लास्टिक में PBDE (ज्वालारोधी), BPA (स्पष्टता/मज़बूती के लिए), DEHP (लचीलेपन के लिए) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा 2022 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पारित की गई ताकि प्लास्टिक के संपूर्ण जीवनचक्र में प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाया जा सके।
- सरकारें पेट्रोरसायनों (प्लास्टिक के लिए कच्चा माल) पर भारी सब्सिडी देती हैं। 2024 में, अमेरिका में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई, जिसके 2050 तक बढ़कर 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
- फेंक दिए गए प्लास्टिक के कंटेनर/टायर मच्छरों (डेंगू, चिकनगुनिया) के प्रजनन स्थल बन जाते हैं।
- प्लास्टिक "प्लास्टिस्फीयर" के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) में योगदान देता है जहाँ बैक्टीरिया बायोफिल्म बनाते हैं, प्रतिरोध जीन साझा करते हैं, और एंटीबायोटिक्स/कीटनाशकों के अवशेष जमा होते हैं।
- लैंसेट ने एक संकेतक-आधारित वैश्विक निगरानी प्रणाली "स्वास्थ्य और प्लास्टिक पर उलटी गिनती" शुरू की है।

अमेरिकी सहायता कटौती के मद्देनजर वैश्विक स्वास्थ्य की पुनर्कल्पना

संदर्भ: वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के महत्वपूर्ण नेतृत्व और वित्तीय सहायता से काफ़ी लाभ हुआ है। PEPFAR (एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना) और व्यापक USAID कार्यक्रमों जैसी पहलों ने, विशेष रूप से अफ्रीका में, प्रमुख रोग प्रतिक्रिया प्रयासों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालाँकि, अमेरिकी सहायता में हालिया कटौती ने इस स्थापित ढाँचे को छिन्न-भिन्न कर दिया है, जिससे चुनौतियाँ और नई संभावनाएँ दोनों सामने आई हैं। अमेरिकी सहायता में कमी अनिश्चितता तो लाती है, लेकिन साथ ही एक अधिक लचीली, समतामूलक और टिकाऊ वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने का अवसर भी प्रदान करती है।

अमेरिकी सहायता में कटौती क्यों मायने रखती है?

- **रोग-विशिष्ट पहलों पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्भरता:** अफ्रीका में कई स्वास्थ्य प्रणालियाँ विशिष्ट रोगों (जैसे एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया) के लिए समर्पित निधियों के इर्द-गिर्द निर्मित की गई हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अमेरिकी द्विपक्षीय पहलों द्वारा बल मिला है। हालाँकि ये कार्यक्रम अपने विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी हैं, फिर भी इनके परिणामस्वरूप अक्सर अलग-थलग प्रणालियाँ बन जाती हैं जिनमें व्यापक स्वास्थ्य ढाँचों के साथ मज़बूत एकीकरण का अभाव होता है।
- **भू-राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता:** जैसे-जैसे अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकताएँ विकसित होती हैं ("अमेरिका फ़र्स्ट" दृष्टिकोण), वैश्विक स्वास्थ्य निधि घरेलू राजनीतिक परिदृश्य में बदलावों के प्रति संवेदनशील होती जाती है। सहायता में कमी केवल वित्तीय नहीं होती—यह वैचारिक बदलावों और बदलती प्राथमिकताओं का संकेत देती है।
- **निरंतरता और सेवाओं में व्यवधान:** जब महत्वपूर्ण निधि स्रोत अपना योगदान कम कर देते हैं, तो चल रही पहल अपनी गति खो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कम हो जाती है, निगरानी प्रणालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्राप्त प्रगति में गिरावट आती है।

बेहतर पुनर्निर्माण का अवसर

- **रोग-विशिष्ट से एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों तक**
  - एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया से अलग-अलग लड़ने से आगे बढ़ें। इसके बजाय, प्राथमिक देखभाल, स्वास्थ्य संवर्धन और दीर्घकालिक देखभाल पर केंद्रित ऐसी प्रणालियाँ बनाएँ जो लोगों को उनके पूरे जीवनकाल में - बचपन, वयस्कता और वृद्धावस्था - सेवा प्रदान करें।
  - बदलती जनसांख्यिकी - वृद्ध होती आबादी, बढ़ती गैर-संचारी बीमारियाँ, सह-रुग्णता - के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खंडित कार्यक्रमों से परस्पर विरोधी सेवाएँ या अंतराल पैदा हो सकते हैं।
- **साझा निवेश और घरेलू संसाधन जुटाना**
  - निम्न-आय वाले देशों को स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें राजस्व सृजन (कर प्रणाली) में सुधार, भ्रष्टाचार में कमी, बेहतर आवंटन और सार्वजनिक बजट में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शामिल है।
  - उच्च-आय वाले देशों की अभी भी भूमिका है—लेकिन प्राथमिक संचालकों की तुलना में भागीदारों के रूप में अधिक। सहायता को स्थानीय प्राथमिकताओं और प्रणालियों के अनुरूप होना चाहिए, न कि केवल दाताओं के एजेंडे के अनुरूप।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **निम्न-आय वाले देशों में राजकोषीय बाधाएँ:** इनमें से कई देशों के पास पहले से ही सीमित राजकोषीय क्षमता, उच्च ऋण भार, कमज़ोर कर आधार और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ (बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, सुरक्षा आदि) हैं। बड़े घरेलू संसाधनों को जुटाना आसान नहीं होगा।
- **शासन, भ्रष्टाचार, जवाबदेही:** उपलब्ध धनराशि का प्रभावी उपयोग पारदर्शी और कुशल संस्थानों पर निर्भर करता है। सुशासन के बिना, सुनियोजित सुधार भी विफल हो सकते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन:** रोग-केंद्रित कार्यक्रमों से एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए कुशल कार्यबल, आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक देखभाल बुनियादी ढाँचे आदि की आवश्यकता होती है, जो कमज़ोर हो सकते हैं।
- **दाता के बाहर जाने के जोखिम और संक्रमण योजना:** अचानक कटौती स्वास्थ्य प्रणालियों को कमज़ोर बना सकती है। सेवा प्रावधान में अंतराल को रोकने के लिए उचित योजना आवश्यक है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन सहभागिता:** प्राप्तकर्ता और दाता दोनों देशों में, राजनीतिक प्राथमिकताएँ दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं। कई ज्वलंत मुद्दों के बीच स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाए रखना एक चुनौती है।

सिफारिशें

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) को मजबूत करना**
  - बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाना।
  - निवारक और प्रोत्साहनकारी स्वास्थ्य (टीकाकरण, पोषण, जन स्वास्थ्य उपाय) पर ज़ोर देना।
  - सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण करना - स्थानीय क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
- **स्वास्थ्य वित्तपोषण सुधार**
  - **घरेलू संसाधन जुटाने में सुधार करना:** प्रगतिशील कराधान, रिसाव को बंद करना, अक्षमताओं को कम करना।
  - जहाँ संभव हो, वहाँ निर्धारित स्वास्थ्य निधि या सामाजिक स्वास्थ्य बीमा मॉडल पर विचार करना।
  - विखंडन से बचने के लिए संसाधनों (स्थानीय/क्षेत्रीय/दाता समन्वय) के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करना।
- **लचीली, संदर्भ-संवेदनशील सहायता साझेदारियां**
  - स्थानीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप, प्राप्तकर्ता देशों के साथ मिलकर तैयार की गई और स्थानीय प्रणालियों का सम्मान करते हुए सहायता प्रदान की जाए।
  - केवल रोग परिणामों के बजाय क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर ज़ोर दिया जाए।
- **बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सहयोग**
  - क्षेत्रीय संस्थाओं (जैसे, अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र, अंतर-देशीय रोग निगरानी नेटवर्क) को मज़बूत बनाना।
  - सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, दवाओं और टीकों की सामूहिक खरीद करें, ज्ञान के साझा मंच बनाना।
- **लचीलापन और तैयारी**
  - ऐसी प्रणालियों में निवेश करना जो झटकों का सामना करने में सक्षम हों: महामारी, जलवायु प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान।
  - निगरानी और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत करना।

- **वकालत, संचार और नागरिक सहभागिता**
  - ➢ सुनिश्चित करना कि नागरिक मज़बूत स्वास्थ्य प्रणालियों के महत्व को समझें—न केवल बीमारियों के संदर्भ में, बल्कि वृद्धावस्था, दीर्घकालिक रोगों और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी।
  - ➢ सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए नागरिक समाज और सामुदायिक नेताओं सहित गठबंधन बनाना।

निष्कर्ष

अमेरिकी सहायता में कमी एक दोहरी चुनौती पेश करती है: इससे तात्कालिक कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं, लेकिन साथ ही यह वैश्विक स्वास्थ्य संस्थानों में सुधार का एक दुर्लभ अवसर भी प्रदान करती है ताकि लचीलापन, समानता और आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। बाहरी दाताओं पर निर्भरता से हटकर प्राथमिक देखभाल पर केंद्रित और सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर स्थापित, समेकित स्वास्थ्य प्रणालियाँ स्थापित करने से वैश्विक स्वास्थ्य को भू-राजनीति और आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रभावों से बचाने में मदद मिलेगी।

अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्निर्माण के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को दूरदर्शिता, विनम्रता और सामूहिक कर्तव्यबोध के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियाँ न केवल सहायता में कटौती का सामना कर सकेंगी, बल्कि परिणामस्वरूप और भी मज़बूत बन सकेंगी।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

- PEPFAR (एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना) एक अमेरिकी वित्त पोषित वैश्विक एचआईवी/एड्स पहल है।
- अमेरिका वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेष रूप से अफ्रीका में, के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।
- रोग-विशिष्ट ऊर्ध्वाधर कार्यक्रम (जैसे एचआईवी, टीबी, मलेरिया) अक्सर खंडित स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करते हैं।
- 2020 के बाद अमेरिकी सहायता में कटौती ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रणाली के वित्तपोषण को प्रभावित किया है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल देता है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) द्वारा घरेलू संसाधन जुटाने की वकालत करता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य में एक "साझा नेतृत्व" का सुझाव दिया गया है, जो अमेरिका-केंद्रित मॉडल से हटकर हो।
- स्वास्थ्य प्रणाली के डिज़ाइन में "एकल स्वास्थ्य" दृष्टिकोण और महामारी की तैयारी को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक स्वास्थ्य में क्षेत्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थानों (जैसे, अफ्रीका सीडीसी) की भूमिका बढ़ाएँ।

इकाई 15

'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' के महत्वपूर्ण आलेख (अगस्त 2025)

लिंग आधारित मीडिया और भारत की विधायी प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता

संदर्भ: हाल ही में, मीडिया द्वारा महिलाओं को लगातार वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के कारण भारत की असंगत कानूनी प्रतिक्रिया पर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जो यूनेस्को के 1979 के शोध और 1995 के बीजिंग घोषणापत्र के बाद से देखा गया है।

मीडिया और लिंग

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महिला स्थिति आयोग 2023 के 67वें वार्षिक सत्र के दौरान, महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत ने हाल ही में इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे तकनीकी प्रगति ने महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और उन्हें राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने से रोका है।
- **यूनेस्को अध्ययन:**
  - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 1979 में मीडिया में महिलाओं के चित्रण पर अध्ययन प्रस्तुत किए, जिन्हें इस विषय पर पहली चर्चा माना जा सकता है।
  - अध्ययन के अनुसार, मास मीडिया के मनोरंजन कार्यक्रमों में महिलाओं को दो तरह से चित्रित किया जाता है: पहला, सजावटी वस्तुओं के रूप में, और दूसरा, ऐसे बदकिस्मत लोगों के रूप में जो अपनी भावनात्मक और वित्तीय ज़रूरतों के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं (गैलाघर 1979)।
- **बीजिंग घोषणा:**
  - 1995 में बीजिंग में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व महिला सम्मेलन में बीजिंग घोषणापत्र और कार्य मंच को अपनाया गया।
  - इस घोषणापत्र में महिलाओं को आधुनिक विश्व की विकासात्मक गतिविधियों में सम्मानजनक योगदानकर्ता के रूप में चित्रित करने पर ज़ोर दिया गया और अनुच्छेद 243(डी) और 244(ए) के अनुसार, सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वह मीडिया में महिलाओं को यौन वस्तुओं और उपभोग की वस्तुओं के रूप में चित्रित करने से परहेज़ करे।
  - महिलाओं के वस्तुकरण के खतरे से निपटने के लिए, घोषणापत्र में यह भी सिफारिश की गई कि राज्य विज्ञापन और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानूनों और स्व-नियमन को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें।
  - महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 67वें सत्र में, बीजिंग घोषणा के पारित होने के तीस वर्षों के बाद, वस्तुकरण से निपटने के लिए एक उचित प्रतिक्रिया के रूप में बीजिंग घोषणाओं का पालन करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि की गई (संयुक्त राष्ट्र 2023)।

समाज पर अनियंत्रित वस्तुकरण के प्रभाव

- अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार, मीडिया द्वारा महिलाओं को लगातार वस्तु के रूप में प्रस्तुत किए जाने और समाज द्वारा ऐसी सामग्री के अप्रतिबंधित प्रदर्शन के परिणामस्वरूप महिलाओं का अमानवीकरण हो रहा है।
- उन्हें एक वस्तु की तरह समझकर उनका अमानवीकरण करने से यौन हिंसा को बढ़ावा मिलता है, खासकर पुरुषों द्वारा, बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2020 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 6.7% की वृद्धि हुई। यौन उत्पीड़न, ताक-झांक और पीछा करना उन 87,823 अपराधों में शामिल थे जिनमें "महिलाओं पर उनकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला" शामिल था।
- महिलाओं के वस्तुकरण का चुनावों में महिला उम्मीदवारों की व्यवहार्यता को कम करने पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है - मीडिया दर्शकों का ध्यान राजनीतिक योगदान से हटाकर उनके रूप-रंग पर केंद्रित करता है।

मीडिया द्वारा चित्रण से संबंधित भारतीय कानून - प्रभावशीलता और खामियां

- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995:** यह नियम केबल टेलीविजन (टीवी) की सामग्री को नियंत्रित करता है और ऐसे किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाता है जो आपत्तिजनक या अवांछनीय हो, शालीनता या शिष्टाचार का उल्लंघन करता हो, या जिसमें ऐसी कोई सामग्री हो जो हिंसा को भड़का सकती हो या प्रोत्साहित कर सकती हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बाधा डाल सकती हो।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की संहिता:** दिशानिर्देश के अध्याय 2 में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि विज्ञापनों में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित नहीं किया जा सकता।
- **महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986:** यह कानून प्रकाशनों, विज्ञापनों, लेखों, चित्रों, आकृतियों और अन्य मीडिया में महिलाओं के अपमानजनक चित्रण पर रोक लगाता है, और ऐसा करने पर दंड का भी प्रावधान करता है। लेकिन यह अधिनियम केवल प्रिंट मीडिया पर लागू होता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता और मध्यस्थ दिशानिर्देश) विनियम, 2021:** नियम 3(1)(बी)(ii) के अनुसार, ये विनियम सोशल मीडिया सहित डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों को नियंत्रित करते हैं, और ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगाते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करती है, जिसमें शारीरिक गोपनीयता भी शामिल है, या जो लैंगिक आधार पर अपमानजनक या परेशान करने वाली है।

आगे की राह

भारतीय संदर्भ में, अत्यधिक सामग्री को नियंत्रित करना एक सार्थक विचार हो सकता है, खासकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसी सामग्री को सेंसर करने की बढ़ती प्रवृत्ति और हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2021 सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के और अधिक कड़े प्रवर्तन को अनिवार्य करने के निर्णय के आलोक में। एक बार जब ये नियम वैधता की कसौटी पर खरे उतर जाते हैं, तो इन नियमों का उपयोग वस्तुकरण और अश्लीलता के खतरों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया जा सकता है।

भारत में उच्च शिक्षा का संकट

संदर्भ: भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अतीत में, सौम्य शक्ति और शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक रही है। आज, यह स्वयं को एक गहरे संकट से जूझती हुई पाती है। बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप, कमज़ोर विनियमन, अपर्याप्त वित्त पोषण और घटती स्वायत्तता

के कारण गुणवत्ता में गिरावट आई है। चूँकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है, इसलिए उच्च शिक्षा में सुधार अनिवार्य है।

पृष्ठभूमि

- **विकास में शिक्षा की भूमिका:** शिक्षा, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, एक मंच तैयार करती है, जबकि उच्च शिक्षा नवाचार, उत्पादकता और मानव पूंजी विकास के लिए "अग्रणी" आधार तैयार करती है।
- **वैश्विक सबक:** पूर्वी एशियाई देशों ने मध्यम आय के जाल से बचने के लिए उच्च शिक्षा में पर्याप्त निवेश किया। अगर भारत में इस तरह का ज़ोर नहीं दिया गया, तो भारत अभी भी पिछड़ सकता है।

संकट के लक्षण

1. **पहुँच बनाम गुणवत्ता**
   - ➢ सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन बढ़ा है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन और गिरावट जारी है।
   - ➢ निजी संस्थान पहुँच और गुणवत्ता प्रदान करने में अग्रणी हैं, लेकिन उनमें आमतौर पर मानकों का अभाव होता है, दूसरी ओर, सार्वजनिक विश्वविद्यालय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।
2. **ब्रांड का प्रभाव कम होना**
   - ➢ आईआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर के तेजी से विस्तार के कारण गुणवत्ता में असंगति आई है और ब्रांड इक्विटी में गिरावट आई है।
3. **प्रतिभा पलायन**
   - ➢ विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 50,000 (2000) से बढ़कर 900,000 (2023) हो गई है।
   - ➢ केवल लगभग 20% ही भारत लौटते हैं; शेष विदेश में बस जाते हैं।
4. **घटती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा**
   - ➢ भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी छात्रों की संख्या में कमी आई, जिससे गुणवत्ता में कमी की धारणा का संकेत मिलता है।
5. **संसाधन की कमी**
   - ➢ धन की कमी, राजनीतिक अनुमोदन और शिक्षाविदों की सीमित स्वायत्तता के कारण अनुसंधान सीमित है।

राजनीतिक घुसपैठ और संस्थागत अधिकार

- **नियुक्तियाँ:** कुलपतियों, शिक्षकों और प्रशासकों की नियुक्तियाँ पेशेवर मानकों और मानदंडों के बजाय राजनीतिक निष्ठा से निर्धारित होती रही हैं और होती रहेंगी।
- **विनियम:** यूजीसी लाइसेंसदाता, नियामक और वित्तपोषक बन गया है - जिसके परिणामस्वरूप सरकारी प्रशासन और विनियमन के अधिदेश के लाभ के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा है, जिसमें कोई जाँच-पड़ताल और संतुलन नहीं है।
- **यूजीसी विनियम, 2025 का मसौदा:** शिक्षकों की नियुक्ति और शासन में विश्वविद्यालयों की भूमिका कम करना और शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ाना।
- **परीक्षाएँ और प्रवेश:** एनटीए (नीट, जेईई, सीयूईटी) के अंतर्गत केंद्रीकरण हुआ है, जिसमें लीकेज, कुप्रबंधन और परीक्षा एवं प्रवेश में विश्वास को कम करना शामिल है।
- **स्वायत्तता:** स्वायत्तता को कम कर दिया गया है, जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम, वाद-विवाद पर प्रतिबंध और "सरकार विरोधी" गतिविधियों के लिए शिक्षकों की जाँच और निगरानी शामिल है।

आगे की राह

- **जवाबदेही के साथ स्वायत्तता सुनिश्चित करना**
  - ➢ विश्वविद्यालयों को शासन, वित्त और शैक्षणिक मामलों में स्वायत्तता होनी चाहिए, लेकिन प्रभावी, पारदर्शी शासन और स्थापित रैंकिंग के माध्यम से उन्हें जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए।
- **यूजीसी में सुधार**
  - ➢ संस्थाओं के मानकीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण, विविधता और बहुलवाद को प्रोत्साहित करके नियामक, वित्तपोषक और मूल्यांकनकर्ता की भूमिकाओं को अलग-अलग किया जाना चाहिए।
- **अनुदान**
  - ➢ अनुसंधान एवं विकास पर व्यय बढ़ाएं और बुनियादी अनुसंधान को समर्थन देना।
- **नियुक्तियों का राजनीतिकरण न करना**
  - ➢ योग्यता के आधार पर संकायों की नियुक्ति के लिए डोमेन विशेषज्ञों से बनी स्वतंत्र खोज समितियां बनाएं।
- **भारतीय विश्वविद्यालयों का वैश्वीकरण**
  - ➢ गुणवत्ता मानकों में सुधार, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में निवेश और नियमों में बदलाव करके विदेशी छात्रों को आकर्षित करना।

इकाई 16

त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	दिवस	विवरण
1 अगस्त	वर्ल्ड लंग के कैंसर डे	• **विषय:** स्ट्रांगर टूगैदर: यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस • एकजुट कार्रवाई पर ज़ोर: जागरूकता, शीघ्र पहचान, अनुसंधान, कलंक से लड़ना; देखभाल तक समान पहुँच के लिए प्रयास करना।
1 अगस्त	वर्ल्ड वाइड वेब डे	• **विषय 2025:** "भविष्य को सशक्त बनाना: एक समावेशी, सुरक्षित और मुक्त वेब बनाना"। • डिजिटल विभाजन को पाटने, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और वेब को मुक्त और समावेशी बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना।
6 अगस्त	हिरोशिमा दिवस	• **हिरोशिमा दिवस (6 अगस्त, 1945):** प्रथम परमाणु बमबारी का प्रतीक; शांति और परमाणु-विरोधी आंदोलन का प्रतीक। • **विषय 2025:** "परमाणु हथियार रहित विश्व की ओर"; एनपीटी, सीटीबीटी और भारत की एनएफयू नीति से संबंध।
7 अगस्त	11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	• **विषय:** "हथकरघा: महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण।" • यह राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में मनाया गया। • यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का स्मरण कराता है, जिसने हथकरघा उद्योग और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया।
7 अगस्त	सतत कृषि दिवस	• महाराष्ट्र सरकार डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी मनाएगी, जो भारत की हरित क्रांति के पीछे प्रेरक शक्ति थे। • भारतीय कृषि के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न प्रदान किया गया। • संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उन्हें "आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक" कहा है।
9 अगस्त	इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्डस इंडीजिनियस पीपल्स	• **विषय:** स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। • इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
12 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस	• **विषय:** सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। • नैरोबी, केन्या में यूएन-हैबिटैट के साथ साझेदारी में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया।
23 अगस्त	दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस	• **विषय:** आर्यभट्ट से गगनयान तक: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। • यह चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की 'शिव शक्ति' बिंदु (स्टेशन शिव शक्ति) पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती की याद में मनाया जाता है। • भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया।
29 अगस्त	राष्ट्रीय खेल दिवस	• **विषय:** एक घंटा, खेल के मैदान में। • फिट इंडिया मिशन द्वारा आयोजित समारोह। • यह मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती का प्रतीक है।

समाचारों में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन

क्र. सं.	शिखर सम्मेलन	विवरण
1.	'यूनेस्को के विश्व स्मृति अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भगवद् गीता और नाट्य शास्त्र का अंकन' विषय पर संगोष्ठी	• इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा किया गया था। • हाल ही में, भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया। • इससे इस रजिस्टर में भारत के कुल अभिलेखों की संख्या 14 हो गई है।
2.	फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा	• यह यात्रा भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई और इस अवसर पर एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। • दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक रूप से एक रणनीतिक साझेदारी का गठन किया।
3.	"महत्वपूर्ण खनिज: अन्वेषण और दोहन" पर राष्ट्रीय सम्मेलन	• **स्थान:** जबलपुर, मध्य प्रदेश। • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 175वें स्थापना वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित।
4.	खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, 2025	• इसकी मेजबानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के तहत होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (एचबीसीएसई) द्वारा की गई थी। • **स्थान:** मुंबई; • **विषय :** वसुदैव कुटुंबकम।
5.	15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन	• **स्थान:** टोक्यो, जापान। • **अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण:** आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और लोगों के बीच जुड़ाव में सहयोग के लिए 10-वर्षीय योजना। • सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा। • विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत-जापान एआई पहल।

समाचारों में चर्चित पुरस्कार

क्र. सं.	पुरस्कार	विजेता	विवरण
1.	राजभाषा कीर्ति पुरस्कार	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)	• 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों/विभागों को राजभाषा के रूप में हिंदी के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए दिया जाता है। • गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किया गया। • प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार जीता है।
2.	SCOPE एमिनेंस अवार्ड्स	एचएएल (महारत्न/नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संस्थागत उत्कृष्टता; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (महिला सशक्तिकरण)	• सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (SCOPE) द्वारा प्रदान किया गया। • वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा समर्थित।
3.	43वाँ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार		• देश की उन्नति में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। • लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया गया।

4.	अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 (परिवहन श्रेणी)		• लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गुवाहाटी, असम को प्रदान किया गया। • उत्कृष्ट वास्तुशिल्पीय और सुविचारित शहरी नियोजन के लिए सम्मानित। • शिकागो एथेनियम: वास्तुकला एवं डिज़ाइन संग्रहालय द्वारा प्रदान किया गया।
5.	यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड (इक्वेटर पुरस्कार 2025)	बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह	• 30 गाँवों में बाजरे को बढ़ावा देने, सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ खेती में योगदान के लिए सम्मानित। • संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा सम्मानित। • इसे "जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार" भी कहा जाता है।

समाचारों में महत्वपूर्ण शब्दावली

क्र. सं.	चर्चित शब्दावली	अर्थ एवं विवरण
1.	आपूर्ति-पक्ष प्रगतिवाद	• विनियामक बाधाओं को कम करके और क्षमता में निवेश करके, यह राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन (आपूर्ति) को बढ़ाने का प्रयास करता है।
2.	विषाक्त राजनीतिक विमर्श	• अभिजात वर्ग और नेताओं के बीच राजनीतिक विमर्श में कठोरता, ध्रुवीकरण और अशिष्टता का बढ़ता स्तर। इसे लोकतांत्रिक मानकों के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी लोकतंत्रों में, एक खतरे के रूप में देखा जाता है।
3.	उग्र बीसवीं सदी (Raing Twenties)	• वर्तमान युग (2020) को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक वाक्यांश, जिसकी विशेषता तकनीकी व्यवधान (एआई, आदि), आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर्ष (युद्ध, व्यापार युद्ध) और जलवायु आपदाएं हैं।
4.	Hard to abate sectors	• कुछ उद्योगों, जैसे शिपिंग, विमानन, इस्पात आदि के लिए डीकार्बोनाइजेशन चुनौतीपूर्ण है।
5.	अदृश्य श्रम (Invisible Labour)	• ऐसे काम जो ज़रूरी तो हैं, लेकिन अक्सर अनदेखे रह जाते हैं और जिनके लिए भुगतान नहीं किया जाता, जैसे देखभाल, सामग्री नियंत्रण और भावनात्मक श्रम। कार्यस्थलों, सोशल मीडिया और तकनीक में एक उभरता हुआ विषय।

समाचारों में प्रमुख व्यक्तियों का निधन

क्र. सं.	व्यक्ति	महत्वपूर्ण जानकारी
1.	शिबू सोरेन	• किडनी की बीमारी और स्ट्रोक से पीड़ित, वरिष्ठ आदिवासी नेता, झामुमो के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 4 अगस्त, 2025 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। • वे लगभग चालीस वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक और नेता रहे। • उन्होंने स्वतंत्र झारखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, जो अंततः 2000 में बिहार से अलग हो गया। • सोरेन राज्यसभा के सदस्य और तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। • उन्हें "दिशोम गुरु" (भूमि के नेता) की उपाधि दी गई क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन झारखंड के आदिवासी लोगों के लक्ष्यों से निकटता से जुड़ा था।
2.	सत्य पाल मलिक	• लंबी बीमारी के बाद, जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक का 5 अगस्त, 2025 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। • एक अनुभवी राजनेता के रूप में, मलिक ने जम्मू-कश्मीर के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भी शामिल है। • जम्मू-कश्मीर में अपने कार्यकाल के बाद मलिक को राज्यपाल के रूप में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया, और बाद में उन्होंने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला।

3.	ला गणेशन	• नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 2025 की रात को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। • उन्हें अगस्त 2021 में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे फरवरी 2023 तक इस पद पर कार्यरत रहे, जब उन्हें नागालैंड राजभवन में संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वे पूर्वोत्तर में शांति, विकास और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहे।
4.	फ्रैंक कैप्रियो	• "दुनिया के सबसे अच्छे न्यायाधीश" की अदालती सत्रों के दौरान उनकी दयालुता और हास्य-भावना के लिए प्रशंसा की जाती है। • वे संयुक्त राज्य अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।
5.	डॉ. वेस पेस	• 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य। • 1971 के विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा। • मोहन बागान और ईस्ट बंगाल टीम के लिए खेले।

इकाई 17

अगस्त 2025-'द हिन्दू' व 'इंडियन एक्सप्रेस' से दैनिक अभ्यास प्रश्न

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. जनहित याचिका (PIL) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति या समूह को जनता के हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है, भले ही वे सीधे तौर पर प्रभावित न हों।
2. भारत में जनहित याचिका की अवधारणा 1980 के दशक में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से उत्पन्न हुई।
3. जनहित याचिकाएँ केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती हैं, उच्च न्यायालयों में नहीं।

उपर्युक्त में से कितने सही नहीं हैं?

(a) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विमानन सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
2. भारत ICAO परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है।
3. ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमे से कोई नहीं

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. कार्टोसैट-3 इसरो द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का एक गतिशील उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

II. ओशनसैट-3 का उपयोग मानचित्रण, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण एवं शहरी नियोजन तथा रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

III. रीसैट सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करके सभी मौसमों में निगरानी प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल I और II (c) केवल I और III

(b) केवल II और III (d) I, II और III

प्रश्न 4. Cy-TB परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Cy-TB एक अत्यधिक विशिष्ट, सटीक और उपयोगकर्ता के अनुकूल त्वचा परीक्षण है।
2. यह सक्रिय रोग अवस्था में पहुँचने से पहले ही अव्यक्त संक्रमण की उपस्थिति का पता लगा सकता है।
3. यह परीक्षण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा स्रावित दो विशिष्ट प्रतिजन, ESAT-6 और CFP-10 का उपयोग करता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मुक्त व्यापार समझौतों का उद्देश्य भागीदार देशों के बीच शुल्क, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।

कथन 2: सभी व्यापार नियमों को हटाकर, मुक्त व्यापार समझौते यह सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में कोई सरकारी हस्तक्षेप न हो।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 6. संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है।
2. अध्यक्ष सत्र के लिए एजेंडा तय करता है।
3. हर साल संसद के कम से कम दो सत्र होने चाहिए।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 7. भारत में प्रथागत कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह अलिखित नियमों और प्रथाओं के एक समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष समुदाय या समाज में समय के साथ विकसित हुए हैं।

II. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विशेष रूप से धारा 13 के माध्यम से, प्रथागत कानूनों की वैधता स्थापित करने के मानदंडों को रेखांकित करता है।

III. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 8. उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है।

2. भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं।

3. उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 9. प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और नियुक्ति के समय उन्हें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।

2. प्रधानमंत्री नीति आयोग, परमाणु कमान प्राधिकरण और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

3. संविधान में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को देश के "कार्यकारी प्रमुख" के रूप में उल्लेखित किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: बौद्ध धर्म हिमालयी क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रभाव का एक साधन बन गया है।

कथन II: चीन अपनी रणनीतिक पहुँच बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में वफादारी को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध संस्थानों का उपयोग करता है।

कथन III: भारत दलाई लामा की मेजबानी करता है और पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बौद्ध विरासत स्थलों को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 11. निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?

(a) मालदीव (b) म्यांमार

(c) भूटान (d) श्रीलंका

प्रश्न 12. एटालिन जलविद्युत परियोजना (EHEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एटालिन परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों पर भंडारण आधारित और रन-ऑफ-द-रिवर योजनाओं का एक संयोजन है।

2. यह परियोजना हिमालयी जैव-भौगोलिक क्षेत्र के भीतर दुनिया के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 13. द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. वर्साय की संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी को अपमानित किया।

2. राष्ट्र संघ धुरी शक्तियों के आक्रमण को रोकने में विफल रहा।

3. महामंदी का अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें सें कोई नहीं

प्रश्न 14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में शुरू हुए खाड़ी युद्ध का युद्ध चरण था।

कथन 2: यह संयुक्त राष्ट्र की समय सीमा के बावजूद इराक द्वारा कुवैत से हटने से इनकार करने के बाद शुरू हुआ।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 15. एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. यह मलेरिया के लिए एक टीका है।

II. यह एक काइमेरिक पुनः संयोजक टीका है।

III. यह संक्रमण को रोकने के लिए प्लास्मोडियम के स्पोरोज़ोइट चरण के दौरान उत्पादित प्रोटीन का उपयोग करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं:

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 16. न्यायाधीशों पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 217 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण के बाद निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं।
3. न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 17. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यदि राज्यपाल यह रिपोर्ट देते हैं कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति शासन अधिकतम पाँच वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, जो हर छह महीने में संसदीय अनुमोदन के अधीन है।
3. राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति अध्यादेशों के माध्यम से राज्य के लिए सीधे कानून बना सकते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 18. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. ये विनियम उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए चीनी, नमक और वसा से भरपूर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए पैक के सामने लेबलिंग अनिवार्य करते हैं।
2. केंद्रीय लाइसेंस वाले और 10 से अधिक आउटलेट वाले खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को मेनू पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
3. ये विनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 19. राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: अनुच्छेद 356 केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है।

कथन 2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239AB के आधार पर लागू होता है।

कथन 3: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, राष्ट्रपति शासन केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 51 के आधार पर लागू होता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है:

(a) तीनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैं।

(d) सभी कथन सही हैं और कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है।

प्रश्न 20. BS-VI उत्सर्जन मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे वर्ष 2020 से लागू किया गया था।
2. भारत स्टेज (BS) भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक हैं।
3. पर्यावरण मंत्रालय देश में ईंधन मानक तय करने के लिए ज़िम्मेदार है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन मानकों को लागू करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 21. सुपर साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. सुपर साइक्लोन को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनकी हवा की गति 220 किमी/घंटा से अधिक होती है।
2. 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक माना जाता है।
3. सुपर साइक्लोन आमतौर पर भूमि पर बनते हैं और सतह के तापमान में वृद्धि के कारण तीव्र हो जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22. एम.एस. स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. गेहूँ की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
2. उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पहले महानिदेशक के रूप में कार्य किया।
3. उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की, जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 23. सीएमई, या कोको-मिथाइल एस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. यह नारियल तेल और मेथनॉल से प्राप्त एक प्रकार का बायोडीजल है।

II. यह ट्रांसएस्टरीफिकेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है।

III. इसे एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और जीवाश्म ईंधन का एक संभावित विकल्प माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 24. मोनो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कैलिफ़ोर्निया में स्थित एक खारी सोडा झील है।
2. निकास द्वार की कमी के कारण झील में उच्च स्तर के लवण जमा हो जाते हैं जिससे इसका पानी क्षारीय हो जाता है।
3. रसेल झील, प्लीस्टोसीन काल के दौरान मोनो झील की प्रागैतिहासिक पूर्ववर्ती थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 25. POCSO अधिनियम, 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को अपराध मानता है।
2. यह पीड़ितों को लिंग-तटस्थ सुरक्षा प्रदान करता है।
3. यह न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 26. प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?

(a) यूनाइटेड किंगडम (b) संयुक्त राज्य अमेरिका

(c) कनाडा (d) फ्रांस

प्रश्न 27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: संधियों के माध्यम से देशों को एकजुट करने वाले संघ के विपरीत, भारत एक सभ्यतागत शासन व्यवस्था है जहाँ राज्य संघ से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं।

कथन 2: संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा।"

कथन 3: 1956 के भाषाई पुनर्गठन का उद्देश्य बेहतर प्रशासन के माध्यम से विविधता को समायोजित करना था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैं।

(d) सभी कथन सही हैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नहीं करता है।

प्रश्न 28. WAVES OTT प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह प्रसार भारती द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
2. यह ONDC नेटवर्क के माध्यम से लाइव टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, गेम्स, रेडियो स्ट्रीमिंग और ई-कॉमर्स विकल्पों सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
3. प्रसार प्रसार भारती 1997 में स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 29. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह अधिनियम भारत में औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है।

2. इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेची जाने वाली औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों।

3. यह अधिनियम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है, जिसमें राज्य प्राधिकरणों की कोई भूमिका नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30. राजेंद्र चोल प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. राजेंद्र चोल प्रथम ने राजराजा चोल प्रथम का स्थान लिया और दक्षिण भारत से परे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों सहित चोल साम्राज्य का विस्तार किया।

2. उन्होंने पश्चिमी गंगों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की।

3. राजेंद्र चोल प्रथम ने मालदीव और श्रीलंका में एक सफल नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन श्रीविजय साम्राज्य पर कभी हमला नहीं किया।

उपर्युक्त में से कितने सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 31. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. एनईपी का उद्देश्य 2030 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है।

II. 2021 में शुरू की गई निपुण भारत योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चा पढ़ सके और बुनियादी गणित कर सके।

III. आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद ने क्रमशः ज़ांज़ीबार, अबू धाबी और दुबई में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किए हैं।

उपर्युक्त कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 32. अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी।

2. किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।

3. किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियुक्त किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है।

कथन 2: IIP एक निश्चित अवधि में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है

(d) कथन 2 सही है, परन्तु कथन 1 गलत है

प्रश्न 34. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर जारी की जाती है।

2. इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) उप-समिति द्वारा तैयार किया जाता है।

3. यह रिपोर्ट वित्तीय प्रणाली के जोखिमों का आकलन करती है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएँ सुझाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 35. कैमेलिया साइनेंसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह पुष्पीय पादप वर्ग थेसी में सदाबहार झाड़ी या छोटे वृक्ष की एक प्रजाति है।

II. इसकी पत्तियों, पत्ती की कलियों और तनों का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जा सकता है।

III. भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, जिसके बाद चीन, केन्या और श्रीलंका का स्थान आता है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 36. NISAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पहली बार है जब इसरो और उसके अमेरिकी समकक्ष, नासा ने संयुक्त रूप से एक उपग्रह बनाया है।
2. यह पहला उपग्रह है जिस पर दो सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) लगे हैं, जो विभिन्न आवृत्ति बैंडों में काम करते हैं।
3. यह अब तक का सबसे महंगा उपग्रह है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 37. भारत में पुलिस महानिदेशकों (DGP) की नियुक्ति और कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. किसी राज्य के DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पैनलबद्ध अधिकारियों के पैनल में से किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नियुक्ति के समय किसी पुलिस महानिदेशक (DGP) का सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम छह महीने का शेष कार्यकाल होना चाहिए।
3. पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति पूरी तरह से मुख्यमंत्री के विवेक पर, बिना किसी बाहरी परामर्श के की जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: मैंग्रोव तटीय अपरदन और तूफानी लहरों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।

कथन 2: मैंग्रोव की जड़ें तलछट को रोकती हैं, तटरेखाओं को स्थिर करती हैं और लहरों और ज्वार के प्रभाव को कम करती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सुनामी लाने वाला भूकंप आमतौर पर रिवर्स फॉल्टिंग के कारण होता है।

कथन 2: रिवर्स फॉल्ट में, फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक, फॉल्ट प्लेन के नीचे स्थित ब्लॉक के सापेक्ष ऊपर की ओर गति करता है।

कथन 3: कामचटका भूकंप भी रिवर्स फॉल्टिंग का परिणाम था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैं।

(d) सभी कथन सही हैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नहीं करता है।

प्रश्न 40. मतदाता सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वैश्विक स्तर पर, मतदाता सूचियों की गुणवत्ता तीन आधारों पर आंकी जाती है: सटीकता, पूर्णता और निष्पक्षता।
2. पूर्णता का अर्थ है किसी को पीछे न छोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि हर पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो।
3. समता का अर्थ है सभी सामाजिक समूहों का पात्र जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व।

उपर्युक्त कथनों में से कितने से सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभीं (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत की संविधान सभा की स्थापना 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के परिणामस्वरूप हुई थी।

कथन 2: कैबिनेट मिशन योजना में वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित एक पूर्णतः संप्रभु संविधान सभा का प्रावधान था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 42. डॉ. अंबेडकर ने दलितों के सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुँच के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया था?

(a) मंदिर प्रवेश आंदोलन (b) कालाराम मंदिर सत्याग्रह

(c) महाड़ सत्याग्रह (d) वैकोम सत्याग्रह

प्रश्न 43. निम्नलिखित में से कौन से देश G20 के सदस्य हैं?

1. स्पेन
2. दक्षिण अफ्रीका
3. इंडोनेशिया
4. नॉर्वे

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 4
(d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 44. भारतीय संविधान में दलबदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था?

(a) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(b) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
(c) 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985
(d) 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1989

प्रश्न 45. सुंदरवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
2. यह बंगाल की खाड़ी के तट पर चक्रवातों और तूफानी लहरों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है।
3. संपूर्ण सुंदरवन क्षेत्र पर केवल भारत का प्रशासनिक नियंत्रण है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

प्रश्न 46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना है।

कथन II: CPTPP सदस्य देशों के बीच लगभग सभी शुल्कों को समाप्त कर देता है और श्रम, पर्यावरण और बौद्धिक संपदा पर उच्च मानक निर्धारित करता है।

कथन III: भारत CPTPP का संस्थापक सदस्य है और इसकी वार्ताओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारतीय कानून के तहत, मानहानि एक दीवानी अपराध या आपराधिक अपराध हो सकता है।

कथन 2: दीवानी मानहानि के लिए वित्तीय मुआवज़ा दिया जा सकता है।

कथन 3: प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैं।
(d) सभी कथन सही हैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नहीं करता है।

प्रश्न 48. सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सतलुज नदी सिंधु नदी की पाँच सहायक नदियों में सबसे लंबी है।

कथन 2: यह दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में राक्षसताल झील से हिमालय के उत्तरी ढलान पर निकलती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
(b) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है।
(c) कथन 1 गलत है, परन्तु कथन 2 सही है।
(d) कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं।

प्रश्न 49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सतत विकास लक्ष्य 12 का उद्देश्य सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना है।

कथन 2: अपशिष्ट को कम करने, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और मरम्मत अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना सतत विकास लक्ष्य 12 को प्राप्त करने में योगदान देता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 50. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह अधिनियम भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

2. यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों और सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।

3. यह अधिनियम मुख्यतः डिजिटल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 51. घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली (IDS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IDS कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर आधारित है।

2. यह ट्रैक पर हाथियों की वास्तविक समय उपस्थिति का पता लगाने के लिए फाइबर ऑप्टिक आधारित ध्वनिक प्रणाली का उपयोग करता है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 52. महासागर का प्राथमिक उद्देश्य है:

(a) हिंद महासागर के देशों के साथ एक सैन्य गठबंधन बनाना।

(b) तटीय क्षेत्रों में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना।

(c) वैश्विक दक्षिण में सुरक्षा, व्यापार और विकास सहयोग को मज़बूत करना।

(d) दक्षिण एशिया के लिए एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना।

प्रश्न 53. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (BWMR), 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. ये नियम निर्माताओं पर प्रयुक्त बैटरियों को एकत्रित करने और पुनर्चक्रित करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लागू करते हैं।

2. ये नियम बैटरी निर्माण में पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं।

3. ये नियम डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से बैटरी अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (BESS) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कथन II: BESS सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहीत कर सकता है और उच्च माँग या कम उत्पादन की अवधि के दौरान इसे मुक्त कर सकता है।

कथन III: BESS नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन में ग्रिड अवसंरचना और पारेषण नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: रेडियोधर्मी समस्थानिक किसी तत्व का अस्थिर रूप होते हैं जो विकिरण उत्सर्जित करके अधिक स्थिर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।

कथन 2: विकिरण का पता लगाया जा सकता है, और आमतौर पर जिस पदार्थ पर यह पड़ता है, उसमें परिवर्तन उत्पन्न करता है।

कथन 3: गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का इंजेक्शन लगाना गैंडों के लिए हानिरहित है और सीमा शुल्क एजेंटों को तस्करी किए गए सींगों का पता लगाने में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैं।

(d) सभी कथन सही हैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नहीं करता है।

प्रश्न 56. आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संस्कृत में वैदिक धर्म पर कई भाष्य लिखे।

2. ब्रह्मसूत्रभाष्य उनकी प्रमुख भाष्य कृतियों में से एक है।

3. उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों में शिंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में चार मठ स्थापित किए।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 57. ई-श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. ई-श्रम गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटाबेस है।

2. यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है।

3. ईपीएफओ लाभों का उपयोग करने के लिए सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ई-श्रम पंजीकरण अनिवार्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: CPGRAMS को नागरिक शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

कथन II: CPGRAMS के माध्यम से प्रस्तुत शिकायतें कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश हैं जिनका विभागों को पालन करना चाहिए, अन्यथा दंड लगाया जाता है।

कथन III: इस प्रणाली से शिकायतों का तेज़ी से निपटान हुआ है, लेकिन आँकड़े दर्शाते हैं कि कई शिकायतें बिना किसी ठोस समाधान या अनुवर्ती कार्रवाई के बंद कर दी जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 59. समाचारों में अक्सर उल्लिखित भूस्खलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार, भारत का लगभग 12.6% भू-भाग भूस्खलन-प्रवण है।

II. भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना का उद्देश्य संवेदनशील राज्यों में भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

III. ढलानों को सुदृढ़ करने के लिए भू-तकनीकी सामग्रियों जैसे जियोटेक्सटाइल और जियोग्रिड का उपयोग भूस्खलन को रोक सकता है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 60. भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति फिलीपींस के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी के औपचारिककरण में परिलक्षित होती है।

II. 2025 में, भारतीय नौसेना ने पहली बार फिलीपींस में आयोजित नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया।

III. भारत ने समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने के लिए फिलीपींस को सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 61. निम्नलिखित में से देपसांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. देपसांग मैदान पूर्वी लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित हैं।

2. वे रणनीतिक दौलत बेग ओल्डी (DBO) हवाई पट्टी के करीब स्थित हैं, जिससे भारत को सामरिक बढ़त मिलती है।

3. भारत और चीन ने सैनिकों की आपसी वापसी के माध्यम से इस क्षेत्र में गतिरोध को पूरी तरह से हल कर लिया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 62. निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत, जापान और अन्य साझेदारों के साथ आसियान संपर्क को बढ़ावा देती है?

(a) आसियान+3

(b) पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)

(c) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

(d) आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)

प्रश्न 63. अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियें?

I. भारत को अब ब्रिक्स सदस्य ब्राजील के साथ-साथ विश्व में सबसे अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

II. भारत दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है।

III. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत अमेरिका का दसवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 64. एथॉक्सीसल्फ्यूरॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) यह एक कीटनाशक है जिसका उपयोग मुख्यतः कपास की खेती में किया जाता है।

(b) यह एक कवकनाशी है जिसका उपयोग चावल में ब्लास्ट रोग के उपचार के लिए किया जाता है।

(c) यह चावल और गन्ने में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों और सेज के विरुद्ध प्रभावी एक शाकनाशी है।

(d) यह एक उर्वरक है जिसका उपयोग धान की फसलों में टिलरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) विश्व के महासागरों के उपयोग में राष्ट्रों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है।

कथन 2: UNCLOS किसी देश की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैले अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य के समुद्री संसाधनों पर विशेष अधिकार होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 66. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आसियान देशों और भारत के बीच व्यापार को उदार बनाने और बढ़ावा देने के लिए 2009 में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
2. AITIGA के तहत, भारत और आसियान देशों ने अपने बीच व्यापार किए जाने वाले सभी वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर दिए हैं।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 67. बोनोबोस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बोनोबोस को सामान्य चिम्पांजी से उनके अपेक्षाकृत लंबे अंगों, गुलाबी होंठों और सिर पर लंबे बालों के कारण अलग पहचाना जाता है।
2. सामान्य चिम्पांजी के साथ, बोनोबो मनुष्यों का सबसे निकटतम रिश्तेदार है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल I (b) केवल II

(c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 68. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: टोपरा कलां गाँव को मौर्य सम्राट के शिलालेखों से अंकित अशोक स्तंभ का मूल स्थल माना जाता है।

कथन II: यह स्तंभ 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(b) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

(c) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

(d) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

प्रश्न 69. यूरोपीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. यूरोपीय संघ की स्थापना मुख्य रूप से सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
2. यूरोपीय संघ की एक एकल मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है, जिसका उपयोग सभी सदस्य देश करते हैं।
3. यूरोपीय संसद का चुनाव सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा सीधे किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 70. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. ईवीएम का पहली बार भारत में 2004 के आम चुनाव में इस्तेमाल किया गया था।
2. ईवीएम डेटा संचारित करने के लिए इंटरनेट या किसी वायरलेस तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं।
3. ईवीएम के निर्माण और तैनाती के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 71. जैसलमेर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैसलमेर की स्थापना 1156 में यदुवंशी वंश के वंशज रावल जैसल ने की थी।
2. जैसलमेर किले का निर्माण 1156 ईस्वी में राजा रावल सिंह ने करवाया था।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) केवल I (b) केवल II

(c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 72. संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

कथन I: संसदीय समितियों की अवधारणा आयरिश संसद में उत्पन्न हुई।

कथन II: संसदीय समितियाँ संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(b) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।

(c) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।

(d) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

प्रश्न 73. फिलिस्तीन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) की स्थापना फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी।
3. ओस्लो समझौते का उद्देश्य दो-राज्य समाधान के माध्यम से इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को हल करना था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 74. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: वैकोम सत्याग्रह एक अहिंसक विरोध था जिसका उद्देश्य वैकोम मंदिर के आसपास की सड़कों का उपयोग करने के लिए निचली जाति के लोगों के अधिकार को सुरक्षित करना था।

कथन 2: इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह केरल में अस्पृश्यता के विरुद्ध सबसे पहले संगठित प्रयासों में से एक था।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, परन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 75. मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान IMEC की घोषणा की गई थी।

II. IMEC में दो गलियारे शामिल हैं - भारत-खाड़ी और खाड़ी-यूरोप।

III. इसका पश्चिमी भाग भारत को समुद्री और उच्च गति रेल का उपयोग करके संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन के माध्यम से हाइफ़ा से जोड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 76. निम्नलिखित में से कौन सा 2024-25 में भारत के सबसे बड़े कृषि आयात और निर्यात वस्तुओं की सही पहचान करता है?

(a) आयात: दालें; निर्यात: कॉफ़ी

(b) आयात: वनस्पति तेल; निर्यात: समुद्री उत्पाद

(c) आयात: ताजे फल; निर्यात: भैंस का मांस

(d) आयात: कपास; निर्यात: गैर-बासमती चावल

प्रश्न 77. गुड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. गुड़ चीनी उत्पादन का एक उप-उत्पाद है जो गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टलीकरण के बाद प्राप्त होता है।
2. C-भारी गुड़ में चीनी की मात्रा कम होती है और इसका उपयोग अक्सर इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है।
3. गुड़ बिना किसी और प्रसंस्करण के अपने कच्चे रूप में मानव उपभोग के लिए सीधे खाद्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 78. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?

(a) गृह मंत्रालय

(b) विधि एवं न्याय मंत्रालय

(c) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(d) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

प्रश्न 79. पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली (स्पर्श) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत वेब-आधारित प्रणाली है।
2. यह वेब-आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और पेंशन को सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में जमा करती है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

(a) केवल I (b) केवल II

(c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 80. चिकने-कोट वाले ऊदबिलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) वे पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हैं।

(b) वोरेशियस शिकारियों के रूप में, वे मछलियों और क्रस्टेशियंस की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी अति-जनसंख्या को रोका जा सकता है।

(c) वे एक लहरदार, V-आकार की रेखा में तैरकर एक उल्लेखनीय सहयोगी शिकार रणनीति का प्रदर्शन करते हैं।

(d) स्मूथ-कोटेड वाले ऊदबिलाव एकांतप्रिय जानवर हैं जो परिवार समूह नहीं बनाते हैं।

प्रश्न 81. 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह संगठन मुख्य रूप से दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार पर केंद्रित है।
2. इसकी स्थापना मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में की गई थी।
3. एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन को रोकने और समाप्त करने के लिए अनुसंधान, वकालत और अभियान चलाता है।
4. यह संगठन शांति और मानवाधिकारों के प्रचार के लिए एक वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) केवल तीन (d) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 82. राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है।
2. यह राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण रजिस्ट्री का रखरखाव करता है।
3. यह निर्धारित प्राथमिकता मानदंडों के अनुसार, अंतर-राज्यीय साझाकरण के मामले में अंगों के आवंटन के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 83. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अमेरिका का प्रभावी संदर्भ मूल्य (ERP) भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के समान है।
2. अमेरिका में, यदि बाजार मूल्य इस स्तर से नीचे गिर जाते हैं, तो किसानों को सरकार से सीधा भुगतान प्राप्त होता है, और इसे PLC या मूल्य हानि कवरेज कहा जाता है।

उपर्युक्त में से कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I (b) केवल II

(c) I और II दोनों (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 84. कौन से अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं?

(a) अनुच्छेद 105 और 122 (b) अनुच्छेद 14 और 19

(c) अनुच्छेद 194 और 212 (d) अनुच्छेद 32 और 226

प्रश्न 85. चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. CTS एक छवि-आधारित समाशोधन प्रणाली है जहाँ चेकों की भौतिक आवाजाही रोक दी जाती है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक छवियाँ लगा दी जाती हैं।
2. चेक समाशोधन में तेजी लाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा CTS लागू किया गया था।
3. CTS-2010 मानक में छेड़छाड़ रोकने के लिए वॉटरमार्क और प्रिंटर-विशिष्ट सुविधाओं जैसी कुछ सुरक्षा सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 86. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. शीर्ष मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन सहित मूल्य स्तर में समग्र परिवर्तन को मापती है।
2. मूल मुद्रास्फीति अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं करती है।
3. भारत में, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) शीर्ष मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप है जिसका उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 87. सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) इसकी अपने साझेदारों से अलग कानूनी पहचान होती है।

(b) यह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 द्वारा शासित होती है।

(c) यदि एलएलपी विफल हो जाती है, तो लेनदार साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का दावा नहीं कर सकते।

(d) यह लेखांकन और कानून जैसी व्यावसायिक सेवाओं के लिए उपयुक्त है।

प्रश्न 88. नए आयकर विधेयक, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. मसौदा विधेयक में करदाताओं को रिफंड का दावा करने के लिए नियत तिथि तक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था, लेकिन नए संस्करण में यह शर्त हटा दी गई है।

II. नए विधेयक में किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तपोषित शिक्षा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत किए गए प्रेषण पर 10% TCS का प्रस्ताव है।

III. नए विधेयक में "कर वर्ष" की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 89. केरल के कुट्टनाड क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. कुट्टनाड को व्यापक धान की खेती के कारण 'केरल का चावल का कटोरा' कहा जाता है।

2. यह भारत के उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहाँ समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है।

3. यह क्षेत्र पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 90. भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पश्चिमी मॉडल के समान, धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण है।

2. भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

3. राज्य धार्मिक संस्थाओं को समर्थन या विनियमन प्रदान कर सकता है यदि वह समानता और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त में से कितने सही नहीं हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 91. मुगल शासन और दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: शाहजहाँ ने 1648 में शाहजहाँनाबाद की स्थापना की, जिसमें लाल किला और पुरानी दिल्ली शामिल थे।

कथन II: मुगल सम्राट राजवंश के पतन के दौरान भी वैध सत्ता का प्रतीकात्मक स्रोत बना रहा।

कथन III: शाहजहाँनाबाद 1857 तक मुगल राजधानी बना रहा।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 92. एसएसआई मंत्र क्या है?

(a) टेलीसर्जरी और टेली-प्रॉक्टरिंग के लिए स्वीकृत एक रोबोटिक प्रणाली।

(b) सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित एक नया टीका।

(c) अस्पतालों के प्रबंधन हेतु एक सॉफ्टवेयर।

(d) हृदय रोगों के निदान हेतु एक चिकित्सा उपकरण।

प्रश्न 93. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

2. यह भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

3. इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 94. जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल (1923) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह भारत में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर पहली व्यापक मार्गदर्शिका थी।

2. इसने संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत निर्धारित किए, जिसमें न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल दिया गया।

3. यह संरक्षण प्रथाओं में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता रहा है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: जेलीफ़िश की वृद्धि तटीय परमाणु संयंत्रों को आपातकालीन शटडाउन के लिए बाध्य कर सकती है।

कथन II: अत्यधिक मछली पकड़ने से जेलीफ़िश के शिकारियों की संख्या कम हो जाती है।

कथन III: गर्म समुद्र जेलीफ़िश के प्रजनन को तीव्र करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन I की व्याख्या करता है।

(c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 96. गिरि नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) यह दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती है और प्रयागराज में यमुना में मिल जाती है

(b) यह उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है।

(c) यह हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलने वाली यमुना की एक सहायक नदी है।

(d) यह एक मौसमी नदी है जो केवल थार रेगिस्तान में पाई जाती है।

प्रश्न 97. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. इसकी स्थापना भारत के सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं पर विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने के लिए की गई थी।
2. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अधीन कार्य करता है।
3. इसके सर्वेक्षणों में रोजगार, उपभोक्ता व्यय और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 98. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संस्थापक सदस्य कौन से देश थे:

(a) चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान

(b) चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान

(c) चीन, रूस, ईरान, मंगोलिया

(d) चीन, रूस, अफगानिस्तान, कज़ाकिस्तान

प्रश्न 99. ब्रह्मास्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसे लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल (LRASHM) नाम दिया गया है।

II. यह एक सुपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है।

III. यह रेंज और तकनीक के मामले में चीन की DF-17 जैसी समान मिसाइलों से बेहतर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 100. संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) से किस प्रकार भिन्न है?

(a) सीबीजी का ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता है।

(b) सीएनजी बायोमास से उत्पन्न होती है, जबकि सीबीजी पेट्रोलियम का एक उप-उत्पाद है।

(c) सीबीजी बायोमास से प्राप्त होती है, जबकि सीएनजी पेट्रोलियम का एक उप-उत्पाद है।

(d) सीबीजी का उपयोग सीएनजी की तरह परिवहन ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 101. भारत में खरीफ मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:

1. खरीफ की फसलें दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं और मानसून के अंत में काटी जाती हैं।
2. प्रमुख खरीफ फसलों में चावल, मक्का, कपास, दालें और मूंगफली शामिल हैं।
3. खरीफ मौसम आमतौर पर भारत के सभी हिस्सों में अक्टूबर से मार्च तक होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 102. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस), 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह योजना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए जारी किए गए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार हेतु एक राष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करती है।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) इस योजना का प्रशासक है, जबकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) व्यापार को नियंत्रित करता है।

3. यह योजना वर्तमान में भारत में कार्बन क्रेडिट के स्वैच्छिक और अनुपालन-आधारित व्यापार दोनों की अनुमति देती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 103. प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

I. यह नेग्लेरिया फाउलेरी नामक एक मुक्तजीवी अमीबा के कारण होता है।

II. भारत में PAM का पहला मामला 1971 में सामने आया था।

III. PAM एक संक्रामक रोग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I और II (b) केवल II और III

(c) केवल I और III (d) I, II और III

प्रश्न 104. निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) का कारण बन सकता है?

(a) केवल विषाणु

(b) केवल जीवाणु और विषाणु

(c) केवल परजीवी और कवक

(d) विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी और विषाणु

उत्तर कुंजी

प्रश्न1.	b	प्रश्न2.	c	प्रश्न3.	c	प्रश्न4.	d
प्रश्न5.	c	प्रश्न6.	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न7.	a	प्रश्न8.	d
प्रश्न9.	b (केवल 1 और 3)	प्रश्न10.	a	प्रश्न11.	b	प्रश्न12.	b
प्रश्न13.	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न14.	a	प्रश्न15.	d	प्रश्न16.	b
प्रश्न17.	a (केवल 3)	प्रश्न18.	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न19.	a	प्रश्न20.	c
प्रश्न21.	a	प्रश्न22.	b (केवल 1 और 3)	प्रश्न23.	d	प्रश्न24.	d
प्रश्न25.	d	प्रश्न26.	b	प्रश्न27.	a	प्रश्न28.	d
प्रश्न29.	a	प्रश्न30.	b (केवल 2 और 3)	प्रश्न31.	d	प्रश्न32.	b
प्रश्न33.	a	प्रश्न34.	b (केवल 2 और 3)	प्रश्न35.	a	प्रश्न36.	c
प्रश्न37.	a	प्रश्न38.	a	प्रश्न39.	a	प्रश्न40.	a
प्रश्न41.	c	प्रश्न42.	c	प्रश्न43.	b	प्रश्न44.	c
प्रश्न45.	a	प्रश्न46.	c	प्रश्न47.	b	प्रश्न48.	a
प्रश्न49.	a	प्रश्न50.	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न51.	c	प्रश्न52.	c
प्रश्न53.	c	प्रश्न54.	c	प्रश्न55.	b	प्रश्न56.	c
प्रश्न57.	a	प्रश्न58.	c	प्रश्न59.	d	प्रश्न60.	d
प्रश्न61.	a	प्रश्न62.	b	प्रश्न63.	c	प्रश्न64.	c
प्रश्न65.	a	प्रश्न66.	a	प्रश्न67.	c	प्रश्न68.	a
प्रश्न69.	c	प्रश्न70.	c (केवल 1 और 3)	प्रश्न71.	c	प्रश्न72.	a
प्रश्न73.	a (केवल 1)	प्रश्न74.	c	प्रश्न75.	a	प्रश्न76.	b
प्रश्न77.	a	प्रश्न78.	a	प्रश्न79.	d	प्रश्न80.	d
प्रश्न81.	c (केवल 1, 3 और 4)	प्रश्न82.	c	प्रश्न83.	c	प्रश्न84.	c

प्रश्न85.	d	प्रश्न86.	b (केवल 1 और 2)	प्रश्न87.	b	प्रश्न88.	c
प्रश्न89.	a	प्रश्न90.	a (केवल 1)	प्रश्न91.	b	प्रश्न92.	a
प्रश्न93.	d	प्रश्न94.	c	प्रश्न95.	a	प्रश्न96.	c
प्रश्न97.	d	प्रश्न98.	b	प्रश्न99.	c	प्रश्न100.	b
प्रश्न101.	a	प्रश्न102.	a (केवल 3)	प्रश्न103.	a	प्रश्न104.	b

दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय उपमहाद्वीप ने अपने इतिहास में विभिन्न विदेशी आक्रमण देखे हैं। परीक्षण कीजिए कि इन आक्रमणों ने समय के साथ भारतीय संस्कृति को कैसे बदल दिया। (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 2. गौण खनिज क्या हैं और भारत में इनका विनियमन कैसे किया जाता है? भारत में गौण खनिजों के विनियमन में आने वाली कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 3. ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत को कोयला और जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर एक व्यवस्थित परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए। (GS3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 4. भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा कीजिए। (GS 2; 15 अंक; 250 शब्द)

प्रश्न 5. मैंग्रोव के बहुमुखी महत्व पर चर्चा कीजिए। मैंग्रोव वनों के समक्ष प्रमुख खतरे क्या हैं और भारत में मैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? (GS3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 6. संवैधानिक नैतिकता क्या है और यह भारतीय संविधान में किस प्रकार अंतर्निहित है? संवैधानिक नैतिकता पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों सहित स्पष्ट कीजिए। (GS2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 7. वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध (WWII) के छिड़ने में किस प्रकार योगदान दिया, और युद्ध के परिणाम ने अमेरिका के आधिपत्य द्वारा परिभाषित वैश्विक व्यवस्था को किस प्रकार नया रूप दिया? (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 8. मौद्रिक स्थिरता और विकास को विनियमित करने के लिए RBI के प्राथमिक तंत्र क्या हैं? वैश्विक बदलावों के बीच RBI भारत की आर्थिक लचीलापन को कैसे बढ़ावा देता है? (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 9. चोल मंदिरों की विशिष्ट स्थापत्य कला क्या है? ये मंदिर किस प्रकार धार्मिक संरचनाओं के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी देते थे? (GS 1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 10. कृषि के सतत विकास के लिए किसानों और नीति निर्माताओं के बीच विश्वास की कमी को दूर करना और उन्नत प्रौद्योगिकी का एकीकरण आवश्यक है। टिप्पणी कीजिए। (GS3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 11. भूस्खलन क्या है? भारत में भूस्खलन की संवेदनशीलता और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। (GS1, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 12. भारत रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने और पश्चिमी सहयोगियों एवं रूस के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। चर्चा कीजिए। (GS 2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 13. कृषि में वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण श्रमिकों को रोज़गार संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोधाभास के मूल में निहित संरचनात्मक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (GS 3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 14. कोयला विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? SO_2 उत्सर्जन को कम करने के व्यापक उपायों पर चर्चा कीजिए। (GS 3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 15. भारत में शहरी परिवहन क्षेत्र में प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। क्या एक समर्पित अखिल भारतीय शहरी परिवहन सेवा इस समस्या के समाधान में सहायक होगी? (GS1 और 3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 16. तिलहन का एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद, भारत खाद्य तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इस विरोधाभास के कारणों का परीक्षण कीजिए और इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए नीतिगत उपायों का मूल्यांकन कीजिए। (GS3, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 17. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की निष्पक्षता से संबंधित विवादों और आरोपों ने इसकी संस्थागत अखंडता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। इस संदर्भ में, भारत में चुनावी लोकतंत्र की सुरक्षा में ECI की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसकी स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जन विश्वास को बढ़ाने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? (GS 2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 18. चर्चा कीजिए कि मुगल दरबार के साहित्यिक परिवेश ने भारत में फ़ारसी साहित्य के विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। इसने क्षेत्रीय साहित्यिक परंपराओं के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया? (GS1, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 19. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को "गोल्डीलॉक्स स्थिति" में बताया है। स्थिर वास्तविक मजदूरी, अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति, राजकोषीय बाधाओं और आय असमानता के संदर्भ में इस दावे का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 20. त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) की परिकल्पना की गई थी, फिर भी उनकी प्रभावशीलता पर बहस जारी है। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका, चुनौतियों और आवश्यक सुधारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS2, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 21. भारत में घर-घर स्वास्थ्य सेवा पहुँच का विस्तार हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन में नागरिक भागीदारी कमज़ोर बनी हुई है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और समावेशी जन भागीदारी के लिए उपाय सुझाइए। (GS2, 15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न 22. कौशल बेमेल, अनौपचारिक क्षेत्र बहिष्करण और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दों पर विचार करते हुए, नियोक्ता-केंद्रित रोजगार सृजन रणनीतियाँ श्रम बाजार में संरचनात्मक असमानताओं को कैसे मजबूत कर सकती हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न 23. भारत में छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कैसे करते हैं? एफपीओ के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और उनकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाइए। (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न 24. प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों पर चर्चा कीजिए, और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक बाध्यकारी संधि पर वैश्विक सहमति बनाने में आने वाली बाधाओं का मूल्यांकन कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 अंक)

प्रश्न 25. बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान के कमज़ोर होने के साथ, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत वैश्विक व्यापार प्रशासन को मज़बूत बनाने में किस प्रकार योगदान दे सकता है? (GS2, 250 शब्द, 15 अंक)

प्रश्न 26. बोडोलैंड आंदोलन भारत के उत्तर-पूर्व में जातीयता, पहचान और स्वायत्तता के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का भी परीक्षण कीजिए। (GS2, 150 शब्द, 10 अंक)

Note

चहल एकेडमी द्वारा
ब्लू बुक सीरीज

हमारी "ब्लू बुक" सीरीज की पुस्तकें

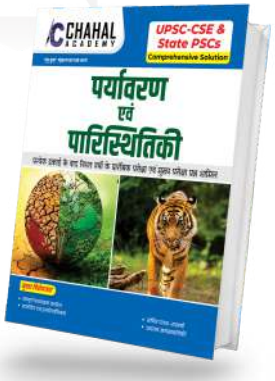

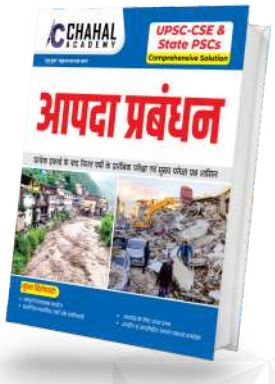

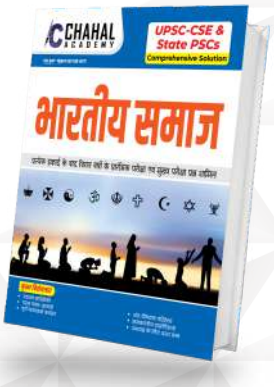

किसी भी जानकारी या ऑर्डर करने के लिए 9205927650

CHAHAL ACADEMY
(Chahal Academy Pvt. Ltd.)
www.chahalacademy.com
Follow Us

MRP. ₹120.00